शिखर तक संघर्ष

प्रकाश चन्द्र पारख

पूर्व सचिव,कोयला मंत्रालय,भारत सरकार

अनुवाद :- दिनेश कुमार माली

"एक दक्ष,अनुशासित और संतुष्ट सर्विस, जो अपनी ईमानदारी और कर्मठता(डेलीजेंट) से किए गए कार्यों के आधार पर अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त हो,उसकी आवश्यकता लोकतन्त्र में सत्तावादी शासन से भी ज्यादा जरूरी है। यह सर्विस पार्टी से ऊपर होनी चाहिए और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनैतिक सोच उनकी नियुक्ति और अनुशासन के मामलों में कम से कम हो, अगर उसका पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया जा सकता हैं।"

सरदार वल्लभभाई पटेल
भारत सरकार के प्रथम उपप्रधानमंत्री
एवं प्रथम गृहमंत्री

"An efficient, disciplined and contented service, assured of its prospectus as a result of diligent and honest work, is sine qua non of sound administration under a democratic regime even more than under authoritarian rule. The service must be above party and we should ensure that political considerations, either in its recruitment or in its discipline, are reduced to the minimum, if not eliminated altogether."

Sardar Vallabhbhai Patel
First Deputy Prime Minister and
First Home Minister of India

अनुक्रमणिका

आमुख

भूमिका

अनुवादक की कलम से

भाग-1 (राज्य सरकार में सेवाएँ)

1. आंध्रप्रदेश कैडर:प्रथम सोपान का श्री गणेश
2. सब कलेक्टर आसिफाबाद : पहली-पहली अनुभूति
3. वाणिज्यिक कर : कामधेनु
4. नागरिक आपूर्ति निगम : तैलीय पदार्थ
5. कलेक्टर तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट : गुटबंदी का अहंकार
6. हैदराबाद नगर निगम : पहला विद्रोह
7. आंध्रप्रदेश डेयरी विकास निगम : भंवर चकरी
8. गोदावरी फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल लिमिटेड: एक चतुर सियार
9. उद्योग विभाग : घूस की होम डिलीवरी
10. पब्लिक इंटरप्राइजेज डिपार्टमेन्ट:राजनैतिक दबाव

भाग-2(कोयला मंत्रालय)

11. सुश्री ममता बनर्जी मेरी पहली कोयला-मंत्री : सादगी के दूसरी तरफ
12. मेरे दूसरे कोयला मंत्री श्री शिबू सोरेन: आए राम-गए राम
13. प्रधानमंत्री का पद भार ग्रहण करना -तीन विशिष्ट सुधार।
14. कैप्टिव कोल-ब्लॉकों का आवंटन
15. महालेखा परीक्षक यानि सीएजी सही और प्रधानमंत्री गलत क्यों ?
16. कोयले की ई-मार्केटिंग
17. कोल-इंडिया के सीएमडी का चयन : मंत्रियों द्वारा ब्लैकमेलिंग
18. ॰ सांसदों के खेल
19. श्री शिबू सोरेन
20. सुप्रीम कोर्ट,सीबीआई और कोलगेट

भाग-3 (भविष्य के लिए कोड)

21. सिविल सर्विस,मंत्री और जन-प्रतिनिधि
22. उपसंहार

भाग-4 (साक्षात्कार)

List Of Annexures

1. **Annexure 5-I:** My letter dated 06-04-1981 addressed to the Chief Secretary, Andhra Pradesh.

2. **Annexure 6-I :** My letter dated 08-02-1983 addressed to the Chief Secretary, Andhra Pradesh.

3. **Annexure 6-II :** News headline of Indian Express dated 11-2-1983

4. **Annexure 6-III :** My letter dated 11-03-1983 addressed to the Dr LM Singhvi.

5. **Annexure 6-IV :** Letter dated 13.03.1983 from Dr LM Singhvi.

6. **Annexure 6-V :** Memo. No. 389 dated 23.03.1983 of General Administration (SCD) Department Government of Andhra Pradesh.

7. **Annexure 6-VI :** My letter dated 13.09.1983 addressed to the Chief Secretary, Andhra Pradesh.

8. **Annexure 9-I :** My letter dated 22-09-1997 addressed to Mr LN Bangur, Chairman, AP Paper Mills Ltd.

9. **Annexure 10-I :** Note C.No. 45/PSP/PE/2001 dated 19.05.2001 submitted to the Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh seeking transfer from the PE Department.

10. **Annexure 10-II :** Extracts from the report of the House Committee of the Andhra Pradesh Legislkature that enquired into the Irregularities by the private Management of Nizam Sugars Limited, 31st August 2006.

11. **Annexure 14-I :** Note dated 17.01.2005 submitted to the PMO requesting intervenation to expedite approval of Cabinet Note for introducing competitive bidding for allocation of coal blocks.

12. **Annexure 17-I :** Note dated 18.02.2005 of MoS seeking my explanation for referring Mr Shashi Kumar’s appointment to ACC, though the Minister had rejected his name.

13. **Annexure 18-I :** Letter No. CMD : ES :F-19:04:604 dated 06.12.2004 from the CMD, BCCL about activities of MR C.S Dubey, MP, hampering operations of BCCL.

14. **Annexure 18-II :** Letter dated 08.11.2004 from Mr CS Dubey, MP addressed to the Prime Minister seeking investigations by CVC or a parliamentary for my misconduct.

15. **Annexure 18-III :** My letter No Secy@/11019/04 dated : 06.12.2004 addressed to the Cabinet Secretary in response to Mr Dubey’s complained to the Prime Minister.

16. **Annexure 18-IV :** My Letter No.7192/Secy (Coal) dated 21.06.2005 addressed to the Cabinet Secretary seeking action against Mr. Narendra Kumar Kushwaha, MP for blackmailing Mr V.K Singh, CMD, NCL.

17. **Annexure 18-V :** Letter No CVC/2005/87/1349 dated 08.07.2005 from Mr P.Shankar, CVC, suggesting course of action to deal with problem of blackmail by MPs.

18. **Annexure 18-VI :** My Letter No Xecy (Coal)/ 08.08.05 dated 18.08.2005 addressed to the Cabinet Secretary seeking a meeting of the committee of secretaries to discuss problem of blackmails by MPs.

19. **Annexure 18-VII :** Letter No 600(AC) / 31/ C/28- (417)/05-es.II dated 02.08.2005 from Ms V Vidyavathi, Director, PMO informing that alligations made by Mr Furkan ansari and Mr. CS Dubey MPs against Mr RP Retolia CMD, CCL were found to be false.

20. **Annexure 18-VIII :** Letter No. CIL : CONF/ 584 dated 19.11.2005 from Mr Sashi kumar, CMD, CIL informing use of abusive and threatening language by Mr Ananth Kumar, Chairman of the Standing Committee of Parliament.

21. **Annexure 18- IX :** My note date 30.11.2005 to the MoS informing about misconduct of Mr Ananth Kumar and take such action as he and PM consider appropriate.

22. **Annexure 18-X :** My letter No. Secy(Coal)/ 8805 dated 08.08.2005 addressed to the Cabinmet Secretary seeking voluantry retirement following use of abusing language by Mr Dharmendra Pradhan at the consultative committee of the Parliament.

23. **Annexure 18- XI :** My letter No. Secy(Coal)/22.08.05 dated 22.08.2005 addressed to the Cabinet Secretary intimating the resumption of duty following meeting with the Prime Minister.

24. **Annexure 18-XII :** Letter No MP(LS/DGH/05 dated 28.08.2005 from Mr Dharmendra Pradhan MP addressed to the Prime Minister justifying his misconduct at the Parliamentary Standing Committee meeting.

25. **Annexure 18-XIII :** Office Memo No. 5401214/2005-CA-II dated 21.10.2005 from the the Ministry of Coal addressed to the PMO (Mr KV Pratap Deputy Seretary) in response to letter of Mr Dharemndra Pradhan.

26. **Annexure 19-I :** Letter dated 07.02.2004 from Mr Sibu Soren Minister of Coal addressed to the Prime Minister seeking my transfer and action against me for insubordination

27. **Annexure 19-II :** My letter No. 28/S/Secy(Coal) dated 22.03.2005 addressed to the Cabinet Secretary in esponse to Mr Soren's complaint.

आमुख

संसदीय-प्रणाली में देश का शासन चलाने के लिए एक्जिक्यूटिव मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। इस प्रणाली में दो भाग होते हैं,पहला पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव, दूसरा परमानेंट एक्जिक्यूटिव। केंद्र और राज्य स्तर पर पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव नीति-निर्माण, गवर्नेंस, विकास के मुख्य मुद्दों पर निर्णय लेने तथा नीतियों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग व सुपरविजन के प्रति जवाबदेह है। गांव से ब्लॉक और जिले तक हर स्तर पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त होते हैं और केंद्र व राज्य के सचिव तथा वरिष्ठ नौकरशाह व पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव द्वारा सौंपे गए कार्यों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। उच्च स्तर पर सिविल सर्विस पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव के सलाहकार का काम करती है तथा नीति–निर्धारण में सहयोग करती है। स्वभावतः पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव तथा परमानेंट एक्जिक्यूटिव के बहुत सारे काम एक-दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं , इसलिए उनके बीच मधुर संबंध अच्छे शासन के लिए एक आवश्यक शर्त होती है।

प्रशासन सिक्के के दो पहलू है –नौकरशाह और राजनेता। दोनों के मध्य मधुर संबंध और जनहित के लिए मिलकर काम करना एक अच्छे प्रशासन की कुंजी है । विगत कुछ दशकों में यह देखा गया है कि यह आदर्श ढांचा व्यावहारिक तौर पर गंभीर हद तक चोटिल हुआ है। पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव न केवल चापलूसी पसंद करते हैं बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों से सही या गलत किसी भी तरह कार्य साधने के लिए आज्ञापालन की मांग करते हैं। राजनैतिक पटल पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आ जाने के बाद मंत्री या राजनैतिक मुखिया नौकरशाहों से व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करवाना चाहते हैं , न कि जनहित में। यह मुख्य कारण है,शासन में तेजी से गिरावट आने का।

संक्षेप में, आज के जमाने में राजनीति एक व्यवसाय बन गया है, जैसे कोई युवा उद्योगपति व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाकर अपना भविष्य संवारना चाह रहा हो। दुर्भाग्य से कुछ सम्मानजनक अपवादों के अतिरिक्त यह आजकल नियम-सा बन गया है। यह तो राजनेताओं का सौभाग्य है कि कोर्ट सामान्यतया इस तरह की हरकतों को 'लेजिस्लेटर-प्रिविलेज' मानकर इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं ,इसको देखने के लिए सेबी (SEBI) जैसी कोई नई स्वतंत्र संस्था नहीं है। जो राजनेताओं के मेल-प्रेक्टिसों को नियंत्रण में रख सके। कई दशक हो गए, देश हमें लोकपाल का इंतजार कर रहा है।

स्वतन्त्रता के बाद पहले दशकों में अधिकतर नीतियाँ उच्च सिविल सर्विस वाले अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित, प्रायोजित तथा विकसित की गई और साधारणतया बाद में पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव ने इन नीतियों पर अपनी सहमति जताई।

1970 तक मंत्रियों ने नीति-निर्माण और साधारणत: व्यक्तिगत केसों में भी उच्च अधिकारियों की सलाह का सम्मान किया। मगर उसके बाद मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसलिए 1970 और 1980 के दौरान मंत्रियों द्वारा अपने अधीनस्थों को प्रत्यादिष्ट (ओवररुल) किया जाना आम बात बन गई और वे अपने हुक्म(रिट) चलाने लगे । सन 1990 के बाद में न्यायपालिका के विपरीत ध्यानाकर्षण के कारण उच्च अधिकारियों के तर्कसंगत, सही और उचित टिप्पणी को मनमाने (whimsical) तरीके से ओवररुल करना कठिन हो गया, विशेषकर कोर्ट द्वारा विपरीत ध्यानाकर्षण करने के कारण और अच्छी तरह बनाए हुए तर्कसंगत केस को खारिज करने में भी अन्तर्भूत समस्याएँ आने लगीं। इसके बाद असुविधाकारी सचिवों या संयुक्त सचिवों के स्थानांतरण

का सिलसिला शुरू हो गया और स्वतंत्र और सही सलाह देने वाले अधिकारियों को हटाकर आज्ञाकारी (pliant) अधिकारी लाए जाने लगे। इस तरह के अधिकारी ऐसी नोटिंग लिखते थे,जिसमें मंत्री की पसंद का विकल्प मौजूद रहें।साफ तौर पर, वह अपने अधिकारियों को इच्छित कार्य की रूपरेखा दिखा देते हैं , जो मंत्री अपने सचिव को मौखिक रूप से बता देते हैं। इसके लिए ऐसे सचिव की आवश्यकता पड़ती है जो मंत्री को सपोर्ट कर सके तथा उसमें सहयोग करने की इच्छा हो। उन अधिकारियों को सह–षड्यंत्रकारी होने की जरूरत नहीं होती है, यह पर्याप्त है कि वे बौद्धिक-तौर पर बेईमान हों, जो वास्तव में सही नोट लिखने के बजाय मंत्री की इच्छा के अनुसार चाहे गए नोट्स लिखे।

सिविल सर्विस में इस तरह का नैतिक पतन होने के बावजूद भी कई ऐसे निर्भीक अधिकारी हर-स्तर पर मौजूद थे,जो सही और जिम्मेदार नोट लिखते थे, भले ही, उनके सीनियर या मंत्री इसे पसंद करें या नहीं करें। सौभाग्यवश आज भी कुछ स्वतंत्र व दमदार अधिकारी हैं, जिनमें कागज पर अपनी धारणा को दृढ़तापूर्वक रखने का साहस है। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी हैं,जिन्हें दरकिनार कर दिया जाता हैं ताकि मंत्रियों के रास्ते में रुकावट पैदा न करें।

पारख की पुस्तक केन्द्रीय सरकार के मानकों में हुई तेज गिरावट को दर्शाती है। जिलों में व्याप्त भ्रष्टाचार और नग्न-स्वार्थ (venality) आज सचिवालयों तथा केंद्र तक पहुँच गया है। सड़ांध पूरी तरह से शुरु हो गई है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया को खोखली करती जा रही है।पारख ने बहुत सही बात लिखी है, "भ्रष्टाचार के कारण शासन में बहुत सारी कुरीतियाँ पैदा हुई हैं।"

यही मुख्य कारण है कि आजादी के सात-दशकों के बाद भी जनसंख्या का 70% भाग गरीबी,अशिक्षा तथा स्वास्थ्य-संबन्धित समस्याओं से जूझ रहा है और भारत शिष्ट-राष्ट्रों के मण्डल में निम्न श्रेणी में आता है। विश्व के नेतृत्व के परिपेक्ष में चीन और यू॰एस॰ए॰ से भले ही वह आगे न आ सके ,मगर कम से कम प्रतिस्पर्धा करता हुआ तो नजर आना चाहिए। पारख ने हमारे प्रशासन प्रणाली का एक असली रूप दिखाया है ।

पारख ने कुछ जगह पर आत्म-निंदा करते हुए लिखा है, '… given my inflexible nature …..' । हाँ, एक उच्च अधिकारी को विनम्र तथा सहयोगी तो होना चाहिए, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वह बौद्धिक स्तर पर बेईमान हो या राजनेता के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी सलाह या विचार व्यक्त करें। वास्तव में, उन्हें सकारात्मक ढंग से 'inflexible' होना चाहिए।यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने वाले वे नहीं है–बस,वे केवल सलाहकार है।

इस किताब में 'कोल-स्कैम ' के कई रूपों पर प्रकाश डाला गया है जिसका सीधे आम जनता के हितों से ताल्लुक था। अंत में , कोयला एक मिनरल है, जो भारत की जनता का है, इसलिए जनता के हितों का ध्यान रखते हुए इसका उत्खनन और आवंटन उचित तथा पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए न कि "क्रोनी कैपिटलिज़्म" तरीके से जैसा कि तत्कालीन गवर्नमेंट ने किया। पारख को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने आक्शन तरीके का साफ-सुथरा प्रस्ताव रखा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित भी था। मगर राजनेताओं ने अपनी स्वार्थपूर्ति के खातिर उस ठोस निर्णय को उलट दिया,एक दशक तक उसके क्रियान्वयन में अड़ंगा (filibuster) लगा दिया। इसी कारण सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 'कोल-स्कैम' द्वारा राजकोष लूट लिया गया है। यह विषय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।

इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रधानमंत्री एक अप्रभावी मूकदर्शक बने रहे। यह बात भी सोचने लायक है कि उसी प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर डील तथा एफ़डीआई में रीटेल जैसे विषयों पर ठोस निर्णय लिया। मगर वह अपने द्वारा लिए गए कोल ब्लॉक आवंटन निर्णय को कार्यान्वित करने अक्षम (विम्प) रहे। अपने चहुं ओर भ्रष्ट ताकतों से घिरे रहने के कारण साफ लगता है कि प्रधानमंत्री परिस्थितियों के गुलाम थे,जो अधिकतर उन्होंने स्वयं पैदा की थी। यह किताब उस थ्योरी का भी असली रूप दिखाती है,जो सीएजी के क्षति-आकलन को दिखावटी ओवर एसेसमेंट मानते है, जबकि यह आकलन बहुत ही कंजरवेटिव लगता हैं।

बहुत सारे भीतरी लोग,जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के कामों से परिचित हैं,जानते है कि सरकारी उपक्रमों के डायरेक्टरों तथा सीएमडी की नियुक्ति कैसी होती है और उनमें से कितने केसों में संबंधित मंत्री और अन्य राजनेताओं के सीधे व्यक्तिगत वित्तीय हित छुपे होते हैं। इस किताब ने तो केवल आइसबर्ग के टिप को स्पर्श किया है,मगर यथार्थ तो और ज्यादा भयंकर है। उसी तरह सांसद जिन्हें पॉलिसी-मेकर कहा जाता है, हकीकत की जिंदगी में किस तरह अधिकारियों के कार्यान्वयन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं–केवल अपने व्यक्तिगत लाभों की पूर्ति के लिए, जबकि जनता की भलाई कहीं भी दूर-दूर तक नजर नहीं आती है।यथार्थ में प्रशासनिक मापदण्डों में हुई गिरावट इस पुस्तक में जितनी दिखाई गई हैं, इससे कई गुणा अधिक है।

एक मंत्री का यह कहना कि सारे निर्देश हम लिखित में नहीं दे सकते, हमारे सिस्टम के बहुत बड़े रोग का प्रदर्शन करती है।मंत्री लोग चाहते हैं कि उनके अधिकारी मौखिक आदेशों का पालन करें ,बिना उन्हें रिकॉर्ड किए। दूसरे शब्दों में, अधिकारी जिम्मेवारी उठाएँ और लाभ मंत्री पाएँ।

इस संदर्भ में यह बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी-अभी 'सड़ांध' को 'रोकने' का आवश्यक कदम उठाया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि सारे कार्यालयीन आदेश लिखित में दिए जाए।

पारख, खेमका और दुर्गा नागपाल जैसे अधिकारियों को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के कारण जनता ने सर-आँखों पर बैठाया है। वास्तविकता यह है कि सिस्टम का तेजी से पतन हो रहा है। पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव अधिकारियों के तर्क या विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उनकी मांगे तुरंत किसी भी हालत में पूरी की जाए।

पारख की पुस्तक शासन के मानकों की गिरावट को समय रहते याद दिलाने वाला अनूठा दस्तावेज है तथा गंभीर प्रशासनिक सुधारों के लिए अनकही चीत्कार है।

टी॰एस॰आर॰ सुब्रमनियन
सेवानिवृत्त आईएएस
पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी
भारत सरकार

भूमिका

दुनिया के किसी भी देश में सरकार के संचालन की प्रकृति लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, तानाशाही या साम्राज्यवादी, कैसे भी क्यों न हो, केवल सिविल सर्विस ही एक ऐसा माध्यम होता है, जिसके द्वारा सरकारी नीतियों को क्रियान्वयन किया जा सकता है। सरकार के प्रशासन की सफलता सिविल सर्विस की दक्षता, प्रतिबद्धता, ईमानदारी तथा अनुशासन पर निर्भर करती है।जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो हमें उच्चतम स्तर की इंडियन सिविल सर्विस विरासत में प्राप्त हुई।तब ब्रिटिश साम्राज्य का सम्पूर्ण महल इसी इंडियन सिविल सर्विस की मजबूत नींव पर टिका हुआ था।इस सर्विस के मुट्ठी भर अधिकारी अपनी विशिष्ट योग्यता और दक्षता के आधार पर भारत के विस्तृत, भू भाग फैले विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चलाते थे।यह दूसरी बात है कि उन अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण औपनिवेशिक सरकार ने किया, मगर इस सर्विस के अधिकारियों की ईमानदारी और कर्मनिष्ठा के बारे में रत्तीभर संदेह नहीं था।

देश आजाद होने के बाद राजनैतिक व्यवस्था बदल गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं में आजाद भारत कि प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गहरे मतभेद थे। जवाहर लाल नेहरू इंडियन सिविल सर्विस को लेकर पूरी सशंकित थे। वे इसे न तो इंडियन मानते थे और न ही सिविल और सर्विस तो बिलकुल भी नहीं। इस प्रकार इंडियन सिविल सर्विस में तीनों शब्द (इंडियन, सिविल और सर्विस) से उन्हें पूरी तरह एलर्जी थी। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ईमानदार और निष्पक्ष स्वतंत्र सिविल सर्विस कि महत्ता को समझा और खुले कंठ से यह कहते हुए सराहना की यह सर्विस आगे जाकर राष्ट्र के निर्माण में एक महत्ती भूमिका अदा करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री थे। उन्होंने उस समय राजे रजवाड़े,रियासतों के राष्ट्र में विलयीकरण, भारत-पाक बँटवारे के समय पैदा हुई कानून-व्यवस्था और शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान में सिविल सर्विस की योग्यता को नजदीकी से परखा था। उन्हें इस बात का अडिग विश्वास था कि वफादार और योग्य सिविल सर्विस देश के नव-निर्माण के लिए आवश्यक है।इसलिए उन्होंने भारत के संविधान में सिविल सर्विस के अधिकारियों की रक्षा के लिए कई ऐसे प्रावधान रखें, जिससे कि राजनेता अपनी आकांक्षाओं और तुनक-मिजाजी से उन्हें किसी तरह क्षति न पहुंचा सके।

पटेल जैसी दूरदर्शिता तत्कालीन राजनेताओं में बहुत कम थी। यही मुख्य कारण है आज भारत का समूचा राजनैतिक तंत्र भ्रष्टाचार की चपेट में हैं। निडर और निष्पक्ष प्रशासनिक अधिकारी राजनेताओं को बिलकुल नहीं सुहाते। राजनेताओं की सोच अलग होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की अलग। इस वैचारिक मतभेद के कारण खरे तथा सही प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के बीच संबंध बिगड़ गए हैं। या तो पूरी तरह से प्रतिकूल हो गए है या फिर

एकदम साँठ-गाँठ वाले। कई प्रशासनिक अधिकारी तो वर्तमान राजनैतिक प्रणाली के ढाँचे में पूरी तरह से ढल गए हैं, जिसकी वजह से भारत का प्रशासन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिन मूल्यों की अनुरक्षणता के लिए सरदार पटेल ने आजीवन संघर्ष किया, आधुनिक भारत के राजनेताओं और अधिकारियों ने उनके उस संघर्ष पर पूरी तरह पानी फेर दिया। सही बात कहने वाले अधिकारी 'खराब' कहलाने लगे। उनका अकारण इधर–उधर ट्रान्सफर किया जाने लगा या फिर उन्हें निरर्थक काम दिये जाने लगे। इससे भी ज्यादा तो और बदतर क्या होता कि अपने निजी स्वार्थों के खातिर कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का बार-बार स्थानांतरण किया जाने लगा है। छोटे-छोटे तुच्छ कारणों के आधार पर उनके खिलाफ जाँच शुरू की जाती है। इन सारी बातों से आज देश का हर नागरिक परिचित है।

मैं इन मोनोग्राफ के माध्यम से अपने अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ।ये अनुभव मैंने केंद्र ओर राज्य सरकार में काम करते हुए अर्जित किए। कुछ उदाहरण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित है तो कुछ उदाहरणों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जिसमें राजनैतिक ओर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में विस्फोटक टकराव पैदा होता है। टकराव के कारण? प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष एवं सही निर्णय लेना चाहते हैं। मगर राजनेता उन्हें लेने नहीं देते हैं। तो फिर टकराव पैदा नहीँ नहीँ होगा तो फिर क्या होगा? माहौल पूरी तरह से अशांत और विक्षुब्ध हो गया है और जिसका खामियाजा प्रशासनिक अधिकारी को ही भुगतना पड़ता है। अधिकारियों के लिए तो आचार संहिता बनी हुई है, मगर राजनेताओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है।मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ और संकट आए। मैं इसे अपनी ताकत कहूँ या कमजोरी, कह नहीँ सकता, जब मेरी आत्मा कहती है कि मैं सही हूँ तो फिर कभी झुकता नहीँ हूँ। आने वाले सारे खतरों को झेलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद मैं उसे अपनी किस्मत ही समझूँगा। न तो मैं कभी दंडित हुआ और न ही अनर्थक कार्यों के लिए निर्वासित।

यह हो सकता है कि आंध्रप्रदेश का राजनैतिक नेतृत्व थोड़ा बेहतर रहा है।मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि कोयला मंत्रालय में मुझे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पूर्ण सहयोग मिला। उन्होंने मुझे अपना काम करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। मैंने कभी भी उसका अनुचित फायदा नहीँ उठाया वरन कोल इंडिया की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए अथक प्रयास करता रहा।

भारत में प्रशासन क्यों गड़बड़ा रहा है? सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार से ही प्रशासन की अधिकांश बीमारियाँ पैदा हो रही है। नीचे तबके में तो छोटा–मोटा भ्रष्टाचार हमेशा रहा ही है ,राजनेताओं में भ्रष्टाचार स्वतन्त्रता के बाद तीव्र गति से पनपने लगा,फिर धीरे-धीरे यह सिविल सर्विस में पहुँचा।

अब भ्रष्टाचार कैसे रोका जाये? बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी थी, सरकार के पास अब उसका निदान कहाँ? अब तो कभी–कभी ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को रोकना असंभव है, देश के चुनाव और समूचा राजनैतिक तंत्र तो अवैध धन पर निर्भर करता है। ऐसा लगता है चुने गए जन-प्रतिनिधियों के पास भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सिवाय और कोई चारा भी है। चुनाव लड़ने हैं, पैसा चाहिए। पैसा आयेगा कहां से? कहीँ से भी आये? तब भ्रष्टाचार को छोड़कर पैसे कमाने का स्रोत क्या बच जाता है? अनेक ऐसे ज्वलंत ज्वलंत उदाहरण है। सरकारी संस्थानो एवं कंपनियों के उच्च अधिकारियों के चयन एवं नियुक्तियाँ पूरी तरह भ्रष्टाचार पर आधारित हैं।कोल-इंडिया के चयन एवं नियुक्ति के दौरान राजनेताओं द्‍वारा उन्हें ब्लैक मेल किए जाने का मैं स्वयं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ। जब उच्च पदों की नियुक्ति रिश्वत के पैसों से होती है तो क्या आप उम्मीद कर सकते है कि ये लोग अपने–अपने आर्गनाइजेशन में भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करेंगे? जब पैसे देकर नियुक्ति हुई है तो उन पैसों को ब्याज सहित निकालने के लिए भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देंगे।

हमारा देश विश्व की तेजी से बढ़ती हुई इकॉनोमी में से एक है। प्रोजेक्शन के कुछ आकड़ों की मानें तो 2050 तक हमारा देश विश्व की एक नंबर की इकॉनोमी बन जायेगा। इस तेज रफ्तार वाली इकॉनोमी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ भी तो होगी! ऊर्जा की आवश्यकता भी उतनी ही ज्यादा होगी। आखिर यह ऊर्जा आएगी कहाँ से?

भारत में बिजली के उत्पादन का दो तिहाई हिस्सा कोयले से होता है। हमारा देश दुनिया में कोल रिजर्व और उत्पादन के हिसाब से शीर्ष राष्ट्रों में आता है। आने वाले कई दशकों तक देश के ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत कोयला बना रहेगा। इसलिये भारत के विकास में कोयला नीति और इसका कार्यान्वयन ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।जिस तरीके से कोयले के ब्लॉक प्राइवेट कंपनियों को आबंटित किये गये, वह तरीका सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। मीडिया ने इसे 'कोलगेट' का नाम दिया। राष्ट्र की इस प्राकृतिक सम्पदा के आवंटन के खुली बोली वाली पारदर्शी विधि का प्रस्ताव मैंने सन 2004 में दिया था। मगर आज तक क्रियान्वित नहीं हो सका। यह समझने के लिए ज्यादा बुद्‍धि की जरूरत नहीं थी कि खुली बोली वाली पारदर्शी प्रणाली को क्रियान्वित करने में आठ वर्षों से ज्यादा का समय क्यों लगा? कारण बिलकुल स्पष्ट है कि हमारे देश के समूचे राजनैतिक वर्ग ने इसे कुचलने का प्रयास किया।क्या राजनेता हमारे देश का विकास चाहते हैं? अगर चाहते तो आवंटन के पारदर्शी तरीकों को अपनाने में उन्हें इतनी गुरेज क्यों? अगर पारदर्शी तरीके लागू हो जाये तो उन्हें मिलेगा क्या? यह वर्ग देश के विकास के लिए ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्हें अपने और अपने परिवार वालों की ज्यादा चिंता है। हमारे देश का संविधान कहता है कि देश के सारे नागरिक बराबर हैं। नियम कानून सब पर समान रूप से लागू होते है। कानून की दृष्टि में अमीर-गरीब में कोई भेदभाव नहीं है, सभी बराबर है। मगर सरकार की कार्य प्रणाली तो विचित्र है। मनमर्जी से अपने निर्णय लेती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि राजनेता बनने का मतलब वे दूसरे नागरिकों से श्रेष्ठ हैं और

जब वे अपना निर्णय लेते हैं तो उन निर्णयों में 'कारण', 'सिद्धांत', और 'सत्यनिष्ठा' और 'सर्विस' जैसे पुनीत शब्द समान्यतया अनुपस्थित ही रहते हैं। चरित्र और सिद्धांतवाद धरा का धरा रह जाता हैं। प्रशासन के पवित्र सिद्धांतों और नियम–कानून को ताक पर रखकर उन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। नियम कानून की जब बात चली है तो यह कहते हुए भी दुःख लगता है कि हमारी न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है,, इस वजह से घोंघे की चाल से रेंगती है हमारी न्याय-प्रणाली। 'विधि का नियम' हमारे ऊपर लागू होना बंद हो गया है। हमारे देश की तबाही का मुख्य कारण हमारे देश का 'अंधा-कानून' भी है। बीच-बीच में गलत को ठीक करने के लिए कई बार प्रयास किये गए। उदाहरण के तौर पर सीबीआई का निर्माण हुआ,, भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास किया गया और ज्यादा से ज्यादा शक्तियों के साथ लोकपालों की नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव हैं। मैं मानता हूँ ये सारे कदम महत्त्वपूर्ण है, मगर समस्याओं की जड़ तक नहीँ जा रहे हैं। केवल समस्याओं की ऊपरी सतह को ही स्पर्श कर रहे हैं। सभी का केंद्र बिंदु 'विधि के नियम' (रूल ऑफ़ लॉ) की स्थापना करना है। अगर यह केंद्र बिंदु स्थापित नहीँ हो पाता है तो उसके बिना नई संस्थाएँ और कानून बनाना अंधे को दर्पण दिखाने के तुल्य है। यह महज एक दिखावा होगा,जो हमारे देश को अच्छा प्रशासन नहीं दे सकेगा। आखिरकार इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी निगाहें अपलक सिविल सर्विस की ओर देखने लगती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पर पूरी तरह से विश्वास खत्म हो गया है। इस समय हमारे देश को जरूरत है व्यापक सुधारो की। राजनैतिक,प्रशासनिक, न्यायिक और चुनाव संबंधित सुधार। इसके अतिरिक्त,देश की सारी एजेन्सियों पर आचार संहिता लागू होनी चाहिए।

लालच और भ्रष्टाचार ने हमारे देशवासियों में इतना क्रोध भड़काया कि यहाँ चुनाव संबंधित राजनीति पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आती है।राजनैतिक पार्टियों पर से विश्वास खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि बिना अवैध धन के चुनाव जीते जा सकते है। अगर ऐसा होता है तो भारत में राजनैतिक नेताओं का नया बीज पैदा होगा, ईमानदारी और स्वतंत्रता पर आधारित सिविल सर्विस को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और हम ऐसे एक नये युग में प्रवेश करेंगे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के बीच स्वस्थ और सौहार्द्रपूर्ण संबंध पैदा होंगे। अच्छे प्रशासन के लिए यही एक अपरिहार्य शर्त है।

-- प्रकाश चन्द्र पारख

अनुवादक की कलम से

दो साल पहले मैंने फ्लिपकार्ट से कोल मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव पी॰सी॰ पारख की बहुचर्चित पुस्तक "क्रूसेडर ऑर कान्सपिरेटर ?" मँगवाई और उसे बार-बार पढ़ा । मुझे ऐसा लगा कि इस किताब को हिन्दी में अनुवाद कर आम-जनता तक पहुंचाना चाहिए, देश की संसदीय लोकतन्त्र की रक्षा के लिए । मैंने इस पुस्तक के प्रकाशक "मानस पब्लिकेशन्स" से इस संदर्भ में बात कर हिन्दी में अनुवाद करने की अनुमति प्राप्त कर यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम इस किताब की समीक्षा तैयार कर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ ताकि एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार नौकरशाह की जीवनी को समझने के साथ-साथ हम अपनी कंपनी के सीएमडी या चेयरमैन लोगों के ऊपर आने वाले भीतरी व बाहरी दबाव का निष्पक्ष रूप से आकलन कर सकें ।

समय के सापेक्ष साहित्य बदलता जाता है। कभी परियों की कहानियां, तो कभी राजा-रानी या तिलस्म-कहानियां तो कभी प्रेमचंद की यथार्थवादी सर्वहारा वर्ग की कहानियों का दौर शुरू होता है,समय की मांग के अनुरूप । मगर अब वह समय आ चुका है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते उन विशाल व्यक्तित्वों के भीतर झांकने का प्रयास करें,जो नींव की ईंट बनकर अपने सिद्धांतों से बगैर समझौता किए, आजीवन कष्ट झेलते हुए लोकतन्त्र की इमारत की रक्षा करने में सतत लगे हुए हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व का नाम है प्रकाश चन्द्र पारख। जिनकी जीवन-गाथा सभी नागरिकों के लिए अनुकरणीय है, जो आपकी अंतरात्मा को सचेतन कर एक अच्छा व सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा देती है । श्री प्रकाश चन्द्र पारख का जन्म अड़सठ साल पहले जोधपुर में हुआ था । सन 2005 में कोल-सचिव के पद से वे सेवा निवृत हुए । कोल-सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए पारख साहब ने अथक प्रयास किया। कोयला बाजार में माफ़ियों का दबदबा कम करने के लिए ई-मार्केटिंग की शुरुआत की। कोल-ब्लॉकों के आवंटन में भी पारदर्शिता लाने के लिए ओपनबिडिंग का प्रस्ताव रखा। पारख साहब ने रुड़की से मास्टर इन एप्लाइड जियोलोजी में गोल्डमेडल प्राप्त किया था। फिर उन्होंने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में काम किया । अपने मित्र एच॰एस॰ मदान के सुझाव पर 1969 में आई॰ए॰एस॰ की परीक्षा दी और उन्हें सफलता मिली । बाद में यू॰के॰ के बाथ विश्वविद्यालय से फिस्कल स्टडीज़ में मास्टर डिग्री प्राप्त की । नौकरी का अधिकांश समय अपने पेरेंट केडर -आंध्र-प्रदेश के उद्योग मंत्रालय में व्यतीत हुआ और उन्होंने आंध्रप्रदेश को निवेश के हिसाब से उपयुक्त स्थान बनाने का भरसक प्रयास किया ।

कौन नहीं चाहता है अपने जीवन में आई॰ए॰एस॰ बनना ! हर किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी का एक मनोरम ख्वाब होता है आई॰ए॰एस॰ बनने का। आप अपने बचपन,किशोरावस्था या युवावस्था के दिनों को झांक कर देखें तो कहीं न कहीं सुषुप्तावस्था में आपके अंदर इस

सुनहरे ख्वाब को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पल्लवित होते हुए पाओगे। मेरा बचपन राजस्थान के सिरोही जिले में बीता और मेरे पिताजी सिरोही जिला-कोषालय में अपर डिवीजन क्लर्क थे । यह कार्यालय सिरोही के महाराजा स्वरूप सिंहजी के कभी निवास-स्थान रहे 'सरूपविलास' में स्थित था और उसी 'सरूपविलास' में कलेक्ट्रेट भी था । कभी-कभी किसी काम से मुझे अपने पिताजी को मिलने उनके ऑफिस जाना पड़ता था, तो कलेक्टर का राजशाही ऑफिस को देखकर लगता था कि सिरोही का कलेक्टर किसी भी मायने में सिरोही के राजा से कम नहीं है । पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा व चूँदड़ी का साफा पहने बड़ी-बड़ी मूंछों वाले दरबान को उनके ऑफिस के बाहर खड़ा देखकर उनके राजसी ठाटबाट का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है । यही नहीं,ऑफिस के बरामदे में जैसे ही कलेक्टर की लाल-बत्ती वाली एम्बेसेडर कार पहुंचती,तो वह बड़ी-बड़ी मूंछों वाला वह दरबान सैल्यूट मारकर दौड़कर जाता था उस कार के पास । कार का दरवाजा खोलकर अपने साहब की अटैची उठाता और उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए अपने रूम की ओर ले जाता ,यह दृश्य राजपूताना (वर्तमान राजस्थान) के किसी राज-घराने या किसी राजसी आभिजात्य-वर्ग की याद दिलाता था ।

जब मैंने सन 1987 में जोधपुर की मगनीराम बागंड मेमोरियल आभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, तो पास ही बने कलेक्टर के रेजीडेन्स तथा तत्कालीन राजस्थान के हाई-कोर्ट के परिसर में बने कलेक्टर-ऑफिस देखकर मैं अभिभूत हो जाता था और सपनों की दुनिया में खो जाता था कि अगर जीवन में नौकरी करनी है तो आई॰ए॰एस॰ की करनी चाहिए अन्यथा नहीं। एक सम्मोहन-सा लगता था !

और संयोग ही देखिए,हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 1992 बैच के इलेक्ट्रानिक संकाय में टॉपर रहे अश्विनी वैष्णव ने पूरे भारत में आई॰ए॰एस॰ परीक्षा में 32 वी रैंक प्राप्त कर ओड़िशा कैडर में नौकरी ज्वाइन की। और मेरे जैसे खनन संकाय वालों के लिए तो आई॰ए॰एस॰ के बारे में सोचना भी बड़ी बात होती थी।माइनिंग में इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सन 1993 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की ब्रजराजनगर स्थित ओड़िशा की सबसे पुरानी भूमिगत कोयला खदान हिंगर रामपुर कोलियरी में प्रबंध-प्रशिक्षु के रूप में अपना व्यवसायिक कैरियर शुरू किया । मुझे पता नहीं था कि अश्विनी के कैरियर का शुभारंभ सुंदरगढ़ के सब-कलेक्टर के रूप में हुआ। सुंदरगढ़ ब्रजराजनगर से महज साठ-सत्तर किलोमीटर दूर था, मगर मुझे अश्विनी को खोजने में सात साल लगे । कॉलेज छोड़ने के बाद सब अपने-अपने कार्यों में व्यस्त, अपने-अपने नए जीवन का शुरुआती दौर, शादी-ब्याह और तो और उस जमाने में इन्टरनेट,फेसबुक और मोबाइल भी नहीं थे। आज तो पालक झपकते ही,"गूगल" जैसे सर्च इंजिन से किसी भी भूले-बिसरे दोस्तों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । यह भी एक विचित्र संयोग था,जब में पारादीप में आयोजित 'बालि-यात्रा' हमारी कंपनी की ओर लगाई जाने वाली एक स्टॉल का प्रभारी बनकर गया हुआ था । वहाँ खाने-पीने की एक स्टॉल पर नाश्ता करते समय मेरा ध्यान ओड़िया अखबार के पहले पेज पर छपे एक फोटो की तरफ गया। उस समय मुझे ओड़िया-लिपि पढ़ना नहीं आता था , मगर वह फोटो मुझे बरबस

आकर्षित कर रहा था। ऐसा लग रहा था, अवश्य किसी न किसी दोस्त का होगा । मगर मन मानने से इंकार कर रहा था, राजस्थान से बाईस सौ किलोमीटर दूर यहाँ मेरा कोई दोस्त क्यों आएगा । फिर भी मैंने वह अखबार लेकर अपने एक ओड़िया दोस्त से पढ़ने का आग्रह किया तो जानकर आश्चर्य-चकित रह गया – वह फोटो कटक के कलेक्टर अश्विनी वैष्णव का था । कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब इंजीनियरिंग के सारे संकाय के स्टूडेंट एक साथ बैठते थे, एल्फाबेट के अनुसार अश्विनी हमारे ग्रुप में आता था,आगे-पीछे बेंच पर बैठने के बाद भी आज ऐसा लग रहा था कि यह फोटो किसी दूसरे अश्विनी का तो नहीं है । मैंने फिर से ध्यान-पूर्वक उस खबर को पढ़ने के लिए कहा । उसने विस्तार से बता दिया कि वकीलों के 'छालघर' तुड़वाने का आदेश देने के कारण अश्विनी के खिलाफ वे कटक में नारेबाजी व आंदोलन कर रहे हैं। बाद में, इधर-उधर से जानकारी मिली कि अश्विनी अत्यंत ही ईमानदार व कुशल प्रशासक है । यहां तक कि वह किसी भी भवन में उदघाटन या शिलान्यास के दौरान कभी भी अपना नाम लिखवाना तक पसंद नहीं करता था। मेरे कटक के कई दोस्तों ने भी अश्विनी की बहुत तारीफ की। अंत में,मैंने अश्विनी से मिलने का तय किया। पूछ-ताछ करने पर पता चला कि कटक के भीड़-भाड़ वाले इलाके बक्सी बाजार के अंतिम छोर पर उसका रेजीडेन्स ऑफिस है। जब मैं मिलने उनके घर गया और कागज की एक चिट पर अपना व एम॰बी॰एम॰ इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिख कर भेजा तो तुरंत ही अश्विनी ने मुझे भीतर बुला दिया। सात-आठ साल के दीर्घ अंतराल में चेहरे काफी बदल जाते हैं,किन्तु अश्विनी के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं था। वही भोला-भाला मासूम चेहरा,दोनों कनपटियों के पास गहरे बालों में कुछ-कुछ सफ़ेद बाल नजर आने लगे थे,जो उनके चेहरे की गंभीरता को और ज्यादा मुखर कर रहा था। वह फर्राटेदार ओड़िया भाषा में अपने सामने बैठे अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।

मुझे पहचाने में उन्हें थोड़ा वक्त जरूर लगा,लेकिन जैसे ही पता चला तो अपनी कुर्सी से उठकर वह गले मिले। उसके बाद चाय-पानी,नाश्ता और कॉलेज के जमाने की इधर-उधर की बातें । मुझे याद हैं कि वह रेसर सायकिल पर बैठकर रिक्तिया भैरुजी चौराहा के नजदीक बने मैदान में बेडमिंटन खेलने जाता था। ब्रजराजनगर लौटने के कुछ महीनों के बाद फोन पर बातचीत के दौरान अश्विनी ने बताया कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ज्वाइन करने जल्दी ही दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जाने के बाद भी एकाध साल तक मैं उनके संपर्क में रहा,उसके बाद पारख साहब की किताब ने फिर से उनकी स्मृतियों को तरोताजा कर दिया।अश्विनी का इस भूमिका में जिक्र करने का तात्पर्य था, पारख साहब के जीवन में अश्विनी को तलाश करना।दोनों जोधपुर के थे और दोनों ही गोल्ड-मेडलिस्ट थे । बातचीत के दौरान एक बार अश्विनी ने कहा था, "ध्यान से काम करना । दुश्मनी किसी से मत लेना । तुम्हारे कोल इंडिया में माफिया लोग मारकर कन्वेयर बेल्ट में फेंक देते हैं।" शायद उन्होंने ऐसी कोई बात सुन रखी हो, जब वह सुन्दरगढ़ में उप-जिलापाल थे। मैंने उत्तर दिया था "ऐसी डरने की कोई बात नहीं है।आपस में ठेकेदारों में अनबन होने पर कभी-कभी गोलीबाजी की

छुटपुट घटनाएँ अवश्य होती है और वे भी ठेके पाने की प्रतिस्पर्धा में।अन्यथा ओड़िशा बहुत ही शांत जगह है।”

पारख साहब की यह पुस्तक पढ़ने के बाद, पता नहीं क्यों लगने लगा कि जिस तरह से ईमानदारी,सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के कारण पारख साहब को आजीवन अपने पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिवों से विचार-मतभेदों के कारण तनाव व दबाव झेलना पड़ा,उसी तरह क्या अश्विनी वैष्णव लोकतंत्र के बदलते परिवेश में किसी गुत्थी का शिकार तो नहीं हुआ होगा । पारख साहब की यह पुस्तक न केवल वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के मुखौटे को आईने में दिखा रही है,वरन आने वाली पीढ़ी को समय रहते सचेत होने की प्रेरणा भी प्रदान करती है ।

इस पुस्तक में तीन भाग है तथा इक्कीस अध्याय। पहला आन्ध्रप्रदेश सरकार में पारख साहब के अनुभव, दूसरा– केंद्र सरकार के कोल–मंत्रालय में उनके अनुभव और तीसरे भाग में भारतीय सिविल सर्विस को विश्व-स्तर पर उत्कृष्ट बनाने के लिए दिए अमूल्य सुझाव । इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में बहुत-सारी परिशिष्ट भी जोड़ी गई है,जो इन सारी घटनाओं की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के साथ-साथ उस समय के वातावरण का संकेत करती हैं,जिसमें वे निर्णय लिए जा सके ।

पहले अध्याय में पारख साहब ने सन 1969 में आई॰ए॰एस॰ परीक्षा पास करने के उपरांत एन॰एम॰डी॰सी॰की जियोलोजिस्ट की नौकरी छोड़कर राजस्थान से बिलकुल पृथक सांस्कृतिक,भाषायी व राजनैतिक परिवेश वाले राज्य आंध्रप्रदेश में अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि प्रोटोकॉल के अनुसार जब उनकी मुलाक़ात मुख्यमंत्री से होती है और उस पहली मुलाक़ात में मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य - मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए चौबीस घंटे खुले हैं, जब भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो,बेहिचक आप मेरे पास आ सकते है । उनका यह आश्वासन नए आई॰ए॰एस॰ प्रशिक्षुओं के लिए उत्साहवर्धक था । मगर उन्हें क्या पता था कि कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा मुख्यमंत्री उनके कष्टों को सुनने या निवारण करने के लिए अपने घर के दरवाजे खोलेगा ।

दूसरे अध्याय में आसिफाबाद में सब-कलेक्टर के रूप में ज्वाइन करने के बाद उनके भ्रष्टाचार की छोटी-मोटी घटनाओं से आमना-सामना होने का उल्लेख है । उदाहरण के तौर पर, उनकी तहसील में कलेक्टर के भ्रमण के दौरान उनके मना करने के बावजूद खाने-पीने में तरह-तरह के व्यंजन व मांसाहार परोस कर किया गया ज्यादा खर्च । कलेक्टर ने तो यह सब करने के लिए मना किया था, मगर फिर ऐसा क्यों किया गया ? पैसा आया कहां से ? यह सोचकर पारख साहब का संस्कारित मन विद्रोह कर बैठता है, पूछ-ताछ करने पर उन्हें जवाब मिलता है – अभी आप नए–नए है, इन चीजों का आपको आइडिया नहीं है, सब-कुछ कलेक्टर को पूछ कर ही भोजन तैयार किया गया है । यहीं से आरंभ होता है – एक कलेक्टर के दो मुखौटे वाले जीवन को जानने का प्रयास । एक चेहरा उन्हें मना करता है, उसी चेहरे पर लगा दूसरा मुखौटा इस कार्य की इजाजत देता है। एक अंतर्द्वंद्व । ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण

श्री आर॰के॰आर॰गोनेला जैसे ईमानदार कलेक्टर के न चाहने पर भी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के दौरे के दौरान खाने-पीने का वैसा ही तहसीलदार द्वारा वी॰आई॰पी॰ ट्रीटमेंट करना । इस बार पूछताछ में उत्तर मिलता है, कलेक्टर साहब नए है। उन्हें पता नहीं है कि अगर ऐसा प्रबंध नहीं किया जाता तो रेवन्यू बोर्ड की यह बैठक देर रात तक चलती और तो और, उस मीटिंग में तरह-तरह की खामियाँ निकाली जाती। बेहतर यही है कि इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए बड़े अधिकारियों के मन–मुताबिक खाने- पीने की व्यवस्था कर दी जाए। यह व्यवस्था कोई आज से शुरू हुई हो,ऐसी बात नहीं है। इस संबंध में पारख साहब लिखते है :-

"देश आजाद होने से पहले से यह चला आ रहा है।हर कोई जानता है और इतने साल बीतने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।किसी भी अधिकारी ने इस सिस्टम के बारे में कोई सवाल नहीं उठाए और सभी अधिकारी इस प्रथा को नजरअंदाज करते रहे हैं।"

इस संबंध में मुझे पहले की एक बात याद हो आई । जब मुझे सिरोही के सेवानिवृत्त जिला वन अधिकारी स्व॰ प्रताप सिंह जी राठौड़ से उनके घर पर मुलाक़ात करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था । बातचीत के दौरान बढ़ते भ्रष्टाचार के कारणों के बारे में उन्होंने उस समय एक उदाहरण दिया था, वह आज भी मेरे मानस-पटल पर तरोताजा है ।
"....जिस तरह किसी स्प्रिंग को पूरी तरह से दबाकर छोड़ दिया जाता है तो वह एक ही झटके में अपनी प्रत्यास्थता के कारण दोनों हथेलियों को झटकते-छिटकते दूर फेंकी जाती है । हमारे देश की भी वर्तमान अवस्था यही है। पाँच सौ साल से विदेशी आंक्राताओं की गुलामी झेलते-झेलते पूरी तरह से दब चुका था।जिसको जहां अवसर मिला, वह उसे लूटने–खसोटने में लग गया।.... "
इस उदाहरण के माध्यम से स्वर्गीय प्रताप सिंहजी राठौड़ ने सरकारी विभागों में व्याप्त हो रहे भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की थी कि देश का भविष्य क्या होगा ? एक ईमानदार अधिकारी इससे ज्यादा कर भी क्या सकता था ।सिवाय चिंता के ? पारख साहब ने लिखा कि तहसीलदारों द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई धन-राशि के आधार पर कलेक्टर और दूसरे वी॰आई॰पी॰ नेताओं तथा उनके समर्थकों के खाने-पीने के इंतजाम करने से शुरू हो जाती है भ्रष्टाचार की नेट-वर्किंग। अगर यह भोजन व्यवस्था ऑफिसियल कर दी जाए तो कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।
एक अन्य उदाहरण देते हुए पारख साहब लिखते है कि उनके ऑफिस में भी खुचरा-भ्रष्टाचार चल रहा था, जिससे वे अनभिज्ञ थे।'दिया तले अंधरे' वाली उक्ति चरितार्थ हो रही थी। किसी आदमी के बंदूक रखने के लिए सरकारी लाइसेंस को उनके द्वारा अनुमोदित होने के बावजूद उसे ऑफिस के एक टाइपिस्ट ने पन्द्रह दिन तक दबा दिया। दबाने के कारण था , उस लाइसेंस के एवज में मिलने वाली सौ रूपए के रिश्वत की बंदर–बाँट में असमानता। हेड-क्लर्क, डीलिंग-क्लर्क, टाइपिस्ट और चपरासी में समान रूप से बँटवारे के लिए पारस्परिक सहमति नहीं बन पा रही थी। जिसकी वजह से आगे जाकर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। यह था

एक नमूना, संस्थागत भ्रष्टाचार का। जब तक इस शृंखला में जुड़े लोग एक दूसरे से स्वार्थवश पृथक नहीं होंगे, यह शृंखला अनवरत बिना किसी रोक–टोक के 'रिंगा-रिंगा-रोजेज़' की तरह चलती रहेगी ।

अपने यायावरी जिंदगी में तरह–तरह के खट्टे–मीठे अनुभव मिलते रहें पारख साहब को । ऐसा ही एक अनुभव- सन 1975 में उनके डिप्टी कमिशनर (कॉमर्शियल टैक्सेज़) के पीरियड के दौरान। "कॉमर्शियल टैक्सेज़ : कामधेनु" वाले अध्याय में उन्होंने आंध्रप्रदेश व तमिलनाडु की सीमाओं पर चित्तूर की चेक–पोस्टों से संबन्धित अपने अनुभवों को दर्शाया है । दोनों राज्यों के टेक्स में भारी अंतर होने के कारण पांडिचेरी की शराब की आंध्रप्रदेश में स्मगलिंग होती थी।जब पारख साहब ने चित्तुर के चेक–पोस्ट के रिकॉर्ड के आधार पर पांडिचेरी के अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई करना शुरू किया तो वे लोग मद्रास उच्च न्यायालय से स्टे ले आए।पारख साहब के अथक प्रयासों के बाद वह स्टे उठा लिया गया तो फिर से उन विक्रेताओं ने डबल-बेंच से स्टे ले लिया। कई सालों बाद पारख साहब वहां उच्च पद पर वापस आए तब तक वह स्टे नहीं हटाया जा सका। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी अवैध काम को रोकना आजकल के जमाने में इतना सहज नहीं रह गया है।

इसी अध्याय में वे एक दूसरा उदाहरण "टैक्स-चोरी"का देते हैं, दाल–दलहनों तथा परचूनी सामान के विक्रेता जिसे विशेषकर करते है।गहरी छान-बीन के बाद जब वे इस बारे में कुछ व्यापारियों को नोटिस जारी करते हैं तो 'किमती' नामक एक बुजुर्ग व्यापारी उनके पास आकर तर्कसंगत तरीके से समझाने लगते हैं कि आज के जमाने में अनाज का व्यापार ईमानदारी पूर्वक करना असंभव है । उनके तर्क इस तरह थे:-

" *वह एक थोक-विक्रेता है और प्रति बैग दो रुपये का मुनाफा कमाते हैं जबकि प्रत्येक बैग पर बीस रुपये का सेल टैक्स लगता है । जब तक हर आदमी कानून के हिसाब से व्यापार नहीं करता है तो किसी अकेले व्यक्ति विशेष के लिए पूरा टैक्स अदा कर व्यापार में रहना संभव नहीं है ।*

उन्होंने और आगे कहा ,सरकार को जो टैक्स अदा नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने आप व्यापारी के लिए मुनाफे में बदल जाएगा।अधिकतर ग्राहक बिना बिल के सामान खरीदना चाहते हैं ताकि टैक्स नहीं भर्ना पड़े।टैक्स चोरी का काफी हिस्सा सेल-टैक्स, इन्कम-टैक्स,सिविल सप्लाई,म्यूनसिपल कार्पोरेशन,पुलिस आदि के अधिकारियों को रिश्वत देने में खर्च हो जाता है ,अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे लोग सामान्य गलती को भी बढ़ा-चढ़ाकर जटिल बना देते हैं। इसके अतिरिक्त,कुछ गुंडा लोग और राजनेताओं को भी खुश रखना पड़ता है। सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे व्यापारियों को इन परेशानियों से बचा सके । एक व्यापारी लागातार इन तत्वों से लड़ाई करते हुए व्यापार में अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है ? इसका आसान और शायद एक ही

विकल्प है सिस्टम के साथ व्यापारी का समझौता करना और अपने फायदे के लिए इसका उपयोग करना।"

ये तर्क पारख साहब के मन में झंझावात पैदा करते हैं और वे उस व्यापारी पर पेनल्टी लगाने के बजाए सामान्य टैक्स भुगतान करने के लिए आदेश देते हैं। पारख साहब के हृदय का यह दया भाव मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत ओड़िया लेखक स्व॰ गोपीनाथ मोहंती की कालजयी कहानी "चींटी" के कथानक की ओर आकृष्ट करने लगता है । जिसमें ओड़िशा राज्य का एक युवा प्रशासनिक अधिकारी ओड़िशा के सीमावर्ती कोरापुट जिले से आंध्रप्रदेश में हो रही चावलों की तस्करी को रोकने का दृढ़-संकल्प लेता है, मगर जब वह कोरापुट की पहाड़ियों पर चींटियों के तरह पंक्तिबद्ध आदिवासियों को चावलों के बोरे ढोते देखता है और पीछा करते हुए जब वह उनके घर–बाड़ी की ओर जाता है तो वहां की बीमार लोगों को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है और किसी को भी गिरफ्तार किए बिना घर लौट आता है ।

कहानी के मुख्य–पात्र की तरह पारख साहब के व्यक्तित्व में ईमानदारी व निडरता के अतिरिक्त दीन-दुखी व कमजोर वर्ग के प्रति दया की भावना भी कूट–कूट कर भरी हुई है, सेवानिवृति के बाद आजकल वे भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति से जुडे हुए है, जो आंध्रप्रदेश में प्रसिद्ध जयपुर पाँव जैसे कृत्रिम अंग वितरित करती है । और उसके अलावा दूसरी गैर सरकारी संस्थान भगवान महावीर रिलीफ़ फाउंडेशन ट्रस्ट से भी जुडे है, जो गरीब किडनी रोगियों को डायलाइसिस की सुविधा उपलब्ध करवाती है । अगर चाहते तो, वे किसी अच्छी कंपनी के एड्वाइजर या सी॰ई॰ओ॰ आसानी से बन सकते थे, मगर उन्होंने दीन-दुखियों की सेवा करने का बीड़ा सपरिवार उठाया । इतना ही नहीं, अपनी इस बहुचर्चित किताब से मिलने वाली रॉयल्टी तक को हाथ न लगाकर इस संस्थान तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को समर्पित कर उदारता का एक और परिचय दिया ।

चौथे अध्याय "सिविल सप्लाइज़:- तैलीय पदार्थ" में आंध्रप्रदेश में रेपसीड तेल के तस्करी का वर्णन है। इस तेल की आंध्रप्रदेश में कोई खपत नहीं थी,फिर भी कुछ तेल मिलों के मालिक मिलकर भारत सरकार पर दबाव डालकर इस तेल का आवंटन आन्ध्रप्रदेश के लिए करवाया।उस समय के चीफ मिनिस्टर डॉ चेन्ना रेड्डी इस तेल का बिना कोई पारदर्शी तरीका अपनाने हुए आवंटन गिने-चुने मिल-मालिकों को करना चाहते थे। इसी दौरान चीफ-मिनिस्टर के सेक्रेटरी का तेल आवंटन में देरी होने का कारण जानने के लिए पारख साहब के पास फोन आता है और उससे संबन्धित वह फाइल मंगवाई जाती है । उस फाइल में चीफ मिनिस्टर के तीन चहेते मिल–मालिकों का नाम लिखकर वह कहते हैं,"मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी हूँ, न कि सरकार का। कमिश्नर सरकार के सेक्रेटरी है और अगर आप मुख्यमंत्री के आदेश से सहमत नहीं है तो अपनी सलाह के साथ फाइल पुनः प्रस्तुत कर सकते है" ।

एक टॉप ब्यूरोक्रेट की मानसिक गुलामी को प्रदर्शित करने वाला यह कथन एक सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक है।तत्कालीन कमिश्नर श्री पी॰ सीतापथी कोई गलत तरीका नहीं अपनाना चाहते थे,परंतु उनमें मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वह उस फाइल पर घुमावदार नोट लिखकर बार-बार टूर पर चले जाते थे। कमिश्नर ईमानदार आदमी थे, मगर एक मुख्यमंत्री से टकराना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही उस आदेश को पारित कर दिया, मगर दूसरे आवेदक हाईकोर्ट से स्टे ले आए। उस अवस्था में सारे मिल–मालिक प्रो राटा बेसिस पर तेल लेने के लिए तैयार हो गए। उसका कारण बाद में पता चला कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आंध्र-प्रदेश में उस तेल की कीमत 6000 रुपए प्रति टन थी, मगर कोलकाता में वही तेल 13000 रुपए प्रति टन के हिसाब से बिकता था। आंध्रप्रदेश में इस तेल की खपत नहीं होने के कारण विशाखापट्टनम बंदरगाह से प॰ बंगाल के लिए इस तेल की ब्लैक–मार्केटिंग की जाती थी जब इस घटना का पर्दाफाश होता है तो पता चलता है कि आवंटन पाने और खुले बाजार में बेचने की दोनों क्रियाओं में लाखों रुपए की रिश्वत चली ।

पांचवे अध्याय में पारख साहब के सन 1980 में करनूल के 'कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट' के पोस्टिंग के समय की घटनाओं का उल्लेख है । उस समय कांग्रेस के श्री टी॰अंजईया मुख्यमंत्री हुआ करते थे । करनूल जिले से तीन राजस्व,कानून और लघु सिंचाई विभाग के कांग्रेस पार्टी के तीन कैबिनेट मंत्री थे । करनूल में एक बार अकाल पड़ने के दौरान पारख साहब ने कलेक्टर की हैसियत से प्रोटोकोल के अनुरूप राजस्व मंत्री की अगुआई करते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से करनूल में कानून-मंत्री का दौरा होता है तो पारख साहब खुद नहीं जाकर उनके साथ दौरे में जाने के लिए अपने ज्वाइंट कलेक्टर को भेज देते है। इस वजह से मंत्रीजी का 'ईगो' हर्ट हो जाता है। यहीं से शुरू हो जाती है उनके खिलाफ मंत्रीजी के मन में प्रतिशोध लेने की भावना। एक बार जब मंत्रीजी का कोई रिश्तेदार अधिकारी राशन के चावलों का दुरुपयोग में पकड़ा जाता है तो पारख साहब उस पर एक्शन लेने के लिए सरकार के पास रिपोर्ट भेज देते है । मंत्रीजी उसे बचाने के लिए एडी-चोटी का ज़ोर लगा देते है। इस वजह से उस अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, केवल ट्रांसफर किया जाता है। इस घटना के बाद से संबंध और ज्यादा बिगड़ने लगे। जिसका असर दिखाई देता है, जब पारख साहब ने जिले की नौन्दियाल शुगर मिल के उदघाटन के लिए मुख्यमंत्री को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया । मंत्रीजी बुरी तरह से पारख साहब पर बिफर पड़े और कहने लगे , "मुझे पूछे बिना आपने यह निर्णय कैसे ले लिया?" बात यही खत्म नहीं होती है । मंत्रीजी पारख साहब पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाना शुरू कर देते हैं।कुछ समय बाद मुख्यमंत्री शुगर मिल के उदघाटन के उपलक्ष में करनूल आए। उदघाटन समारोह के बाद उन्होंने मंत्री जी की नाराजगी का कारण पूछा तो पारख साहब ने स्पष्ट शब्दों में सारी बातें मुख्यमंत्री को समझाई और उन्हें यह सलाह दी कि सरकार को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसलिए अच्छा होगा उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। कुछ समय बाद

पारख साहब का स्थानांतरण हैदराबाद हो गया।पारख साहब को इस बात की तसल्ली रही कि मुख्यमंत्री ने उनसे सलाह करने के बाद ही उनका स्थानांतरण किया। आजकल तो रातोरात अधिकारियों के पक्ष को सुने बिना उनका स्थानांतरण या निलंबन कर दिया जाता है,मामूली-सी बातों पर भी। खेमका, दुर्गानागपाल इसके उदाहरण है। किस तरह एक मंत्री का 'ईगो' किसी ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी को त्रस्त करने में सक्षम होता है ।

छठवें अध्याय "म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद(एमसीएच)" में पारख साहब लिखते हैं कि वह उनके जीवन का सबसे दुखद व हताशा-प्रद समय था । जब एम॰सी॰एच॰ में रात-दिन मेहनत करने के बाद अकारण स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उस अवस्था में उनका अवसादग्रस्त होना स्वाभाविक है। सुबह छ बजे से लेकर रात को दस बजे तक लगातार ड्यूटी करने के बाद यहाँ तक कि अपनी छोटी बेटी का चेहरा देखे कई महीने बीत जाते है और उस अवस्था में जब पारख साहब का स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वह हुआ क्यों ? और जब इस स्थानांतरण का कारण जानने के लिए चीफ सेक्रेटरी का दरवाजा खटखटाते है तो उन्हें उत्तर मिलता है, स्थानांतरण करना सरकार का अधिकार है । इस उत्तर से खिन्न होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री एन॰टी॰रामाराव से मिलना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री के दरवाजे उनके लिए बंद मिलते हैं । वह सरकार जो भ्रष्टाचार उन्मूलन का नारा देकर चुनाव जीती थी ,वही सरकार एम॰सी॰एच॰ में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रहे एक ईमानदार छबि वाले अधिकारी की आवाज तक सुनने को तैयार नहीं। चारों तरफ से हताश होकर जब उन्होंने स्थानांतरण पॉलिसी की खामियों को उजागर करने वाली खबर प्रेस में रिलीज की तो उन्हें सरकार की ओर से 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया । एक बार तो उन्होंने हिम्मत हारकर नौकरी छोड़ना चाहा, मगर उनके आंतरिक साहस ने ऐसा करने नहीं दिया वरन राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए प्रेरित किया। इस संदर्भ में कानून विशेषज्ञ श्री एल॰एम॰सिंघवी को भी पत्र लिखा । और जब उन्होंने यह सलाह दी कि भारत में "लॉ ऑफ टोर्ट" बहुत कमजोर है, इसलिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से कोई खास फायदा होने की उम्मीद कम है। अंत में, उन्होंने अपनी रणनीति बादल दी । राज्य–सरकार छोड़कर सेंट्रल में जाना ज्यादा उचित समझा।

सातवाँ अध्याय "आंध्रप्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन" से संबंधित है । पारख साहब ने पांच साल (1983 से 88) तक पेट्रोलियम मंत्रालय में डेपुटेशन पर रहने के बाद फिर से आंध्रप्रदेश सरकार में वापस आते हैं तो उनकी पोस्टिंग एक प्रबंध-निदेशक के तौर पर आंध्रप्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन में होती है। वहाँ ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय से इनडोर फॉडर मशीन को खरीदने के लिए एक आदमी की मांग आई।यह प्रस्ताव कॉर्पोरेशन के हित में नहीं था, इसलिए पारख साहब ने नामंज़ूर कर दिया। इसी कारण शायद चार महीने के भीतर-भीतर उनका वहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया। अक्सर सरकार ईमानदार और निर्भीक सिविल सर्वेन्ट पसंद नहीं करती है। उन्हें ऐसे ऑफिसर चाहिए, जो

उनकी आज्ञा का आँख बंद कर पालन करें। मगर स्वाभिमानी पारख के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा था। जो उन्हे सही लग रहा था तो उसके लिए अडिग रहते थे। जैसे सोना आग में तपकर और ज्यादा शुद्ध होता है, वैसे ही पारख साहब कटु अनुभवों की ज्वाला में झुलसकर और ज्यादा शुद्ध और संघर्षशील होते जा रहे थे।

आठवें अध्याय "गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड(जीएफ़सीएल) " में पारख साहब ने क्राइसिस से गुजर रही जीएफ़सीएल को उभारने में अपने किए सार्थक प्रयासों में चीफ मार्केटिंग मैनेजर किस तरह अपनी भ्रष्ट-बुद्धि का इस्तेमाल कर सारे सिस्टम को प्रदूषित करता है, उन तरीकों का खुलासा किया है । पारख साहब ने यहां लिखा है :–

"... *यह आत्म-अवलोकन का पल था । एक सीनियर रेंक का भ्रष्ट अधिकारी बहुत ही कम समय में किसी ओर्गेनाइजेशन की सारी सोपानिकी (हियरार्की) को गलत कार्यों के लिए प्रेरित कर किस तरह भ्रष्टाचार के सेसपूल की ओर खींच लाता है।इस शृंखला में एक भी ईमानदार आदमी हो तो इस डिजाइन को तोड़ देता है।*"

जब चीफ मार्केटिंग मैनेजर के रैकेट का पर्दाफाश हो जाता है और वह उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अखबार में वहां के दो विधायकों द्वारा पारख साहब और महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) श्री पी॰बालासुब्रमण्यम के खिलाफ करोड़ों की धांधली व भ्रष्टाचार के आरोप प्रकाशित होते है, यहां तक कि सी॰बी॰आई॰ से जांच करवाने की अनुशंसा भी की जाती है । पारख साहब की जगह अगर कोई और अधिकारी होता तो हिम्मत हार जाता, मगर सारे झंझावातों को झेलने के लिए वह अटल रहते हैं। वह दोनों विधायकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। इस हेतु उन्हें मुख्य सचिव मि॰नटराजन से अनुमति लेनी होती है। अनुमति देना तो दूर की बात, सरकार की ओर से बोर्ड के एक नामित सदस्य विलयम को भेजकर उनके खिलाफ ठोस सबूत खोजकर स्वतंत्र जांच करने के वह निर्देश देते हैं। मगर पारख साहब तो एक खरा सोना थे, विलियम के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है । कुछ ही समय बाद नटराजन साहब सेवा-निवृत्त हो जाते हैं, तब पारख साहब को उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। बिना पूर्व नोटिस दिए तीन महीने का वेतन देकर नौकरी से टर्मिनेट करने का वह निर्णय लेते है, तो वे अधिकारी उनके पास आकर स्वेच्छा से त्यागपत्र देने की इच्छा जाहिर करते हैं। उसी दौरान एक विधायक अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और दूसरे विधायक के खिलाफ स्पेशियल सोशियल प्रोसेक्यूटर रखकर कार्रवाई करने की अनुमति सरकार दे देती है । जब पारख साहब उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाते है तो मुख्य सचिव मना कर देते हैं। यह कहते हुए कि पहला कारण, इस मसले में व्यर्थ अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना है, और दूसरा कारण कि ऊँट किस करवट बैठेगा,यह भी पता नहीं । उनके जीवन का यह अनुभव इस बात को दर्शाता है कि किस तरह एक तेज-तर्रार अधिकारी नेताओं के साथ मिलजुल कर झूठ को सच में और सच को झूठ में बदलने का

काम करते हैं। और रही बात नेताओं की,जो अपने अधिकारों व शक्तियों का दुरुपयोग कर ईमानदार अधिकारियों की स्वच्छ छबि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं।

सन 1993 में पारख साहब आंध्रप्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ज्वाइन करते हैं। उस समय एक औद्योगिक इकाई का जांच-प्रतिवेदन इंडस्ट्रियल प्रमोशन अधिकारी चंद पैसों के लोभ में अपने विभाग में जमा नहीं करवाता है, बल्कि उसका ट्रांसफर होने पर वह फाइल अपने साथ ले जाता हैं। औपचारिक शिकायत के अभाव में उस पर लगने वाला भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हो सका,उसे सिर्फ छोटी सजा ‘काम की उपेक्षा’ में तब्दील हो जाता है । इसी प्रकार मेडक जिले का कलेक्टर एक इंडस्ट्रीज को पेट्रोलियम प्रोडक्ट रखने के लिए दिए जाने वाले अनापत्ति–पत्र में जानबूझकर बिलंब करता है,जब तक कि उसे अपना हिस्सा नहीं मिल जाता है। हरासमेंट से बचने के लिए अक्सर बिजनेसमेन प्रतिरोध करने के बजाए मजबूरी में रिश्वत देने का रास्ता चुनते हैं। रिश्वतख़ोरी की उपरोक्त घटनाओं को कम करने तथा औद्योगिक क्लियरेंस देने में तीव्रता लाने के लिए आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने एक नोडल ऑफिस बनाया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इनवेस्टमेंट प्रोमोशन कमेटी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इनवेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड बनाया। इन सब सुधारों के कारण ही बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जैसे हाइटेक सिटी, हैदराबाद इन्टरनेशनल एअरपोर्ट,प्राइवेट पोर्ट, आऊटर रिंग-रोड व इंडियन बिजनेस स्कूल का निर्माण संभव हो गया। इनमें पारख साहब की अहम भूमिका रही।पारख साहब के लंबे समय तक श्री चंद्रबाबू नायडू के साथ उददयोग विभाग में काम किया और दोनों के मध्य बहुत सौहार्द्रपूर्ण संबंध रहे, मगर एक बार आंध्रप्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में बेराइट के निर्यात में मुख्यमंत्री श्री नायडू के अपने मनपसंद ठेकेदार को सपोर्ट नहीं करने के कारण थोड़ा नाखुश जरूर रहे,उन्होंने पारख साहब के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया। इस अध्याय में प्राइवेट कंपनी आंध्रप्रदेश पेपर मिल के वाइस प्रेसिडेंट (वित्त) द्वारा उनके घर तिरुपति जी के प्रसाद वाले थैले में पैसों के बंडल छोड़कर जाने की घटना का भी जिक्र है, जिसे वे उसे तत्काल बुलाकर उठवा देते हैं और साथ ही साथ, उसे नौकरी से हटवाने के लिए कंपनी के चेयरमैन श्री एम॰एल॰बांगड को एक पत्र लिखते हैं।

दसवें अध्याय में पारख साहब ने पब्लिक इंटरप्राइजेस डिपार्टमेन्ट की गतिविधियों का वर्णन किया है, जिसमें हैदराबाद की सबसे पुरानी कंपनी निजाम शुगर लिमिटेड के निजीकरण के बाद हुई विज्ञापन प्रक्रिया में एक अनचाहे ऑफर को मुख्यमंत्री नायडू द्वारा नवनिर्मित तेलंगाना पार्टी के नेता चन्द्रशेखर राव के दबाव तथा आगामी पंचायत चुनाव के डर से समर्थन करना है,मगर यह मसला आगे जाकर कानूनी दावपेचों में फंस जाता है ।

इस पुस्तक का दूसरा भाग ‘कोयला-मंत्रालय’ से संबन्धित है, जिसमें दस अध्याय (11 से 20) है । अध्याय ग्यारह में सन 2004 के कोयला–मंत्री ममता बनर्जी के सादगी के पीछे छुपे एक असली रुप को दिखाया गया है, जिसमें ममता बनर्जी के द्वारा अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पचास कार्यकर्ताओं को नर्दन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नौकरी देने, कोलकता में

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण करने तथा कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को अवांछित अनुदान देने के साथ–साथ नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन में अपने कार्यकर्ता को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के निर्देशों का खुलासा हुआ है। बारहवें अध्याय में शिबू सोरेन के मई 2004 में कोल मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनने तथा जुलाई 2004 में मंत्री पद से इस्तीफा देने की तीन महीनों की घटना-क्रम का उल्लेख है, जबकि अगले अध्याय में प्रधानमंत्री द्वारा कोल-मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद तीन बड़े नीतिगत मुद्दों जैसे कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोल सेक्टर को खोलना, कंपीटिटिव बिडिंग के जरिए कोल–ब्लॉकों का आवंटन तथा नॉन कोर ग्राहकों के ई–आक्शन के जरिए कोयले की बिक्री को प्रधानमंत्री के समक्ष रखना पारख साहब की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हैं। भारत के कोयला जगत में इस युग को 'पारख युग' के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कैप्टिव कोल–ब्लॉकों के आवंटन के लिए डिस्कशन पेपर बनाया और सभी स्टेक होल्डरों के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद ओपन–बिडिंग का प्रस्ताव उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री(उस समय कोयला मंत्रालय के प्रभारी भी थे) के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद इस विषय में एक कैबिनेट नोट बनाया और कानून मंत्रालय की सलाह से एमेंडमेंट के लिए जरूरी दस्तावेज़ भी तैयार किए। किन्तु प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बावजूद राज्यमंत्री श्री दसारी नारायण राव तथा कोयला मंत्री श्री शिबू सोरेन ने प्रस्ताव को आगे बढ़ने नहीं दिया। और अंत में यही 'कोलगेट' का कारण बना।

पंद्रहवें अध्याय में पारख साहब सी॰ए॰जी॰का समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री को गलत मानते हैं । इसके अलावा,स्क्रीनिंग कमेटी,ऑडिट की भूमिका, नीति–कार्यान्वयन में असामान्य विलंब के साथ-साथ अनुचित लाभ के आकलन पर तर्क सम्मत ध्यान आकृष्ट करते है ।

सोलहवें अध्याय में कोयले की ई–मार्केटिंग की महता पर प्रकाश डाला गया है। जो कि कोयले की काला-बाजारी एवं माफिया डॉन की भूमिका को खत्म करने के लिए एक उचित कदम था। पारख साहब के फॉर्मल नोट पर प्रधानमंत्री ने टेस्ट–मार्केटिंग पर अपनी सहमति जताई थी। मगर इसकी सफलता देखकर राज्य-मंत्री और कोल-मंत्री ने आदेश दिया कि और ई–आक्शन नहीं होगा। फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। जब पारख साहब ने कोल इंडिया के चेयरमैन को नॉर्दन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सारा कोयला ई–मार्केटिंग से बेचने की सलाह दी , तो मंत्री जी ने इसे अपवाद स्वरूप लिया।

बाकी अध्यायों में कोल–इंडिया के सी॰एम॰डी॰ के चयन में मंत्रियों द्वारा की जाने वाली ब्लैकमेलिंग, सांसदों तथा जन-प्रतिनिधियों द्वारा कोल कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और यहाँ तक कि पारख साहब के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार,व्यक्तिगत स्तर पर शिबू सोरेन का प्रतिशोधात्मक रवैया और अंत में कोलगेट पर सी॰बी॰आई॰ और सुप्रीम-कोर्ट की भूमिका का वर्णन है ।

गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21 कहा गया है:-

"यद-यद आचरित श्रेष्ठ तत-तत इव इतरो जन, स यत्प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते"

अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं।जब किसी मंत्रालय का एक सेक्रेटरी पारदर्शिता व ईमानदारी का आचरण करता है, तो उसके अधीन विभागों के सारे मुखिया और दूसरे अधीनस्थ कर्मचारी भी उस व्यवहार का अनुकरण करने लगते हैं। सीआईएल के चेयरमैन के चयन वाले अध्याय में उन्होने लिखा है कि जब कंपनी के सी॰ई॰ओ॰ का चयन भ्रष्टाचार की नींव पर आधारित हो तो उस कंपनी में भ्रष्टाचार–निवारण के बारे में सोचना भी व्यर्थ है ।एक बात और मुझे याद हो आई कि पारख साहब ने अपनी किताब का समर्पण-पृष्ठ अपनी माताजी स्व॰चांद कुंवर, अपनी धर्मपत्नी उषा तथा अपनी बेटी सुष्मिता का नाम उल्लेख किया है। सर्वप्रथम नत-मस्तक होना चाहूँगा उनकी स्व॰माताजी के चरणों में, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, जो जीवन भर सच्चाई के रास्ते अनुसरण करता रहा, भले ही, वे रास्ते कितने भी कंटीले व विपथगामी क्यों न रहे हो हो। दूसरा शत-शत नमन भाभीजी को,जिन्होने आजीवन अपने पति के सुख-दुख में पूरा-पूरा सहयोग दिया । इस संदर्भ में मुझे बुरला विश्वविद्यालय, सम्बलपुर के प्रबंधन-संकाय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष व मैनेजमेंट गुरु श्री ए॰के॰महापात्र की एक कहानी याद आ जाती है ।कहानी इस प्रकार है:-

"...... एक बार अखिल विश्व-स्तरीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सी॰ई॰ओ॰ के 'फ्रस्टेशन-लेवल' की जांच करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया,जिसमें दुनिया भर के बड़े-बड़े लोगों ने भाग लिया । इस प्रयोग में पता चला कि भारतीय सी॰ई॰ओ॰ का 'फ्रस्टेशन लेवल''सबसे ज्यादा था । उसका कारण जानने के लिए एक टीम ने फिर से 'व्यवहार तथा सोच' संबंधित और कुछ प्रयोग किए । जिसमें यह पाया गया कि उनकी धर्मपत्नी बात–बात में उनके ऊपर कटाक्ष करती थी, यह कहते हुए, "आपने क्या कमाया है ? मेरे भाई को देखो। आपके एक गाड़ी है तो उसके पास चार गाड़ी है। आपके पास एक बंगला है तो उसके पास पाँच बंगले हैं। आप साल में एक बार विदेश की यात्रा करते हो तो वह हर महीने विदेश की यात्रा करता है। अब समझ में आया आपमें और उसमें फर्क ?"

ऐसे कटाक्ष सुन-सुनकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के अट्ठाईस वर्षीय युवा सी॰ई॰ओ॰ इतना कुछ कमाने के बाद भी असंतुष्ट व भीतर ही भीतर एक खालीपन अनुभव करने लगा । पैसा, पद व प्रतिष्ठा की अमिट चाह उनके 'फ्रस्टेशन-लेवल' को बढ़ाते जा रही थी ।

इसी बात को अपने उत्सर्ग में पारख साहब ने लिखा की सिविल सर्विस में मोडरेट वेतन मिलने के बाद भी मेरी सारी घटनाओं की साक्षी रही मेरी धर्मपत्नी ने ऐसा कभी मौका नहीं दिया, जो मेरे निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने पर मुहे बाध्य करता। पारख साहब अत्यंत ही भाग्यशाली थे कि उन्हें अपने स्वभाव, गुण व आचरण के अनुरूप जीवन–संगिनी मिली। मैं बहिन सुष्मिता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने निस्पृह पिता के पथ में कभी भी किसी तरह का अवरोध खड़ा नहीं किया, बल्कि एक निर्लिप्तता से उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें अपने पथ को विचलित नहीं होने दिया । यह है यथार्थ वैराग्य का अनुकरणीय उदाहरण ।

अंत में, इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद करते हुए अपने आपको गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ,कि कम से कम गिलहरी की तरह कुछ रेत के कण राम-सेतु बनाने वाले महारथियों हनुमान,नल-नील,अंगद, जामवंत आदि के द्वारा फेंके जा रहे रामनाम लिखे झांवा पत्थरों के बीच डाल संकू । और मेरा श्रम तब सार्थक होगा, जब आप इसे पढ़कर इस बात का अहसास कर सकें कि 'न वित्तेण तर्पणीयाम' तथा 'योग कर्मसु कौशलम' अर्थात कुशलता से ईमानदारी पूर्वक किया गया कर्म ही योग कहलाता है ।

-दिनेश कुमार माली,तालचेर

1. आंध्रप्रदेश कैडर: प्रथम सोपान का श्री गणेश

जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जीवन में कभी मैं आईएएस बनूँगा, ऐसा मैंने सोचा न था। रूड़की विश्वविद्यालय (वर्तमान आईआईटी, रूड़की) से सन् 1966 में एप्लाइड जियोलोजी में एम.एससी. करने के उपरान्त मैं एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था। कौन-सा रास्ता मुझे जीवन के गंतव्य स्थान पर ले जाएगा? मैं उसे तलाश करने लगा। इधर संघ लोक सेवा आयोग से जियोलोजिस्ट पद के लिए कोई वैकेन्सी नहीं निकल रही थी, मैंने उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए पी.एचडी. ज्वॉइन कर ली। दो-तीन महीने ही हुए होंगे कि नेशनल मिनरल डेवलमेंट कोरपोरेशन में जियोलोजिस्ट के तीन पदों की वैकेन्सी निकली। उसका आवेदन मैंने भरा। बड़ों का आशीर्वाद, भाग्य और परिश्रम रंग लाया, मेरा उसमें चयन हो गया। एनएमडीसी ज्वाइन करने के बाद एक साल की फील्ड ट्रेनिंग शुरू हुई,पहली पोस्टिंग मिली बस्तर के बेलाडिला खदान की आयरन माइन्स में। चार महीने बाद अगली पोस्टिंग खेतड़ी (राजस्थान) में हुई। उस समय वहाँ अरावली पर्वतमाला में तांबे की खोज का कार्य चल रहा था। एक साल की ट्रेनिंग खत्म होते-होते नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कोरपोरेशन में से विलग हो कर एक नई कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का जन्म हुआ। नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कोरपोरेशन के विभाजन के बाद अधिकारियों को दोनों कंपनियों में बाँट दिया गया। मेरा और मदान का अलाटमेंट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में हुआ। मदान के पिताजी सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि अगर उनका बेटा आईएएस बन जाता है तो वह न केवल उच्च स्तरीय जीवन जी सकता है वरन् उनकी सामाजिक मान-मर्यादा में भी चार चाँद लग जाएंगे। बस, पिता की ख्वाहिश की छोटी-सी चिनगारी बेटे के भीतर महत्त्वाकांक्षा की अग्नि बनकर धधकने लगी। एक से भले दो, सोचकर मदान ने मुझे भी इस परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया।मदान की प्रेरणा से मैंने भी इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया।तत्पश्चात मैंने भी इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया और तदनुरूप विषयों का मन ही मन चयन करने लगा। फिजिक्स और मैथेमेटिक्स से संपर्क टूटे हुए काफी अर्सा बीत चुका था, जियोलोजी के इर्द-गिर्द झाँकने पर मुझे मेरे स्वभाव के अनुरूप जियोग्राफी एवं इतिहास विषय ज्यादा ठीक लगे। जबकि मदान की अभिरुचि कुछ और थी। ज्यादा अंक स्कोर करने के चक्कर में मैथेमेटिक्स और रसियन लेंग्वेज का उसने चयन किया, जियोलोजी के अलावा। किस्मत की बात ही कहिए, हम दोनों ने खूब मेहनत की, मगर मेरा आईएएस में चयन हो गया और मदान का नहीं। कुछ साल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में काम करने के बाद मदान आस्ट्रेलिया चले गए और वहाँ अपनी एक्स्प्लोरेशन कंपनी खोल दी। आईएएस की परिवीक्षा प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत आंध्रप्रदेश में आईएएस प्रोबेशनर के रूप में मेरे व्यवसायिक कैरियर का पहला सोपान प्रारंभ हुआ। मेरे कई दोस्त आज भी पूछते हैं,"मैं आईएएस क्यों बनना चाहता था?" आज भी मेरा जबाव यही होता है, " मैंने यह देखा कि इस नौकरी के फलक की ज्यामिति बहुत बड़ी एवं विस्तृत थी,जबकि दूसरी नौकरियों में ऐसा नहीं हैं। भले ही, दूसरी नौकरियों में पैसे ज्यादा मिलते हो, मगर एक गरीब दिहाड़ी मजदूर से लेकर धन-कुबेर उद्योगपति तक और गाँव के एक सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का

अवसर केवल इसी नौकरी में मिल सकता है। सही मायने में यह नौकरी अतुलनीय हैं। जहाँ केन्द्र और राज्य सरकार के साथ अलग-अलग विभागों में काम करने का अवसर मिलता हैं। मैं नेशनल मिनरल डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन में अलग हुई माइनिंग कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की नौकरी छोड़कर इस सर्विस के प्रथम सोपान पर आरूढ़ हुआ था और इस नौकरी के अंतिम सोपान में मेरी पोस्टिंग कोयला मंत्रालय के सचिव के पद पर हुई,जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फैलाने वाली बड़ी माइनिंग कोल कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड आती है। यह विचित्र संयोग था कि मेरे व्यवसायिक जीवन के पूर्वार्द्ध में जिसे छोड़ा, जीवन के उत्तरार्द्ध में उसे पाया। स अकादमिक पृष्ठभूमि ने मुझे बहुत शीघ्र ही कोल इंडस्ट्री को बहुत नजदीकी से सूक्ष्मतापूर्वक समझने में मदद की।

सभी प्रदेशों को अपने-अपने स्टेट कैडर का आवंटन हुआ, मेरा अलाटमेंट आंध्रप्रदेश के लिए हुआ। आंध्रप्रदेश में सात अधिकारियों का अलाटमेंट हुआ था जिसमें केवल एक आंध्रप्रदेश का था बाकी छ राजस्थान,उत्तरप्रदेश और ओड़िशा से थे। हम सभी नॉर्थ इंडिया से थे तो मुझे अपनी दूसरे साथियों की तरह अज्ञात भाषा और अज्ञात सांस्कृतिक परिवेश में अपनी जिंदगी गुजारने की चिंता होने लगी। क्या पूरी तरह से अलग तरह से सांस्कृतिक परिवेश वाले हम सफलतापूर्वक अपने कार्य का निष्पादन कर पाएँगे? मसूरी की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू होने के पहले हमें एक महीने हैदरवाद में सचिवालय और विभिन्न निर्देशालयों की ट्रेनिंग करनी थी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी (पॉलिटिकल) श्री वल्लीयाप्पन ने हैदराबाद में हमारे प्रशिक्षण प्रभारी थे। उन्होंने हमारी प्रशिक्षण में बहुत ही दिलचस्पी दिखाई और सहयोग प्रदान किया। वे मिलनसार,हंसमुख और जिन्दादिल इंसान थे। कब पूरा महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। उनके चेहरे की ओजस्विता और मंद-मंद मधुर मुस्कान के भीतर हमारे सांस्कृतिक विच्छिन्नता के दु:ख-दर्द यूँ पिघल गए जैसे प्रचंड धूप में हिमालय से बर्फ। उनसे मिलना मात्र हमारे लिए किसी दर्द निवारक दवाई से कम नहीँ था।इसके अतिरिक्त,एक बार आईएएस ऑफिसर्स ऐसोसियशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें चाय पर बुलाया। इस बैठक ने हमारे भीतर आंध्रप्रदेश के प्रति काफी सौहार्द्र व सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए। ऐसा लगने लगा कि हम अलग-अलग नहीं,वरन् किसी अच्छी तरह गूँथी हुई विशिष्ट कम्यूनिटी के सदस्य हैं।

हमें प्रोटोकॉल के अनुसार गर्वनर, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात करनी होती थी। आज भी याद है उस समय श्री के. ब्रह्मानंद रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके कार्यालयी निवास स्थान में मिलाने के लिए सुबह 10 बजे का हमें समय दिया गया। निश्चित समय पर हम सभी तैयार होकर उनके ऑफिस पहुँचे। खुले दिल से श्री रेड्डी ने हमारी आवभगत एवं अभिवादन किया। हमारे साथ कम से कम आधा घंटा समय उन्होंने बिताया। हमारी पृष्ठभूमि की जानकारी लेने के साथ-साथ उन्हें हमसे क्या उम्मीद हैं, इसी विषय पर विशद चर्चा की। आज भी एक हृदयस्पर्शी बात उनकी मुझे अच्छी तरह याद है जब हम उनसे विदा ले रहे थे। ''आज से आप न तो राजस्थान के हो न उत्तरप्रदेश, न बिहार और न ही ओड़िशा के आज से आप सभी का राज्य आंध्रप्रदेश हैं। इसका और इसकी जनता के विकास

का भार आपके कंधों पर है, जो आपकी योग्यता, कर्मठता और अथक परिश्रम पर निर्भर करता हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास हैं कि आप सभी मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अगर आपको कोई समस्या या दिक्कत आये तो आप मेरे पास कभी-भी बेहिचक आ सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए चौबीस घंटे खुले हैं।''

मुख्यमंत्री के इन प्रतिश्रुति मूलक शब्दों ने हमारा मनमोह लिया था और आंध्रप्रदेश को दत्तक राज्य के रूप में स्वीकार करने आने वाली चिंताओं से कोसों दूर कर दिया था। क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री का यह नेशनल आउटलुक नहीं था? प्रांतीयवाद की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर क्या इस जमाने के नेताओं में ऐसी सोच पाई जाती हैं? आंध्रप्रदेश में काम करना मेरे लिए किसी परम सौभाग्य से कम नहीं था, इस राज्य के जिस हिस्से में जिस हैसियत से मैंने अपना काम किया, मुझे वहाँ की जनता-जर्नादन, मेरे स्टॉफ, साथियों,राजनेताओं का मुझे भरपूर सहयोग एवं सम्मान प्राप्त हुआ।

2.सब कलेक्टर आसिफाबाद : पहली-पहली अनुभूति

जैसे ही मेरा जिला प्रशिक्षण पूरा हुआ, वैसे ही मेरी पोस्टिंग आदिलाबाद जिले के एक सब-डिवीजन में कर दी गई। सब-डिविजन का मुख्यालय था आसिफाबाद। आबादी रही होगी लगभग सात हजार। इस सब डिवीजन के विधायक एवं पंचायत समितियों के अध्यक्ष काफी शिष्टजन थे। उन्होंने कभी भी प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया, न ही किसी भी प्रकार की गलत मांगें उठाई।

आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं आसिफाबाद का सब-कलेक्टर बना था, उस समय आदिलाबाद के कलेक्टर हुआ करते थे एक अभिजात्य परिवार से संबंध रखने वाले मुस्लिम अधिकारी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान न तो मेरी तहसीलों के कार्यों का निरीक्षण किया और न ही दौरा। वे आखेट हेतु सिरपुर कागज नगर के अरण्यों में अवश्य आते थे, जो कि मेरे अधिकार-क्षेत्र में आता था। मैं अपने सब-डिवीजन के सारे क्रियाकलाप चलाने में पूरी तरह स्वतंत्र था।

उनका स्थानान्तरण हो जाने के बाद सब-ऑर्डिनेट रेवन्यू सर्विस के अधिकारी प्रोन्नत्ति पाकर आदिलाबाद के कलेक्टर बने।अपना पद भार ग्रहण करने के तुरन्त उपरान्त जिले के राजस्व अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को ईमानदारी से कार्य करने की हिदायत दी। बैठक खत्म होने के बाद जब मैं उनसे औपचारिकतावश मिला तो उन्होंने मेरे सब डिवीजन के प्रस्तावित दौरे के बारे में बताया और मुझे यह भी कहा,''आप अपने तहसीलदार से कह देना कि मेरे दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की ज्यादा मेहमाननवाजी करने की कोई जरूरत नहीं हैं।''

मेरी तीनों तहसीलों के मुख्यालयों में किसी भी प्रकार के अच्छे होटल या रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं थी, जहाँ से उच्च अधिकारियों या मंत्रियों के लिए अच्छे खाने की व्यवस्था की जा सकती थी। उस समय किसी वीआईपी विजिट के दौरान खाने के सामानों की व्यवस्था रेवेन्यू इंस्पेक्टर करता था और एक प्रशिक्षित चपरासी खाना तैयार करता था। दौरे पर आये हुये अधिकारियों के साथ उनके निजी सचिव, दफेदार (मुख्य चपरासी) और ड्राइवर हुआ करते थे। कुछ अधिकारी अपने रहने-खाने की सुविधा के लिए अपने महंगाई भत्ते के अनुसार पैसे दे देते थे, मगर कुछ अधिकारी कुछ भी नहीं देते थे।अधिकारियों के आवभगत का सारा खर्च अधिकतर राजस्व अधिकारी के कंधों पर आ जाता था।

जैसे निर्देश मुझे कलेक्टर ने दिए थे, वैसे मैंने तहसीलदारों को बता दिया। कलेक्टर के पहले दौरे के समय में उनसे मिलने गेस्ट-हाउस गया। शाम को जब उन्हें रात्रि भोज परोसा गया तो देखकर में स्तब्ध रह गया। विविध व्यंजन परोसे गए थे, मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसे राजशाही भोज की क्या जरूरत थी? कलेक्टर तो खुद मेहमाननवाजी में ज्यादा खर्च करने के लिए मना कर रहे थे तो तहसीलदार ने ऐसा क्यों किया? मैंने तहसीलदार से पूछा ''जब कलेक्टर साधारण भोजन खाना चाहते

थे मेरे कहने के बावजूद भी तुमने राजशाही भोजन की व्यवस्था क्यों कीं?'' यह मेरी तरफ अभिज्ञता पूर्वक देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा ''सर, 30 साल की नौकरी में मैंने ऐसे ही बाल सफेद नहीं किये हैं। कई कलेक्टरों को खाना खिला चुका हूँ। खाना बनाने से पूर्व हम पता लगा लेते है कि उनकी मनपसंद क्या हैं, फिर खाना तैयार करवाते हैं।'' मैं यह सुनकर अवाक् रह गया कि किस तरह एक कलेक्टर अपने असली चेहरे को दूसरे मुखौटे से ढकते है और तहसीलदार अपने तजुर्बे के आधार पर उच्च अधिकारियों की जरूरतों के बारे में समझ लेते हैं। मेरे लिए यह एक नयी अनुभूति थी। पहली-पहली अनुभूति जिसमें भ्रष्टाचार के अंकुर फूटने की आशंका दिखने लगी। धीरे-धीरे हमें यह पता चला कि वह कलेक्टर भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। पैसा बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, चाहे वह किसी की पोस्टिंग का हो या चाहे किसी के ट्रांसफर का हो,चाहे किसी तरह का लाइसेन्स लेना हो। पैसा बनाना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन चुका था।

एक दिन ग्राम अधिकारी संघ (विलेज ऑफिसर एसोसिएशन) के पत्र के साथ कलेक्टर की एक चिट्ठी मुझे मिली, जिसमें यह लिखा गया था कि ग्रामाधिकारियों के के वेतन से अनधिकृत कटौती की जा रही है। छानबीन करने पर तहसीलदार ने कहा, ''यह बात एकदम सही है कि ग्रामाधिकारियों के वेतन से कुछ पैसा काटकर रखा जाता है। यह कटौती मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के खर्चों की आपूर्ति के काम आती है। आप चाहें तो इसका सारा हिसाब-किताब मेरे पास है, देख सकते हैं।'' जब मैंने उसके पास बना हुआ सारा हिसाब-किताब देखा तो यह देखकर हतप्रभ रह गया कि कटौती की हुई धनराशि का अधिकांश हिस्सा कलेक्टर की व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति में व्यय किया गया था। आदिलाबाद जिले में कागज नगर ही ऐसा शहर था, जिसमें एक अच्छी बेकरी थी। मैंने इस हिसाब-किताब में देखा कि कागज नगर की बहुत सारी पर्चियाँ बेकरी उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं की आसिफाबाद के तहसीलदार के नाम कटी हुई थी।

मैंने अपनी छानबीन कर यह रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी, जिसमें वह विशेष टिप्पणी भी दर्ज की - जब तक दौरा करने वाले अधिकारियों/मंत्रियों के आदर-सत्कार का बोझ तहसीलदार के कंधों पर डाला जाएगा, बिना किसी अनुमोदित ऑफिसियल फंड के, तो पैसों की अवैध कटौती का कारोबार ऐसा ही चलता रहेगा। कलेक्टर ने मेरी रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया।भले ही,मेरी माँ का जीवन चरित्र मुझे अधोगामी नहीं होने दे रहा था, मगर मन में कहीं न कहीं विद्रोह की सूक्ष्म भावना घर करने लगी थी। मैं अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अनुशासन, न्याय, संवेदना और भावना जैसी सुकोमल शब्दावली को अपने हृदय-कक्ष में संजोकर अपने आप को तैयार कर रहा था,अनिश्चित भविष्य की अंधेरी गुफाओं में उनकी मशाल बनाकर फूंक-फूंककर कदम रखने की।

मेरे दूसरे कलेक्टर थे श्री आर.के.आर. गोनेला। भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी के पर पर काम करने के बाद अभी-अभी स्टेट कैडर में लौटे थे। पिछले कलेक्टर से एकदम विपरीत। ईमानदार, निष्ठावान और नियम मुताबिक काम करने वाले। एकदम अलग इंसान। आते ही निजी काम के लिए वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था उन्होंने। नतीजा यह हुआ, आदिलाबाद का ऑफिसर क्लब खाली रहने लगा। क्योंकि किसी भी अधिकारी के पास अपना निजी वाहन नहीं था। उन्होंने कभी स्थानीय तहसीलदारों से

अपनी आवाभगत नहीं करवाई। जब कभी बाहर किसी होटल से अपना खाना मंगवाया तो उन्होंने उसके अपने पैसे दिए। काश! हमारे देश में सभी अधिकारी ऐसे हो जाते।

एक बार रिव्यू-मीटिंग के लिए रेवन्यू बोर्ड के एक मेंबर आए। जिले के दूसरे सब डिवीजन मुख्यालय 'निर्मल' में जिले के सारे राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के लंच हेतु कलेक्टर ने सभी भाग लेने वाले अधिकारियों को लंच के लिए अपना-अपना योगदान देने के लिए निर्देश दिए थे ताकि तहसीलदार को खर्च उठाने की जरूरत न पड़े।

रेवन्यू बोर्ड के मेम्बर लंच से कुछ समय पहले पहुँचे और अपने कमरे में सीधे चले गए। उन्हें शराब का शौक था और खाने से पहले एक दो पैग जरूर उन्हें चाहिए। एक दो पैग लेने के बाद उन्होंने हमारे साथ लंच किया। लंच में खूब सारे शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन बने थे। लंच लेने के बाद वह सोने चले गए। अपराह्न के बाद उन्होंने रिव्यू-मीटिंग शुरू की, जो मेरे हिसाब से आंधे घंटे से ज्यादा नहीं चली होगी।

कलेक्टर के निजी सचिव बंसीलाल इस व्यवस्था के प्रभारी थे। मेम्बर के चले जाने के बाद मैंने बंसीलाल से पूछा, ''बंसीलाल जी, जब कलेक्टर ने कंट्रीब्यूटरी लंच के निर्देश दिए तो आपने ऐसे शाही लंच का आयोजन क्यों किया?'' बंसीलाल के चेहरे की मुस्कराहट यह साफ बता रही थी मानों उनके लिए यह सवाल निरर्थक था। विरक्त होकर वह कहने लगा, ''सर, कलेक्टर साहब नए-नए है। उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। उन्हें अपने सीनियर ऑफिसरों से डील करना मालूम नहीं है। मैं जानता हूँ कि श्री सिन्हा को स्कॉच और अच्छा खाना बेहद प्रिय है।

अगर उन्हें स्कॉच और स्वादिष्ट लंच नहीं दिया जाता तो यह रिव्यू-मीटिंग आधी रात तक चलती और एक-एक अधिकारी से ऐसे सवाल पूछे जाते कि उनकी परफोरमेंस की खाल उधेड़ दी जाती। इससे ज्यादा वह और कुछ कहते, मैंने उन्हें चुप रहने के संकेत कर दिए। तहसीलदार और बैठक से संबंधित जिले के विभागों के अधिकारियों से अपने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के आराम हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने की उम्मीद की जाती है। शायद ही ऐसे कुछ वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री होंगे,जो अपनी आवभगत पर खर्च हुए पैसों का भुगतान करते होंगे। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के दौरे के समय अनेक-अनेक समर्थक और पार्टी मेम्बर बिन-बुलाए मेहमानों की तरह आ धमकते हैं। उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए कोई ऑफिशियल बजट नहीं होता है। इसलिए यह देखा गया है कि मुख्यालय में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी को तहसीलदार बनाया जाता है ताकि वीआईपी लोगों के दौरे के समय उनकी आवाभगत की समुचित व्यवस्था हो सके।

मैं सोच रहा था, क्या यह परंपरा नई-नई शुरू हुई है? ऐसा नहीं हैं। यह परंपरा काफी समय से चली आ रही हैं। देश के आजाद होने से पहले से ही चली आ रही है। तब कोई क्यों आवाज नहीं उठाता? हम ही शासक बनकर अपनी जनता का शोषण कर रहे हैं। हम सभी अपनी-अपनी जगह भ्रष्टाचार के महायज्ञ में जनता से लूटे हुए धन की आहुति दिए जा रहे हैं। कब तक चलेगा यह सब कुछ, हर कोई जानता हैं देश आजाद हुए 70 साल बीत गए मगर कुछ भी तो परिवर्तन नहीं हुआ। किसी

ने भी तो सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठायी और हम सभी अधिकारी इस परंपरा को निभाने के आदी हो गये। यही नहीं, सन 1881 में भारतेन्दु हरिश्चंद्र के अपने नाटक-प्रहसन 'अंधेर नगरी' में ऐसी ही तत्कालीन परिपाटी की ओर संकेत किया था ,पाचक चूरन की वक्रोक्ति के माध्यम से। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:-

चूरन अमले सब जो खावै,दूनी रिश्वत तुरंत पचावै।
चूरन सभी महाजन खाते,जिससे जमा हजम कर जाते।
चूरन खाते लाला लोग,जिन को अकिल अजीर्ण रोग।
चूरन खावें एडिटर जात,जिनके पेट पचे नहीं बात।
चूरन साहब लोग जो खाता,सारा हिन्द हजम कर जाता।
चूरन पुलिस वाले खाते,सब कानून हजम कर जाते।
ले चूरन का ढेर,बेचा टके सेर।

मेरा कार्यभार संभाले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था,मगर मुझे अपने तहसील में हो रहे छोटे-छोटे भ्रष्टाचार संबंधी जानकारियाँ अवश्य होने लगी। परन्तु मेरे आधे सेवाकाल तक मुझे पता तक नहीं चला कि मेरा ऑफिस भी छोटे-छोटे भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ चुका था। आसिफाबाद सब-डिवीजन के सब-कलेक्टर के रूप में मुझे 'आर्म्स एक्ट' के अन्तर्गत कुछ हथियारों के लाइसेंस देने के अधिकार आदिलाबाद कलेक्टर द्वारा डेलीगेट किए गए थे।एक दिन एक आदमी मेरे पास शिकायत लेकर आया और बोला,''सर,एक महीना हो गया। मुझे अभी तक मेरी गन का लाइसेंस नहीं मिला।''
मैंने छानबीन की तो पता चला कि वह फाइल पन्द्रह दिनों से ऑफिस के टाइपिस्ट के पास पड़ी हुई थी। विस्तार से जानकारी करने पर पता चला कि हर आर्म्स लाइसेंस पर 100 रु. वसूल किए जाते थे जो हेड-क्लर्क, डीलिंग क्लर्क, टाइपिस्ट और चपरासी में बाँट लिए जाते थे। इस बार टाइपिस्ट उस रिश्वत का ज्यादा हिस्सा लेना चाहता था, मगर दूसरे लोग अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थे। टाइपिस्ट अपने हिस्से से खुश नहीं था,इसलिए उस फ़ैल को अपने पास पेंडिंग रख लिया।

उस टाइपिस्ट के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण उसके खिलाफसमुचित कार्यवाही नहीं कि जा सकी। और उसको भ्रष्टाचार के कदाचार के अंतर्गत सजा मिलने के बजाय "कार्य कि उपेक्षा/अवहेलना" की साधारण सजा मिली। सरकार के सभी विभागों में इस तरह का संस्थागत भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। कौन उसे उखाड़ना चाहेगा? जब सभी को अपना-अपना हिस्सा मिल जाता हैं तो कौन निरासक्त भाव से निर्मोही होकर पैसों का परित्याग करेगा? घर आती हुई लक्ष्मी को ठुकराने के बारे में कोई सोच सकता है? मनुष्य की लालच-लोभ की प्रवृत्ति उसे भ्रष्टाचार के गर्त में धकेल देती हैं,जो भ्रष्टाचार करने के अनिच्छुक है, वे धीरे-धीरे समय के साथ या तो इस 'संस्थागत भ्रष्टाचार' का हिस्सा बन जाते हैं या फिर उन्हें मुख्य धारा से दूर करके किसी निर्वासित वैतरणी में पटक दिया जाता है ,अपने आपको कोसने के लिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है, किसी-किसी को जालसाजी के हथकंडों में फँसाने का कुप्रयास भी।

दु:ख इस बात का है कि हमारी आपकी आँखों के सामने देखते,सुनते,अनुभव करते हुए किस तरह भ्रष्टाचार रूपी सुरसा अपना बदन विस्तारित करती चली जाती है,मगर हम कुछ नहीं कर पाते। सोचने लगते है कि कब ऐसा हनुमान आएगा जो इस सुरसा का अंत कर पायेगा? इसका उत्तर समय के गर्भ में अभी भी अनुत्तरित है।

3. वाणिज्यिक कर : कामधेनु

मैंने इस अध्याय का नाम 'कामधेनु' इसलिए रखा कि यह एक ऐसा विभाग था, जिसमें लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे थे।

सन् 1975 की शुरूआत में, मैं डिप्टी कमिश्नर (कॉर्मशियल टैक्सेज) बना। मेरे प्रभार में चित्तुर और कडप्पा जिले शामिल थे। चित्तुर जिले की सीमाएं तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है। आंध्रप्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने अंतर-राज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट खोल रखे थे। ये चेक पोस्ट भ्रष्टाचारियों के लिए कामधेनु का वरदान समझी जाती थी, इसलिए मैं अक्सर उनका औचक निरीक्षण करता था। ऐसे ही एक औचक निरीक्षण में मैंने देखा कि उस चेक पोस्ट से बहुत सारी शराब से लदी हुई ट्रकें जा रही थी। यह चेक-पोस्ट तमिलनाडु की सीमा पर बना हुआ था। जब मैंने वहाँ का रिकार्ड देखा तो पता चला कि पांडिचेरी से शराब लादकर वे ट्रकें उस चेक पोस्ट से होते हुए यानम जा रही थी। कहाँ पांडिचेरी, कहाँ चित्तुर? पांडिचेरी के रास्ते में चित्तुर सीधा नहीं पड़ता था। कुछ तो गड़बड जरूर थी। यानम एक छोटा-सा गाँव है।अगर वहाँ का हर आदमी पानी की जगह शराब पीता हो तो भी इतनी शराब की खपत वहाँ होना असंभव था। दाल में कुछ तो काला जरूर था।

इस कालेपन को उजागर करने के लिए मैंने अपनी रणनीति बनानी शुरू की, पांडिचेरी से आने वाली शराब की प्रत्येक खेप पर नजर रखने के लिए एसिस्टेंट कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर को अपने निर्देश दिए।अगली बार कोई भी शराब का ट्रक इस चेक पोस्ट से गुजरे तो उसका पीछा कीजिए। जहां भी वह ट्रक अनलोड होता है,मुझे तत्काल खबर करें। तीन-चार दिन बाद ही आधी रात को मुझे खबर मिली,"सर, यानम जाने वाली खेप चित्तुर में खाली की जा रही है।''

मैं स्वयं टाऊन पुलिस स्टेशन से स्टेशन हाऊस ऑफिसर और दो कांस्टेबलों को लेकर अंनलोडिंग साइट पर पहुँचा और देखा कि ट्रक खाली की जा चुकी थी। कुछ लोग शराब की पेटियों को पगडंडी से पास के किसी गोदाम में ले जा रहे थे। मैंने वह गोदाम सील करवा दिया। दूसरे दिन मैंने छानबीन शुरू की। चित्तुर के चेक पोस्ट से पार हुए शराब के सारे कंसाइनमेंटों की सालभर की लिस्ट मैंने मंगवाई।इस लिस्ट के साथ मैंने एक अधिकारी को ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के यानम बार्डर पर बनी इंटरस्टेट चेक-पोस्ट के रिकॉर्डों से सत्यापन करने के आदेश दिए। उस अधिकारी ने सत्यापन के बाद बताया कि लिस्ट में लिखी गई कोई भी शराब की खेप यानम बार्डर से पार ही नहीं हुई है। अब साफ हो गया था, यानम के नाम पर ट्रक वालों ने झूठे चालान कटवाए हैं। एक्साइज ड्यूटी और सेल-टैक्स की चोरी के लिए यह सब किया जा रहा था,अर्थात् पांडिचेरी की शराब आंध्रप्रदेश के विभिन्न जिलों में बेची जा रही थी।

अब आंध्रप्रदेश में शराब कहाँ-कहाँ बेची जा रही थी, इसका पता लगाना असंभव था।किन्तु पांडिचेरी के किन-किन शराब विक्रेताओं से शराब आंध्रप्रदेश में आ रही थी, यह मालूम करना सहज था। कानून के अनुसार इन विक्रेताओं को आंध्रप्रदेश में ''कैजुअल ट्रेडर'' माना जा सकता था।

पूरे मामले की तहक़ीक़ात करने के लिए मैं स्वयं पांडिचेरी गया। पांडिचेरी पहुँचकर मैं सीधे वहाँ के मुख्य सचिव श्री एम. पार्थसारथी से मिला और मैंने उनसे आंध्रप्रदेश के इस मामले की तहक़ीक़ात में सहयोग का अनुरोध किया। श्री एम. पार्थसारथी असम कैडर के साफ छवि वाले आईएएस अधिकारी थे।बातचीत से मुझे लगा कि इस मामले में मुझे पांडिचेरी सरकार से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि पांडिचेरी में शराब व्यवसाय राजस्व का मुख्य साधन था। आंध्रप्रदेश और पांडिचेरी में टैक्स रेट में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण यह अवैध कारोबार पनप रहा था।

जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन ट्रेडर्स पर, जिनके व्यापार के लिए आंध्रप्रदेश में कोई रजिस्टर्ड जगह नहीं थी,मगर वे दूसरी जगह से आंध्रप्रदेश में अपना सामान बेचने के लिए लात थे, उन्हें केजुअल ट्रेडर्स मानकर उन पर सेल्स-टैक्स लगाया जा सकता था। इसलिए मैंने चित्तुर चुंगी-नाका के रिकॉर्ड के आधार पर पांडिचेरी के उन ट्रेडरों का टैक्स असैसमेंट करने के लिए 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर दिया। इस नोटिस के खिलाफ ट्रेडरों ने मद्रास हाइकोर्ट में पीटिशन दायर की। मद्रास हाइकोर्ट की सिंगल जज ने उस शो-कॉज पर स्टे दे दिया। बहुत मेहनत के बाद मैंने वह स्टे ऑर्डर हटवाया, तो फिर उन ट्रेडरों ने दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अपील दायर की। इस पीठ ने फिर से स्टे ऑर्डर जारी कर दिया।

आठ साल बाद मैं एक बार फिर से वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च पद पर पदासीन हुआ, मैंने देखा कि तब तक वह स्टे वैसे ही लगा हुआ ही था।यह है हमारी न्याय व्यवस्था! जब कोई अधिकारी किसी घोटाले को उजागर कर अपने राज्य की मदद करना चाहते हों, तो न्याय-तंत्र सही तथ्यों को जानने की कोशिश किए बगैर उस पर स्टे दे देता हैं। कई साल लग जाते हैं उस स्टे को हटवाने में, और अवैध व्यापार सबकी आँखों के सामने फलता-फूलता नजर आता हैं। ऐसे केसों के निपटान में अधिक विलम्ब होने के कारण राज्य के राजस्व की अत्यधिक क्षति होती है।

मगर किसे परवाह है? न सरकार को, न ही न्याय-तंत्र को? किसका दिल दु:खता है? केवल जागरूक नागरिक का अथवा जागरूक अधिकारी का? मगर दोनों की अपनी सीमाएँ निर्धारित होती हैं इस वजह से विकराल भ्रष्टाचार की अग्नि-विभीषिका सभी को भस्मीभूत करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है।

हालांकि मद्रास हाइकोर्ट के आदेश के कारण मैं विगत वर्ष का टैक्स वसूल तो नहीँ कर पाया, मगर पांडिचेरी से अवैध शराब का वितरण बंद होने के कारण आंध्रप्रदेश में शराब व्यवसाय से राजस्व बढ़ने लगा। इस रैकेट का किंग-पिन कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे। वे मेरा ट्रांसफर करवाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वेंगलराव के पास पहुँचे। यह बात मुझे मुख्यमंत्री के निजी सचिव श्री प्रकाशराव ने बताई थी और कहा कि श्री वेंगलराव ने उस नेता की इस अनावश्यक मांग के लिए बहुत फटकारा। ऐसे भी कुछ मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो स्वयं राजनैतिक दबाव सहनकर ईमानदार और स्वाभिमान अधिकारियों की रक्षा करते थे।

मेरा दूसरा कार्यकाल शुरू होता हैं इसी विभाग में दूसरे रूप में। श्री के.चक्रवर्ती की नई बनी इनफोर्समेंट विंग के ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर इस बार मेरी पोस्टिंग हुई थी। श्री चक्रवर्ती वाणिज्यिक-कर के कमिश्नर थे और मैं उनका सहयोगी। बाद में श्री चक्रवर्ती ने आईएएस के पद से त्यागपत्र देकर श्री साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में रजिस्ट्रार के पद पर जॉइन कर लिया। इंफोर्समेंट विंग का मुख्य उद्देश्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, संदिग्ध जगहों का मुआइना करना, संबंधित सामग्रियों का अध्ययन कर काले कारोबारों वाले बिजनेस परिसरों में मुस्तैदी से छापा मारना था। कमिश्नर श्री के. चक्रवर्ती ने मुझे मेरी मनपसंद के अधिकारियों को इस विंग में शामिल करने की अनुमति प्रदान की। मैं जानता था वाणिज्यक-कर विभाग में शत-प्रतिशत सत्य निष्ठा वाले अधिकारियों को पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस विभाग में भ्रष्टाचार पूरी तरह से सुनियोजित एवं संस्थागत ढाँचे का रूप ले चुका था। टैक्स के वार्षिक आंकलन के समय मुहमांगी रिश्वत देना एक आम बात थी। ईमानदारी की परिभाषा यहाँ बदल चुकी थी। जो अधिकारी अपने हिस्से की रकम से संतुष्ट हो जाता हो और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर जबरदस्ती वसूली नहीँ करता हो, वह अधिकारी ईमानदार की श्रेणी में गिना जाता हैं। किस प्रकार से हमारे समाज ने अपने स्वार्थ के निहित कारणों से रिश्वत को अपरोक्ष रूप से मान्यता दे दी हैं। ईमानदारों की व्यापक परिभाषा में संस्थागत रिश्वतखोरों की सिंडीकेट भी शामिल कर दी गई हैं।ऐसी अवस्था में इनफोर्समेंट विंग के लिए ईमानदार अधिकारियों का चयन करना काफी मुश्किल काम था। मैंने मेरे बैचमेट श्री एम.सी. महापात्र से इस मामले में मदद ली। वे कमिश्नर के सेक्रेटरी थे। उनसे व्यक्तिगत पूछताछ, अधिकारियों के गुप्त प्रतिवेदनों की जाँच के आधार पर मैंने एक तालिका बनाई।और उसे आधार बनाकर नई विंग का गठन किया। देखते-देखते उस विंग ने ईमानदारी, दक्षता और उत्साह पूर्वक काम करते हुए एक विशिष्ट ख्याति अर्जित की। यह विंग किसी जगह मुआइना करने तथा छापा मारने से पूर्व अनेक खुफिया जानकारियाँ लेती थी,आँकड़ों की जाँच करती थी और व्यापार-पद्धति की विस्तृत जानकारी के बाद अति सावधानी पूर्वक अपनी गोपनीय योजना बनाती थी।

एक और घटना उदाहरणीय है, जो यह दर्शाती हैं कि राजनैतिक, प्रशासनिक और सामाजिक वातावरण किस तरह किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर टैक्स-चोरी और कालेधन के

संग्रह हेतु प्रेरित करता हैं। हैदराबाद का बेगम-बाजार अनाज, दाल और मसालों का मुख्य थोक बाजार हैं। हमारी विंग को गहन अध्ययन के बाद यह पता चला कि यहाँ पर इन सामग्रियों पर टैक्स की बहुत चोरी होती थी। अतः हमने इस क्षेत्र के कुछ बड़े व्यापारियों पर छापा मारा। छानबीन के बाद यह पता चला कि इन वस्तुओं पर बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी किए जाने का हमारा संदेह बिलकुल सही था।

कुछ दिनों के बाद श्री किमती नामक एक बुजुर्ग अपने पुत्र की तरफ से मुझसे मिलने आए। उनके पुत्र दलहन का बडे व्यापारी थे। किमती ने यह स्वीकार किया कि हमारे टैक्स का आकलन और मांग सही थी। फिर भी शायद वह मुझे सिखाना चाहते थे कि अनाज व दालों का व्यापार कैसे किया जाता है। वह बोले, ''मैं एक थोक विक्रेता हूँ। आजकल अनाज का व्यापार ईमानदारी से करते हुए पूरे टैक्स का भुगतान करना किसी लिए भी संभव नहीं है। एक बैग पर मुनाफा मिलता है 2 रुपए। जबकि सेल टैक्स देना पड़ता है 20 रुपए। जब तक हरेक आदमी कानून के हिसाब से व्यापार नहीं करता हैं तो किसी भी अकेले व्यक्ति विशेष के लिए पूरा टैक्स अदा करते हुए व्यापार करना संभव नहीं है।''

थोड़ा रुककर फिर बोले,''जो टैक्स सरकार को अदा नहीं किया जाता है, वह सारा व्यापारी के लिए मुनाफा नहीं हो जाता।अधिकतर ग्राहक बिना बिल के सामान खरीदना चाहते हैं ताकि टैक्स नहीं भर्ना पड़े।टैक्स चोरी का काफी हिस्सा सेल-टैक्स, इन्कम-टैक्स,सिविल सप्लाई,म्यूनसिपल कार्पोरेशन,पुलिस आदि के अधिकारियों को रिश्वत देने में खर्च हो जाता है ,अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे लोग सामान्य गलती को भी बढ़ा-चढ़ाकर जटिल बना देते हैं। इसके अतिरिक्त,कुछ गुंडा लोग और राजनेताओं को भी खुश रखना पड़ता है। सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे व्यापारियों को इन परेशानियों से बचा सके।एक व्यापारी लागातार इन तत्वों से लड़ाई करते हुए व्यापार में अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है ? इसका आसान और शायद एक ही विकल्प है सिस्टम के साथ व्यापारी का समझौता करना और अपने फायदे के लिए इसका उपयोग करना।"

अपने झोले में से उन्होंने अखबार की कुछ कतरने निकाली और मेरे सामने रख दी। इन कतरनों पर सीमेंट स्कैंडल के बारे में लिखा हुआ था। तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री ए.आर. अंतुले से जुड़ा हुआ था वह मसला।

प्रश्न भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए वह पूछने लगा, ''अब आप ही बताइए, एक छोटा व्यापारी घोर भ्रष्टाचार के वातावरण में ईमानदारी से अपना व्यापार करते हुए अपने टैक्स का भुगतान कर सकता है? जहाँ एक मुख्यमंत्री इतने बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हो और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री उसका बाल भी बाँका नहीं कर पा रहे हों, तो हमारे जैसे छोटे व्यापारियों की क्या औकात जो बड़े-बड़े मव्वालियों से... ... ..."

किमती के इस वक्तव्य ने मुझे भीतर से हिला दिया। मुझे लगा कि टैक्स-चोरी जटिल सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक समस्या है, जिसका हल मुआइना करना या छापा मारना नहीँ हो सकता है।उनके तर्कों से पूरी तरह सहमत होते हुए मैंने कहा कि रत्ती-भर भी मुझे इस बात में संदेह नहीँ है कि मैं अकेला टैक्स-चोरी को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोक सकूँ। मगर इनफोर्समेंट ऑफिसर होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं जब तक इस कार्यालय का प्रभारी हूँ तब तक इसे रोकने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। आपकी बातों में वजन होने के बावजूद भी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। मैं केवल पेनल्टी को पाँच गुणा से घटाकर एक गुना कर सकता हूँ, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं।''

टैक्स चोरी करना वास्तव में आय बढ़ाने की अमिट भूख का परिणाम ही नहीँ है। यह दूसरी बात है टैक्स चोरी करने में लालच एक महत्त्वपूर्ण घटक है। एक व्यक्ति के अपने नियंत्रण से परे अनेक ऐसे जटिल कारण हैं जिसके कारण वह टैक्स चोरी करने पर विवश हो जाता है। अगर किसी देश की राजनैतिक प्रणाली काले धन पर निर्भर करती है, तो राजनेताओं की गिद्ध-दृष्टि उद्योग और व्यापार जगत से काला धन पैदा करने में लगी रहेगी। अगर ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त होगा। तो वैधानिक क्लीयरेंस और अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए काले धन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर टैक्स चोरी चारों तरफ फैली हुई होगी तो असमान प्रतिस्पर्धा की वजह से ईमानदार व्यक्ति व्यापार में टिक नहीँ सकता और कालाबाज़ारी बढ़ेगी।

दूसरे अपराधों की तरह टैक्स की चोरी रोकने में भी सामाजिक प्रतिबद्ध कानून के गंभीर प्रावधानों से कहीं अधिक भूमिका निभा सकते है, मगर भारत इन दोनों क्षेत्रों में बहुत

4

नागरिक आपूर्ति विभाग : तैलीय पदार्थ

मुझे आईएएस की नौकरी करते हुए लगभग एक दशक बीत चुका था। अलग-अलग क्षेत्र में तरह-तरह की अभिज्ञता से मैं परिपक्व होता जा रहा था, मगर मेरे मन में निहित ईमानदारी, कर्तव्य-परायणता और कर्मठता की भावनाएँ मेरे अंतस् को संघर्ष के लिए तैयार करती और शायद मुंशी प्रेमचंद के कहानी 'नमक का दरोगा' के नायक के अंदर मैं अपनी प्रतिच्छाया खोजने लगता,जिसने मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। मैं बिलकुल भी सहन नहीं कर पाता था,अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से लिप्त आचार-संहिताओं को। जो देश कभी विश्वगुरु हुआ करता था, आज उसकी ऐसी दुर्दशा? भारतेन्दु हरिश्चंद्र की कविता 'भारत-दुर्दशा' की कुछ पंक्तियां याद आ जाती थी:-
अंग्रेज़ राज सुख साज सजे सब भारी।
पै धन विदेश चलि जात इहै अति ख़्वारी।
सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई।
हा! हा! भारत दुर्दशा न देखी जाई॥
अंग्रेजों ने देश का शोषण किया, यह बात तो समझ में आती है। मगर हमारे देश के नेता ही हमारी जनता का शोषण करेंगे, यह बात हजम नहीं हो रही थी।

बीसवीं सदी के आठवें दशक की शुरूआत में देश में 'आवश्यक सामग्री' अर्थात् 'ऐसेन्सियल कॉमोडिटीज' की कमी थी। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन की दुकानों के तहत विदेशों से आयातित पाम ऑयल, पामोलिन और रेपसीड तेल को जनता को आवंटित कर रही थी।

जब मैं आंध्रप्रदेश में नागरिक आपूर्ति विभाग का निदेशक बना, मैंने पाया कि भारत सरकार हमारे राज्य के लिए पामोलीन और रेपसीड ऑयल की बराबर-बराबर मात्रा वितरित कर रही थी। आंध्रप्रदेश के लोग रेपसीड ऑयल (राई का तेल) पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती थी। उत्तर और पूर्व के भारत के हिस्सों में यह पसंद किया जाता था, इसलिए मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि आप आंध्रप्रदेश के लिए रेपसीड तेल का कोटा शून्य कर पामोलिन का कोटा उतना ही बढ़ा दें।

पहला, मेरे अनुरोध के बावजूद भी भारत सरकार ने पाँच हजार टन रेसपीड ऑयल हमारे राज्य के लिए आवंटित कर दिया। पता नहीं क्यों? खैर, जो भी कारण रहे हो। दूसरा, इस तेल की यहाँ कोई मांग नहीं थी, मगर मेरे ऑफिस में इस तेल के वितरण हेतु मिल मालिकों की लाइन लग गई। यह बात भी मुझे कुछ समझ में नहीं आई।

मैंने नागरिक आपूर्ति विभाग के तत्कालीन कमिश्नर श्री पी. सीतापथी को एक विस्तृत नोट भेजा, जिसमें यह लिखा था कि यह तेल मिल वालों को उनकी विगत वर्ष की दक्षता या उनकी परिशोधन क्षमता के आधार पर आवंटन कर दिया जाए। कमिश्नर ने उस फाइल पर एक पेज का लंबा नोट लिखा और मेरे पास लौटा दिया।

उस नोट में न तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था न ही अस्वीकार। उनकी नोटिंग मेरी समझ से परे थी, इसलिए मैं उनसे सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए चला गया। मगर उन्होंने इस विषय पर कुछ भी बातचीत नहीँ की, सिर्फ इतना ही कहा, ''इस फाइल को पेडिंग रहने दो।'' और फिर टूर पर चले गए। जब कमिश्नर टूर पर थे, मुझे मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस. संथानम ने फोन किया,''पारख साहब, तेल आवंटन में इतनी देरी क्यों हो रही है?'' मैंने प्रत्युत्तर में कहा, ''इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कमिश्नर साहब ने आदेश पारित नहीँ किया है ।'' सचिव ने फोन पर कहा, ''आप इस फाइल को मेरे पास ले आइए।''

मैं वह फाइल उनके पास लेकर गया। उन्होंने उस फाइल में लिखा कि तीन मिल मालिकों को यह तेल आवंटित किया जाए, जिनके नाम इस फाइल में लिखे हुए हैं। फाइल लौटाते समय उन्होंने कहा,''मैं चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी हूँ, न कि सरकार का। जो वह चाहते हैं, वही मैं लिख रहा हूँ। कमिश्नर सरकार के सेक्रेटरी को, अगर उन्हें लगता है कि यह आदेश गलत है तो मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत कर सकते है या अपनी सिफारिशें लिखकर इस फाइल को लौटा सकते है।''

दौरे से जब कमिश्नर साहब लौटे तो मैंने वह फाइल उन्हें पकड़ा दी और उनके सचिव का मौखिक वक्तव्य भी सुना दिया। इसके बाद कमिश्नर ने मुझे अपनी दुविधा बताई ,''मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यह तेल केवल तीन मिल मालिकों को मिले, मगर इसके आवंटन के लिए बहुत लोगों ने आवेदन किया है।''

श्री पी. सीतापथी एक ईमानदार अधिकारी थे और वह अपने हाथ से कोई गलत निर्णय नहीँ लेना चाहते थे। दूसरी तरफ वह मुख्यमंत्री को भी नाराज नहीँ करना चाहते थे। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय का लिखित अनुदेश पाकर वह अपने आपको कुछ हल्का अनुभव कर रहे थे। इस अनुदेश के अनुसार उन्होंने तेल की समूची मात्रा तीनों मिल मालिकों को आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए।

दूसरे दिन क्या हुआ? हाईकोर्ट ने इस आवंटन पर स्टे लगा दिया। जिन मिल मालिकों को तेल नहीँ मिला था, वे हाईकोर्ट जाकर स्टे ले आए। एक महीना ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद सारे मिल मालिक एक पत्र के साथ मेरे पास पहुँचे और बोले,''हम प्रो राटा(यथानुपात) बेसिस पर तेल लेने के लिए तैयार है और हाईकोर्ट में दी गई रिट को वापस ले लेंगे।''

इसी बीच में मैंने पता लगाया कि रेपसीड तेल के आवंटन पर इतनी छीना-झपटी क्यों हो रही है? मुझे पता चला कि जो रेसपीड तेल राशन के जरिए आवंटित किया जा रहा है, उसकी कीमत 6000 प्रति टन है, जबकि कोलकाता बाजार में उसी तेल की कीमत रू. 13000 प्रति टन है। चूँकि आंध्रप्रदेश में इस तेल की डिमांड नहीँ है, इसलिए ब्लैक मार्केट में इस तेल को विशाखापट्टनम बंदरगाह से प.बंगाल में बड़े प्रीमियम पर बेच दिया जाता है।

पर्दे के पीछे का रहस्य खुल गया था। अपनी रिट वापस लेने के बाद उन मिल मालिकों को आनुपातिक आधार पर तेल वितरित कर दिया गया। मगर उन पर नकेल कसने के लिए मैंने एक शर्त अवश्य लगा दी कि जिला वितरण अधिकारी की जांच के बाद ही तेल का फेयर प्राइस शॉप में वितरण के लिए रिलीज किया जाएगा।

पहली बार रेपसीड तेल मिल-परिसरों में पहुँचा। यह हर कोई जानता था कि राशन की दुकानों से रेपसीड तेल खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीँ था। कुछ सप्ताह ऐसे ही बीत गए। उसके बाद वे लोग इस तेल को खुले बाजार में बेचने की अनुमति लेने हेतु अभ्यावेदन बनाकर मेरे पास पहुँचे।

मैंने एक नोट कमिश्नर के पास प्रस्तुत किया।यह लिखते हुए कि राशन की दुकानों से रेपसीड तेल नहीँ बिकने की जानकारी मिल मालिकों को पहले से ही थी, फिर भी ये लोग इस तेल का वितरण करना चाहते हैं। चूँकि यह तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित किया गया था, अत: इसे खुले बाजार में बेचने की अनुमति नहीँ दी जा सकती। इस नोट पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ही श्री पी. सीतापथी का स्थानांतरण हो गया। नए कमिश्नर के ज्वाइन करने के बाद यह सबसे पहली फाइल थी, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए।उन्होंने यह लिखते हुए कि यदि खुले बाजार में तेल बेचने के आदेश नहीं दिए गए तो यह खराब हो जाएगा और लोगों के खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए तेल को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए।अब आप समझ सकते हैं कि नोट पर हस्ताक्षर नहीँ करने के कारण स्थानांतरण और नए प्रभारी का पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले उसी नोट पर हस्ताक्षर करना, किस बात की ओर संकेत करता है। नेताओं के मन मुताबिक काम नहीँ करने पर ईमानदार अधिकारियों को रास्ते का काँटा समझकर दूर फेंक दिया जाता है। और उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने पर दक्ष अधिकारी की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सरकार ही नहीँ, जनता भी तो स्वार्थी है। जब-जब उनके स्वार्थों पर कुठाराघात होता है तब-तब प्रभावित लोग इकट्ठे होकर ऐसा खेल खेलते हैं, जिससे स्वत: उनके रास्ते की अड़चन दूर हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी के लिए इससे बड़ी विसंगति क्या होगी? दुधारी तलवार पर चलने से कम नहीँ होता है ऐसा कोई निर्णय लेना।

यह बात सही थी कि ज्यादा संग्रहण के कारण यह तेल खराब हो जाता, मगर मिल मालिकों को बेमतलब फायदा पहुँचाने के लिए उन्हें खुले बाजार में बेचने की अनुमति देना बिलकुल

गलत था। बल्कि जन-हित के पक्ष में सही विकल्प यह होता कि इस तेल को आंध्रप्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन द्वारा बेचने के लिए सुपुर्द कर दिया जाता।

बहुत सालों वाद इस रहस्य पर्दाफाश हुआ। उस समय मैं सरकार के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में था, आंध्रप्रदेश ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के सचिव श्री राजगोपाल ने मुझे बताया कि मिल मालिकों ने तेल आवंटन का आदेश पाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए थे और उसे खुले बाजार में बेचने की अनुमति पाने के लिए और भी लाखों रुपये।मुख्यमंत्री बदल चुके थे, असुविधा पैदा करने वाले अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी।

5 . कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट : गुटबंदी का अहंकार

-

मई 1980 में, मैं करनूल का जिला कलेक्टर बना। उस समय आंध्रप्रदेश में कोई मजबूत विरोधी पार्टी नहीँ थी और करनूल के सारे विधायक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ही थे। मगर फिर भी उनमें आतंरिक मतभेद बहुत थे, और तीन-चार खेमों में बंटे हुए थे। इसलिए मेरे लिए यह जरूरी था कि सभी खेमों से बराबर दूरी बनाए रखूँ।

कुछ महीने ही बीते थे कि सरकार की संरचना में परिवर्तन हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. एम. चैन्ना रेड्डी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और उनके स्थान पर श्री टी अंजईया नए मुख्यमंत्री बने। श्री अंजईया का कैबिनेट बहुत बड़ा था, करनूल से ही तीन कैबिनेट मंत्री थे और वे तीनों कांग्रेस के अलग-अलग गुटों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। श्री रामभूपाल रेड्डी राजस्व मंत्री, श्री ई . अयप्पा रेड्डी कानून मंत्री और श्री के. कृष्णामूर्ति लघु सिंचाई मंत्री।

एक बार जिले में दुर्भिक्ष पड़ा और जिले के अकालग्रस्त इलाकों में राजस्व मंत्री का तीन दिनों का दौरा हुआ। प्रोटोकॉल के अनुसार कलेक्टर को मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के जिले में दौरे के समय उनके साथ रहना होता है, इसलिए मैं राजस्व मंत्री के साथ रहा। कुछ दिनों के बाद कानून मंत्री भी अकालग्रस्त इलाकों का दौरा करने आए और उस दौरे के दौरान वह भी मुझे अपने साथ रखना चाहते थे। मैं मंत्रीजी को सर्किट हाऊस में मिला और अपनी समस्या बताते हुए उनसे कहा, ‘‘मैं विगत तीन दिनों से राजस्व मंत्री के साथ में था, आपके दौरे में ज्वांइट कलेक्टर को आपके साथ भेज रहा हूँ।" उनको यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया,मगर न चाहते हुए भी मेरी बात पर वह सहमत हो गए। लंबे समय से आंध्रप्रदेश में स्थानीय निकायों में भी निर्वाचन नहीँ हुए थे। अत: सरकार ने तय किया कि हर जिले में विकास गतिविधियों का जायजा लेने के लिए एक मंत्री को प्रभारी बनाया जाए। करनूल का प्रभारी सबसे वरिष्ठ नेता श्री अयप्पू रेड्डी को बनाया गया। उनके प्रभारी बनने के बाद मैंने करनूल में उनके प्रथम दौरे के समय सर्किट हाउस में उनकी खातिरदारी करने के लिए मंडलीय राजस्व अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) को नियुक्त किया।

मैंने डिप्टी कलेक्टर से कहा, ‘‘जैसे ही मंत्रीजी आएँ, मुझे सूचित करें ताकि मैं उनसे मिल सकूँ।’’ जब मंत्रीजी वहाँ पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए कलेक्टर और एस.पी. (पुलिस अधीक्षक) को आया न देखकर वह तमतमा उठे। जब मैं उनसे मिलने सर्किट हाउस आया तो उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ झलक रहे थे, मानो किसी ने उनकी तौहीन कर दी हो। मैंने मंत्रीजी को प्रोटोकॉल के बारे में समझाते हुए कहा, ‘‘कलेक्टर और एस.पी. केवल राज्यपाल,मुख्यमंत्री और भू-राजस्व मंत्री की अगवानी के लिए सर्किट हाउस में उपस्थित होना होता है। बाकी मंत्री, चाहे तो, किसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उन्हें बुला सकते

है।'' मगर मंत्रीजी अभी भी नाखुश थे, साधारणतया मंत्री के आवभगत की ज़िम्मेदारी संबंधित डिस्ट्रिक्ट अधिकारी की होती है। क्योंकि श्री अयप्पू रेड्डी कानून मंत्री थे और जिले में कोई डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर नहीं होता है। इसलिए मैंने सारी बातें समझाते हुए उनसे कहा, ''आगे से करनूल जिले के सदर तहसीलदार आपकी आवाभगत करने के लिए सर्किट हाऊस में रहेंगे।" मंत्रीजी को मेरी यह सलाह नागवार गुजरी। उन्हें ऐसा लगा, जैसे मैंने तहसीदार का नाम लेकर उनके अहम को चोट पहुंचाई है यहीं से हमारे सम्बन्धों में कड़वाहट आने लगी।

आंतरिक मतभेदों के कारण राजनेताओं द्वारा अपने-अपने चेहतों का इच्छानुसार ट्रांसफर व पोस्टिंग करवाना आम बात हो गई थी। श्री अयप्पू रेड्डी की भी कुछ माँगें ऐसी ही थी, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (जिसे दूसरे शब्दों में 'काम के बदले भोजन योजना' भी कहते थे) के अंतर्गत गाँवों में संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य था। बहुत सारे ठेकेदार सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर इस योजना का चावल खुले बाजार में बेच रहे थे। श्री अयप्पू रेड्डी का कोई रिश्तेदार अधिकारी भी ठेकेदारों के साथ मिलकर चावल बेचते हुए पकड़ा गया था। उस अधिकारी को मैं निलंबित करना चाहता था, मगर मंत्रीजी चाहते थे कि मैं केवल उसे वार्निंग देकर छोड़ दूँ। मैंने सरकार से उसे निलंबित करने की गुजारिश की, मगर मंत्री ने उसका निलंबन रुकवाने के लिए अपने पूरे प्रभाव का प्रयोग किया। अंततः उसका दूर दराज जिले श्रीकाकुलम में स्थानांतरण कर दिया गया।

इस घटना के उपरांत दो तिमाही बैठकें बिना किसी शिकायत-शिकवे के मंत्रीजी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इन समीक्षा बैठकों में कभी भी हमने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। मगर मंत्रीजी का चेहरा हर समय तमतमाया रहता था मुझे देखकर। उनकी भाव-भंगिमा और चेहरे की लकीरों में मेरे प्रति घृणा के भाव साफ झलकते हुए प्रतीत होते थे।

समुद्र में रहकर मगरमच्छ से वैर करना कहाँ उचित है, सोचकर एक बार जब मैं हैदराबाद गया था, तो अपने और मंत्रीजी के बीच पैदा हुए कटु संबंधों के बारे में मुख्य सचिव श्री एस.आर. राममूर्ति को बताते हुए उनसे कहा,''सर, करनूल में मेरा रहना अब ठीक नहीं है। श्री अयप्पू के साथ मेरे संबंध ठीक नहीं हैं। बेहतर यही होगा कि आप मेरा वहाँ से ट्रांसफर कर दें।'' मंत्रीजी के साथ कलेक्टर के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उनका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, यह वजह मुख्यसचिव को उचित नहीं लगी। करनूल से मेरा और स्थानांतरण नहीं हुआ।

इसी दौरान करनूल की सबसे बड़ी औद्योगिक ईकाई का निर्माण कार्य संपन्न हुआ,- ''नांदियाल कॉऑपरेटिव शुगर मिल''। इस ईकाई की महत्ता को देखकर प्रबंधन समिति के चेयरमैन की हैसियत से मैंने मिल के उद्घाटन हेतु मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने का निश्चय

किया। इस कार्य हेतु मैं मुख्यमंत्री श्री टी.अंजईया से मिला और उन्हें शुगर मिल के उद्‌घाटन करने का अनुरोध किया। वह इसके लिए तुरंत सहमत हो गए और अगले महीने की एक तारीख मुकर्रर कर दी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद मैं श्री अयप्पू रेड्डी के कैम्प ऑफिस गया, उन्हें इस आयोजन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करने हेतु। यह खबर सुनते ही वह पूरी तरह आग बबूला हो उठे। उनकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देखकर मैं स्तब्ध रह गया। अपनी त्यौरियाँ चढ़ाते हुए उन्होंने मुझे कहा,''आप अपने आप को समझते क्या हैं? मेरी आज्ञा के बिना आपने मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने की जुर्रत कैसे की?''

मैंने उनको शांत करने के लहजे में समझाते हुए कहा, ''मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है मुख्यमंत्री को आमंत्रित कर। इसमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं थी। जब मुख्यमंत्री इस मिल के उद्‌घाटन के लिए राजी है तो इस जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते आपको उद्‌घाटन सत्र की अध्यक्षता करना शोभा देता है।'' मंत्रीजी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। गुस्से से आँखें तरेरते हुए वह कहने लगे, ''उस समारोह में मेरे आने का कोई मतलब नहीं है, जब तुम मुझसे पूछे बिना किसी राजा की तरह जिले प्रशासन संभाल रहे हो।''

गुस्से से वह अपना आपा खो बैठे थे। क्या कह रहे है, क्या नहीं कह रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा था। चिल्लाते-चिल्लाते वह मेरे ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे, ''तुम एक भ्रष्ट अधिकारी हो। मुझे मालूम है कि एक बीडीओ(ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) ने हैदराबाद में तुम्हारे मकान के लिए सीमेंट सप्लाई की है।'' एक मंत्री के मुख से ऐसे निराधार और झूठे आरोप सुनकर मैं अवाक् रह गया। शरीर पूरी तरह शून्य! मानो काटो तो खून नहीं। मेरा जमीर मुझे झकझोरने लगा और मैंने सीधे उनके मुँह पर उत्तर दिया, ''आप इस तरह निराधार आरोप क्यों लगा रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी प्रकार की चोरी की है तो आप सीधे मुख्य सचिव या विजिलेन्स कमिश्नर को मेरे बारे में शिकायत कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।''

मंत्रीजी की इस तरह की प्रतिक्रिया के बाद मैंने सोचा बेहतर यही रहेगा कि करनूल से ट्रांसफर ले लिया जाए। कम से कम जनता के सामने हमारे खराब संबंध उजागर नहीं होंगे और सरकार को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैदराबाद से करनूल लौटकर मैंने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जो इस पुस्तक की परिशिष्ट (5.1) में संलग्न है। ये सारी बातें उस पत्र में समाहित है।

कोई नेता क्या उद्‌घाटन समारोह का अवसर छोड़ता है? श्री रेड्डी मुख्यमंत्री के साथ नांदियाल कोऑपरेटिव शुगर मिल के उद्‌घाटन समारोह में भाग लेने के लिए हेलिकॉप्टर में बैठकर आए। उद्‌घाटन समारोह संपन्न होने के बाद हैदराबाद जाने से पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे अपने

कमरे में बुलाया और शालीनता-पूर्वक पूछा, ''मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, जब जिले के सारे नेता तुम्हारे काम से खुश हैं तो प्रभारी मंत्री अयप्पू रेड्डी नाखुश क्यों हैं?''

मैंने शुरू से लेकर अंत तक उनको सारी कहानी सुना दी और श्री रेड्डी नाराजगी के कारण स्पष्ट करते हुए कहने लगा, ''मेरे और मंत्रीजी के असौहार्द्र संबंधों के कारण मेरे लिए यही बेहतर रहेगा कि मैं करनूल जिला छोड़कर अन्यत्र चला जाऊँ।'' मुख्यमंत्री को मेरा सुझाव पसंद आया और मेरे मनपसंद दूसरे जिले में पोस्टिंग का ऑफर दिया।

मैंने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा,''सर,मेरे लिए यही ठीक रहेगा कि आप फिर से मेरी पोस्टिंग हैदराबाद कर दें।''

उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया। मेरी नियुक्ति हैदराबाद में कामर्शियल टैक्स के सह आयुक्त के रूप में कर दी गई। भले ही, श्री अंजईया ज्यादा पढ़े-लिखे इंसान नहीं थे। एक सामान्य मजदूर से उठकर मुख्यमंत्री बने थे, मगर करनूल से मेरा ट्रांसफर करने के उनके तरीके से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उससे पहले डॉ. चेन्ना रेड्डी अपने टेलीग्राफिक संदेशों के माध्यम से ट्रांसफर करने के लिए खूब मशहूर थे। आज भी श्री अंजईया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने मेरी बातें सुनी, मेरी राय मांगी और उसके बाद मेरा ट्रांसफर किया।अगर वह चाहते तो बिना कुछ पूछे ही वह मेरा ट्रांसफर कर सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करते तो मुझे ऐसा लगता कि श्री अयप्पू रेड्डी की बातें नहीं मानने के कारण सजा के तौर पर मेरा ट्रांसफर किया गया है।

6. हैदराबाद नगर निगम : पहला विद्रोह

अक्टूबर 1982, में मेरी पोस्टिंग हैदराबाद नगर निगम में स्पेशियल ऑफिसर एवं कमिश्नर के रूप में हुई ।यह पोस्टिंग मेरे जीवन की सबसे ज्यादा घटनाबहुल थी और मेरे कैरियर की सबसे ज्यादा निराशाजनक पोस्टिंग भी। वाणिज्यिक कर विभाग में काम करते समय मैंने यह अच्छी तरह जान लिया था कि व्यापारी लोग वाणिज्यिक कर का समुचित भुगतान न करके जायज सरकारी राजस्व की किस तरह चोरी करते हैं; इस बात से भी मैं पूरी तरह अभिज्ञ हो गया था कि हमारे देश की वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी व्यापारी के लिए ईमानदारी से अपना व्यापार करना असंभव है। इन सारी बातों के मुझे अच्छे-खासें अनुभव हो चुके थे, मगर इस बात से अभी भी अनभिज्ञ था कि किस प्रकार सरकारी अधिकारी अपनी पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने और अनाप-शनाप पैसे कमाने के खातिर अपने अधिकारों और जनता के पैसों का दुरुपयोग करते हैं।

बहुत अर्से से हैदराबाद नगर निगम में चुनाव नहीं हुए थे। इसलिए कमिश्नर को स्पेशियल ऑफिसर का पदभार भी दिया गया था जो निर्वाचित निगम के अधिकार में आनेवाले सारे कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत थे। इसलिए उन्हें कैपिटल और रेवन्यू खर्च के अनुमोदन के सारे अधिकार प्राप्त थे।

हैदराबाद नगर निगम ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि बिना कैपिटल बजट और बिना उपलब्ध संसाधनों की जानकारी के बहुत सारे कैपिटल कार्य चल रहे थे। ठेकेदारों के बहुत सारे बिलों का भुगतान निलंबित था और इन बिलों के भुगतान करने के लिए निगम के पास फंड उपलब्ध नहीँ था। फंड का अधिकांश हिस्सा सड़कों के चौड़ीकरण में खर्च कर दिया गया था, मगर वे सड़कें अपना पहला मानसून तक नहीँ देख सकी। मानसून खत्म होते-होते सड़क का सारा चौड़ा भाग धुल चुका था, बचा रह गया था नीचे का कर्कश रोड मेटल। इसलिए मैंने नेशनल हाइवे डिपार्टमेन्ट के चीफ इंजीनियर को सड़क चौड़ीकरण के कार्य की जाँच करने को कहा। जब चीफ इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें कई सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सड़क के निर्माण कार्य में जो रोड मेटल काम में लाया गया था, वह लगभग सब जगह ओवर साइज था। कंसोलिडेशन पूरी तरह अपर्याप्त था। ऊपरी सतह की मोटाई अपने आकलन स्तर की 50 प्रतिशत ही थी और बिटुमन की मात्रा सिर्फ 28 प्रतिशत ही थी। अब समझ गए होंगे कि नगर निगम की सड़कों की दुर्दशा के क्या कारण थे।

नगर निगम में ज्वाइन करने के कुछ सप्ताह बाद मुझे पुरानी सिटी में एक सड़क की मरम्मत से संबन्धित फाइल सबमिट की गई। अनेवाले मुहर्रम पर्व के कारण मरम्मत का तत्काल करना है इसलिए कांट्रैक्ट नॉमिनेशन पर देने का प्रस्ताव भी था। मुहर्रम तो हर साल आता है। अगर इस मरम्मत कार्य का संबंध मुहर्रम पर्व से है तो यह तत्काल प्रभाव वाला

कार्य नहीँ हो सकता था।फिर भी परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए मैंने शार्ट नोटिस टेंडर के जरिए काम करने के निर्देश जारी किए। कुछ ही घंटों के पश्चात वह फाइल लौट आई, शॉर्ट नोटिस टेंडर में होने वाली कठिनाइयों के विस्तृत ब्यौरे के साथ। उसमें नॉमिनेशन पर अनुमोदन की मांग भी की गई थी। मुझे इस नॉमिनेशन के प्रस्ताव में किसी धूर्तता की भनक लग रही थी। इसलिए मैंने स्वयं इस सड़क की जाँच करने का निश्चय किया। जाँच करने पर मैं आश्चर्यचकित रह गया, जिस रास्ते से मुहर्रम का जुलूस निकलना था, उस पूरे रास्ते में कंक्रीट ढली पक्की सड़कें थी। किसी भी प्रकार के मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीँ थी। मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि वह एक फेक ऐस्टिमेट है, जो पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। छानबीन करने पर चीफ इंजीनियर ने मुझे बताया, ''सर, मुहर्रम के अवसर पर यह एस्टिमेट हर साल बनाया जाता है और इसमें जितने पैसे अनुमोदित होते हैं, वे स्थानीय राजनेताओं को बाँट दिये जाते है।''

इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण है। एक जाँच के दौरान ठेकेदारों और इंजीनियरों की मिली-भगत का मामला सामने आया। हैदराबाद के सम्पन्न रिहायशी बंजारा हिल की मुख्य सड़क के बड़े नाले पर डैक स्लैब डालने का कार्य हाल ही में खत्म हुआ था। एक साल भी पूरा नहीँ हुआ होगा कि डैक स्लैब टूट-टूटकर गिरने लगा।आपको जानकार आश्चर्य होगा कि जब अधिकारियों की एक टीम सैंपल लेने गई तो उन्हें स्लैब की पूरी मोटाई का एक भी सैंपल नहीँ मिल पाया। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इतनी खराब थी कि सैंपल टूटकर बिखर जाता था और नाले में गिर जाता था। बहुत ही मुश्किल से कंक्रीट के कुछ टुकड़े इकट्ठे हुए, जिसे प्रयोगशाला में भेजा गया, जिनके परिणाम चौंकाने वाले थे। चैक मेजरमेंट में स्लैब की मोटाई निर्धारित मोटाई की केवल 60 प्रतिशत पाई गई और निर्माण में लगे सीमेंट और स्टील एस्टिमेट का केवल अंशमात्र था।

इन दो उदाहरणों ने मेरी आँखें खोल दी थी। जैसे-जैसे मैंने हैदराबाद नगर निगम के क्रियाकलापों को और बारीकी से देखना शुरू किया,वैसे-वैसे मैंने देखा कि चारों तरफ कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार फैला हुआ था। संपत्ति कर का आकलन और संग्रह पूरी तरह से मनमर्जी से होता था। कर निर्धारण के लिए कोई सुनिश्चित नियम नहीँ थे। कर निर्धारण की राशि कर अधिकारी की मनमर्जी पर निर्भर थी। समान भवनों पर लगाए जा रहे करों में 500 प्रतिशत से ज्यादा अंतर था। कूड़ा-कचरा उठाने का काम पूरी तरह से अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा था और सफाई कर्मियों के लिए अस्वास्थ्यकर भी और साथ ही साथ, ईंधन की जबर्दस्त चोरी हो रही थी। वैज्ञानिक तरीकों के अभाव में ओवरलोडेड ड्रेनेज सिस्टम चोक हो रहा था। सिटी प्लानिंग तो सिर्फ बिल्डिंग रूल्स रिलेक्स करने तक ही सीमित रह गया था।

हैदराबाद नगर निगम के अलग-अलग डिवीजनों की कार्य पद्धति का विस्तृत अध्ययन कर मैंने कुछ ठोस कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को हमारे इंजीनियरों को सड़क निर्माण का प्रशिक्षण देने का जिम्मा दिया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस

को संपत्ति-कर के आकलन एवं संग्रहण के काम को कंप्यूटरीकृत करने का ठेका दिया गया। संपत्ति कर के वैज्ञानिक ढंग से निर्धारण के लिए भवनों का वर्गीकरण स्थान,विस्तार और निर्माण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से सफाई कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया गया। साथ ही साथ, नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन से कम कीमत वाली तकनीकी से गंदी बस्तियों में पक्के घर बनाने के लिए संपर्क स्थापित किया गया।

जनवरी 1983, आंध्रप्रदेश विधान सभा के चुनाव संपन्न। श्री एन.टी. रामाराव ने एक नई पार्टी 'तेलुगु देशम' का गठन किया और दो मुद्दों पर चुनाव लड़े। पहला, तेलुगु लोगों के आत्म-स्वाभिमान की रक्षा और दूसरा, सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन। निर्वाचन में उन्हें आशातीत सफलता मिली और उनकी सरकार बनी।

मुझे नगर निगम में काम करते हुए तीन ही महीने हुए थे। 'भ्रष्टाचार उन्मूलन' वाले सरकार के नारे ने मेरे भीतर एक नया जोश भरा था,क्योंकि यह नारा मेरी नैसर्गिक विचारधारा से मेल खाता था। मैंने अपने स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त होमवर्क किया और गतिविधियों पर एक समेकित प्रतिवेदन तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही साथ, मैंने अपनी जाँच के आधार पर कुछ इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही करने की सिफारिश भी की। नई सरकार आ जाने से मैं ज्यादा खुश था। मेरा पूर्ण विश्वास था कि नए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नियंत्रण में मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। इस विश्वास का कारण भी था, भ्रष्टाचार उन्मूलन का नारा श्री एन.टी. रामाराव की चुनाव सफलता का मुख्य कारण था।
किन्तु ऐसा नहीं हुआ,जिन अधिकारियों के खिलाफ मैंने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिखा था, उन पर कार्यवाही करने के बजाए फरवरी 1983 में बिना कोई वैकल्पिक पोस्ट दिए हैदराबाद नगर निगम से मेरा स्थानांतरण कर दिया गया। मुझे असत्य की जीत होते हुए नजर आने लगी। मैंने अपने स्थानांतरण के कारणों की पृष्ठभूमि जानने के लिए नगर निगम प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री एस.एन. अचंता से मुलाकात की। यह सारा घटनाक्रम देखकर उन्हें खुद आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझे कहा, ''जब तक मैं मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत नहीँ कर लेता हूँ तब तक तुम अपना चार्ज किसी को मत देना। वे दोनों इस समय दिल्ली में हैं।''

उनसे मिलकर जब मैं अपने ऑफिस लौटा तो मैंने देखा कि मेरी टेबल पर एक दूसरा आर्डर पड़ा हुआ था, जिसमें मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं बिना मेरी पोस्टिंग का इंतजार किए तत्काल प्रभाव से 1976 बैच के आईएएस अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को अपना चार्ज हैंडओवर कर दूँ। यह नया परिवर्तन देख कर मैंने श्री अचंता जी से टेलीफोन पर बातचीत की,''सर, मुझे तुरंत चार्ज हैड ओवर करने की इजाजत दें। मैं कभी नहीँ चाहूँगा कि ट्रांसफर आर्डर मिल जाने के बाद भी मैं इस पोस्ट को चिपका रहूँ।"' श्री अचंता जी ने कोई उत्तर नहीँ दिया।

हैदराबाद नगर निगम की स्पेशियल ऑफिसर एवं कमिश्नर की पोस्ट एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठाजनक मानी जाती थी। इस पोस्ट को पाने के लिए कोई भी अधिकारी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहेगा, मगर श्री आर.पी. सिंह ने ऐसा नहीँ किया। बल्कि बकायदा मुझसे मिलकर वह बोले,''अगर आप चाहे तो अपना ट्रांसफर कैंसल करवा सकते हैं। मुझे ज्वाइन करने की कोई जल्दी नहीँ है। मैंने उत्तर दिया ''नहीँ, धन्यवाद। मैंने पहले से ही चार्ज हैण्डओवर करने का तय कर लिया है। आप अपनी पोस्ट संभालें।''

श्री आर.पी. सिंह जैसे पर्सनल इंटीग्रटी वाले ऑफिसर लाखों में एकाध ही मिलते हैं। ऐसे ऑफिसर हैदराबाद नगर निगम में कहाँ टिक पाते। जल्दी ही छः-सात महीनों के अंदर-अंदर उनका भी वहाँ से तबादला हो गया। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा लोक प्रशासन सिद्धान्तों और मूल्यों के साथ समझौता नहीँ करने वाले अधिकारियों को सहन नहीँ कर पाता है। करता भी कैसे सहन? ऐसे अधिकारी उनके कमाने के रास्ते में अवरोध जो बन जाते हैं ।

मैं नगर निगम में लगभग सोलह घंटे रोज काम करता था। सुबह पाँच बजे से लेकर नौ बजे तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में सफाई कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण,नौ बजे घर आकर नाश्ता और फिर साढ़े दस बजे से रात दस बजे तक ऑफिस। चार महीनों तक शायद ही मैंने अपनी बेटी को खेलते हुए देखा होगा या गले लगाया होगा। मेरी पत्नी भी इस तरह की ड्यूटी से खुश नहीँ थी, मगर वह मेरा सहयोग कर रही थी, यह सोचकर कि आखिरकार लोगों की भलाई का कार्य हो रहा है। मगर निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कार्य करने का यह फल? मगर मेरे संस्कार थे, मेरी प्राणवायु सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह। मुझे सब-कुछ मंजूर था, मगर अपने सिद्धान्तों के साथ समझौता कभी भी नहीँ।

आज भी मुझे समझ में नहीँ आ रहा है कि मेरे इस ट्रांसफर के पीछे क्या कारण रहे होंगे। श्री एन.टी. रामाराव तो राजनीति के नए खिलाड़ी थे और नगर निगम प्रशासन के मंत्री भी। उन्हें मेरे बारे में क्या पता होगा? उन्हें हैदराबाद नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की भी कोई जानकारी नहीँ थी? मुझे लगता है मेरे द्वारा उठाए गए त्वरित भ्रष्टाचार उन्मूलन कदमों से अवश्य वहाँ के भ्रष्टाचारियों में खलबली मची होगी और उन्होंने मेरे ट्रांसफर की रणनीति बनाई गई होगी। बिना वैकल्पिक पोस्टिंग दिए किसी का ट्रांसफर होता है? क्या किसी को तुरंत चार्ज हैण्डओवर करने के निर्देश दिए जाते हैं? इस तबादले से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। ऐसा लग रहा था मानों मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो,जिसकी सजा मुझे दी गई। मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट चुका था।आईएएस की नौकरी छोड़कर फिर से जियोलोजिस्ट की नौकरी करने की सोचने लगा था। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में जियोलोजिस्ट की नौकरी क्या खराब थी? आईएएस की नौकरी में मैंने ऐसा क्या विशेष पा लिया? मन के भीतर एक गहरा अन्तर्द्वन्द्व चल रहा था। मैं अपने अपमान-बोध का बदला लेना चाहता था। भारतेन्दु हरिश्चंद्र के नाटक

"अंधेर नगरी" की प्रसिद्ध उक्ति 'अंधेर नगरी अनबूझ राजा। टका सेर भाजी टका सेर खाजा। ' स्मृति पटल पर तरोताजा हो गई। नाटक के लेखक ने ठीक ही तो लिखा था, जहां अनबूझ यानि चौपट राजा हो,वहाँ किसी नागरिक को नहीं रहना चाहिए।

सरकार के कार्मिक प्रबंधन की स्कीम के अंतर्गत आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और कैडर मैंनेजमेंट आदि मामलों के लिए मुख्य सचिव उत्तरदायी होते हैं। जब मेरी हैदराबाद नगर निगम में पोस्टिंग हुई थी तब श्री बी.एन.रामन मुख्य सचिव थे और जब मेरा वहाँ से स्थानांतरण हुआ,तब भी वही मुख्य सचिव थे। चार महीनों के भीतर मेरे इस तरह असंगत स्थानांतरण के कारणों को जानने के लिए मैं उनके पास गया। मगर उन्होंने मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीँ दिया, केवल इतना ही कहा, ''मि. पारख, आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार राज्य सरकार के पास है और इन मामलों में सरकार की बुद्धिमत्ता के बारे में किसी तरह का सवाल नहीँ उठाना चाहिए।'' मैं मुख्य सचिव के ऐसे असंतोषजनक उत्तर से असंतुष्ट था। ऐसा रुक्ष उत्तर? क्यों हमें इन कारणों को जानने का भी अधिकार नहीँ है, जिसकी वजह से एक आत्म स्वाभिमानी अधिकारी के दिल को ठेस पहुँची हो! मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का तय किया। कई बार अनुरोध करने के बाद भी मुख्यमंत्री को मुझसे मिलने का समय नहीँ मिला। रह-रहकर मुझे मेरे पहले मुख्यमंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के शब्द याद आने लगे, जो उन्होंने कभी हमें हमारे प्रोबेशन पीरियड के दौरान कहे थे- ''जब आपके पास कोई समस्या हो तो आप बेहिचक मेरे घर आ सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले मिलेंगे।''

आज मेरे पास समस्या थी, मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था। मगर उनके दरवाजे कई बार खटखटाने के बाद भी नहीँ खुल रहे थे। शायद वे मेरे लिए अपना दरवाजा खोलना ही नहीँ चाहते थे। कहाँ गए वे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने दरवाजे खुले रखने का आश्वासन दिया था? समय कितनी रफ्तार से बदल गया था? कितने जल्दी बदल गए थे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उनका व्यवहार, आचरण और देश प्रेम? ऐसे भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव थे, जिन्होंने मुझे अपने विश्वास में लेकर मेरा स्थानांतरण किया था और एक ऐसा भी समय, जब अनेक बार दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री मुझसे मिलना नहीँ चाह रहे है और मुख्य सचिव मेरे असामयिक स्थानांतरण का कारण बताना नहीँ चाहते हैं। मेरे मन में रह-रहकर यह ख्याल मंडरा रहा था कि अगर कोई ऊपरी दबाव था तो उसे रोकना और मुख्यमंत्री को सही सलाह देना तो मुख्य सचिव का उत्तरदायित्व बनता है।मगर मुख्य सचिव ने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया।या मुख्यमंत्री के सामने उनकी जुबान नहीँ खुली? मैं सरकार की कार्मिक नीतियों को कठघरे में खड़ा करना चाहता था। ऐसी कार्मिक नीतियों का क्या फायदा, जिनके कारण जनहितार्थ किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना, परिकल्पना और कार्यान्वयन के लिए समुचित समय भी नहीँ दिया जाता हो। "रोम वाज नॉन बिल्ट इन ए डे।" समय लगता है। हर चीज में समय लगता है।

इन्हीं विद्रोही विचारों के प्रकाश पुंज की परिकल्पना को कंपायित करते हुए मैंने इस संदर्भ में मुख्य सचिव को पत्र लिखा (परिशिष्ट 6-1) और उसकी एक कॉपी प्रेस में प्रकाशित होने के लिए दे दी (परिशिष्ट 6-2) ताकि लोगों की नजरों में आते ही इस मुद्दे पर आम-बहस शुरू हो सके। यह सरकार की नजरों में मेरा पहला विद्रोह था, मगर मेरी अपनी नजरों में महात्मा गांधी की जीवनी "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" में वर्णित उनके प्रयोगों की तरह मैं भी सत्य और न्याय के लिए एक अभिनव प्रयोग कर रहा था।

दो दिन भी पूरे नहीँ हुए होंगे कि मेरे इस अभिनव प्रयोग ने रंग लाया। हैदराबाद से निकलने वाले सारे अखबारों में मेरा पत्र मुख्य हेड लाइन सहित छपा। जैसे ही खबर प्रकाशित हुई, वैसे ही उस पर तीव्र पब्लिक डिबेट शुरू हो गई। मगर अभी भी सरकार के कानों पर जूँ तक नहीँ रेंगी। पहले मैंने नौकरी से इस्तीफा देने के बारे में सोचा था। मगर मेरे इस्तीफा देने से क्या हो जाता? क्या सरकार द्रवित होकर अपनी कार्मिक नीतियाँ बदल देती? मुझे ऐसा परिवर्तन होता हुआ दूर-दूर तक नजर नहीँ आ रहा था। फिर मैंने सरकार से संघर्ष करने का संकल्प किया। मैंने जाने-माने कानून एवं संविधान विशेषज्ञ श्री एल.एम. सिंघवी से इस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक पत्र लिखा। (परिशिष्ट 6-3) पत्र की विषय वस्तु थी - मेरी मानसिक प्रताड़ना ओर जनहित के विरोध में काम करने वाली सरकार के खिलाफ रणभेरी बजाने का औचित्य। डॉ. सिंघवी ने मुझे सलाह दी कि जैसा तुम सोच रहे हो, वह सब ख्वाबी पुलाव है, दिवा-स्वप्न हैं, उनके साकार होने या सफलीभूत होने की संभावना नगण्य है क्योंकि भारत में 'लॉ ऑफ टॉर्ट' बहुत ही कमजोर है। इसके अतिरिक्त, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त पैसों की भी जरूरत होती है जो कि तुम्हारे पास नहीँ है। उन्होंने मुझे यथार्थता का एक पारदर्शी दर्पण दिखा दिया। (परिशिष्ट 6-4)। मैंने उनकी सलाहों पर गहन मनन किया और उनकी बातों को शिरोधार्य करने से सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की इच्छा जाती रही। मगर राज्य सरकार के साथ काम करने की इच्छा भी समाप्त हो गई थी, इसलिए मैंने सैंट्रल डेपुटेशन पर जाना ज्यादा उचित समझा। मैं उस पल का इंतजार करने लगा।

मुख्य सचिव को लिखे गए मेरे पत्र के प्रेस में रिलीज होने से सरकार काफी नाराज हुई थी। ऑल इंडिया सर्विस (कैडर) रुल्स 1968 के नियम 6 तथा 7 (1) के उल्लंघन करने के कारण मुख्य सचिव श्री बी.एन.रामन ने मुझसे स्पष्टीकरण माँगा (परिशिष्ट 6-5)। उपरोक्त नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी ऐसे तथ्य को सलाह प्रेस में नहीँ दे सकते, जिनके कारण सरकार की किसी कार्यवाही या नीतियों पर विपरीत अथवा आलोचनात्मक प्रभाव पड़ रहा हो। मैंने सरकार को अपना स्पष्टीकरण देते हुए एक लंबा चौड़ा जवाब भेजा कि उसके पत्र के कारण सरकार की कहीँ भी नकारात्मक आलोचना नहीँ हुई हैं, बल्कि सकारात्मक विस्तृत विवेचना अवश्य हुई है, जिसे आप सकारात्मक आलोचना भी कह सकते हैं। मैंने यह भी लिखा कि अगर सकारात्मक आलोचना की वजह से कहीँ कंडक्ट रुल्स का उल्लंघन होता है तो मुझे लगता है कि हमें अपने नियमों को बदलने की जरूरत हैं। (परिशिष्ट 6-6)।

क्या उत्तर देती सरकार? सरकार निरुत्तर थी, उनके पास कोई जवाब नहीँ था मुझे संतुष्ट करने के लिए। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीँ आने के कारण मुझे इस बात का अंदाज होने लग गया था कि मेरे खिलाफ सरकार कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीँ करेगी। शायद उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया कि मुझसे स्पष्टीकरण मांगना कोई सही कदम नहीँ होगा। हिन्दी के प्रसिद्ध राजनैतिक कवि नागार्जुन की कविता 'शासन की बंदूक' की अंतिम पंक्तियाँ यहाँ पर एकदम सही लग रही थी:-

जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक
बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक।

कई दशक बीत गए। मैंने और ऐसे आक्रामक क्रांतिकारी पत्र नहीँ लिखें। संपूर्ण देश में परिस्थितियाँ सुधरने के बजाय खराब होती जा रही हैं। आज भी मैं आशा की उस उज्ज्वल किरण की तलाश में बैठा हूँ कि कब हमारे देश में ऐसा सूर्योदय होगा, जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को सिविल सर्विस लॉ पारित करने तथा अपनी मानव संसाधन नीति में वांछित परिवर्तन लाकर अधिकारियों की हर पोस्ट पर न्यूनतम अवधि निश्चित करने का निर्देश दें।

7. आंध्रप्रदेश डेयरी विकास निगम : भंवर चकरी

जैसा कि पूर्व अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हैदराबाद नगर निगम से अकारण आकस्मिक स्थानांतरण के कारण न केवल मेरा आईएएस की नौकरी से मोहभंग हो गया था, वरन् राज्य सरकार में काम करने से भी मन ऊब गया था। इसलिए मैंने सैंट्रल डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर लिया। सन् 1983 की अंत में मेरी पोस्टिंग पेट्रोलियम मंत्रालय में हुई। वहाँ का कार्यकाल पूरा होने के वाद अप्रैल 1988 को मैं फिर से अपने राज्य कैडर में लौट आया।

पुनः जब मैं राज्य कैडर में लौटा तो उस समय भी मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामाराव ही थे। प्रोटोकाल के अनुसार मैं उनसे मिलने गया। बातचीत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई। मेरे दृष्टिकोण में वह एक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं मगर अच्छे प्रशासक नहीं। मगर आज मुझे वे काफी सहृदय नजर आने लगे। उन्होंने मुझे मेरे मनपसंद काम के बारे में पूछा। मेरे लिए किसी भी काम के प्रति ऐसी कोई विशिष्ट रुझान वाली बात नहीं थी, मैंने कहा, ''जो भी कार्य मुझे सरकार देगी, उसमें मैं खुश रहूँगा।''

मई 1988, इस महीने में मेरी पोस्टिंग आंध्रप्रदेश डेयरी विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में हुई। यह निगम, अमूल के बाद डेयरी क्षेत्र में हमारे देश की दूसरी बड़ी ईकाई थी और अच्छा काम कर रही थी। अभी तक मैं इस निगम के क्रियाकलापों से पूरी तरह अभिज्ञ भी नहीं हुआ था, तभी मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी.एल. संजीव रेड्डी ने मेरे पास एक उदद्योगपति को भेजा, जिनके पास नियंत्रित वातावरण में चारा बनाने के उपकरण यानि इनडोर फॉडर मशीन तथा उसकी तकनीकी बेचने का प्रस्ताव था। वे चाहते थे कि डेयरी विकास निगम उनके ये उपकरण खरीदे तथा चारा और दूध बेचने वाले किसानों को बेचे। उन्होंने एक प्रजेंटेशन भी दिया, जिसमें यह दर्शाया गया था कि उस तकनीकी से हरा चारा एक रुपये प्रति किलो के भाव से पैदा किया जा सकता था।

मैंने उन्हें समझाया कि हमारे राज्य के छोटे किसान हरा चारा नहीं खरीदते हैं। फसल काटने के बाद जो भूसा बच जाता है, वे अपने मवेशियों को वही खिलाते हैं और मुख्य फसल काटने के बाद अपने खेतों में जो हरा-भरा चारा उगता है, उसे वे खिलाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता हैं कि आपके उपकरणों द्वारा बना हरा चारा ये लोग खरीदेंगे। निगम के लिए इस कीमत पर चारे को बेचना मुश्किल होगा। मैंने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नॉमिनल लीज पर हमारे कुछ चिंलिग सेंटर पर जमीन देने की पेशकश की। बेहतर यह रहेगा कि पहले आप अपने खर्च पर हमारे दो-तीन चिलिंग प्लांट पर ऐसे संयंत्र लगाएँ और उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी तथा मार्केट पोटेन्शियल सिद्ध करें। उसके बाद निगम यह तकनीकी और उपकरण खरीद सकता है। मगर वे मेरी बात कहाँ मानने वाले थे? उनका प्रस्ताव

स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से दो-तीन बार फोन आया, मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने मुख्यमंत्री के सचिव को सूचित कर दिया कि प्रत्यक्षतः यह प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से वायबल नहीं है और मैंने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी उन्हें बता दिया।

जुलाई 1988, अंतिम सप्ताह। डेयरी विकास निगम में चार महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि मेरे स्थानांतरण के आदेश आ गए। मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्या उस चारा मशीन और मेरे स्थानांतरण के बीच कोई गहरा संबंध था?

8. गोदावरी फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल लिमिटेड: एक चतुर सियार बड़ा होशियार

1990, अगस्त महीना। मैं इस कंपनी का मैंनेजिंग डायरेक्टर बना। सरकार ने इस कंपनी को इफको के साथ प्रमोट किया था, काकीनाड़ा में एक उर्वरक संयंत्र बैठाने के लिए। यह संयंत्र डाई अमोनियम फास्फेट का था। इसमें आंध्रप्रदेश सरकार की भागीदारी 26 प्रतिशत, इफको की भागीदारी 25 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत पब्लिक की भागीदारी थी। दूसरी सरकारी उपक्रमों के निदेशक सामान्यतया राजनैतिक पेट्रोनेज से नियुक्त होते हैं,किन्तु जीएफ़सीएल में ऐसा नहीँ था। इसके सभी डायरेक्टर बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर थे। डॉ. एन. भानुप्रसाद (ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन), श्री के.के. पिल्लई (वीएसटी कंपनी के पूर्व मैंनेजिंग डायरेक्टर) आदि। एक अत्यन्त ही उत्कृष्ट अधिकारी श्री एम. गोपाल कृष्ण इस कंपनी के पहले मैंनेजिंग डायरेक्टर बने, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर चालू होने तक। इफको और राज्य सरकार दोनों मिलकर मैंनेजिंग डायरेक्टर समेत सारे बोर्ड की नियुक्तियाँ करते थे। हमेशा यह ध्यान रखा गया कि कंपनी का संचालन किसी सक्षम बोर्ड द्वारा हो।

श्री गोपाल कृष्णन ने प्लांट लगाने के साथ अच्छे अधिकारियों और अच्छे कामगारों की नियुक्ति का श्रेष्ठ कार्य किया। उन्होंने उत्पाद के ब्रांड का एक सुन्दर नाम भी रखा - ‘गोदावरी’।अत्याधुनिक संयंत्र तो लग गया, मगर कुछ ही समय बाद उसे किसी की नजर लग गई और वह कंपनी एक गंभीर संकट में पद गई। पता नहीँ क्यों, मोरक्को के साथ हमारे देश के संबंध खराब हो गए, इस वजह से डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी उर्वरक बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल फास्फोरिक एसिड का आयात अचानक बंद हो गया। मोरक्को की भारत में फॉस्फोरस एसिड वितरण करने की करीब-करीब मोनोपोली थी। ऐसे समय मैंने यह कंपनी ज्वाइन की। आयातित कच्चे माल की कमी के कारण बहुत कम मात्रा में डीएपी यानि उर्वरक बनाया जा रहा था। इस अवस्था में मैंने अपना सारा ध्यान आयातित फर्टिलाइजर्स की मार्केटिंग की तरफ लगाया। आयात किए गए उर्वरक की मात्रा का निर्धारण बीओएल अर्थात् बिल ऑफ लैंडिंग और सर्वे के आधार पर होती है। भुगतान करने लगे, भले ही, उर्वरक की वास्तविक मात्रा अनलोडिंग के समय थोड़ी-बहुत कम या ज्यादा हो सकती है। अगर वास्तविक मात्रा बीओएल मात्रा से कम निकलती तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लैम कर सकते हैं और अगर माल ज्यादा निकल जाता है तो वह हमारे लिए बोनस हो जाता और स्वतः ही कंपनी के लाभ में जुड़ जाता है।

कहते हैं कि जो ऊपरी कमाई कमाना चाहे तो वह समुद्री लहरों को गिनकर भी कमा सकता है।ऐसा अकबर-बीरबल के किस्सों में आता है कि एक भ्रष्टाचारी सुरक्षा प्रहरी को अकबर ने

हटाकर समुद्र किनारे लहरों को गिनने के लिए लगा दिया। जब कोई जहाज उधर से गुजरता, वहाँ लंगर डालता तो बादशाह का नाम लेकर उनसे घूस कमाने लगा। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ।

कंपनी द्वारा मंगाए गए अधिकांश शिपमेंटों की मात्रा बीओएलक्यू के आसपास थी। एक शिपमेंट में हमें एक प्रतिशत से भी ज्यादा मात्रा मिली, हमारे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने सोचा, आखिरकार कुछ तो कंपनी को अतिरिक्त लाभ होगा। एक प्रतिशत लाभ भी क्या कम होता है ? मगर ऐसा हुआ नहीं। कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेन्ट एक जनरल मैनेजर मैनेजर के अधीन था और, उनके सहयोग के लिए एक चीफ मार्केटिंग मैनेजर नियुक्त किया हुआ था। चीफ मार्केटिंग मैंनेजर बहुत ही बुद्धिमान था,मगर यह मुझे पता न था। कंपनी के मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था कि वह बहुत धूर्त भी था।

जैसे ही उसे शिपमेंट में ज्यादा मात्रा आने की खबर मिली, समुद्र की लहरें गिनने वाले प्रहरी की तरह वह भी अपने ताने-बाने बुनने लगा। उसने कंपनी के बड़े मार्केट उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के हमारे बड़े विक्रेताओं से साँठ-गाँठ करना शुरू कर दिया। लखनऊ और भोपाल के हमारे मैनेजरों को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। और उनसे मिलकर झूठी रिपोर्ट मंगाना शुरू किया कि आयातित उर्वरक के बोरे में 2 से 3 किलोग्राम कम माल मिल रहा है और उन बोरों का मानकीकरण के लिए अर्थात् 50 किलोग्राम करने के लिए कुछ माल मिलाना पड़ेगा। उसने मेरे पास एक नोट भेजा,जिसमें उसने लिखा कि रवि फसल की बुवाई का काम करीब-करीब खत्म होने जा रहा है। और अगर मानकीकरण के बाद सारा स्टॉक तुरंत खत्म नहीं किया गया तो हमारे पास अनबिके माल की अगले साल भर के लिए पर्याप्त इंवेंटरी बच जाएगी।

श्री पी. बालासुबहमण्यम,हमारी कंपनी में महाप्रबंधक (वितरण) थे।उन्हें काकीनाड़ा बंदरगाह पर अनलोडिंग और बैग भरने का काम दिया गया था। वे बहुत ही काबिल और ईमानदार अधिकारी थे। इसके अतिरिक्त,वहाँ काम कर रहे हमारी कंपनी के स्वीडोर एजेंट की रेपुटेशन ही बहुत अच्छी थी, इस वजह से वहाँ गड़बड़ घोटाला होने की आशंका बहुत ही कम थी।मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति बनी कैसे? फिर भी मैंने समय की मांग देखते हुए मानकीकरण के आदेश दिए और सारी प्रक्रिया की जाँच करने हेतु हैदराबाद से कुछ अधिकारी उतरप्रदेश और मध्यप्रदेश भेजे।

मैंने खुद दो हमारे बड़े विक्रय केन्द्र इलाहाबाद और वाराणसी जाने का तय किया। जब मैं वाराणसी पहुँचा तो चीफ मार्केटिंग मैनेजर मुझे एयरपोर्ट पर मिले। वाराणसी धार्मिक स्थान है। मुझे पहले वहाँ विश्वनाथ मंदिर ले जाया गया, जहाँ आधा दिन तो पूजा-पाठ में ही बीत गया। उसके बाद हम दो डीलरों के गोदामों के निरीक्षण के लिए गए। मेरे सामने कुछ बोरों

को तोला गया। सबमें दो-तीन किलोग्राम माल कम निकला। शाम की फ्लाइट से हम लोग इलाहाबाद पहुंचे।अगले दिन सुबह वहाँ के एक डीलर के गोदाम का निरीक्षण किया गया। वहाँ भी तोले गए थैलों में माल दो-तीन किलोग्राम माल कम था। मन कुछ शंकित लग रहा था। मैं चाहता था कि एक डीलर के गोदाम का निरीक्षण बिना पूर्व सूचना के किया जाए। यहाँ भी सियार की चतुराई रंग लाई। उसने मुझसे कहा,''दूसरा डीलर नदी के उस पार रहता है। उधर जाने के लिए हमें एक तंग-पुल से होकर गुजरना पड़ेगा। तंग-पुल पर अधिकांश समय ट्रैफिक जाम रहता है। अगर हम वहाँ चले भी गए तो आपके फ्लाइट छूटने की संभावना बनी रहेगी।''

जैसे ही मैं हैदराबाद पहुँचा, वैसे ही श्री सुब्रमण्यम, महाप्रबंधक (वित्त) मुझसे मिले और कहा ,''मेरे एक अधिकारी ने खबर दी है कि आपका दौरा मेनिपुलेट किया गया है। वहाँ न तो बोरों में किसी प्रकार की कमी पाई गई हैं और न ही वहाँ किसी भी प्रकार का मानकीकरण किया जा रहा है। यह एक महज "षड्यंत्र" है। चीफ मार्केटिंग मैंनेजर ने अपने एजेंटों और फील्ड स्टॉफ वालों के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी।''

महाप्रबंधक (वित्त) से सारी कहानी सुनने के बाद मेरी आँखों के सामने वाराणसी और इलाहाबाद के सारे दृश्य याद आने लगे। विश्वनाथ मंदिर, पूजापाठ, तंगपुल, पहली पंक्ति में कम वजन वाले बोरे.......सब-कुछ एक-एककर मेरे मानस पटल पर ज्यों के त्यों गुजरने लगे। अब समझ में आया कि मुझे इलाहाबाद के दूसरे डीलरों के निरीक्षण को फ्लाइट छूटने के बहाने रोका गया। अप्रत्यक्ष मुझे गुमराह किया जा रहा था। मन ही मन मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा था।

तुरंत मैंने चीफ मार्केटिंग मैनेजर को वापस हैदराबाद बुलाया और उसके बाद मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस के महाप्रबंधकों की एक टीम उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश भेजी, सही तथ्यों की खोज करने के लिए। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उत्तर भारत के बाजार में उर्वरक के सारे बोरों में मात्रा एकदम ठीक थी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई। उन्होंने यह भी लिखा कि चीफ मार्केटिंग मैंनेजर ने दिल्ली के रीजनल मैनेजर, लखनऊ और भोपालऔर के मैनेजर उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के कंपनी के एजेंटों की मिली भगत से यह साजिश रची गई थी।

साजिश का पर्दाफाश होने के बाद मैंने तुरंत चीफ मार्केटिंग मैंनेजर और दिल्ली,भोपाल और लखनऊ के मैनेजरों को उनके उत्तरदायित्वों से अलग करके उनका हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया। मैंने इस कमेटी को सारी संक्रियाओं की जाँच करने के आदेश दिए, शिप से उतारने से लेकर नार्थ इंडिया के मार्केट में डीलरों तक उर्वरक पहुँचाने तक की।

मेरे लिए फिर से आत्मावलोकन का पल था। मैं सोच रहा था, जिस तरह से एक चुंबक लोहे के कणों को अपनी तरफ खींचता है ठीक इसी तरह से सीनियर रैंक का एक भ्रष्ट अधिकारी

अपने अधीनस्थ सारे अधिकारियों को भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित करता है। यही नहीं, बहुत ही कम समय में वह किसी संस्थान की सारी सोपानिकी को गलत कार्यों के लिए प्रेरित कर भ्रष्टाचार के सेसपूल की ओर खींच ले जाता है।

मेरा अंतर्द्वन्द्व अभी तक खत्म नहीं हुआ था। कितने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करता, चीफ मार्केटिंग मैनेजर का साथ निभाने के लिए? मेरे इस कदम से कहीं कंपनी पंगु न हो जाए, इस बात का भी मुझे डर था। क्या करूँ या क्या न करूँ? एक विकल्प यह था कि कंडक्ट रुल्स के तहत औपचारिक जाँच कर दोषी व्यक्तियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मगर जाँच की यह प्रक्रिया भी इतनी छोटी नहीं है। कम से कम छः-सात महीने लग जाएंगे। तब तक क्या मार्केटिंग जैसे महत्त्वपूर्ण पोस्ट को खाली रखा जा सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तब क्या किया जा सकता था?

दूसरा विकल्प यह था कि- कदाचार में लिप्त अधिकारियों को नोटिस की एवज में तीन महीने की तनख्वाह देकर सीधे नौकरी से हटा दिया जाए। मगर इस विकल्प की भी अपनी सीमाएँ थी। कहीं वे लोग कानून की शरण न ले लें। कहीं हाईकोर्ट इस आदेश पर स्टे-आर्डर जारी न कर दें। अगर मामला कोर्ट में चला गया तो बहुत सालों के लिए खींचा जाएगा। हमें और ज्यादा दिक्कतें होंगी। कुछ भी ठोस निर्णय पर मैं नहीं पहुँच पा रहा था। अभी तक इस उलझन से उभर भी नहीं पाया था कि हैदराबाद के अखबारों में मेरे और महाप्रबंधक (वितरण) के खिलाफ आयातित उर्वरक में एक करोड़ की धाँधली करने के आरोप वाली खबर छपी। इस खबर में दो विधायकों ने मुख्यमंत्री से हमारे खिलाफ सीबीआई जाँच करवाने की माँग की थी।

यह खबर पढ़कर मैं सन्न रह गया। ऐसे घिनौने आरोप, वे भी विधायकों द्वारा! इन विधायकों को न तो मैं जानता था और न ही महाप्रबंधक (वितरण)।कमापनी का काम समझने के लिए न वे कभी मुझसे मिले और न ही कभी किसी ऑफिसर से।चतुर सियार ने अवश्य यह चाल खेली है। जरूर चीफ मार्केटिंग मैंनेजर ने उन्हें भड़काया होगा, इसलिए सही तथ्यों को जाने बिना उन्होंने यह कदम उठाया है।चीफ मार्केटिंग मैनेजर ने अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए अपनी कुबुद्धि का प्रयोग किया था। बहुत जल्दी ही यह बात भी समझ में आ गई कि विधायक भी भ्रष्ट आदमियों के हाथों की कठपुतली हो सकते हैं। मैंने कदाचारी अधिकारियों के साथ-साथ विधायकों के खिलाफ कार्यवाही करने का निश्चय किया।

मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नोट प्रस्तुत किया जिसमें निम्न बिन्दु थे -

1- उन विधायकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी और उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर आँच लगाने के लिए आपराधिक मुकदमा दायर किया जाए।

2- उन विधायकों के खिलाफ कचहरी में दस लाख रुपये की मानहानि का दावा ठोका जाए।

इस प्रस्ताव पर बोर्ड पूरी तरह सहमत हो गया, मगर जब कार्यवृत को मुख्य सचिव श्री के.वी.नटराजन (जो कि कंपनी के एक्स-ऑफिसियो चेयरमैन थे) थे के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया तो वे इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि इस बैठक के कार्यवृत्त को श्री विलियम की सलाह लेकर फिर से तैयार किया जाए, क्योंकि वे सरकार की तरफ से बोर्ड का नामित सदस्य है। श्री विलियम ने एक नया कार्यवृत बनाया, जिसमें लिखा गया कि विधायकों के विरुद्ध कार्यवाही चेयरमैन की अनुमति से की जाए। मैं इस कार्यवृत से सहमत नहीं था। इसलिए मैंने सलाह दी कि दोनों कार्यवृत अगले बोर्ड की मीटिंग में रखे जाए ताकि बोर्ड सही निर्णय ले सकें, किंतु श्री नटराजन मेरी सलाह पर भी सहमत नहीँ हुए।

मेरी समझ में नहीं आया कि श्री नटराजन जिन्हें मैं तेज-तर्रार और साहसी अधिकारी के रूप में मानता आया था, आज वह मेरा साथ क्यों नहीँ दे रहे हैं? क्या उन्हें मेरी सत्यनिष्ठा पर किसी प्रकार का संदेह है? मुझे तो आशा थी कि वह उन विधायकों के खिलाफ कार्यवाही करने में मेरी मदद करेंगे, जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे और निराधार आरोप लगाए थे। जबकि उन्होंने विलियम को काकीनाड़ा भेजकर स्वतंत्र जाँच करने के आदेश दिए।
श्री विलियम जांच के लिए काकीनाडा गए और उन्होंने मेरे और बालासुब्रमण्यम के खिलाफ कुछ सबूत खोजने की बहुत कोशिश की। मगर उन्हें ऐसा कुछ भी हाथ नहीँ लगा।
नटराजन के आचरण से मैं स्तब्ध था। संशोधित बोर्ड नोट में मुझे चेयरमैन की सलाह पर कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया था, मगर जब मैंने उनके अनुमोदन के लिए नोट भेजा तो श्री नटराजन ने उसे अनुमोदित करने की बजाय सरकार की सहमति हेतु आगे प्रेषित कर दिया। उनसे सहयोग की ओर उम्मीद ? शायद वह अपने ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने का दायित्व नहीँ लेना चाहते थे। कंपनी में मेरी कार्यावधि 31 जुलाई 1991 को समाप्त होने जा रही थी, उसके कुछ ही दिन पहले नटराजन सेवानिवृत्त हो गए। उनके कार्यकाल में विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं मिली।
इसी बीच मैं ने निर्णय लिया कि जो तीन अधिकारी मानकीकरण के घोटाले में संलिप्त थे। उन्हें तीन अधिकारियों को तीन महीनों के नोटिस देने की एवज में तीन महीने की तनख्वाह देकर टर्मिनेट किया जाए। जैसे ही टर्मिनेशन आर्डर उन दोषी अधिकारियों को दिया गया,वैसे ही उन्होंने स्वयं त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की।
मैं भी यही तो चाहता था। तुरंत उनकी बात पर सहमत हो गया। उसके साथ ही इस विषय पर कोई लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की आशंका ही समाप्त हो गई। नटराजन ने सेवानिवृत्त होने के बाद दलजीत अरोड़ा मुख्य सचिव बने और जीएफ़सीएल बोर्ड के चेयरमैन भी।इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने मुझे विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी।

मैं कोर्ट में केस फाइल करने वाला ही था कि तत्कालीन मुख्य सचिव श्री दलजीत अरोड़ा ने मुझे सलाह दी, इस विधायक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने से कोई खास फायदा नहीँ होने वाला है। फैसला आने में सालों साल लग जाएंगे और ऐसे भी कुछ भी नहीँ कहा जा सकता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। समय और ऊर्जा लगेगी वह अलग से, फिर यह कोई जरूरी नहीँ कि परिणाम मन मुताबिक आएँगे। उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए मैंने विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का विचार छोड़ दिया।

जिस समय मैंने कंपनी छोड़ी, उस समय उसका टर्न अराउंड हो रहा था। उसके सारे संचित नुकसान समाप्त हो चुके थे।कंपनी नुकसान से निकलकर लाभ में आ चुकी थी।सारा संचित नुकसान समाप्त हो गया और पहली बार कंपनी ने लाभांश देने की घोषणा की।कंपनी के लाभ में आने से वेतनमान पुनरावृत्ति के लिए श्रमिकों की आशाएँ बढ़ रही थी। मैनेजमेंट के ऊपर दबाव डालने के लिए श्रमिक संगठन ने हड़ताल की घोषणा कर दी। मैनेजमेंट और यूनियन की कई बैठकों के बाद करीब-करीब सारे मुद्दों पर सहमति हो गई थी। एक मुद्दा जिस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी,वह कंपनी में अनुशासन के संबंध में था। मारपीट और अनुशासन भंग करने के कारण दो श्रमिकों को,जो यूनियन के पदाधिकारी थे,पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल कृष्णन ने बर्खास्त कर दिया था।यूनियन उनकी बहाली पर अड़ी हुई थी।मैं अनुशासन के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहता था
इस संदर्भ में दो बैठकें तत्कालीन श्रममंत्री श्री पी.जर्नादन रेड्डी के साथ हुई। श्री जर्नादन रेड्डी भी कभी श्रमिक नेता हुआ करते थे। वह स्वयं बर्खास्त कामगारों की बहाली पर जोर देने लगे। मैंने उन्हें उनके गंभीर आरोपों के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा, '' यह जानते हुए भी कि उन पर गंभीर प्रकृति के आरोप हैं, फिर भी आप उनकी बहाली पर क्यों आमादा है?''
उन्होंने कहा, ''मैं जानता हूँ, मगर यह मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। अगर राज्य श्रममंत्री होकर दो बर्खास्त कामगारों की बहाली नहीँ करवा सकता हूँ तो श्रमिक लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरा श्रममंत्री बनने से उनका फायदा क्या है?''
प्रत्युत्तर में मैंने कहा, ''श्रममंत्री होने के कारण आपका यह भी दायित्व बनता है कि औद्योगिक इकाइयों में अनुशासन और स्वस्थ कार्य संस्कृति बनी रहे।''
मगर वह मानने वाले कहाँ थे मेरी बात? वह टस से मस नहीँ हुए। आखिरकार मैंने मुख्यमंत्री को जाकर सारी बात समझाई, तब जाकर वह अपनी जिद्द से हटे। मैंने उन्हें कहा कि मैं श्रमिकों के वेतन में और इजाफा करने के लिए तैयार हूं किंतु अनुशासन के विषय में कोई समझौता करना कंपनी के दूरगामी हित में नहीं होगा।मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद यूनियन ने यह मांग छोड़ दी।श्रमिकों की हड़ताल समाप्त हो गई। हड़ताल के तत्कालीन मैनेजमेंट और यूनियन के बीच के कटु संबंध समाप्त हो गए। वेज सेटलमेंट हो गया। आपसी सम्मान और विश्वास लौट आया। यह विश्वास जीतने में एक बाबू से आईएएस बने श्री बालासुब्रह्मण्यम की महत्ती भूमिका रही। वे मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक थे। मेरे सेवाकाल में जितने अधिकारियों ने मेरे साथ काम किया, उनमें यही एक मात्र ऐसे इंसान थे जिनकी सत्यनिष्ठा

पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता था। सही अर्थों में, वह एक दुर्लभ इंसान थे, जो ईमानदार होने के साथ-साथ दक्ष और कारगर अधिकारी भी थे। मुझे उनकी सत्यनिष्ठता पर पूरा भरोसा था और जब विधायकों ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की थी तो मैंने सरकार को लिखा था कि उनकी सत्यनिष्ठता पूरी तरह से विश्वसनीय है और अगर उनके कार्य संपादन में किसी की कमी रह गई है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ।

साँच को आँच कहाँ! यूनियनों ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए मेरे कठोर कदमों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कामगारों व अधिकारियों के हौसलें बुलंद हुए। यूनियन और मैनेजमेंट के बीच मधुर संबंध बनने लगे।काकीनाड़ा और हैदराबाद में दिया गया मेरा फेयरवेल अत्यन्त भावुक और हृदयस्पर्शी रहा। हड़ताल से पहले वाला विद्‍वेष बिलकुल नहीं था। बड़े सम्मान के साथ अधिकारियों,स्टॉफ ओर यूनियन वालों ने मुझे ''रोल ऑफ ऑनर'' प्रदान किया था। क्या वह दिन कभी भूला जा सकता!

अनेक खट्‍टी-मीठी यादों के साथ गोदावरी फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल लिमिटेड में मेरी कार्यावधि एक सुकून के साथ पूरी हुई।

9. उद्योग विभाग : घूस की होम डिलीवरी

अगस्त 1993 में मैंने उद्योग विभाग के कमिश्नर का चार्ज लिया। वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर में भारत की अर्थनीति भी बदलने लगी थी। भारत में कई राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाने लगे। परंतु आंध्रप्रदेश में राजनैतिक स्तर पर ऐसा कोई कदम नहीँ उठाया गया था। अभी भी विभाग में लाइसेंस और परमिट वाली पुरानी मानसिकता बनी हुई थी। आधुनिक दृष्टिकोण का विकास नहीँ हो पा रहा था।

एक दिन शांता बायोटेक (वर्तमान में एनोफी एसए की अनुषंगी कंपनी) के संस्थापक श्री वर प्रसाद रेड्डी मुझसे मिलने आए थे। वह अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए अल्कोहल का लाइसेंस लेना चाहते थे।इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर को इसके लिए उनके औद्योगिक इकाई की जाँच करनी होती है और अल्कोहल की आवश्यकता के कारणों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट देनी होती थी। इस कार्य के लिए उस ऑफिसर ने उनकी इकाई की जाँच तो की, मगर अपनी रिपोर्ट जनरल मैनेजर को सबमिट नहीं की। वह कंपनी से रिश्वत की मांग कर रहा था। जब मैंने जाँच पड़ताल की तो पता चला कि उस अधिकारी ने न सिर्फ अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की बल्कि अपने स्थानांतरण पर अपने साथ उनकी फाइल लेकर चला गया। मैंने श्री रेड्डी जी कहा, ''मेरी एक सलाह है आपसे। उस अधिकारी को एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा ट्रैप करवाने में हमारी मदद करें।''
श्री रेड्डी ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ''सर, यह काम हम नहीँ कर सकते हैं। किसी अधिकारी को फँसवाने में हम हमारी ऊर्जा और समय खर्च नहीँ कर सकते हैं। फिर हमें तो इन लोगों से रोज रोज काम पड़ता है।''
श्री रेड्डी की औपचारिक शिकायत के अभाव में और उसे पकड़वाने की अनिच्छा के कारण उस अधिकारी पर लगने वाले भ्रष्टाचार जैसा गंभीर कदाचार केवल 'काम की उपेक्षा' में बदल कर रह गया। उसे एक छोटी-सी सजा ही हुई। भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने से लोग आखिरकार क्यों डरते हैं? क्या उनका शिकायत नहीँ करना अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीँ देता हैं? क्या वे इसके अंग नहीँ हैं? थोड़ी-सी अनुपयुक्त सहानुभूति, उत्पीड़न का डर, और लम्बी-जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं में समय की बरबादी - इन सवालों का सटीक उत्तर है कि कोई भी उद्योगपति सरकारी तंत्र से पंगा लेने के बजाए रिश्वत देकर अपना काम करवाने में ज्यादा बुद्धिमानी समझता है। भले ही, भ्रष्टाचार से पीड़ित क्यों न हो, मगर शिकायत नहीँ करेगा।

एक ऐसा ही दूसरा उदाहरण भी लें। मेडक जिले के कलेक्टर ने एक औद्योगिक इकाई को पेट्रोलियम उत्पाद रखने के लिए अनापत्ति पत्र अर्थात् एनओसी जारी करने में मेरी उनको फोन पर हिदायत देने के बावजूद भी अनावश्यक विलंब किया। उसने फाइल पर हस्ताक्षर तभी किए, जब उसे अपना हिस्सा मिल गया। यह जग जाहिर है कि कोई भी बिजनेसमेन प्रतिरोध दिखाने की बजाए घूस देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी निगाहों में रिश्वत में दी गई धनराशि की तुलना में रेगुलेटरी

क्लियरेन्स पाने में लग रहे समय की कीमत कई गुणा ज्यादा होती है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी राजनेताओं से आनन-फानन में संबंध बनाने में माहिर होते हैं।उनका राजनैतिक संरक्षण के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए वे लगातार इन गतिविधियों में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी थे मेडक के कलेक्टर।

जब मैं कमिश्नर नियुक्त हुआ था तब मुख्यमंत्री थे श्री विजय भास्कर रेड्डी। एक साल के भीतर ही चुनाव होने वाले थे, इसलिए उद्योग विभाग के लिए उनके पास समय नहीं था। चुनाव हुए। कांग्रेस का सत्ता से सफाया हो गया और दिसम्बर 1994 में भी श्री एन.टी. रामाराव फिर से मुख्यमंत्री बने। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वे नेता कम, अभिनेता ज्यादा थे। उनका ज्यादा ध्यान कल्याणकारी योजनाओं की तरफ था, उद्योग और वाणिज्य विभाग उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था।

कुछ समय बाद तेलगु देशम पार्टी में आंतरिक कलह शुरू हुआ। सत्ता की खींचा-तानी होने लगी। सितम्बर 1995 में श्री चंद्रबाबू नायडु आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री बने। श्री नायडु रामाराव के कैबिनेट में वित्त और राजस्व मंत्री हुआ करते थे। उन्हें अर्थशास्त्र के मूल तत्त्व मालूम थे। वे जानते थे कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसों की जरूरत होती हैं और पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसों को पैदा करने के लिए उद्योग धंधे खोलने तथा उनके निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। उन्होंने सरकार की पुरानी कार्यशैली ही बदल दी और नई कार्यशैली का प्रतिपादन किया। वह एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते थे। साथ ही साथ, अपनी आलोचना भी सहज भाव से लेते थे। दूरदर्शिता की भी उनमें कमी नहीं थी। उनके सक्रिय नेतृत्व में राजनैतिक और नौकरशाही स्तर पर ऐसे ठोस कदम उठाए गए कि देखते-देखते आंध्रप्रदेश पूरी तरह से 'इन्वेस्टर फ्रेंडली' बन गया।

कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाने में पूर्व उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी बाधा थी, बहुत सारी सरकारी विभागों से स्वीकृति लेना। सभी विभागों के अपने अपने फार्मेट थे, जिनमें उन्हें सूचना देनी होती थी। इन फार्मेटों में बहुत सारी जानकारियाँ की पुनरावृत्ति होती थी। इन स्वीकृतियों के लिए उद्योगपतियों को हर विभाग में जाकर रिश्वत देनी पड़ती थी।

इसलिए यह तय किया गया कि एक कॉमन आवेदन-पत्र तैयार किया जाए, जिसमें सभी विभागों द्वारा चाही गई जानकारियों का समावेश हो। यह आवेदन पत्र उद्योग आयुक्त के कार्यालय में जमा कराने का प्रावधान रखा गया, जो कि नोडल डिपार्टमेन्ट का काम करेगा और सभी विभागों से क्लियरेंस प्राप्त करेगा। शुरू-शुरू में यद्यपि बहुत सारे विभागों ने भरपूर विरोध किया, फिर भी येन-केन प्रकारेण एक कॉमन फॉर्मेट तैयार कर लिया गया। यह भी तय किया गया कि हर विभाग चार हफ्ते के अंदर आयुक्त कार्यालय में अपना क्लियरेंस भेज दें। अनेक विभाग इस प्रक्रिया के पक्ष में नहीं थे,क्योंकि इस वजह से वे उद्योगपतियों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाएंगे। ऐसे में रिश्वत कैसे मिल पाएगी?

इन विभागों ने आवेदन पत्र में गलतियाँ निकालकर चार हफ्ते की समय सीमा समाप्त होने के पहले उसमें संशोधन करने के लिए लौटाना शुरू कर दिया। आयुक्त-कार्यालय को अतिरिक्त सूचना पाने तथा स्पष्टीकरण के लिए उद्योगपतियों से लिखा-पढ़ी करने का अतिरिक्त भार बढ़ गया। सिंगल विंडो की जगह एक नई विंडो बन गई।
इससे क्लियरेंस मिलने में और ज्यादा देरी होने लगी।समस्याओं का समाधान होने की बजाय उद्योगपतियों के लिए एक अलग आयुक्त रखने से समस्याएँ बढ़ती गई-एक अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर ही सही। फिर से ब्रेन स्टोर्मिंग शुरू की गई। औद्योगिक अनुमोदन के लिए और ज्यादा प्रभावी तरीका खोजा गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट इनवेस्टमेंट प्रमोशन कमेटी बनाई गई। यह कमेटी हर महीने संबंधित सचिवों के साथ बैठक करके लंबित केसों की समीक्षा करती थी। इससे विलंब घटाने में काफी फर्क पड़ा।
श्री नायडु ने अपनी अध्यक्षता में एक स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का भी गठन किया। इस बोर्ड की बैठक जी हर महीने होती थी और उसमें उन मामलों पर निर्णय लिया जाता था जिनमें विभागों के बीच कोई मतभेद होता था। इन दो शुरूआती कदमों से क्लियरेंस लेने में लगने वाले समय में काफी कमी आई और नीचे स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार भी कम हो गया। धीरे-धीरे उद्योग विभाग की छवि 'कंट्रोलर' से बदलकर 'फेसिलिटेटर' में बदल गई और अब निवेश को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग आयुक्त मुख्य बिन्दु बन गए।

नवम्बर 1996 में मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी (इंडस्ट्रीज) बना। तब तक श्री नायडु की छवि एक मेहनती और दूरदर्शी सीईओ के रूप में उभरकर सामने आ गई थी। श्री तरुण दास के नेतृत्व में कानफ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्ट्रीज (सीआईआई) ने आंध्रप्रदेश में निवेश बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।सीआईआई के सौजन्य से दो सफल इनवेस्टमेंट प्रमोशन टूर दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका में आयोजित किए गए, जिससे आंध्रप्रदेश को खासकर हैदराबाद को मुख्य निवेश स्थान बनाने में काफी सफलता मिली।

यहीं से आंध्रप्रदेश में उद्योग धंधों की स्थापना की नींव पड़ी। आंध्रप्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री आर. चन्द्रशेखर और मुख्यमंत्री कार्यालय के ज्वांइट सेक्रेटरी श्री रणदीप सूडान कुशल और मेहनती अधिकारी थे। उन्होंने इन टूरों के सफल आयोजन तथा संचालन में बहुत योगदान दिया। बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जैसे हाइटेक सिटी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्रप्रदेश के प्राइवेट पोर्ट, आऊटर रिंगरोड तथा इंडियन बिजनेस स्कूल आदि श्री नायडु के प्रयासों का ही फल था।

उद्योग विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आंध्रप्रदेश खनिज विकास निगम का चेयरमैन भी था। इस निगम की मुख्य गतिविधि आंध्रप्रदेश में बेराइट का खनन तथा निर्यात करना था। हमने निर्यात करने के लिए निविदा जारी की। इस निविदा के अनुसार माइन स्टॉक यार्ड से बेराइट उठाकर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की सारी जिम्मेदारियाँ ठेकेदारों की थी। निविदा में उस साल बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेराइट

की कीमतें आसमान छू रही थी। विगत वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा कीमत ऑफर की गई थी। उच्चतम बोली (एच-1 बिडर)कांग्रेस पार्टी का एक नेता था और दूसरे स्थान पर (एच-2 बिडर)तेलगू देशम पार्टी के पूर्व सांसद। मुख्यमंत्री के ऊपर टेंडर कैंसल करने का दबाव था। इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई, जिसमें एच-2 बिडर भी मौजूद थे। उन्होंने दलील दी कि एच-1 ग्रेट इतनी अधिक है कि उस पर काम किया ही नहीं जा सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि वे ठेके का काम नहीं कर पाएगा और निगम का सारा निर्यात बाजार बर्बाद हो जाएगा,जिससे राज्य को काफी क्षति पहुँचेगी। मैंने कहा,''सर, भले विगत वर्षों की तुलना में निविदा में कुछ ज्यादा कीमत क्वोट की गई है, मगर इस रेट पर भी काम किया जा सकता है। ठेकेदार को भले ही पिछले साल की तुलना में कुछ कम फायदा होगा। अगर मान यह लिया जाए कि इस रेट पर ठेकेदार काम नहीं कर पाएंगे तो भी निगम के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सिक्योरिटी डिपोजिट जमा है। एच-1 के फेल होने की अवस्था में हम शार्ट टेंडर नोटिस निकाल सकते हैं।दुबारा नया ठेकेदार नियुक्त कर सकते है। मेरे विचार से इस तर्क पर कि एच-1 काम नहीं कर पाएगा, उसका टेंडर कैंसिल करना उचित नहीं होगा।'' मुख्यमंत्री को मेरी बात पसंद नहीं आई। उनके चेहरे पर अंसतोष की लकीरें साफ झलक रही थी। मगर यह उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। वह बात सही है कि एच-1 बिडर की क्वोट की हुई रेट बहुत ज्यादा थी इसलिए वह निर्धारित सही शेड्यूल के अनुसार बेराइट खनिज नहीं उठा पाया किन्तु बाकी सभी बिडर एच-1 रेट पर स्टॉक उठाने के लिए तैयार हो गए। उस साल निगम को अठारह करोड़ का फायदा हुआ। यह निगम के शुरू होने से लेकर उस समय तक का सबसे ज्यादा फायदा था।

इन 4 सालों में मैंने मुख्यमंत्री श्री नायडू के साथ बहुत नजदीकी से काम किया। बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केवल बेराइट के निर्यात वाला एक ऐसा प्रकरण था, जिसमें वह मुझसे थोड़ा-बहुत नाराज हुए थे, मगर उस केस में भी मुझे अपने जजमेन्ट के खिलाफ काम करने के लिए दबाव नहीं डाला। समय बदल चुका था। परवर्ती वर्ष बिलकुल विपरीत थे। आंध्रप्रदेश के अधिकारियों को अपने जजमेन्ट के खिलाफ निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जा रहा था, इस वजह से वे काफी परेशान रहने लगे थे। मुख्यमंत्री श्री नायडु अधिकारियों के बार-बार इधर-उधर स्थानांतरण करने में विश्वास नहीं करते थे। उनके समय बहुत सारे अधिकारी कई सालों तक अपनी-अपनी जगह पर रहे। मैं स्वयं उद्योग विभाग में छः साल की लम्बी अवधि तक रहा। पहले कमिश्नर के रूप में, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में। इस दौरान मैंने यह देखा कि मीडिया अधिकतर समय सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को ही उजागर करता है।उनका ध्यान प्राइवेट सेक्टर के करप्शन की तरफ नहीं जाता था। जबकि प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ही या उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है।

उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के नाते मैं बांगड ग्रुप की आंध्रप्रदेश पेपर मिल लिमिटेड के बोर्ड का सरकार की तरफ से नामित निदेशक था। सरकार की उसमें 26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वह आंध्रप्रदेश की सबसे बड़ी पेपर मिल थी।कंपनी का विस्तार और उसका आधुनिकीकरण शुरू होना था। इस कार्य में काफी कैपिटल इनवेस्टमेंट होना था। बड़े-बड़े

आधुनिक संयंत्र उपकरणों की खरीददारी के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जा रही थी। उनकी कीमतें विक्रेताओं से पारस्परिक बातचीत करके तय की जा रही थी।
एक शाम बांगड पेपर मिल के वाइस-प्रेसीडेंट (वित्त) श्री सीथारमैया मुझे मिलने मेरे निवास स्थान पर आए। जाते समय उन्होंने एक कैरी बैग टेबल पर छोड़ दिया। इस बैग पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर अंकित थी। मैंने सोचा कि उसमें तिरूपति बालाजी का प्रसाद होगा। मैंने बेटी से उसे फ्रीज में रखने के लिए कहा। जैसे ही उसने बैग खोला तो पता चला कि उस बैग में प्रसाद नहीं,रुपयों के बंडल थे। वह सकपकाई निगाहों से मेरी तरफ देखकर बोली,''पापा इसमें तो रुपयों के बंडल रखे हुए हैं।'' मैं हतप्रभ था।मैंने तुरंत श्री सीथारमैया को फोन लगाया,''आप तुरंत यहाँ आइए और अपना तिरुपति बैग यहाँ से ले जाइए।'' कुछ ही देर में वो वापस आए और मुझसे माफी मांगी। अपने किए का अफसोस जाहिर किया। यह बात मैं जान सकता हूँ, श्री सीथा रमैया के लिए अपनी कंपनी के उच्चतम अधिकारी की आज्ञा के बिना तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाना संभव नहीं था।

दूसरे ही दिन, मैंने कंपनी के चेयरमैन श्री एल.एम. बांगड को पत्र लिखा कि वे इस घटना की बोर्ड के इंडिपेंडेट डायरेक्टरों की कमेटी द्वारा जाँच करवाएँ। (परिशिष्ट 9-1)
अगली बोर्ड मीटिंग में मैंने श्री सीथारमैया को कंपनी की सेवाओं से हटाने का प्रस्ताव रखा। नौकरी से निकलाने के विरुद्ध श्री सीथारमैया ने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने घुमावदार तर्कों द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर उनकी बहाली के आदेश दे दिए। जिस व्यक्ति पर एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करने के लिए मुकदमा चलना चाहिए था, उसकी बहाली कर दी गई।

गनीमत है कि कंपनी की एक अपील पर दो जजो की बेंच ने एकल जज के इस आदेश को निरस्त कर दिया। भ्रष्टाचार पर केवल सरकार का एकाधिकार नहीं है, वरन् वह हमारे समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त हैं ।

10. पब्लिक इंटरप्राइजेज डिपार्टमेन्ट : राजनैतिक दबाव

जुलाई 2000 में मेरी पोस्टिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग में हो गई। आंध्रप्रदेश के ज्यादातर सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे थे। आंध्रप्रदेश सरकार के वित्तीय रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक के विचाराधीन था। वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय सहायता देने के लिए एक शर्त रखी कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों निजीकरण कराया जाए। इस हेतु एक क्रियान्वयन सचिवालय बनाया गया, जिसे यू.के. इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट की तरफ से मदद मिल रही थी। मैं लोक उपक्रम विभाग का सेक्रेटरी होने के नाते इस सचिवालय का एक्स-ऑफिसियो चेयरमैन था। एक बड़ी सरकारी कंपनी निजाम शुगर लिमिटेड के निजीकरण का काम चल रहा था। सन् 1934 में हैदराबाद के निजाम द्वारा इस कंपनी को खोला गया था और उस समय वह एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल मानी जाती थी। इस कंपनी के अंतर्गत राज्य के तीन अंचलों में फैली छह शुगर मिल और तीन डिस्टलरिज आती थी। यह निर्णय लिया गया कि कंपनी की सारी इकाइयों को एक-एककर खुली नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाए। दो शुगर मिलों तथा एक डिस्टलरी को सफलतापूर्वक बेच दिया गया। उन्हें बेचने पर हमें सलाहकार द्वारा निर्धारित कीमतों से ज्यादा धनराशि प्राप्त हुई। जिन लोगों ने ये मिलें खरीदी थी, उनके पास पर्याप्त पैसा भी था और शुगर मिल का अनुभव भी। अधिकतम प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए मिलों की नीलामी अलग-अलग फेजों में की गई थी।

तीन यूनिटों के निजीकरण होने के बाद शक्कर नगर के मुख्य यूनिट के विज्ञापन प्रक्रिया शुरू की गई। विज्ञापन अभी जारी भी नहीं हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी मैसर्स गोल्डस्टोन एक्सपोर्ट लिमिटेड ने शुगर मिनिस्टर को अनापेक्षित प्रस्ताव दिया। शुगर मिनिस्टर इस प्रस्ताव को जांच के लिए मेरे पास भेज दिया।

सरकार ने वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक कैबिनेट समिति का गठन किया। निजीकरण के प्रस्तावों की जाँच के अनुमोदन के लिए जहाँ-जहाँ पर ये यूनिटें अवस्थित थीं, वहाँ-वहाँ के मंत्रियों को समिति की बैठकों में विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता था। मैंने मेसर्स गोल्डस्टोन एक्सपोर्ट लिमिटेड के अनापेक्षित प्रस्ताव की जाँच की। जाँच करने के उपरांत मैंने समिति को सलाह दी, "चूँकि पहले तो निविदा प्रक्रिया जारी है, इसलिए गोल्डस्टोन के अनपेक्षित प्रस्ताव को स्वीकृत करना अनुचित होगा। दूसरा, गोल्डस्टोन को शुगर इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं है। गोल्डस्टोन तो कंपनी की बहाली के बारे बहाने थोड़ी-सी पूंजी लगाने का वायदा करके निजाम शुगर की करोड़ों रुपए की संपत्ति हथियाना चाहता है।'' क्रियान्वयन सचिवालय के सलाहकार मेरे विचारों से पूरी तरह सहमत थे। मुझे उम्मीद थी कि समिति इस प्रस्ताव को जरुर अस्वीकार कर देगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन ने गोल्डस्टोन को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया। उसने प्रेजेंटेशन दिया, तब भी मैंने उनके ऑफर को खारिज करने के बारे में अपने विचार दोहराए। मेरी बात फिर भी नहीं सुनी गई। समिति ने गोल्डस्टोन को अपने ऑफर में वृद्धि करने की सलाह दी। समिति की छह-सात बार बैठकें हुई। हर बैठक में गोल्डस्टोन अपने प्रस्ताव में कुछ छोटा-मोटा सुधार कर नया प्रेजेंटेशन देता और मैंने हर बैठक में उनके हर ऑफर को खारिज करने की सलाह दी। अंत में, समिति ने इस मामले में अंतिम

निर्णय के लिए मुख्यमंत्री की सलाह लेने का सुझाव दिया। इसलिए मुख्यमंत्री श्री चंद्र बाबू नायडु के साथ एक बैठक रखी गई। वित्तमंत्री ने मुख्यमंत्री के सामने गोल्डस्टोन के प्रस्ताव का संक्षिप्त ब्यौरा रखा और समिति द्वारा इस ऑफर पर सहमत होने के विचार भी रखे गए, मैंने अपनी पुरानी बात ही दोहराई और अनापेक्षित बिड को रद्द करने तथा खुली निविदा आमंत्रित करने के सुझाव दिए। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, ''मेरे हिसाब से अगर कैबिनेट कमेटी के सारे मंत्री और संबंधित जिलों के मंत्री इस ऑफर के पक्ष में हैं तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।'' मैं नीरव था, मगर मुझे श्री नायडु से ऐसी उम्मीद नहीं थी।

सारे मंत्रियों के जाने के बाद मैंने उनसे कहा, ''इस ऑफर को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से हमें खुली निविदा के प्रचलित और पारदर्शी नियमों का अनुपालन करना चाहिए।''

मुख्यमंत्री मेरी बात से सहमत थे। मगर उन पर राजनैतिक दबाव उन्हें मेरी सही सिफारिशों के खिलाफ ले जा रहा था। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा, ''आप तो जानते ही हो, श्री चंद्रशेखर राव ने अभी-अभी तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई है। राज्य में शीघ्र ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं।ऐसे समय में मेरे लिए सभी मंत्रियों की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय लेना संभव नहीं है।''

यह बात सुनकर मैं स्तब्ध था। श्री नायडु से कभी भी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी

ऑफिस पहुँचते ही तुरंत मैंने मुख्य-सचिव को एक नोट लिखा कि शायद कैबिनेट कमेटी को मुझ पर विश्वास नहीं है। इस अवस्था में मेरे लिए यही उचित रहेगा कि मैं यह कार्य छोड़ दूँ, ताकि सरकार अपने किसी एक अधिकारी को सचिव नियुक्त कर सके,जिस पर कमेटी को पूर्ण विश्वास हो (परिशिष्ट 10-1)। इसके साथ-साथ मैं भी दो महीने के अर्जित अवकाश पर चला गया।

अभी भी मैं नहीं समझ पाया हूँ कि किस तरह गोल्डस्टोन ने मंत्रियों के इतने बड़े समूह को ऐसा बेहूदा प्रस्ताव मानने के लिए राजी कर दिया?

आखिरकार निजाम शुगर लिमिटेड का निजीकरण एक बहुत बड़ा राजनैतिक मुद्दा बन गया। निजीकरण की प्रक्रिया की जाँच के लिए विधायकों की एक समिति बनाई गई। उस समिति ने मेसर्स गोल्ड स्टोन के अनापेक्षित ऑफर को मानने के लिए कैबिनेट कमेटी की कड़ी भर्त्सना की(परिशिष्ट 10-2)। बात तो सही ही थी, अंधेरे में आखिरकार कब तक तीर चलाए जाते? कभी न कभी तो प्रकाश होना ही था। खुली निविदा के पारदर्शी नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर गैर पारंपरिक तरीकों को अपनाने से वह मामला आखिरकार अनावश्यक रूप से कानूनी दाँव पेंच में उलझकर रह गया। दस साल गुजर गए। यह मसला हाईकोर्ट में हैं। राज्य सरकार अभी भी परेशान है।

11.मेरी पहली कोयला मंत्री सुश्री ममता बनर्जी : सादगी के दूसरी तरफ

मुझे अट्ठावन साल पूरे होने जा रहे थे, मात्र दो साल बचे थे नौकरी पूरी होने में। इन दो सालों में क्या कुछ हो जाएगा, यह किसी त्रिकालदर्शी भविष्यवक्ता के सिवाय और कौन जान सकता है? क्या इन दो सालों की नौकरी पिछली चौंतीस साल की नौकरी को टक्कर दे देगी या मुझे ऐसे जाल में फँसा देगी, जिसकी मैंने कभी सपने में कल्पना नहीँ की होगी? मैं सत्य के रास्ते पर लगातार चलता जा रहा था, इधर-उधर दाएं-बाएं देखे बिना। हो सकता है मेरी जीवनी आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करेगी कि कितने भी दबाव झेलने के बावजूद भी मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अपने पथ से विचलित नहीँ होना चाहिए।

दूसरे बैचमेटों के साथ मेरा नाम भारत सरकार में सचिव की पोस्ट के लिए पैनल में चयनित हुआ, मैं जानता था कि सरकार में सीनियर पोस्टों के लिए लॉबी की जरूरत होती है।राज्य सरकार में मैं मुख्य सचिव की रैंक में आ गया था और विशेष मुख्य सचिव और मुख्य भू-प्रशासन आयुक्त के पद पर काम कर रहा था। यह राज्य सरकार में दूसरी उच्चतम पोस्ट थी और साधारण मुख्य भू प्रशासन आयुक्त ही अगले मुख्य सचिव बनते हैं।मैं अपने आप में पूर्णतया संतुष्ट था। यह भी मैं जानता था कि मेरे इनफ्लेक्सिबल नेचर के कारण से मेरे लिए राज्य-सरकार में मुख्य सचिव का काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। वहां थोड़ा-बहुत लचीलापन जरूरी है।मैं आंध्रप्रदेश के मुख्य भू-प्रशासन आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त होने पर खुश रहता। फिर भी कुछ दोस्तों की सलाह पर मैंने दिसम्बर 2005 में सेंट्रल डेपुटेशन के लिए स्वीकृति दे दी।

फरवरी 2004 में मुझे कोल-सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति के आदेश प्राप्त हुए। यह मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों की तुलना में ज्यादा लुभावना माना जाता है। मार्च 2004 के दूसरे सप्ताह में मैंने सचिव का पदभार ग्रहण किया। उस समय कोयला मंत्रालय में सुश्री ममता बनर्जी कैबिनेट कोयला मंत्री और बीजेपी के श्री प्रहलाद सिंह राज्य मंत्री थे। जिस समय मैंने पदभार ग्रहण किया, ममता बनर्जी कोलकाता में थी। मैं सीआईएल के कार्यवाहक चेयरमैन शशि कुमार के साथ उनके घर गया। उनका घर देखकर मैं अचंभित था,कोलकाता के निम्न मध्यम वर्गीय परिवेश में एक छोटा-सा घर था। लकड़ी के पलंग पर रुई के गद्दे बिछे हुए थे और उसके पास में रखी हुई थी प्लास्टिक की दो कुर्सियाँ।

राजनेताओं के जीवन में मैंने इतनी सादगी पहले कभी नहीं देखी। सुश्री ममता बनर्जी मुस्कराते हुए उस कमरे में आई और हमारा अभिवादन स्वीकार किया। औपचारिक बातचीत करने के बाद

मैंने चेयरमैन की नियुक्ति के विषय में उनसे विचार विमर्श किया। मैंने उन्हें बताया,"पूर्व चेयरमैन श्री एन के शर्मा नौ महीने से निलंबित है और चेयरमैन की पोस्ट इतने लंबे समय तक खाली रखना कंपनी के हित में नहीं है।"

उन्होंने मेरी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, मगर जवाब में कुछ नहीँ कहा। बस, यही थी मेरी उनसे पहली और आखिरी मुलाकात। अप्रैल के आरंभ में संसदीय चुनाव की घोषणा हो गई। वह कोलकाता में चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गई और दिल्ली नहीं आई। चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई,टीएमसी से केवल वह अकेली ही जीती।एनडीए की भी चुनाव में हार हुई और ममता बनर्जी और कोयला मंत्री नहीँ रही। जब वह दिल्ली आई तो मैंने उनके फेयरवेल के लिए संदेश भेजा। मगर उन्होंने मना कर दिया।

उनकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, और उनसे मुलाकात होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीँ रहा। किन्तु वह स्वयं अपनी पार्टी के हितार्थ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने से अपने आपको दूर नहीं रख पाई।अपनी पार्टी के पचास कार्यकर्त्ताओं को नार्दन ईस्ट कोलफील्डस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के लिए उन्होंने कार्यकारी चेयरमैन श्री शशि कुमार पर दबाव डाला। बिना किसी विज्ञापन, बिना किसी टेस्ट, बिना किसी इंटरव्यू और बिना किसी प्रणाली का पालन करते हुए उन्हें नौकरी दे दी गई।

वह लोग केवल हाजरी लगाने ऑफिस आते थे और बाकी समय पार्टी का काम करते थे। सीआईएल में ऐसे पहले से ही सरप्लस श्रमिक है । एक तरफ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से उन्हें उन्हें कम किया जा रहा था और दूसरी तरफ मंत्री लोक प्रबंधन पर दबाव डालकर नई-नई भर्ती करवा रहे थे।मुझे बाद में बताया गया कि पहले वाले कोयला-मंत्री भी ऐसा ही करते थे।

और भी कई मामलों में उन्होंने चेयरमैन पर दबाव डाला।वे चाहती थी कि कोल इंडिया कोलकाता में एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाए। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन पर से झुग्गी–झोंपड़ियाँ हटाने के लिए 25 लाख रुपये का अनुदान देने के लिए सीआईएल चेयरमैन पर दबाव डाला गया। कितनी असंगत बात थी! सीआईएल के वर्कफोर्स का 0.25 प्रतिशत ही कोलकाता में नहीं रहता है। पहली बात तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना और चलाना कोल इंडिया का काम नहीं है और अगर ऐसा हॉस्पिटल बनाना भी था तो फिर झारखंड में बनाना चाहिए था, जहां सीआईएल के 50% से भी ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। कई एनजीओ को डोनेशन देने के लिए चेयरमैन पर दबाव डाला गया। हद तो तब हो गई,जब उन्होंने अपनी पार्टी के साधारण कार्यकर्त्ताओं को नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में स्वतंत्र निदेशक बनाने के लिए तत्कालीन सचिव को अपने निर्देश दिए।

चुनाव के बाद जब सुश्री बनर्जी कोयला मंत्री के पद से हटी,तब सीआईएल प्रबंधन ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया और फिर कोलकाता में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव भी निरस्त कर दिया गया। उनके नामित व्यक्ति को नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर बनाने का प्रपोजल स्वत: ही रद्द हो गया।

राज्यमंत्री भी कुछ कम नहीँ थे। उनके निजी सहायक अरजेंट फाइलें ले जाने के बहाने हवाई यात्रा से हर हफ्ते नागपुर जा रहे थे।राज्यमंत्री के निजी सहायक हवाई यात्रा के लिए इन टाइटल नहीं होते हैं। मैंने दो बार बिना कोई सवाल किए उनके हवाई यात्रा का अनुमोदन कर दिया। तीसरी बार फिर जब हवाई यात्रा की अनुमति के लिए फाइल मेरे पास आई तो मैंने उस पर एक टिप्पणी लिखी,“अर्जेंट फाइलों की लिस्ट सबमिट की जाए।”

सुश्री बनर्जी ने राज्य मंत्री को कोई काम ही नहीं दिया था तो फाइलें होने का सवाल ही नहीं उठता था। राज्यमंत्री यह देख कर आग बबूला हो गए। उन्होंने लिखा कि सचिव को ऐसे सवाल करने की आवश्यकता नहीं है।मुझे उनको समझाना पड़ा कि सचिव द्वारा अनुमोदन का प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि सरकारी पैसों का दुरुपयोग न हो।

मैंने अपनी पहली ही मीटिंग में कोयला मंत्रालय की सभी कंपनियों के चेयरमैन को यह हिदायत दी कि मंत्री के ऑफिस से यदि कोई भी ऐसा निर्देश आता हो जो कंपनी के हित में नहीं है तो बेहिचक इस संदर्भ में वे मुझे सीधे लिख सकते हैं।

इस बारे में जब मैंने अपने मित्र सचिवों से बात की तो उनका विचार था कि मंत्री और चेयरमैन के बीच में हमें पडने की आवश्यकता नहीं है।चेयरमैन खुद ही ऐसे मामले सुलझाने में सक्षम होते हैं। इन छोटी-छोटी चीजों की वजह से तुम्हारे और मंत्री के बीच खाई नहीँ पड़नी चाहिए। ’’

मगर मेरे विचार अलग है,यदि विभाग की इकाइयों के अध्यक्षों पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव डाला जाता है तो सचिव का उत्तरदायित्व बनता है कि मंत्री को सही सलाह दें ताकि कंपनियों के अधिकारी बिना किसी दबाव के अपना काम कर पाएँ।

12.मेरे दूसरे कोयला मंत्री श्री शिबू सोरेन: 'आए राम, गए राम'

पल भर में राजनैतिक चेहरा बदल जाता है। 2004 के आम चुनावों में एनडीए सरकार हार गई और दिल्ली में यूपीए की सरकार बनी। साझा सरकार। मई 2004 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन को कोयला मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का पदभार दिया गया तथा कांग्रेस के श्री दसारी नारायण को कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाया गया।

श्री सोरेन अपने साथ श्री प्रदीप दीक्षित को ऑफिसर ऑन स्पेशियल ड्यूटी के रूप में लाए। अत्यन्त ही प्रबुद्ध, सुशील एवं सुस्पष्ट इंसान। मगर उन्हें सरकार की कार्य पद्धति का बिलकुल भी ज्ञान नहीं था। श्री दसारी नारायण के निजी सचिव श्री ए.ए. राव काफी अनुभवी होने के साथ-साथ तेज-तर्रार थे। मेरा यह सब-कुछ बताने का अर्थ वहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना था।

उनके पदभार ग्रहण करने पर मैंने उन्हें कोयला मंत्रालय के कामकाज की जानकारी दी और कुछ ऐसे विषय जिन पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत थी,उनका ध्यान आकर्षित किया। जैसे - देश में कोयले की भयंकर कमी, सारे पावर प्लांटों में कोयले का क्रिटिकल स्टॉक, नौ महीने से कोल इंडिया में कोई फुलटाइम चेयरमैन की नियुक्ति का न होना इत्यादि-इत्यादि। इसके अलावा, भूमि-अधिग्रहण की समस्याएं, पर्यावरण एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस में होने वाली देरी,कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोल-सेक्टरों को खोलना, कोल ब्लॉक आबंटन में पारदर्शिता लाना और कोल मार्केटिंग में माफियाओं की भूमिका खत्म करना आदि राजनैतिक स्तर पर ध्यान देने योग्य मुद्दे थे। लेकिन मुझे आभास हो रहा था कि मंत्रियों में इन मुद्दों की खास अहमियत नहीं थी। उनकी विशेष अभिरूचि के विषय थे- कोल ब्लॉकों का शीघ्र आबंटन, कोल कंपनी के अधिकारियों का स्थानांतरण, कोल इंडिया में अधिक रोजगार पैदा करना और कोल लिंकेज को अनुमति देना, भले ही, नए लिंकेज के लिए हमारे पास कोयला उपलब्ध न हो।इन मुद्दों पर मेरे विचार मंत्रियों से पूरी तरह अलग थे। कुछ सप्ताह ही बीते होंगे कि श्री सोरेन के खिलाफ किसी पुराने हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। श्री सोरेन भूमिगत हो गए। आखिरकार उन्होंने 24 जुलाई 2004 को कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

13. प्रधानमंत्री के कोयला मंत्रालय का पदभार ग्रहण करना: तीन विशिष्ट सुधार

श्री सोरेन के इस्तीफा देने पर कोयला मंत्रालय का प्रभार श्री मनमोहन सिंह ने अपने हाथों में ले लिया। यही उपयुक्त समय था - कोल सेक्टर में सुधार लाने के लिए। अगस्त 2004 के प्रथम सप्ताह में जब मैं प्रधानमंत्री से ब्रीफिंग के लिए मिला तो मैंने निम्न तीन नीतिगत मुद्दे उनके समक्ष रखे -

1- वणिज्यिक खनन के लिए कोल सेक्टर की खोलना

2- प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए कोल-ब्लॉकों का आवंटन करना

3- नॉन-कोर ग्राहकों को ई-नीलामी के जरिए कोयला बेचना

1- वाणिज्यिक खनन के लिए कोल सेक्टर को खोलना

मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि केवल कोल इंडिया हमारे देश में कोयले की बढ़ती मांग की आपूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे लिए अत्यावश्यक हो गया है कि इस सेक्टर को भी कॉमर्शियल माइनिंग अर्थात् वाणिज्यिक खनन के लिए जल्दी से जल्दी खोला जाए। निजी क्षेत्र के लिए कोल माइनिंग खोलने हेतु कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एमेंडमेंट बिल सन् 2000 से संसद में लंबित पड़ा हुआ है। स्टैडिंग कमेटी द्वारा पहले से ही इस बिल को स्वीकार करने के लिए सिफारिश की हुई है और जितना जल्दी हो सके इस बिल को कानून में बदलने की जरूरत है। मैंने प्रधानमंत्री को कैप्टिव माइनिंग की कुछ पैतृक कमजोरियों के बारे में बताया, जो निम्न है -

1- पहला, हम उन उद्योगों को, जिनका कोल माइनिंग से कोई संबंध नहीं है और जिनके लिए यह क्षेत्र एकदम नया है और जिनमें दक्षता भी नहीं हैं। उन्हें जबरदस्ती इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

2- दूसरा, बहुत सारे मध्यम आकार के उद्योगों को कैप्टिव ब्लॉक देकर हम छोटी-छोटी खदाने खोलकर इस क्षेत्र के इकोनॉमी ऑफ स्केल और तकनीकी आधुनिकीकरण से होने वाले फायदों से वंचित रख रहे हैं।

3- कैप्टिव खदानों से निकाला गया कोयला कैप्टिव प्रयोग में आ रहा है अथवा नहीं? इसकी निगरानी रखने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार में कोयले के कमी के कारण काला बाजारी बढ़ेगी। परिणामस्वरूप कालाधन और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ेंगे।

4- कैप्टिव ब्लॉकों के आवंटन की प्रचलित पद्धति से जिन कंपनियों को कोल-ब्लॉक मिलते है।उनके लिए कोयले की कीमत दूसरे कोयला उपभोक्ताओं के मुकाबले में बहुत कम पड़ती है, इसलिए यह पक्षपात पूर्ण नीति है।

प्रधानमंत्री मेरे सारे तर्कों से सहमत थे, मगर वे जानते थे कि ट्रेड यूनियन और लेफ्ट पार्टी के विरोध के कारण इस विधेयक को कानून में बदलना कठिन होगा। दुर्भाग्य की बात थी जो सरकार घोर राजनैतिक विरोध के बावजूद भी इंडो-यू.एस. न्यूक्लियर डील और रिटेल मार्केट

में विदेशी निवेश जैसे मामलों में पीछे नहीं हटी,वह सरकार यह निर्णय नहीं ले सकी,जिसका लेफ्ट पार्टी और ट्रेड यूनियनों को छोड़कर विरोध नहीं था। यह निर्णय हमारे देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण था।
अगर 1990 में ही पावर सेक्टर के साथ-साथ कॉमर्शियल माइनिंग भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाता तो आज हमारे देश की रूपरेखा कुछ दूसरी ही होती। हमारे पास कम से कम छह-सात बड़ी-बड़ी निजी कोल माइनिंग कंपनियाँ होती, ठीक वैसा ही जैसा टेलिकॉम सेक्टर में है। हमारे देश को कोयले की कमी का इतना विकत सामना नहीं करना पड़ता और इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च नहीँ होती। अगर भारत को अपनी ऊर्जा की मांगों को पूरा करना हैं तो हमारे यहाँ कम से कम छह:-सात ऐसी कंपनियाँ हों, जो हर साल 100 मिलियन टन से ज्यादा कोयला उत्पादन करें, न कि सौ ऐसी कंपनियां जो हर साल एक मिलियन टन से पाँच मिलियन टन कोयला का उत्पादन करें।

2- प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए कोल ब्लॉकों का आवंटन -
मेरा प्रधानमंत्री को दूसरा सुझाव यह था कि कोल ब्लॉक आवंटन की प्रचलित पद्धति बदलकर उसमें समानता और पारदर्शिता लाकर प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कोल ब्लॉकों का आवंटन किया जाए। इससे आवंटन पद्धति में निष्पक्षता और पारदर्शिता आएगी। प्रधानमंत्री इस सुझाव पर तुरंत सहमत हो गए और मुझे इस संदर्भ में पेपर प्रस्तुत करने को कहा।

3- कोयले की ई-मार्केटिंग

कोल इंडिया में कोल माफियाओं का वर्चस्व है। उनके संरक्षण में कोयले की काला बाजारी भरपूर मात्रा में हो रही थी। इस काला बाजारी को रोकने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से इंटरनेट पर आधारित कोयले की ई-मार्केटिंग शुरू करवाने का प्रस्ताव दिया। काश! हम कोल इंडिया के उत्पादन का 25 प्रतिशत ई-मार्केटिंग करवा पाते।

प्रधानमंत्री ने इस विषय पर भी सहमति प्रदान की। वह चाहते थे कि पहले एक कंपनी में प्रयोग के रूप में इसे शुरू किया जाए और अगर उसमें सफलता मिलती है तो इस पद्धति को दूसरी अनुषंगी कंपनियों में लागू किया जा सकता है।भारत में कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और भविष्य में भी रहेगा। इस सेक्टर में बहुत सारी समस्याएँ है जैसे- भूमि-अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण संबंधित मुद्दे, पुनर्स्थापन, श्रमिकों के साथ संबंध, माफियाओं की भूमिका और कानून व्यवस्था में ढीलापन। इस सेक्टर के संचालन में ट्रेड यूनियनों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के साथ आपसी समन्वय के लिए बहुत राजनैतिक निवेश की आवश्यकता होती है। किन्तु इस विभाग को राजनैतिक नेतृत्व के रूप में वह स्थान और महत्त्व नहीँ दिया गया, जिसकी इसको जरूरत थी। अधिकतर मंत्रियों ने इस मंत्रालय का उपयोग अपने या अपनी पार्टी के हितों के लिए ही किया है। इस सेक्टर को सुधारने के लिए

किसी ने भी दिल से प्रयास नहीं किया। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने इस विभाग का कार्यभार संभाला तो इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए यह एक अत्यंत उपयुक्त अवसर था और मैं उसका पूरा फायदा उठाना चाहता था।

14. कैप्टिव कोल ब्लॉकों का आवंटन

स्क्रीनिंग कमेटी के द्‌वारा प्राइवेट सेक्टर को कैप्टिव प्रयोग हेतु कोल ब्लॉक-आवंटन करने की प्रक्रिया सन 1993 में चालू हुई। मगर कैप्टिव माइनिंग के लिए कौन-कौनसे कोल ब्लॉक आवंटित किये जायेंगे, इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीँ दी गई थी। कोल ब्लॉक की ज्योलोजिकल रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज़ था,और आवेदकों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती थी, वे लोग सी.एम.पी.डी.आई.एल. से चोरी-छुपे जानकारी हासिल करते थे। सन 1993 से 2002 तक केवल 15 ब्लॉक प्राइवेट पार्टियों को आवंटित किये गए थे अर्थात 1.5 ब्लॉक प्रतिवर्ष की दर से। अधिकतर ब्लॉकों के लिए आवेदकों की संख्या भी सीमित थी। धीरे-धीरे आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी। सबको ब्लॉक मिल सके,इसलिए मंत्रालय ने उन ब्लॉकों को सब-ब्लॉकों में बाँटना शुरू कर दिया

जब मैंने मंत्रालय का चार्ज लिया तब प्रत्येक ब्लॉक के लिए आवेदकों की संख्या काफी बढ़ गई थी, यद्‌यपि इकाई अंक से ज्यादा नहीँ थी। बहुत सारे आवेदक हर ब्लॉक के चयन के मापदंड पूरे कर रहे थे। इस वजह से उनका निष्पक्ष चयन करना मुश्किल हो रहा था।एक ब्लॉक को अनेक सब-ब्लॉकों में बाँटकर सभी योग्य आवेदकों को आवंटित करना न केवल अव्यावहारिक बल्कि गलत भी था। खुली बोली द्‌वारा आवंटन करना इस समस्या का अच्छा समाधान हो सकता था। इससे न केवल निर्णय लेने में पारदर्शिता आएगी,बल्कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

सरकार के पास पहले से ही कोयले के रिजर्व और गुणवत्ता पर आधारित सही तथ्यात्मक आँकड़ों वाली जियोलोजिकल रिपोर्ट उपलब्ध थी। सी॰एम॰पी॰डी॰आई॰एल डिटेल एक्सप्लोरेशन कर चुकी थी। अगर सभी संभावित बोली-कर्त्ताओं को जियोलोजिकल रिपोर्ट देने के बाद खुली बोली लगाई जाती है तो यह कोयले के ब्लॉक आवंटित करने का समरूप, निष्पक्ष, पारदर्शी और तर्क-सम्मत तरीका रहेगा। इसके अतिरिक्त, नीलामी की यह विधि उन कंपनियों के लिए भी न्याय-संगत रहेगी, जिन्हें कैप्टिव ब्लॉक नहीँ मिले है और जिन्हें या तो कोयला आयात करना पड़ रहा है या फिर कोल इण्डिया से कोयला लेना होता है।

प्रधानमंत्री के कोयला-मंत्री का अतिरिक्त प्रभार लेने से पहले ही मैंने इस विषय पर एक डिस्कशन पेपर बना लिया था। सभी स्टेक होल्डरों को ओपन डिस्कशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस डिस्कशन में उन सभी कंपनियों को आमंत्रित किया गया,जिनके आवेदन मंत्रालय में लंबे समय से लंबित थे। इसके अलावा,कॉनफेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्री (CII), फेडरेशन ऑफ इन्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉर्मस एंड इंडस्ट्री (FICCI), फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री (FIMI) एवं एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इण्डिया

(ASSOCHAM) और संबन्धित मंत्रालयों के अधिकारी भी इस विचार-विमर्श में शामिल हुए।केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की नीलामी के बारे में अलग-अलग राय थी,परंतु अधिकांश उद्योगपति और उद्योग संघ इस प्रक्रिया के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि ई-नीलामी से कोल ब्लॉकों की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन यह पूरी तरह बेबुनियाद था। खुली नीलामी में प्रतिभागी अनुभवी व्यापारी थे।और वे कभी इतनी ऊँची बोली नहीं लगा सकते थे कि उनकी खदान से निकलने कोयले की कीमत कोल इण्डिया की कीमत से ज्यादा हो जाए। स्वाभाविक है कि इंडस्ट्री वाले कोई भी मुफ्त में मिलने वाली चीज के पैसे क्यों देना चाहेगा ?वास्तव में कुछ हद तक कोर्पोरेट इण्डिया भी पारदर्शिता के खिलाफ था।

स्टेक-होल्डरों के संशय के बावजूद मेरा यह विचार था कि आवंटन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। अतः मैंने पॉलिसी नोट बनाकर जुलाई माह के मध्य में कोयला राज्यमंत्री श्री दसारी नारायण राव के सन्मुख प्रस्तुत कर दिया।

खुली बोली की प्रक्रिया की सार्थकता की जाँच हेतु मैंने कानून विभाग से सलाह ली। साथ ही साथ,मैंने सी॰एम॰पी॰डी॰आई॰एल को निर्देश दिए कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की मदद से इस हेतु बोली दस्तावेज बनाए जाए एवं मूल्यांकन के मापदंड निर्धारित किए जाए, ताकि कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही खुली बोली की कार्यवाही शुरू की जा सके। ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर कैप्टिव ब्लॉकों की तालिका अपलोड कर दी गई। इसके अतिरिक्त, अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से भी इस बारे में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया गया। मुझे विश्वास था कि कैलेंडर वर्ष खत्म होते-होते नई प्रक्रिया लागू हो सकती है। मगर इसमें आने वाली बाधाओं का मुझे अंदाज नहीं था।कोयला राज्यमंत्री ने कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए वह फाइल लौटा दी। 30 जुलाई 2004 को मैंने उनके सवालों का सटीक जवाब देते हुए फिर से उस फाइल को प्रधानमंत्री (तब तक कोयला मंत्री का अतिरिक्त प्रभार ले चुके थे) को प्रस्तुत कर दी।

प्रधानमंत्री द्वारा खुली बोली का अनुमोदन:-

20 अगस्त 2004 को प्रधानमंत्री ने खुली बोली द्वारा आवंटन की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। उन्होंने एक कैबिनेट नोट बनाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलने के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से एक नोट आया, जिसमें खुली बोली द्वारा होने वाली समस्याओं का जिक्र किया गया था उसके साथ ही खुली बोली के विरोध में बहुत सारे सांसदों के पत्र भी आने लगे। उनमें श्री नवीन जिंदल भी एक थे।

कानून मंत्रालय द्वारा कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट में संशोधन के सुझाव:-

कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट की धारा 3(ए) और धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन पर कानून मंत्रालय ने सितंबर 2004 को अपनी सलाह प्रदान की। कैबिनेट नोट प्रस्तुत करते समय मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा उठाए गए सभी सवालों पर तर्क-संगत टिप्पणियाँ दी। मैंने आवश्यक वैधानिक सुधारों के लिए अध्यादेश जारी करने की भी सलाह दी, ताकि खुली बोली द्वारा आवंटन की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू की जा सके।

राज्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव को टालना:-

4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को प्रेषित करते हुए राज्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर निम्न टिप्पणी लिखी:-

"इस प्रस्ताव पर सहमत होना कठिन है कि स्क्रीनिंग कमिटी पारदर्शिता से निर्णय लेने में सक्षम नहीँ है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा आवंटन का प्रस्ताव खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इससे कोल ब्लॉक आवंटन में और ज्यादा देरी होगी। कोल माइंस नेशनलाइजेशन एमेंडमेंट बिल, जिसमें वाणिज्यिक खनन के लिए कोल ब्लॉकों का प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा आवंटन करने का प्रस्ताव है, राज्य सभा में ट्रेड यूनियनों और अन्य के कठोर विरोध के कारण लंबित पड़ा हुआ है।"

यह टिप्पणी दो कारणों से महत्त्वपूर्ण थी पहला, प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा कोल ब्लॉकों के आवंटन की पद्धति और राज्य सभा में लंबित पड़े कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एमेंडमेंट बिल का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीँ था। कोल सेक्टर ट्रेड यूनियन का विरोध वाणिज्यिक खनन निजी क्षेत्र के लिए खोलने से संबंधित था, खुली बोली से उनका कोई विरोध नहीं था। साफ जाहिर था कि इन असंगत मुद्दों को जोड़कर राज्यमंत्री जान-बूझकर भ्रम पैदा करना चाहते थे, ताकि निर्णय प्रक्रिया में देरी हो। दूसरा, बाद में श्री शिबू सोरेन ने इसी टिप्पणी का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री का खुली बोली द्वारा आवंटन करने के निर्णय को पलट दिया।

श्री राव द्वारा भ्रामक टिप्पणी लिखने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 28 जून 2004 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी की प्रचलित पद्धति द्वारा लिया जाए। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट नोट में आवश्यक संशोधन के निर्देश देते हुए वह फाइल वापस कोयला मंत्रालय को लौटा दी।

दिसंबर के अंत में मैंने आवश्यक स्पष्टीकरणों एवं संशोधनों के साथ वह कैबिनेट नोट फिर से कोयला राज्यमंत्री को पेश किया, जिन्होंने वह नोट श्री शिबू सोरेन के पास अग्रसरित कर दिया। जो उस समय तक फिर से कोयला मंत्री बन चुके थे। जनवरी का आधा महीना निकल गया, किंतु श्री सोरेन ने कैबिनेट नोट को स्वीकार करके फाइल वापस नहीं भेजी।

प्रधानमंत्री द्वारा हस्तक्षेप:-

17 जनवरी 2005 को मैं प्रधानमंत्री से मिला और उन्हें बताया कि कोयला मंत्रालय की कुछ महत्त्वपूर्ण फाइलों को जान-बूझकर विलंबित किया जा रहा है।मैंने उनके हस्तक्षेप की गुजारिश की। कैप्टिव कोल ब्लॉक आवंटन में प्रतिस्पर्धात्मक खुली बोली का प्रस्ताव उन महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक था। प्रधानमंत्री ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री टी.के.ए. नायर को बुलाकर कोयला मंत्री से इस विषय में बात करने की हिदायत दी। उसी शाम मैंने श्री नायर को कैबिनेट नोट की स्वीकृति की अरजेंसी जताते हुए एक नोट लिखा ताकि संसद के आगामी बजट सेशन में आवश्यक विधायी संशोधन किए जा सकें। (परिशिष्ट 14-1)

श्री सोरेन द्वारा खुली बोली द्वारा प्रस्ताव की हत्या:-

प्रधानमंत्री को श्री राव तथा श्री सोरेन द्वारा अवरोध पैदा करने की जानकारी देने के बावजूद 25 जनवरी 2005 को श्री सोरेन ने उस फाइल पर अपनी टिप्पणी लिखी:

“ मैंने इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह से समझा और बतौर कोयला मंत्री मैं राज्यमंत्री (कोयला) की दिनांक 4.10.2004 को की गई टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हूँ। अत: इस प्रस्ताव को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।"

श्री राव और श्री सोरेन दोनों ने मिलकर मेरे इस प्रस्ताव पर, जिसका उद्देश्य कोयले के ब्लॉकों का पारदर्शी तरीके से आवंटित करना था,पानी फेर दिया।

प्रस्ताव का पुनर्जीवन:-

दिनांक 01.03.2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के लिए श्री सोरेन ने कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया तो प्रधानमंत्री ने फिर से कोयला मंत्रालय का प्रभार संभाला। ऐसा लग रहा था मानो तकदीर भी मेरे साथ आँख-मिचौनी खेल खेल रही है। मैंने उस प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया और नौ मार्च को कैबिनेट नोट बनाकर इनकी स्वीकृति के लिए प्रेषित कर दिया।इस कैबिनेट नोट को प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को स्वीकृति दे दी। इसके बाद इसे संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया। सारी टिप्पणियाँ आने के बाद मैंने 21 जून को फाइनल नोट बनाकर राज्यमंत्री के माध्यम से कैबिनेट की सहमति हेतु प्रधानमंत्री के पास भेज दिया।

राजमंत्री द्वारा इस प्रस्ताव को पटरी से उतारना:-

प्रधानमंत्री के पास फाइल भेजते समय राज्यमंत्री ने निम्न टिप्पणी की:-

“कैबिनेट को इस निर्णय से होने वाले प्रभावों पर विस्तार से गहराई में जाकर सोचने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली में भाग लेने के कारण कीमतों पर होने वाले प्रभाव की वजह से पावर कंपनियाँ विरोध कर रही है।"
खुली बोली की प्रणाली से बिजली की कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इस मुद्दे पर कई बार विस्तार से बहस हो चुकी थी। बार-बार इन मुद्दों को उठाने का अर्थ खुली बोली प्रणाली को जितना विलंबित किया जा सके, करना था ताकि पुराने ढर्रे वाली आवंटन प्रक्रिया चलती रहे। खेद की बात है कि राज्यमंत्री अपने इस प्रयास में सफल हुए।

प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री नायर ने 25 जुलाई को कोल बियरिंग राज्यों के मुख्य सचिवों तथा संघ सरकार के उपयोगकर्ता मंत्रालयों के सचिवों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मैंने यह समझाया कि प्रस्तावित खुली बोली प्रणाली से कोल ब्लॉकों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी और इससे राज्य सरकार और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की भूमिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आने की आशंका नहीं है।खुली नीलामी से जो भी राजस्व प्राप्त होगा, उससे एक विशेष फंड बनाया जाएगा,जिसका प्रयोग संबंधित कोयलांचलों में सामाजिक और दूसरी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में किया जाएगा।इसलिए राज्यों को इस प्रस्तावित नीति का समर्थन एवं स्वागत करना चाहिए।

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कैबिनेट नोट में राज्य सरकारों के विचारों को जोड़ा जाए,और, चूँकि कोल माइंस नेशनलाइजेशन एमेंडमेंट बिल को पास होने में काफी समय लगेगा,इसलिए जब तक नई प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रणाली प्रभाव में नहीं आ जाती है,तब तक प्रचलित प्रणाली से आवंटन जारी रखा जाए।

अब यह साफ हो गया था कि खुली बोली के लिए किसी की भी राजनैतिक मंशा नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर राजनैतिक मंशा होती तो अध्यादेश के जरिए कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट में संशोधन किया जा सकता था। प्रधानमंत्री कार्यालय की इच्छा के अनुरूप मैंने कैबिनेट नोट में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के विचारों को सम्मिलित कर आवश्यक संशोधन किए और राज्यमंत्री को प्रेषित कर दिया। राज्यमंत्री ने मेरे रिटायर होने के इंतजार में दिसंबर 2005 तक वह फाइल अपने पास रोककर रखी। मेरे रिटायर होने के बाद दिनांक 12.01.06 को प्रधानमंत्री को फाइल भेजने के बजाए निम्न टिप्पणी के साथ फाइल लौटा दी–
“प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट में आवश्यक संशोधन में होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि जब तक एक्ट में संशोधन न हो जाए,तब तक प्रचलित पद्धति के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया चालू रखी जाए और इस विषय में जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है।"

मेरे मंत्रालय छोड़ने के बाद कोल ब्लॉकों की खुली बोली को दूसरे सभी खनिजों को भी उसी पद्धति के आवंटन करने के बहाने उस विषय को कोयला मंत्रालय से खनिज मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया। चूँकि इस संशोधन के लिए दूसरे मंत्रालय की सहायता मिलनी चाहिए, इसलिए यह सुनिश्चित कर लिया गया कि प्रचलित पद्धति और कुछ सालों तक चलेगी।

उपरोक्त घटनाक्रम से साफ जाहिर है कि न तो औद्योगिक संस्थान और न ही राजनैतिक प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से खुली बोली को लागू करने के इच्छुक थे। उनका भरसक प्रयास यही था कि खुली बोली प्रणाली को लागू होने से जब तक संभव हो,तब तक रोका जाए।

खुली बोली के प्रस्ताव का अनुमोदन न होने के बावजूद भी मैंने प्रचलित प्रणाली में जितना संभव था, समरूपता और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया।अखबारों में विज्ञापनों तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर आवंटन के लिए उपलब्ध ब्लॉकों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराई। सभी आवेदकों को सामान्य दर पर जियोलोजिकल रिपोर्ट दी जाने लगी,ताकि आवेदन करने से पूर्व वे इस संपदा के बारे में अच्छी तरह जांच-परख कर सकें। कोयले के खनन के लिए सफल आवेदकों को ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए प्रेरित किया,ताकि छोटे आवेदकों को भी कैप्टिव माइनिंग का लाभ मिल सके।जहाँ ज्वाइंट वेंचर बनाना संभव नहीं था,वहाँ लीड पार्टनर चयन करने की सुविधा दी गई, जो कोयले का खनन करके दूसरे सहयोगियों को वितरित करेगा। नीति निर्देशों में उपरोक्त परिवर्तन करने से सारे योग्य आवेदकों को समावेश करना संभव हो सका। खुली बोली प्रणाली के अभाव में इससे ज्यादा निष्पक्ष विकल्प संभव नहीं था।

15.महालेखा परीक्षक यानि सीएजी सही और प्रधानमंत्री गलत क्यों?

महालेखा परीक्षक अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) श्री विनोद राय ने कोयला आवंटन घोटाले को जनता के सामने लाकर एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया। विभिन्न मंत्रियों की दलीलें और प्रधानमंत्री का संसद में दिया गया वक्तव्य भी पूरी तरह से असंतोषजनक नजर आता है। श्री पी. चिंदबरम और श्री सलमान खुर्शीद ने सीएजी की आलोचना में जो भी तर्क दिये हैं; सही कहें तो इतने असंगत है कि उन पर तो टिप्पणी भी नहीँ की जा सकती।इस अध्याया में मैं संसद में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गय वक्तव्य का विश्लेषण करना चाहूँगा।

स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में :-

महालेखा परीक्षक ने लिखा कि स्क्रीनिंग कमेटी अपनी सिफारशे करते समय कोई निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके का अनुसरण नहीँ कर रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे घटकों के आकलन के बाद स्क्रीनिंग कमेटी कोल-ब्लॉकों के आवंटन की सिफ़ारिश करती थी। इसके अलावा, आवंटन संबंधित फैसला कमेटी के सभी सदस्यों का सामूहिक फैसला होता था, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवंटन प्रणाली में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का अभाव था।

प्रधानमंत्री का यह तर्क आवंटन नीति में परिवर्तन लाने वाली प्रणाली की जड़ पर करारा प्रहार था यदि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जा रहा आवंटन सही था तो फिर उन्होंने खुली बोली वाली प्रणाली का अनुमोदन क्यों किया? कुछ तो कमियाँ थी स्क्रीनिंग कमेटी की आवंटन प्रक्रिया में? जब तक कोल ब्लॉकों के आवेदन कम थे, तब तक तो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवंटन प्रक्रिया को कुछ हद तक पारदर्शी एवं निष्पक्ष माना जा सकता है, मगर जैसे-जैसे आवेदनों की संख्या बढ़ती गई, वैसे- वैसे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निष्पक्ष व पारदर्शी निर्णय लेना कठिन होता चला गया।

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार रामपिया और डिपसाइड रामपिया के लिए 105 आवेदन मिले थे। अब आप ही सोचिए इतने सारे आवेदकों को निष्पक्षतापूर्वक पारदर्शी तरीके से कैसे आवंटित किया जा सकता है? मुझे तो इकाई अंकों में आवंटन करना मुश्किल लग रहा था, तो सैकड़ों आवेदन में निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय कैसे संभव है?

2. ऑडिट की भूमिका -

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार के किसी नीति में बदलाव के कार्यान्वयन हुई देरी पर ऑडिट का नकारात्मक टिप्पणी करना सही नहीं है। नीति बनाना सरकार का काम है, सीएजी का नहीँ।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहीँ सरकार की नीति के बारे में टिप्पणी नहीं की। सीएजी ने केवल इतना ही कहा कि एक ऐसी नीति जो सरकार ने खुद आठ साल पहले बनाई थी, उसके सही समय पर क्रियान्वयन नहीँ होने के कारण प्राइवेट पार्टियों को 1.86 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इस फायदे का कोई तो आधार रहा होगा? आखिरकार यह फायदा राजकोष (एक्सचेकर) की कीमत पर ही तो था। अगर राजकोष की यह हानि सीएजी नहीँ बताती तो इस संसदीय लोकतंत्र में और कौन बताता?

3. नीति कार्यान्वयन में असामान्य विलंब -

सीएजी के अनुसार प्रचलित प्रशासनिक अनुदेशों में सुधार कर प्रतिस्पर्धात्मक बोली सन् 2006 से शुरू की जा सकती थी। प्रधानमंत्री का कहना था कि सीएजी का यह कथन सही नहीं है क्योंकि अधिकांश कोयला और लिग्नाइट बीयरिंग राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा और राजस्थान में विपक्ष की सरकारें थी। ये सारे राज्य नई प्रणाली का घोर विरोध कर रहे थे, इसलिए यह मुद्दा पूरी तरह से विवादास्पद था।

प्रधानमंत्री का उपरोक्त बयान पूरी तरह से सत्य नहीं है, अगर राजनैतिक मंशा होती तो यह प्रणाली 2006 की जगह 2004 से लागू की जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने राज्यों में विपक्ष की सरकारों के एकमत नहीँ होने पर कटाक्ष अवश्य किया, मगर उन्होंने यह कही भी नहीँ कहा कि श्री राव और श्री सोरेन इस नीति को लागू करवाने में लगातार अवरोधक का काम कर रहे थे। जानबूझकर षड्यंत्र कर रहे थे। सारे कानूनों को मद्देनजर रखते हुए और कानून विभाग की सलाह नई नीती को प्रारम्भ करने के लिए एक बिल सन् 2004 में तैयार किया जा चुका था। पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव में जान-बूझकर देरी की जा रही थी।

4. अनुचित लाभ (अनड्यू गैन) का आकलन -

प्रधानमंत्री ने सीएजी के आकलन में तकनीकी स्तर पर कई खामियाँ निकाली। जैसे-

1. खनन योग्य औसत रिजर्व पर आधारित आकलन सही नहीँ है।

2. कोल इंडिया में प्रत्येक खदान की उत्पादन कीमत अलग-अलग है। इसका मुख्य कारण उनकी जियो-माइनिंग अवस्था, उत्खनन विधि, सरफेस फीचर, सरंचनात्मक मूलभूत सुविधाएँ और इर्द-गिर्द सेटलमेंटों की संख्या इत्यादि। कोल-इण्डिया अच्छी मूलभूत सरंचनात्मक सुविधा वाली जगह पर काम करती है, जबकि कैप्टिव माइनिंग के लिए आवंटित कोल-ब्लॉक अत्यंत ही कठिन भौगोलिक अवस्थाओं वाली जगह पर दिए गए थे।

4. निजी की खदानों के लाभांश का कुछ हिस्सा टैक्स द्वारा और कुछ एम.एम.आर.डी. बिल (जो संसद में विचारधीन हैऔर जिसमें लाभांश का 25% हिसा स्थानीय क्षेत्रों के विकास में उपयोग करने का प्रावधान है) के द्वारा सरकार के पास आएगा। इसके अलावा,प्राइवेट कंपनियों को दिए गए कोल-ब्लॉक केवल उनकेअपने प्रयोग के लिए हैं। इसलिए कोल इण्डिया के मूल्यों के आधार पर आवंटित ब्लॉकों की कीमत का आकलन करना अनुचित है।

निस्संदेह अलग-अलग खदानों से कोयला निकालने में खर्च अलग-अलग होता है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कोयले का विक्रय मूल्य इसकी गुणवत्ता के आधार पर होता है।

पर इसलिए औसत वास्तविकता का प्रतिनिधित्त्व करता है। यह भी सही नहीं है कि कोल इण्डिया की खदानों की गुणवत्ता अच्छी है पर उसकी उत्पादकता कम और ओवरहेड ज्यादा है। यह तर्क कि कैप्टिव माइंस के लाभांश का कुछ हिस्सा टैक्स के माध्यम से सरकार के पास वापस आ जाता है, इसलिए सीएजी के आकलन को गलत कहना पूरी तरह असंगत लगता है। प्राइवेट कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक केवल उनके कैप्टिव प्रयोग में कम आते है, इस वजह से उनका वित्तीय लाभ घट नहीँ जाता है। जब तक कि उनके आउटपुट की कीमतों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न हो,अतिरिक्त वित्तीय लाभ तो होगा ही।

सीएजी ने अपने आकलन के लिए कोल इंडिया की औसत उत्पादन कीमत एवं औसत विक्रय मूल्य लिया है।आकलन आकलन ही होता है,यथार्थ तो नहीं हो सकता। पर सीएजी के पास इससे अच्छे आकलन का और कोई अच्छा तरीका नहीं था।

दूरदर्शन पर किए गए एक साक्षात्कार एवं दिनांक 28.10.12 टाइम्स ऑफ़ इण्डिया के एक लेख में तत्कालीन कानून मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने लिखा कि सीएजी ने यह स्पष्ट नहीँ किया कि 1.86 करोड़ रुपयों में से सरकार को कितना मिलता? सीएजी को यह भी तो बताना चाहिए था। सीएजी कोई त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि ये बता सकते कि आक्शन में सरकार को क्या मिलता?

न्यूज एक्स टीवी चैनल पर सरकार के बचाव में साक्षात्कार देते हुए कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि कोल ब्लाकों के आवंटन में किसी प्रकार का ऊपरी दबाव नहीँ था। जब उनके मंत्री होते एक भी कोल ब्लॉक आवंटित नहीँ किया गया था, तो उन्हें कैसे पता कि आवंटन के समय ऊपरी दबाव आया था जब अरबों-खरबों की संपति मुफ्त में दी जा रही हो तो ऊपरी दबाव नहीं होना असंभव है।

दबाव कई तरह के होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला काम, बिजनेस में भागीदारी, घूस, ब्लैकमेल या डराने-धमकाने आदि के रूप में। दोस्तों और परिजनों से भी दबाव आता है। मैंने लगभग ये सारे दबाव देखे हैं। कुछ लोग दबाव सहन कर पाते हैं, तो कुछ ढह जाते हैं।

यहाँ यह कहना आवशयक है कि उन पर भले ही कितने हो दबाव आए हो प्रधानमंत्री ने न तो मुझ पर कभी कोई दबाव डाला या न ही किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में सिफारिश की।

हिंडालको के केस में भी जिसमें सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। पीएमओ ने सिर्फ मेरिट के आधार पर पुन: जाँच करने के निर्देश दिए।

कोलगेट पर श्री विनोद रॉय की रिपोर्ट को कई लोगों ने 'ओवरएक्टिविज्म' की संज्ञा दी है। मेरी दृष्टि से श्री राय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपना संवैधानिक उत्तरदायित्व निभाया है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हालांकि प्रधानमंत्री खुली बोली प्रणाली को लागू करने में करना छह रहे थे,मगर वह अपनी पार्टी और अपनी सरकार में निहित स्वार्थी लोगों के विरोध के कारण ऐसा कर नहीं पाए। अगर सरकार सही समय पर सही निर्णय ले लेती तो न यह कोलगेट घोटाला होता, न ही सीबीआई जाँच और उसके बाद होने वाली मुकदमेबाजी,जो सालों चलेगी और जिसमें करोड़ों रुपए की बरबादी होगी।

16.कोयले की ई-मार्केटिंग

हमारे देश में कोयले का विशाल भंडार होने के बावजूद भी कोयले की हमेशा कमी रही है। इसकी वजह से कोयले की काला बाजारी, कोल माफिया इस उद्योग के अभिन्न अंग रहे है। राजनैतिक संरक्षण के कारण कोयलाञ्चल में कोल माफिया का जबर्दस्त प्रभाव है। कोल इंडिया के अधिकारियों का तबादला तो ये लोग आनन-फानन में करा सकते है। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों के कलेक्टर और एसपी भी इनसे समझौता किए बिना जिले में लंबे समय तक टिक नहीं सकते।

कोयले की कालाबाजारी के बहुत तरीके है,मगर सबसे आसान तरीका यह है कि स्थानीय उद्योग विभाग के अधिकारियों से मिलकर बोगस इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन करा कर कोयले का आवंटन कराना और फिर उस कोयले को काले बाजार में बेचना।कोल इंडिया के अधिकारी भी इस गोरखधंधे का हिस्सा है। कई दशकों से यह रैकेट चल रहा है और इस रैकेट को कोल इंडिया में निर्विवाद रूप से मान्यता प्राप्त है।

इस रैकेट की तह में अवैज्ञानिक व गलत मूल्य नीति है, कोयले का मूल्य डिमांड और सप्लाई के संतुलन से नहीं होता,बल्कि राजनैतिक आदेश से होता है। यह प्रक्रिया तो रातोंरात तो बदली नहीं जा सकती थी,किन्तु इस क्षेत्र में एक पहल तो की जा सकती थी।

कोल इंडिया की दो अनुषंगी कंपनियों बीसीसीएल और ईसीएल में, सबसे अच्छी ग्रेड का कोयला है, और यहीं पर कोल माफिया का सबसे अधिक प्रभाव है। कोल माफिया कालाबाजारी से करोड़ों रुपए कमाते हैं और ये कंपनियाँ सालों से घाटे में चल रही हैं।

कोल कंपनियों के अध्यक्षों की एक अनौपचारिक बैठक में मैंने नॉन कोर सेक्टर का कोयला ई-मार्केटिंग द्वारा बेचने का प्रस्ताव रखा। केवल बीसीसीएल के तत्कालीन सीएमडी श्री पार्थ भट्टाचार्य, जो बाद में कोल इंडिया के चेयरमैन बने,इस प्रस्ताव से सहमत थे। बाकी सब लोगों को यह प्रस्ताव बहुत अव्यवहारिक लगा।

क्योंकि प्रधानमंत्री से मेरी इस विषया में बात पहले ही हो चुकी थी। उनकी औपचारिक सहमति के लिए एक नोट प्रेषित किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षण के तौर पर 1.6 लाख टन कोयला ई-मार्केटिंग द्वारा बेचने की सहमति दी। यह पहला परीक्षण टेस्ट बीसीसीएल में नवंबर 2004 में किया गया। परीक्षण बहुत सफल रहा और 1.32 लाख टन कोयले पर बीसीसीएल को 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

श्री सोरेन द्वारा ई-ऑक्शन को रोकना -

बीसीसीएल में ई-ऑक्शन को भारी सफलता के बाद में सारी कोल कंपनियों में ई-ऑक्शन लागू करना चाहता था। इस बीच श्री सोरेन फिर से कोयला मंत्री बना दिए गए। मैंने एक

नोट बना कर राज्य मंत्री श्री राव के द्वारा श्री सोरेन को भेजा। ई-ऑक्शन की सफलता ने कोयला-माफियाओं को पहले से ही विचलित कर दिया था। वे नहीँ चाहते थे कि ई-ऑक्शन सारी कोल कंपनियों में लागू हो। पहले तो ये फाइल राज्यमंत्री ने अपने पास एक महीने तक रखी और फिर यह लिखते हुए कि इस विषय पर कोई निर्णय लेने के पहले एक विस्तृत प्रजेंटेशन लेने की आवश्यकता है, फाइल को श्री सोरेने के पास भेज दी। श्री सोरेन ने कोई प्रजेंटेशन नहीँ लिया, मगर झारखण्ड का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा देने के पूर्व उन्होंने आदेश दिया कि भविष्य में ओर कोई ई-ऑक्शन नहीँ होगा। कोयले की मार्केटिंग में पारदर्शिता लाने का यह प्रस्ताव फूल की तरह खिलने से पहले ही मुरझा गया। दूसरी कोल कम्पनियों में ई-ऑक्शन लागू करने वाली फाइल मंत्रियों के पास विचारधीन पड़ी हुई थी, तभी मुझे गुहावटी से एक टेलीग्राम आया कि एनईसीएल से जाने वाली प्रत्येक रैक पर कोल माफिया पाँच लाख रुपये का प्रीमियम लेते हैं। एनईसीएल के कोयले की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी है। थोड़ी बहुत सल्फर की मात्रा अवश्य है, मगर कोयले की कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए इस कोयले की उत्तर प्रदेश और बिहार की ईटों की भट्टियों में ज्यादा डिमांड है। एक तरफ एनईसीएल घाटे में चल रही थी और दूसरी तरफ कोल माफिया उसी कोयले से करोड़ों रुपए कमा रहे थे। मैंने कोल इण्डिया के चेयरमैन को एनईसीएल का सारा कोयला ई-मार्केटिंग से बेचने की सलाह दी। जो नतीजे हमें मिले, वे सब हमारी कल्पना से परे थे। कोल इंडिया को एक रैक कोयला बेचने पर नोटिफाइड प्राइस से ऊपर पच्चीस लाख से ज्यादा प्रीमियम मिलने लगा।

जब श्री सोरेन ने झारखण्ड का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोयला मंत्रालय से त्यागपत्र दिया तब फिर से प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्रालय का प्रभार संभाला और उन्होंने सारी कोल कम्पनियों में ई-ऑक्शन लागू करने की अनुमति प्राप्त दे दी। मेरे रिटायर होने तक ई-ऑक्शन बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका होता और अब किसी भी मंत्री के लिए उसे रद्द करना असंभव था।

मेरा विचार था कोयले के उत्पादन के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की ई-ऑक्शन से मार्केटिंग की जाए।ताकि घरेलू कोयले की कीमतें पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से तय की जा सके।

17.कोल इंडिया के सीएमडी का चयन : मंत्रियों द्वारा ब्लैकमेलिंग

जब करियामुंडा कोयला मंत्री थे तो कोल इंडिया के तत्कालीन चेयरमैन श्री एन.के. शर्मा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तथा एक्सप्लोजिव खरीदने में बरती गई अनियमिताओं के कारण निलंबित कर दिया गया था। श्री शर्मा नौ महीने तक निलंबित थे और कोल इंडिया के निदेशक (विपणन) श्री शशि कुमार के पास चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार था।

देश में कोयले का प्रचुर अभाव था। देश के लगभग सारे पावर प्लांटों में कोयले की कमी थी। कुछ तो बंद होने की कगार पर आ चुके थे।नियमित फुलटाइम चेयरमैन की अनुपस्थिति के कारण कोल-इंडिया की गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी।

फुलटाइम चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सीएमडी रैंक की एक सुपरनुमरी पोस्ट क्रिएट करने का एक प्रस्ताव सुश्री ममता बनर्जी के अनुमोदन के साथ डिपार्टमेन्ट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को मेरे कोयला मंत्रालय में नियुक्ति के पहले ही भेजा जा चुका था। मगर सरकार बदलने के बाद इस प्रस्ताव का नए कोयला-मंत्री से अनुमोदन आवश्यक था। मैंने नए कोयला मंत्री श्री सोरेन को इस प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी और उनका अनुमोदन लेकर फिर से एक बार उसी प्रस्ताव को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को भेजा। (परिशिष्ट 17-1)। इस प्रस्ताव को भेजे एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा कि श्री सोरेन के पास श्री एन.के. शर्मा की बहाली हेतु सांसद श्री टेक लाल मेहता का पत्र प्राप्त हुआ। अब श्री सोरेन चाहते थे कि जल्दी से जल्दी श्री शर्मा को बहाल किया जाए, भले ही, उनके खिलाफ जाँच चल रही थी।मैंने उन्हें सलाह दी, "ऐसा करना उचित नहीं है। "

हालांकि वे मेरी इस सलाह पर सहमत हो गए, मगर बाद में जब उन्होंने मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तो उस शिकायती पत्र में उन्होंने मेरे ऊपर गुमराह कर हस्ताक्षर ले लेने का आरोप लगाया।

अंत में, प्रधानमंत्री द्वारा कोयला मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद सरकार ने सीएमडी रैंक की सुपर-नुमरेरी पोस्ट को मंजूरी दी।15 सितम्बर 2004 को इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया गया। पब्लिक एंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड (पीईएसबी) ने मेरिट के आधार पर दो नामों की सिफारिश की। पहला नाम कार्यकारी चेयरमैन श्री शशि कुमार का था। श्री शशि कुमार के इंटरव्यू के पहले ही श्री सोरेन और श्री दसारी नारायण राव ने मंत्रालय ज्वाइन करते ही श्री कुमार से पहले एकमुश्त 50 लाख रुपए और फिर हर महीने 10 लाख रुपए भुगतान करने की मांग की, मगर श्री शशि कुमार ने साफ मना कर दिया।

श्री राव द्वारा श्री कुमार के खिलाफ कार्यवाही की शुरूआत:-

सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानि सीवीसी से क्लियरेंस मिलने के बाद मैंने श्री कुमार की नियुक्ति वाली फाइल 15 अक्टूबर को श्रीराव, राज्यमंत्री के पास सबमिट कर दी। 29 अक्टूबर को राज्य मंत्री ने कोल-इंडिया के लिए बारूद खरीदने में श्री कुमार की संदिग्ध भूमिका को लेकर फाइल वापस लौटा दी।

पीईएसबी और सीवीसी की सिफारिशों की अवमानना -

श्री कुमार की सत्यनिष्ठता पर राज्यमंत्री द्वारा संदेह प्रकट करने के कारण एक बार फिर से कोल इंडिया के मुख्य सर्तकता अधिकारी से उनके बारे में रिपोर्ट मांगी गई और फिर से उनके विजिलेंस क्लियरेंस पर सीवीसी से सलाह ली गई। जब सीवीसी ने यह विचार व्यक्त किया कि श्री शशि कुमार के खिलाफ कोई केस नहीं बनता तो मैंने उनकी नियुक्ति की फाइल को 24 दिसम्बर को फिर से कोयला मंत्री के पास अनुमोदन हेतु भेज दी। इस समय फिर से श्री सोरेन कोयला मंत्री बन चुके थे। दोनों मंत्रियों के निजी सचिवों ने श्री कुमार को मंत्रियों को एक डिनर पर बुलाया।बातचीत के दौरान उन्हें यह सुझाव दिया गया कि यदि वे स्वयं पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम वह कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी लोगों से पैसे लेने में एक बिचौलिये का काम तो कर सकते है।उन्हें यह समझाया गया कि पुराने सारे चेयरमैन मंत्रियों को पैसा देते रहे हैं।

मगर श्री कुमार ने ऐसा करने से भी मना कर दिया। प्रतिक्रियास्वरूप क्रोधित होकर राज्यमंत्री ने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा और अंत में अपना निष्कर्ष निकालते हुए यह लिख दिया कि इस मामले में उन्हें सीवीसी की सलाह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और श्री कुमार को सीएमडी के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। श्री सोरेन ने राज्य मंत्री के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए फाइल मुझे लौटा दी।

मंत्रियों द्वारा उठाए गए सारे मुद्दों का मैंने सटीक जबाब दिया और वह फाइल फिर से सबमिट की। उसमें मैंने यह लिखा कि पीईएसबी एक स्वतंत्र संस्थान है, जो सरकारी उपक्रमों के डायरेक्टर और चेयरमैन का चयन करती है। इसी तरह लोक सेवकों के विजिलेंस मामलों की जाँच करने वाली सबसे ऊँची संस्था है -सीवीसी। अत: पीईएसबी और सीवीसी की सिफारिशों के आधार पर चयनित श्री कुमार की नियुक्ति निरस्त नहीँ की जा सकती, इसलिए इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए। राज्यमंत्री ने फिर से श्री कुमार की नियुक्ति को निरस्त करने के बारे में अपने विचार दोहराए और श्री सोरेन ने उन विचारों के साथ सहमति जताते हुए फाइल लौटा दी।

मैं मंत्रियों को अपनी बात समझाने में विफल रहा। मैंने मंत्रियों के मंतव्यों पर अपने विचार लिखकर फाइल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को एपांइटमेट कमेटी ऑफ कैबिनेट (एसीसी) के निर्णय के लिए भेज दी।

मेरे एसीसी में केस भेज देने से नाराज दोनों मंत्रियों ने इस मामले को गंभीरता से मेरा स्पष्टीकरण मांगा और पूछा गया, ''पैनल में दिए गए दूसरे नाम पर विचार के बिना ही सीधे शशिकुमार का प्रस्ताव डीओपीटी को क्यों भेज दिया गया?''

शायद मंत्रीलोगों ने दूसरे नंबर के कैंडीडेट से सौदेबाजी शुरू कर दी थी। मुझे उन्हें भारत सरकार के बिजनेस रुल्स के प्रावधान दिखाते हुए समझाना पड़ा, ''पीईएसबी की सिफारिशों के निरस्त करने का अधिकार केवल एसीसी को है, कोयला मंत्री को नहीं। कोयला मंत्री इस कमेटी में केवल एक सदस्य है। दूसरे सदस्य गृहमंत्री और प्रधानमंत्री होते है। सेक्रेटरी की हैसियत से मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं बिजनेस रुल्स का अनुपालन करूँ। इसलिए मैंने अपने बिजनेस रुल्स का पालन करते हुए सारे रिकॉर्ड एसीसी के दूसरे सदस्यों के पास विचारार्थ भेज दिए हैं।''

मेरा स्पष्टीकरण सुनने के बाद में दोनों मंत्री निरुत्तर हो गए।

श्री कुमार की नियुक्ति पर एसीसी की स्वीकृति -

कुछ ही दिनों बाद श्री सोरेन ने झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोयला मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। फिर से प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। प्रधानमंत्री ने श्री राव और श्री सोरेन की सलाह को अनदेखी करते हुए कोल इंडिया के चेयरमैन के लिए श्री शशि कुमार के नाम पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। प्रधानमंत्री ऐसा इसलिए कर सके, क्योंकि सोरेन ने त्यागपत्र दे दिया था। अगर सोरेन कोयला मंत्री रहते तो प्रधानमंत्री शायद ही ऐसा कर पाते।

कोयला मंत्री श्री शशि कुमार पर अनुचित दबाव डालने लगे। उनकी माँगें नहीं मानने के कारण समय-समय उन्हें या तो प्रताड़ित करते या डराते-धमकाते। इतना होने के बावजूद भी श्री कुमार ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। कोल इंडिया के अधिकांश अधिकारियों में ऐसा साहस नहीं होता है। मंत्रियों की अवैध मांगों को मानने से इंकार करना हर किसी के वश में नहीं होता है। सरकारी उपक्रमों में बोर्ड लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति पर मंत्रियों द्वारा पैसों मांगने का यह कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, जो मंत्रियों के संरक्षण में गलत काम करते हैं और दोनों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार पनपता हैं। मैं समझता हूँ कि सरकारी उपक्रमों एवं सरकारी विभागों में यह प्रायः आम बात है। इसलिए मुझे इस बात पर कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ, तब तत्कालीन रेलवे मंत्री पवन कुमार बंसल का भतीजा रेलवे बोर्ड में श्री महेश कुमार की सदस्य के तौर पर नियुक्ति के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इतना ही नहीं, हमारे देश के औद्योगिक घरानों की बहुत सारी ऐसी पब्लिक रिलेशन एजेंसिया है, जो नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों की ओर से रकम भुगतान करने को इच्छुक रहती है और बदले में उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद अपना काम निकालती है। जिनकी नियुक्ति ही भ्रष्टाचार के आधार पर हुई हो, उन उपक्रमों और

विभागों के मुखिया अपने संस्थान में क्या भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं? वे तो आते ही अपने दोनों हाथों से माल बटोरने में लगेंगे।

शिखर पर राजनेताओं की संडाधता के कारण आज पूरे देश में भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है। वे किस हद तक नीचे गिर चुके हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री किरण कुमार रेड्डी को ऑल इंडिया सिविल सर्विस के प्रशिक्षुओं यह कहते हुए शर्म नहीं आई कि आप लोगों को राजनैतिक भ्रष्टाचार पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैं, क्योंकि राजनेता अपना धन चुनाव के दौरान जनता को वापस लौटा देते हैं। हमारे देश में राजनैतिक मापदंडों में इससे ज्यादा गिरावट की आखिरी हद और क्या हो सकती हैं?

18.सांसदों के खेल

मंत्रालय के सचिव का दायित्व संभालते ही मेरे सामने बड़ी चुनौती थी, देश में कोयले की कमी को पूरा करना। तापीय संयंत्रों में कोयले के अभाव ही वजह से हाहाकार मचा हुआ था। इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने सभी कोल कंपनियों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई,ताकि कोयले की आपूर्ति हेतु कोई ठोस रणनीति बनाई जा सके।बीसीसीएल और सीसीएल में बहुत सारे छोटे और छिछले डिपोजिट थे। बैठक में एक सुझाव यह आया कि अगर इन छोटे-छोटे डिपोजिटों को खुली बोली के माध्यम प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया जाता है तो कोल इंडिया को छोटे-छोटे उपकरणों की खरीददारी में निवेश नहीं करना पड़ेगा और प्राइवेट ठेकेदार कम समय में यह कोयला निकालकर सीआईएल को दे देंगे। दो डिपॉजिट के लिए खुली बोली द्वारा ठेकेदार निश्चित किए गए। एक सुबह इन खदानों का काम शुरू होने के बाद धनबाद के कांग्रेस के सांसद श्री चन्द्रशेखर दूबे का मेरे पास फोन आया। श्री दूबे कोयला मंत्री संसदीय समिति के सदस्य थे। हमारी फोन पर जो बातचीत हुई वह इस प्रकार से थी -

दूबे - सेक्रेटरी जी, मेरी इजाजत के बिना अपने बीसीसीएल मे आऊटसोर्सिंग के आदेश कैसे दे दिए?

मैं- दूबे जी, यह कंपनी के हित में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला है। मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

दूबे - नहीं, मुझे बताया गया है कि यह आपका निर्णय है।

मैं - यह सीआईएल का निर्णय है, जिससे मैं सहमत हूँ।

दूबे - मगर मेरी जानकारी के बिना सीआईएल यह निर्णय कैसे ले सकती है? मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ।

मैं - दूबे जी, यह कंपनी के प्रबंधन का निर्णय है। वे एरिया के सांसद को क्यों पूछेंगे? मैंने भी स्टेट लेवल की कई कंपनियों को संभाला है। मैंने कभी भी एम.एल.ए. और एस.पी. से नहीं पूछा कि कंपनी कैसे चलाई जाए?

दूबे - ऐसा आपके आंध्रप्रदेश में हो सकता है। हमारे झारखंड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ का पत्ता भी हिलता है तो हमारी मर्जी से। मैं चाहता हूँ कि तुरंत आऊट सोर्सिंग बंद करें, अन्यथा मैं बंद कर दूँगा।

यह थी कोयला मंत्रालय के सेक्रेटरी यानि मेरी धनबाद के सांसद चंद्र शेखर दूबे की टेलीफोनिक बातचीत। कितने अहंकार और धमकी भरे शब्द थे दूबे के! क्या प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका था कि ऐसे धमकी देने वाले सांसदों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जा

सकती? बात एकदम सही थी। अपनी जुबान के अनुसार दूबे के समर्थकों ने दूसरे दिन खदान का काम बंद करवा दिया। बीसीसीएल के सीएमडी भट्टाचार्य ने मुझे बताया कि दूबे के समर्थक ठेकेदारों के कामगारों को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं।

मैंने झारखंड के मुख्य सचिव श्री शर्मा से बातचीत की और कहा कि जिलाधीश को आप निर्देश दें कि ठेकेदार के आदमी काम कर सकें। मगर मुख्य सचिव से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं हुआ। खदान का काम ऐसे ही बंद रहा, जिलाधीश भी कुछ नहीं करवा पाए। उल्टा, धमकी भरे लहजे में श्री दूबे ने मुझे फोन किया और बोले, ''सेक्रेटरी जी, मैंने काम बंद करवा दिया है। मुख्य सचिव को बोलने से कोई फायदा नहीं है। झारखंड में न तो मुख्य सचिव की चलती है और न ही जिला मजिस्ट्रेट मेरे आदमियों का वहाँ से हटा सकता है।''

आप समझ गए होंगे कितने खूँखार गुण्डे पाल रखे होंगे दूबे जी ने। जब जिला-प्रशासन और राज्य-प्रशासन ही असक्षम हैं उन्हें संभालने में तो सीआईएल प्रबंधन क्या कर सकता था? मैंने पहली बार अनुभव किया कि झारखंड में सिविल सर्विस का कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितना भी सीनियर क्यों न हो, कोयला माफियाओं से टक्कर नहीं ले सकता।

दूबे जी कि जिद्द के आगे किसी की नहीं चली। दो-तीन हफ्तों तक खदानें बंद रही। बहुत सारा कोकिंग कोल जल कर बर्बाद हो गया। मुझे रह-रहकर अपने कलेक्टर वाले दिन याद आने लगे। क्या आंध्रप्रदेश में ऐसा कभी हो सकता था? ऐसे मामलों को निपटने के लिए कलेक्टर की शक्तियाँ ही पर्याप्त होती थी। जबकि झारखंड में एक अड़ियल सांसद और उसकी इतनी हिम्मत? राज्य का मुख्य सचिव भी उसके सामने बौना पड़ रहा था।

बहुत समय से बीसीसीएल में अवैध कब्जेदारों ने मकान दबाए हुए थे। न केवल अवैध कब्जा, बल्कि बीसीसीएल के कर्मचारियों की तरह उन्हें सारी सुविधाएँ मिलती थी जैसे फ्री बिजली, पानी आदि। कोयला माफियाओं और राजनैतिक संरक्षण मिलने के कारण कंपनी उन्हें खाली नहीं करवा पा रही थी। दूबे जी को भी बीसीसीएल का एक मकान चाहिए था। दूबे जी सांसद थे, यह क्या कम था मकान पाने के लिए? मगर श्री भट्टाचार्य ने उनका यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

बुरी तरह से खफा हो गए दूबे जी। भट्टाचार्य को बेइज्जत करना और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। देखते-देखते दूबे अवैध कब्जेदारों का संरक्षक बन गया। सीएमडी भट्टाचार्य ने मुझे दूबे की सारी गतिविधियों एवं उनकी अवैध मांगों के बारे में पत्र लिखा (परिशिष्ट 18-1)। यह पत्र पढ़कर आप आराम से इस निष्कर्ष पर पहुँच जाएँगे कि किस तरह एक सांसद अपने आपको कानून के ऊपर समझने लगता है।

दूबे जी का ही नहीं, भारत के हर कोने में यही हाल है।सरकार लाचार है, असमर्थ है कानून व्यवस्था लागू करने में।

हर स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि कांट्रेक्ट मैनेजमेन्ट में दखलंदाजी करने लगे हैं। सरकार के कामों में ही नहीं, सरकारी उपक्रमों में ही नहीं, वरन् प्राइवेट कंपनियों में भी अनवरत हस्तक्षेप करने लगे हैं। ये प्रतिनिधिगण सब हफ्ता वसूल करने वाले बन गए हैं। अपराध और समानांतर इकोनोमी में उनकी अहम भूमिका रहती है।

धनबाद में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए कोयला माफियाओं और उनके राजनैतिक संरक्षकों से समझौता करना पड़ता है।

रिटायर होने के बाद मुझे एक अंडर ग्राउंड खान में हुई दुर्घटना की इंक्वारी के सिलसिले में धनबाद जाना पड़ा था। पता चला कि कलेक्टर का दूबे जी के साथ युद्ध चल रहा था। एक दिन दूबे जी ने कलेक्टर के ऑफिस पर ताला लगा दिया। कलेक्टर के ऑफिस पर ताला? कितनी बड़ी बात थी? यह तो साफ-साफ कानून का उल्लंघन था। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। मगर हुआ क्या? उसकी गिरफ्तारी के बदले में कलेक्टर का तबादला कर दिया गया। अब सोचिए, यह है हमारा जिला प्रशासन, जो खुद ही सुरक्षित नहीं रह पाता है तो दूसरों को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा? वे दिन अब लद गए, जब पुराने जमाने में मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों का बचाव करते थे। मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्री से कोई कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक यह आशा लगाए कि कोयला माफियाओं से टक्कर लेने में वह उसे बचाएगा तो यह सोचना निरर्थक है।

बीसीसीएल में ई-ऑक्शन की सफलता ने कोयला माफियाओं को पूरी तरह परेशान कर दिया था। अगर ई-ऑक्शन कोल इंडिया की सारी कंपनियों में फैल गया तो माफियाओं और उनके राजनैतिक संरक्षकों के लिए अवैध आय वसूलना मुश्किल हो जाएगा। कोयला माफियाओं में मची खलबली के कारण मुझे मंत्रालय से हटाने की कोशिश की जाने लगी। दूबे जी मुझसे खफा थे क्योंकि बीसीसीएल के सीएमडी को मैं कंपनी के कामों में स्वच्छता लाने के लिए भरपूर सहयोग कर रहा था। दूबे जी ने नवंबर की शुरूआत में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि स्विस बैंक में मेरा एकांउट है और बीच-बीच में मैं स्विट्जरलैंड जाता रहता हूँ (परिशिष्ट 18-2)। सीबीआई या संसदीय समिति मेरे संदिग्ध कारनामों की जाँच करे। ये हैं हमारे सांसद, कुछ अच्छा काम करने जाओ तो आपके पीछे ऐसे लगते हैं जैसे किसी अरण्य में विक्रमादित्य के पीछे वेताल। (परिशिष्ट 18-3)।

दूबे जी के पत्र के जवाब में कैबिनेट सचिव को स्पष्ट शब्दों में मैंने लिखा कि आप सीबीआई या अन्य एजेंसी द्वारा जाँच करवाएँ, किन्तु यदि आरोप सत्य नहीं पाए जाते हैं तो दूबे को कानूनन खामियाजा भुगतना होगा,क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की इज्जत का सवाल है। मैंने उनसे यह भी गुजारिश की कि दूबे के अनुचित व्यवहार को उचित कार्यवाही के लिए लोकसभा के स्पीकर के ध्यान में भी लाया जाए।

दूबे का पत्र अभी थमा ही नहीं था कि एक सांसद गिरधारी यादव ने भी ऐसा ही एक पत्र लिखा। केवल दूबे और गिरधारी लाल ही ऐसे सांसद नहीं हैं, वरन् बहुत सारे ऐसे सांसद है जो

अपनी अवैध मांगों की पूर्ति न होने पर सरकारी उपक्रमों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को परेशान करते रहते हैं।

दूसरा उदाहरण लीजिए, सांसद फुरकन अंसारी का, (परिशिष्ट 18-7) जो सीसीसल के सीमएडी श्री आर.पी. रितौलिया के पीछे लगे हुए थे। उनकी मांग थी कि जामतारा क्षेत्र के सौ मुसलमानों को सीसीएल में नौकरी देने की। जब सीएमडी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उनके विरुद्ध झूठी शिकायत दूबे व अंसारी ने मिलकर प्रधानमंत्री से की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आवश्यक जाँचकर असत्य पाया और मुझे सलाह दी गई कि अंसारी को उचित तरीके से सूचित कर दिया जाए।

बात यहीं खत्म नहीँ होती है। बात चल रही थी सांसदों की, सांसदों के खेल के बारे में। सांसदों से ऊपर वाले लोग भी क्या अच्छे होते हैं?

वे लोग भी जब चाहे अपनी गंदी जुबान का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर श्री अनंत कुमार कोयला और स्टील की स्टैडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अपने किसी सगे संबंधी अधिकारी का सीआईएल में कहीँ ट्रांसफर करवाना चाहते थे। काम नहीँ करने पर सीआईएल चेयरमैन के लिए जिस बदजुबान का उन्होंने प्रयोग किया, वह आपकी सोच से भी परे होगा -

''सीआईएल चेयरमैन और एमसीएल सीएमडी का ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीँ किया जाएगा, मेरी पार्टी बीजेपी देखेगी कि वे अपनी भूल स्वीकार करें और राजनेताओं का महत्त्व समझें। अगर साहा का अनुरोध नहीँ माना गया तो एक दिन चेयरमैन को पछताना पड़ेगा। शशि कुमार को मैं उनके अंतिम दस महीनों में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा।''

शशि कुमार का यह पत्र (परिशिष्ट 18-8) साफ दर्शाता है कि राजनेता किस तरह अपना काम निकलवाना चाहते है? दादागिरी के बल पर पीएसयू के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर? श्री अनंत कुमार कभी मंत्री रह चुके थे। वह यह बात शायद भूल गए कि सरकारी उपक्रमों और प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी सेवाओं के विषय में राजनैतिक प्रभाव डालना आचार संहिता का उल्लंघन होता है। श्री साहा का कोलकाता से स्थानांतरण रुकवाने के लिए वह कदाचार को बढ़ावा दे रहे थे। वह तो यह भी भूल गए कि वह संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन है। उनसे कम से कम सच्चे और उदार व्यवहार की उम्मीद की जा सकती थी। शायद उनकी यह सोच थी कि इस समिति के चेयरमैन होने के नाते वह सीआईएल चेयरमैन को आदेश दे सकते है और अगर वह उनके आदेश को नहीँ मानता है तो उसे बुरे परिणामों के लिए धमकाया जा सकता है। मैंने राज्यमंत्री (कोयला) के द्वारा श्री अनंत कुमार के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए प्रधानमंत्री को एक नोट भेजा (परिशिष्ट 18-9)। यह मुझे मालूम नहीँ, उन्होंने वह नोट प्रधानमंत्री को भेजा अथवा नहीँ।

जब सोरेन ने दूसरी बार कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो मैंने मौके का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री की सहमति से सारी कोयला कंपनियों में ई-ऑक्शन लागू करवा दिया। एमसीएल में ई-ऑक्शन का नोटिफिकेशन निकलने के बाद तालचेर कोयलांचल के बीजेपी सांसद धर्मेन्द्र प्रधान कुछ नॉन-कोर ग्राहकों को नोटिफाइड मूल्य पर कोयला दिलवाने हेतु मेरे पास आए। मैंने उन्हें समझाया कि आक्शन का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी को भी नोटिफ़ाइड मूल्य पर कोयला नहीं दिया जा सकता।श्री प्रधान नाखुश हो गए। ई-ऑक्शन ने कोल बेल्ट में कालेधन के प्रवाह को काफी हद तक रोक दिया था। अपना गुस्सा उतारने के लिए श्री प्रधान ने मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति का सहारा लिया। अगस्त की शुरूआत में जब इस बैठक का आयोजन किया गया, तब धर्मेन्द्र प्रधान अपना आपा खो बैठे। उन्होंने मेरे ऊपर कुछ भद्दे कमेंट किए। राज्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्हें टोकने के अपना विष-वमन जारी रखने दिया।

कोल सेक्टर में सुधार करने हेतु लगातार भीतर-बाहर से विरोध झेलने के बाद भी मैं लगातार काम में लगा रहा। इसके के बावजूद जब एक सांसद मेरे ऊपर घटिया कमेंट करते है और कोयला राज्यमंत्री मूकदर्शक बन कर बैठे रहते है तो मेरे लिए इससे बड़ी निराशा और क्या हो सकती थी। दूसरे ही दिन मैंने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी बी.के. चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा,जिसके मुख्य अंश निम्न है(परिशिष्ट 18-10) :-

‘‘5 अगस्त 2005 शुक्रवार को कोयला मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में ओड़िशा के सांसद धर्मेन्द्र प्रधान के व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सिविल सर्विस के अधिकारी के लिए अपने आत्म-सम्मान, गरिमा और सत्यनिष्ठा के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे लिए ऐसे कष्टदायक वातावरण में काम करना पूरी तरह से असंभव है और मैं कोयला मंत्रालय के सचिव के उत्तरदायित्व से तुरंत मुक्त होना चाहता हूँ। मेरे इस पत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए मेरा प्रार्थना पत्र समझा जाए। इसकी स्वीकृति होने तक मैं 9 अगस्त 2005 से अर्जित अवकाश पर जा रहा हूँ।’’

सांसदों का रवैया दिन-प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है और वे अपने सामने सरकारी उपक्रमों अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ भी तवज्जह नहीँ देते। अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति नहीँ होने पर अपना प्रतिशोध निकालने के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल करते है अथवा उन्हें ब्लैकमेल करते हैं।

17 अगस्त 2005 को मैं प्रधानमंत्री से मिला। मैंने उन्हें सांसदों द्वारा सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अपमान और प्रताड़ना के बारे में मैंने विनम्रता पूर्वक प्रधानमंत्री से पूछा, "अगर सांसद भारत सरकार के सचिवों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते है तो युवा जिला अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे? अगर निर्वाचित जन प्रतिनिधि ब्लैकमेल और डराने-धमकाने का काम करेंगे तो जिला अधिकारी किस तरह से निष्पक्ष और सही ढंग से काम कर पाएंगे।’’

दुखी मन से प्रधानमंत्री ने कहा, ''मुझे तो हर दिन ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मैं हर ऐसे मुद्दे पर त्याग-पत्र दे दूँ तो इससे क्या राष्ट्रहित होगा?''

मैंने प्रधानमंत्री की बात को बड़े ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर विवशता की रेखाएँ साफ नजर आ रही थी। हालांकि उनकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठा सकता।किन्तु फिर भी 2 जी और कोलगेट के घोटालों से उनकी छबि को काफी धक्का लगा। यदि वे अपने अधिकारों का दृढ़तापूर्वक प्रयोग करते तो इस घोटाले में नहीं होते।

प्रधानमंत्री ने मेरे प्रश्न का कोई भी समाधान तो नहीं दिया, मगर मुझे पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया और मुझ पर अपना भरोसा जताया। उन्होंने मुझे सेवानिवृत्ति की याचिका वापस लेने की सलाह दी और अपनी तरफ से मेरे सेवानिवृत होने तक पूरा-पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री का आश्वासन पाकर मैंने उनकी सलाह मानते हुए 22 अगस्त 2005 को फिर से ऑफिस संभाला (परिशिष्ट 18-11)। मगर मुझे साफ-साफ लगने लगा था कि कोल सेक्टर में सुधार लाना आसान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी अपनी सीमाएं हैं।

संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में हुई दुर्भाग्य-पूर्ण घटना के तुरंत पश्चात श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने कदाचार को न्यायसंगत ठहराते हुए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा (परिशिष्ट 18-12)। जिसका कोयला मंत्रालय के मेमोरेण्डम द्वारा प्रधानमंत्री को सटीक जवाब भेजा गया (परिशिष्ट 18-13)। श्री प्रधान का यह पार्ट इस बात की झलक दिखाता है कि हमारे चुने हुए नेता कितने अनभिज्ञ, असंयमित एवं प्रतिशोध लेने वाले हो सकते है? श्री प्रधान ने मुझे सीआईएल चेयरमैन के प्रेजेंटेशन को सेंसर नहीं करने का दोषी ठहराया। क्या उन्हें मालूम नहीं था संसदीय सलाहकार समिति उन्मुक्त रूप से विचार विमर्श के लिए होती है और उसमें हर अधिकारी को अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए। मंत्री या सचिव को उन्हें अपने विचार रखने से रोकना नहीं चाहिए। श्री प्रधान ने अपने बचाव में पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का सहारा लिया, जिससे ना तो उनका, ना ही उनकी पार्टी बीजेपी का उससे कोई संबंध था। कितना मानते है बीजेपी के नेता जवाहरलाल नेहरू को? मगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री देख कर उसे प्रभावित करने के लिए श्री प्रधान ने यह कदम उठाया। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के मुद्दे पर अपने गुस्से को जायज ठहराने के लिए उन्होंने मेरे वक्तव्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उन्होंने सोचा शायद यही एक बहाना है,जिसके कारण वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को अपमानित किया। सांसदों और विधायकों को यह समझना चाहिए कि संविधान उन्हें विशेषाधिकार सदन की गरिमा देखते हुए देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी के भी साथ दुर्व्यवहार करें या उन्हें अपमानित करें। उनके दुर्व्यवहार और कदाचार से ना केवल उनकी छबि खराब होती है बल्कि सदन की छबि पर भी आँच आती हैं।

19.श्री शिबू सोरेन :पर्सनल एजेंडा वाले मंत्री

जब श्री सोरेन ने कोयला मंत्रालय का भार संभाला तो भारत सरकार के प्रचलित चलन के अनुसार उन्होंने राज्यमंत्री श्री दसारी नारायण राव को कोई विशेष काम नहीं दिया, इस वजह से श्री राव बहुत नाखुश थे। यह बात उन्होंने मुझे भी बताई। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे या तो प्रधानमंत्री या फिर कांग्रेस अध्यक्ष से इस बारे में बातचीत करे।

श्री सोरेन की राजनैतिक कर्मस्थली झारखंड रही है। इसलिए उन्हें कोल इंडिया में फैले भ्रष्टाचार की अच्छी तरह जानकारी थी।

किन्तु श्री सोरेन इतने चतुर नहीं थे कि कोयला मंत्री के सामर्थ्य का पूरा पूरा लाभ उठा सकते। उनके ऑफिसर ऑन स्पेशियल डयूटी (ओएसडी) श्री दीक्षित को भी सरकारी कामकाज का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए उन्हें मंत्रालय के सामर्थ्य का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष के सहयोग की आवश्यकता थी। किन्तु दुर्भाग्यवश दोनों ही उनका इस विषय में सहयोग करने के अनिच्छुक थे। शुरू-शुरू में सीआईएल के मुखिया श्री शशि कुमार को उन्होंने दबाने का प्रयास किया। मगर वह बिलकुल दबे नहीं। तब उन्होंने हर छोटे-मोटे कामों में उनकी मीन-मेख निकालना शुरू किया। यहाँ तक कि एक प्रेस संबोधन करने के सिलसिले में अपनी गंभीर आपत्ति प्रकट करते हुए उन्होंने पूछा, ''आपने मेरी आज्ञा के बिना कोयले की कीमत के रिविजन पर प्रेस को संबोधित कैसे किया?''

क्या उत्तर देते श्री कुमार? प्रेस संबोधन को अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर वह श्री कुमार को निलंबित करना चाहते थे।मैंने उन्हें समझाया, ''सीआईएल चेयरमैन को प्रेस का संबोधित करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह वजह उनके निलंबन का कारण नहीं बन सकती है।"

मगर कुछ दिनों के बाद मंत्रालय के कार्य-वितरण आदेश में संशोधन किया गया। सारी फाइलें राज्यमंत्री श्रीराव से होकर कैबिनेट मंत्री को भेजी जाएँ। मुझे नहीं पता कि सोरेनजी के अचानक हृदय परिवर्तन का क्या कारण था। मगर श्री राव ने कोयला मंत्रालय में पारदर्शिता लाने के मेरे हर प्रयास को निष्फल करने में श्री सोरेन का भरपूर सहयोग दिया।

सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के डायरेक्टरों का स्थानांतरण :-

सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में पैसा बनाने का विभव हर जगह बराबर नहीं है। लुकरेटिव पोस्टिंग पाने के लिए कई डायरेक्टर मुँह माँगे पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। कोयला मंत्रियों को और क्या चाहिए? इससे अच्छा-खासा व्यवसाय क्या हो सकता है। इस गोरखधंधे

पर अंकुश लगाने के लिए एनडीए सरकार के समय मंत्रियों द्वारा डायरेक्टरों के स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी थी। ऐसे सारे प्रस्तावों की स्वीकृति एसीसी द्वारा जरूरी कर दी गई।

श्री सोरेन ने डायरेक्टरों का इंटर कंपनी ट्रान्सफर करने के लिए मुझे मौखिक आदेश दिये। गंभीरतापूर्वक मैंने उनसे कहा,"मंत्री महोदय! डायरेक्टरों का चयन 5 साल के लिए होता है। इस बीह उनका स्थानांतरण न तो कंपनी के हित में है और न ही उन अधिकारियों के, जब तक कि कोई विशेष कारण नहीं हो।"

मेरी यह सलाह श्री सोरेन को पसंद नहीं आई। जब मैंने कोयला मंत्री के मौखिक आदेश नहीं माने तो श्री सोरेन सीएमपीडीआईएल के एक डायरेक्टर का बीसीसीएल में स्थानांतरण करने के लिए एक नोट भेजा। मैंने उन्हें समझाया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिए इस प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए एसीसी को भेजना होगा।मेरा आप से अनुरोध है कि आप एक बार अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री से बातचीत कर लें। क्योंकि कैबिनेट मंत्री के प्रस्ताव को अगर एसीसी रिजेक्ट कर देगा तो आपके लिए यह एक शर्मिंदगी की बात होगी।" -

मगर श्री सोरेन ने मेरी बात नहीं मानी।प्रस्ताव एसीसी को भेज दिया गया। जैसा मैंने कहा था- हुआ भी वैसा ही। श्री सोरेन के इस्तीफा देने के बाद एसीसी ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया।

मेरा स्थानांतरण करने का प्रयत्न :-

कोयला मंत्रियों को मैं पूरी तरह से असहयोगी लग रहा था। वे दोनों मिलकर मुझे मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखलाना चाहते थे। सांसदों को मेरे और श्री कुमार के खिलाफ झूठी शिकायतें करने के लिए उकसा रहे थे। धनबाद के सांसद चंद्रशेखर दूबे मेरे ऊपर स्विस बैंक में काला धन रखने का आरोप लगा चुके थे। एक बार वह दो कंपनियों को कोल-ब्लॉक दिलवाने के लिये मेरे ऑफिस आये, तो मैंने उनसे पूछा, "दूबे जी! आपने मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री को झूठी शिकायत क्यों की?"

उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, "यह शिकायत मैंने तैयार नहीं की थी। यह राज्यमंत्री के ऑफिस में बनाई गई थी और मुझे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग और हाउसिंग के मसले को लेकर मैं आपसे नाराज था, इसलिए उस शिकायत पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए।"

जहाँ दूसरे सांसद अपना काम निकलवाने के लिए अनुरोध करते थे, वही दूबे किसी बॉस की तरह आदेश देते थे। उन्होंने अपने दो नामित लोगों को कोल-ब्लॉक आवंटित करने के लिए मुझे कहा। मैंने उन्हें समझाया कि सरकार की प्रचलित गाइड-लाइनों के अनुरूप उन्हें कोल ब्लॉक आवंटित नहीं किए जा सकते।दूबे जी नाराज हो गए और क्रोध भरे स्वर में कहने लगे, "क्या मुझे पता नहीं है, इससे पहले आवंटन कैसे हुए थे? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा मंत्रालय रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उत्तर दिया, "आपकी जो इच्छा हो, कीजिए।"

दोनों कोयला मंत्री मुझसे नाखुश थे।कोल-ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया, ई-ऑक्शन से कोल मार्केटिंग, सीआईएल चेयरमैन की नियुक्ति और दीर्घ अवधि से लंबित लिंकेज मामले ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर मेरे और श्री सोरेन और श्री राव के विचार एकदम विपरीत थे। दूसरी बार कोयलामंत्री बनने के बाद श्री सोरेन ने मुझे आमने-सामने "फेस टू फेस" बातचीत करने के लिये बुलाया।हमारी बातचीत का सारांश इस प्रकार है :-

सोरेन- सेक्रेटरी साहब, अगर हम दोनों के बीच एकदम तालमेल नहीँ हुआ तो कोयला मंत्रालय कैसे चलेगा? बाहर लोग यह सोचते है आप मंत्रालय चला रहे हैं, मैं नहीँ।

मैं- सर, भारत सरकार के बिजनेस रुल्स के अनुसार सेक्रेटरी और मंत्री का काम बँटा हुआ है। मेरा दायित्व आपको सभी विषयों पर जनहित में सलाह देना है और मंत्री होने के नाते आपका यह अधिकार है आप मेरी सलाह मानें या न मानें। मैं आपके लिखित आदेश को पूरी तरह से मानूँगा और उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन करूँगा, भले ही, वह आदेश मेरी सलाह के विपरीत क्यों न हो।

सोरेन- आपकी शह के कारण सीआईएल चेयरमैन मेरे आदेशों को नहीँ मानता है।

मैं:- मंत्री होने के नाते आपको सीआईएल के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सीआईएल बोर्ड कंपनी के रोज़मर्रा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, न कि सरकार।सरकार को सीआईएल प्रबंधन को नीतिगत मसलों पर निर्देश देने का अधिकार है और सीआईएल बोर्ड और चेयरमैन सरकार के लिखित आदेशों को मानने के लिए बाध्य है।

सोरेन:- सारे आदेश तो लिखित में नहीं दिए जा सकते हैं।

मैं:- सरकारी अधिकारी या सीआईएल के अधिकारी यदि सोचते है कि वे मौखिक आदेश जनहित में नहीं हैं तो वे ऐसे मौखिक आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सोरेन:- अगर ऐसा ही रवैया रहेगा तो आपके साथ काम करना बहुत मुश्किल हैं।

मैं- सर, मैंने तो सारे जीवन ऐसे ही काम किया है और मैं अब अपना काम करने की पद्धति तो नहीँ बदल सकता। मगर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी गलत सलाह नहीँ दूँगा। आपके लिखित आदेशों का पूर्णतया पालन करूँगा।

जाहीर है इस वार्तालाप से श्री सोरेन खुश नहीं थे। श्री सोरेन ने मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री को एक लबा पत्र लिखा (परिशिष्ट-1) और मेरे मंत्रालय से स्थानांतरण की मांग की। मेरे ऊपर उन्होंने बिजनेस रुल्स के अनुपालन में विफल होने तथा अवज्ञा करने के लिये अनुशासनात्मक करवाई करने की भी गुजारिश की। उन्होंने अपनी चाणक्य बुद्धि का भी इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री को यह सूचित करते हुए कि मैं एनडीए सरकार मैं चंद्रबाबू नायडु का आदमी हूँ और यूपीए सरकार में दरार डालने का काम कर रहा हूँ। इतने से ही वह संतुष्ट

नहीँ हुए और यह भी लिखा कि वह एक आदिवासी नेता हैं, इसलिए मैं उनके प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार करता हूँ। उनके पत्र पर सरकार ने मेरी टिप्पणी माँगी।

मैंने 22 मार्च 2005 को कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा (परिशिष्ट 19-2) जो इस प्रकार से था :-

"इस बात में कोई संशय नहीँ है कि प्रशासन ओर नीतिगत मुद्दों पर मेरा कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री से वैचारिक मतभेद रहा है। मेरी समझ में सिविल सर्विस का सदस्य होने के नाते जिस तरीके से मुझे अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, मैंने निभाई है। सरकार का सचिव होने के नाते मुझे इस बात का एहसास है कि मैं अपने मंत्रियों के समर्थन के बिना मेरे उत्तरदायित्वों का निर्वहन ढंग से नहीँ कर पाऊँगा।किन्तु मुझे नहीं पता कि इस समस्या का क्या समाधान हैं।

2 मार्च 2005 को सिविल सर्विस ग्रुप की एक वेबसाइट whisperinthecorridor.com पर एक टिप्पणी आई :-

क्या कोयला सचिव अपने पैरेंट कैडर को भेजे जाएँगे? ब्यूरोक्रेसी सर्कल में इस बात की चर्चा होने लगी है कि कोयला सचिव प्रकाश चंद्र पारख को अपने पैरेंट कैडर आंध्रप्रदेश भेजा जा रहा है। सन 1969 बैच के आंध्रप्रदेश के आईएएस श्री पारख एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं।

1 मार्च 2005 को श्री सोरेन ने झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। मैं अपने पैरेंट कैडर में नहीँ भेजा गया। अगर श्री सोरेन कोयेला मंत्री बने रहते तो प्रधानमंत्री के पास मुझे वहाँ से हटाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीँ रहता। उनके लिए अपनी यू॰पी॰ए सरकार के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाँच सदस्य बहुत मायने रखते थे।हमारे देश की साझा राजनीति में प्रधानमंत्री के पास बहुत ही सीमित विकल्प होते हैं क्योंकि सरकार का अस्तित्व बहुत-सी छोटी-छोटी पार्टियों पर निर्भर करता है।

कोयला मंत्री के पत्र और कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे गए मेरे जवाब से हमारे लोकतन्त्र में सिविल सर्विस की भूमिका पर मौलिक सवाल उठते हैं। लोकतंत्र 'चेक' और ‘बैलेन्स’ के सिद्धान्त पर चलता है। इसलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि हमारे देश में संवैधानिक दायित्वों के भली प्रकार से निर्वहन हेतु एक स्थायी और निष्पक्ष सिविल सर्विस का प्रावधान रखा, ताकि राजनेता अपनी मनमानी न करें। लोकतंत्र में राजनेताओं की मुख्यता पर तो सवाल ही नहीँ उठता है। किन्तु राजनेताओं के द्वारा अपनी शक्तियों के मनमाने ढंग से प्रयोग न हो इसमें सिविल सर्विस की प्रमुख भूमिका होती है।

यह बात सभी को समझनी होगी और इसकी इज्जत भी करनी होगी। मगर इसके लिए हमें करना क्या होगा? कुछ ऐसे संस्थागत ठोस कदम उठाने होंगे,जिनके माध्यम से राजनेताओं

और प्रशासनिक अधिकारियों की पृथक–पृथक भूमिका के बारे में किसी को भी संदेह न हो और वे एक दूसरे को सम्मान की निगाहों से देखें।

मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। श्री सोरेन, श्रीराव और कोयलांचल के सांसदों का उनके ऊपर इतना दबाव होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपना पूर्ण समर्थन दिया।

इस बात का मुझे अवश्य दुःख है कि मैं प्रतिस्पर्धात्मक बोली वाली प्रणाली कोल ब्लॉक आवंटन के लिए लागू न कर सका, मगर कोयला मंत्रियों के घोर विरोध के बावजूद भी मैं कोयला बिक्री के लिए इंटरनेट पर आधारित ई-मार्केटिंग की मजबूत नींव डालने में अवश्य कामयाब हुआ। मुझे संतोष है कि जब मैंने कोयला मंत्रालय छोड़ा,तब सीआईएल की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी लाभ दर्ज कर रही थी। यहाँ तक कि बीसीसीएल जैसी लगातार हानि में रहने वाली कंपनी ने भी पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया। जब मैंने दिसम्बर 2005 में अपना कार्यभार छोड़ा, हमारे देश के सारे पॉवर प्लांटो में कोयले का पर्याप्त स्टॉक था। एक भी पॉवर प्लांट ऐसा नहीँ बचा था, जिसमे स्टॉक की पोजीशन क्रिटिकल हो। मैंने ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया, जिसने मुझे सारी विषम परिस्थितियों में भी स्थितप्रज्ञ रहने की प्रेरणा दी और मेरे सारे कार्यों को सत्यनिष्ठा के साथ पूरा करने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति प्रदान की।

20.सुप्रीम कोर्ट,सीबीआई और कोलगेट

जैसे ही कोल ब्लॉक आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो देश में मानो भूचाल-सा आ गया। इतना बड़ा घोटाला? लोगों की कल्पना से भी परे था। लोग टेलीविजन की चैनलों पर यह खबर सुनकर दाँतों तले अंगुली दबाने लगे। सही में, सबसे बड़ा घोटाला-कोलगेट ? 1.86 लाख करोड़ रुपये का घोटाला। जनहित याचिकाएँ दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जाँच-पड़ताल करने के निर्देश दिए। सन 1993 में जब कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट में प्राइवेट सेक्टर को कैप्टिव माइनिंग के लिए कोल-ब्लॉकों को देने के लिए संशोधन किया गया था तब से लेकर आज तक 1993 से 2003 तक किए गए आवंटन तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों जिनका बाद में एनडीए सरकार ने भी अनुकरण किया, के अनुसार किया गया था । मेरे हिसाब से सन् 1993 से सन् 2003 के मध्य आवंटित कोल ब्लॉकों की जाँच करने की कोई जरूरत नहीँ थी। क्योंकि सीएजी ने इस अवधि के आवंटनों पर न तो कोई विपरीत प्रतिक्रिया दर्शाई थी और न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत की थी। ऐसे भी दो दशक से ज्यादा का समय बीत चुका था। उस समय लिए गए निर्णय की वर्तमान समय के सापेक्ष में न तो सार्थक जाँच की जा सकती थी और न ही उन केसों में किसी को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। इतने पीछे तक जाँच करने जाने का मतलब केवल सीबीआई के सीमित संसाधनों का अर्थात् सीमित मानव-शक्ति और अन्य विशेषज्ञों का समय, ऊर्जा और शक्ति गँवाना था, जिनका प्रयोग संदिग्ध कारणों और संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करने में अच्छी तरह लगाया जा सकता था।

सीबीआई के पास सत्य खोज निकालने की दक्षता नहीँ है, इसे केवल लोगों को फसाने और छुड़ाने की महारत हासिल है। दुर्भाग्य से, कोलगेट जाँच में भी ऐसा ही हो रहा था। भले ही सारी जाँच को सुप्रीम कोर्ट मोनिटर क्यों नहीँ कर रही थी। ऐसे भी सीबीआई में लगभग सारे पुलिस अधिकारी भरे हुए है, मुझे नहीँ लगता उन्हें नीति-निर्माण और उसके कार्यान्वयन का अच्छा ज्ञान है। अगर ज्ञान है भी तो थोड़ा-बहुत या फिर नहीँ के बराबर। जाँच की समूची बागडोर इंस्पेक्टर स्तरीय अधिकारियों के हाथों में थी, जिन्हें सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं होती हैं। जब सीबीआई ने मुझे तहक़ीक़ात के लिए दिल्ली बुलाया, तो मैंने सोचा कि केस के आर्थिक, राजनैतिक प्रभाव और महत्त्व को देखते हुए सीबीआई के निदेशक या उनसे एक या दो रैंक नीचे वाले अधिकारी मुझसे पूछताछ करेंगे। मगर ऐसा नहीँ था। जाँच करने वाला अधिकारी केवल एक पुलिस इंस्पेक्टर था, जिसे यह तक मालूम नहीँ था कि 'कोल ब्लॉक' और 'कोल माइन' में अंतर क्या होता है।मैंने सीबीआई की जाँच में दो दिन बिताये और जाँच अधिकारी को विस्तारपूर्वक स्क्रीनिंग समिति की कार्य पद्धति, भारत सरकार के बिजनेस रुल्स के अंतर्गत सचिव और मंत्री के निर्णय की

भूमिका और उत्तरदायित्वों की सीमा के बारे में बताया। बातचीत करते-करते तलाबीरा-2 ब्लॉक की बात भी उठी। मैंने इस ब्लॉक को हिंडाल्को को देने के औचित्य के बारे में बताया

सीबीआई का मन्तव्य यह था कि हिंडालको को इस ब्लॉक में शामिल करने से उसे फायदा हुआ मैंने समझाया, "इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस ब्लॉक को मिलने से हिंडाल्को को फायदा हुआ है। लेकिन यह फायदा वैसा ही है जैसा उस समय सरकार की नीति के अनुसार दूसरी सैकड़ों कंपनियों को हुआ। इसी कारण मैंने खुली बोली से आवंटन करने का प्रस्ताव रखा था।"

जांच अधिकारी मेरी बात से सहमत नहीं हुआ और उसने कहा कि लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में हिंडाल्को को इस ब्लॉक में शामिल किया गया है।

मैंने उत्तर दिया,"नहीं, इस केस में प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई दबाव नहीं था। यह केस पूरी तरह से मेरिट के आधार पर तय किया गया है।यह मेरी सिफ़ारिश थी और मैं इसका पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ।"

मैंने सोचा कि सीबीआई मेरे इस निर्णय के तर्क को अच्छी तरह समझ गई होगी। मगर आश्चर्य हुआ जब सीबीआई ने मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और मेरी सेवा-निवृत्ति के आठ साल बाद एक दर्जन सीबीआई के अधिकारियों की टीम ने मेरे फ्लैट की छान-बीन करने के लिए मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि वे क्या उम्मीद लेकर आए है मेरे घर में। मेरे हिसाब से कोयला घोटाले की जाँच के बारे में सीबीआई का दृष्टिकोण पूर्णतया गलत था। सीएजी की रिपोर्ट ने देश में हलचल मचाई थी और मचना भी चाहिए था। रिपोर्ट का मुख्य रेखांकन था खुली बोली जैसी पारदर्शी प्रणाली को लागू करने में हुए विलम्ब की वजह से कोलगेट जैसा घोटाला घटित हुआ। मैंने तो कोयला मंत्रालय ज्वाइन करते ही इस प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया और सेवा-निवृत्ति पर्यन्त इस पारदर्शिता के पीछे मैं लगा रहा। सीबीआई ने इस असामान्य विलम्ब के कारणों को जानने की कोई कोशिश नहीं की। सीबीआई को यह जानना चाहिए था क्या यह विलम्ब जान-बूझकर हुआ और इस विलम्ब के क्या कारण थे? अगर जान-बूझकर देरी हुई है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी थे? क्या उन्हें मनमाने ढंग से निर्णय लेने में कुछ फायदा हुआ ? सीबीआई इन सवालों की जाँच नहीं कर रही थी। उसका निशाना गलत जगह पर था।जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर अपराधियों को बचाने के लिए अध्यादेश तीन महीने की लघु अवधि में ला सकती है। तब क्या सरकार कोल माइन्स नेशनलाइनेशन एक्ट में छोटा-सा संशोधन कर कोल ब्लॉक आवंटन में पारदर्शिता और समरूप तरीके को ईजाद नहीं कर सकती थी? यह सीबीआई की जांच मूल बिन्दु था।

किन्तु सीबीआई यह नहीँ कर रही थी। इसके बदले, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न मंत्रालयों और प्राइवेट कंपनियों के हजारों डाक्यूमेंट्स की जाँच करने की निरर्थक मेहनत कर रही थी, जहाँ उसे कुछ मिलना नहीँ था। मुझे कोलगेट में जो प्राथमिकियाएँ दर्ज हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीँ है। किन्तु मैं बेहिचक यह कह सकता हूँ,कि हिंडाल्को के मामले में या तो अपनी जांच करने में सीबीआई पूरी तरह से अक्षम है या फिर जान-बूझकर कोई गहरा खेल खेल रही थी, जिसकी मुझे कोई कोई जानकारी नहीँ।

इससे ज्यादा और क्या अनर्गल हो सकता है कि सीबीआई ने अपनी अंगुली ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ उठाई ,सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने हिंडाल्को के पक्ष में अपनी सिफारिश की थी। क्या कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास के लिए उन परियोजनाओं की सिफ़ारिश नहीँ कर सकता है, जिससे उसके राज्य में रोजगार और राजस्व पैदा होता हो? अगर वह ऐसा नहीँ करता है तो फिर मुख्यमंत्री किसलिए है? इस तरह की जांच से तो जनता के लाखों-करोडों रुपये जाँच में फूँकने के बाद कोलगेट का नतीजा भी टाँय-टाँय-फिस्स हो जायेगा, ठीक वैसे ही, जैसे बोफोर्स घोटाले में हुआ।आखिरकार ऐसा क्यों? पारदर्शी प्रणाली को लागू करने में विलम्ब करने वाले वास्तविक अपराधी और अपारदर्शी प्रणाली से जिन्हें फायदा मिला है, शायद निरापद घोषित हो जाएँ।

तलबीरा-2 एवं हिंडाल्को :-

तलबीरा-2 एवं तलबीरा-3 एक बड़े कोल ब्लॉक के दो उप-ब्लॉक है, जिनके न ऐसे जियोग्राफिकल या जियोलोजिकल फीचर्स है, जिससे उन्हें दो अलग-अलग खदानों में वर्गीकृत किया जा सके। बहुत साल पहले उन्हें अलग-अलग ब्लॉकों में बाँट दिया गया था, जो कि पूरी तरह से अवैज्ञानिक था। तलाबीरा -3 कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के पास था और तलबीरा-2 को केप्टिव यूज़ के लिए रखा गया था। मुझे कोल-ब्लॉक का यह कृत्रिम वर्गीकरण सही नहीं लगा। इस डिवीजन का मतलब था बेरियर में बहुत सारे कोयले को व्यर्थ छोड़ देना। माइनिंग जियोलोजिस्ट की अकादमिक पृष्ठभूमि होने के कारण ये सारी चींजें मुझे आसानी से समझ में आ रही थी। कोयला मंत्रालय ज्वाइन करने के तुरंत बाद मैंने निर्देश दिए कि भविष्य में सारे कोल-ब्लॉकों की सीमा का निर्धारण केवल जियोलोजिकल एवं जियोग्राफिकल फीचर्स देखकर किया जाए। किसी भी ब्लॉक का कृत्रिम तरीके से उप-वर्गीकरण न किया जाए।

हिंडाल्को व नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन दोनों तलाबीरा-2 ब्लॉक के मजबूत दावेदार थे। दोनों की वित्तीय, तकनीकी सक्षमता तथा विश्वसनीयता के बारे में कोई संदेह नहीं था। हिंडाल्को का आवेदन पहले आया था और ओड़िशा सरकार ने इसका दृढ़ समर्थन किया था । राज्य सरकार की सिफारिशों तथा पहला आवेदक होने के कारण स्क्रीनिंग कमेटी पूरा तलाबीरा-2 ब्लॉक हिंडाल्को को आवंटित कर सकती थी। केप्टिव माइनिंग पालिसी कोयला क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, इस ग्राउंड पर भी नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के

तलाबीरा-2 के आवेदन को ख़ारिज किया जा सकता था। सरकारी कंपनी होने के कारण नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को केप्टिव लिस्ट के बाहर का कोल ब्लॉक भी दिया जा सकता था। इन कारणों से तलबीरा-2 ब्लॉक पूरा का पूरा हिंडाल्को को दिया जाता तब भी मुझे अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने अथवा भ्रटाचार के मामले में दोषी नहीँ ठहराया जा सकता था।

स्क्रीनिंग कमेटी के पास कोल ब्लॉक को आवंटन करने हेतु निर्णय लेने का अधिकार नहीँ था। यह केवल विभिन्न मंत्रालयों से सलाह लेने का मंच था, जहाँ सारे स्टेक होल्डर अपनी बात रख सकते थे। कमेटी में हुए सारे विचार-विमर्श को रिकॉर्ड किया जाता था, जिस पर चेयरमैन को अपना अंतिम निर्णय लेना होता था। कोयला मंत्रालय में स्क्रीनिंग कमेटी की सिफ़ारिशों की जांच करने के बाद कोयला मंत्री कोल ब्लॉकों के आवंटन का निर्णय लेते थे। यदि स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों में कुछ गलती हो गई हो तो कोयलामंत्री का यह दयित्व था कि वे निष्पक्ष व सही निर्णय लें, राज्य सरकार की हिंडाल्को के पक्ष में दृढ़ सिफारिशों के बावजूद भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को ब्लॉक आवंटित करने के निम्न कारण थे :-

1. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन कोयला मंत्रालय की अपनी कंपनी के पास बहुत पूंजी थी,किन्तु हाथ में कोई नए प्रोजेक्ट नहीँ थे। तलबीरा-2 ब्लॉक के आवंटन से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए लाभदायक निवेश के रास्ते तुरंत खुल जाएंगे।
2. हिंडाल्को को तलाबीर-2 आवंटित करने का अर्थ था तलाबीरा-2 और 3 को दो अलग-अलग खदानों में विभाजित करना, जिससे ब्लॉक की सीमा पर करीब 30 मिलियन टन कोयले का छूट जाना।
3. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन दोनों ही कोयला मंत्रालय की अधीनस्थ कंपनियाँ थी, इसलिए दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर बनाकर दोनों ब्लॉक की एक माइन बनाई जा सकती थी। इस तरह सीमा पर छूट जाने वाले कोयले को भी निकाला जा सकता था।

स्क्रीनिंग कमेटी की इन सिफारिशों के आधार पर तलाबीरा-2 को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को दिए जाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री (जब उनके पास कोयला-मंत्री का अतिरिक्त भारत था) के पास भेजा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय इस प्रस्ताव पर विचार कर ही रहा था कि कुमार मंगलम बिरला ने प्रधानमंत्री को एक आवेदन दिया और लिखा कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तलाबीरा-2 ब्लॉक पर उनके दावे को ख़ारिज करना अनुचित है। इसलिए उन्होंने इस विषय पर पुनः विचार करने की मांग की। ओड़िशा के मुख्यमंत्री ने भी एक पत्र लिखकर तलबीरा-II ब्लॉक हिंडाल्को को देने की गुजारिश की। वह एनएलसी को यह ब्लॉक देने के पक्ष में नहीँ थे। उनके अनुसार नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन दूसरे राज्यों को बिजली भेजेगा और ओड़िशा में केवल प्रदूषण करेगा। इसलिए वह चाहते थे तलाबीरा-2 ब्लॉक हिंडाल्को को मिले, ताकि

एक बड़े एलुमिनियम उपक्रम से राज्य को अतिरिक्त रोजगार एवं राजस्व मिलेगा और साथ ही साथ, राज्य में औद्योगिक विकास का भी काम होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन दोनों संवादों के साथ प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए फाइलें कोयला-मंत्रालय को लौटा दी। श्री कुमार मंगल बिरला मुझे मेरे कार्यालय में मिले और वैसा ही एक रिप्रजेंटेशन मुझे भी दिया। उनका कहना था कि हिंडाल्को ने इस ब्लॉक के लिए सबसे पहले आवेदन दिया था और कानून के हिसाब से इस ब्लॉक पर उनका सबसे अधिक हक बनता है।

हिंडाल्को के दावे को इस तर्क पर ख़ारिज करना गलत है कि नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन सरकारी कंपनी है, जबकि केप्टिव माइनिंग पोलिसी कोयला खनन के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाक्साइट की माइनिंग लीज राज्य सरकार द्वारा विलम्ब से अनुमोदित होने के कारण प्रोजेक्ट के पुराने लिंकेजों का इस्तेमाल नहीँ किया जा सका। कोयले की कमी के कारण सीआईएल पुराने लिंकेजों को प्रयोग में लाने की अवस्था में नहीँ था। मैंने श्री बिरला की दलीलों को सुना उनसे कहा, " आपका पक्ष मजबूत होने के बावजूद भी कोयले के संरक्षण के मद्देनजर रखते हुए तलाबीरा-2 ब्लॉक स्वतंत्र रूप से आपको नहीँ दे सकते। यदि आप दूसरी कंपनियों के साथ प्रस्तावित ज्वाइंट वेंचर में भाग लेने के लिए तैयार हो तो इस विषय पर पुनः विचार किया जा सकता हैं।"

बिरला पहले-पहले हिचकिचाए, फिर कुछ सोचने के बाद वे प्रस्तावित ज्वाइंट वेंचर करने के प्रस्ताव के लिए सहमत हो गए। बिरला के अभ्यावेदन और ओड़िशा के मुख्यमंत्री की चिट्ठियों की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद मैंने अनुभव किया कि दोनों के तर्कों में कुछ दम है और इस केस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। उपरोक्त सारे तथ्यों के साथ मैंने एक नोट बनाया और लिखा कि हिंडाल्को के आवेदन में योग्यता है,इसलिए तलाबीरा-2 और तलाबीरा-3 को मिलाकर एक बड़ी खान बनाई जाए और एमसीएल,एनएलसी और हिंडाल्को तीनों को इस खदान से अपनी अपनी पात्रता के अनुसार कोयला दिया जाए।प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्री की हैसियत से तलाबीरा-2 को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और हिंडाल्को को ज्वाइंटली आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

इन सभी तथ्यों की गहराई तक जाँच किये बिना सीबीआई ने निष्कर्ष निकाल लिया कि जरूर इसमें कुछ घपला और भ्रष्टाचार है क्योंकि मेरा रिवाइज्ड प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी की सिफ़ारिशों से थोड़ा हटकर था। जैसे कि मैंने पहले कहा था, स्क्रीनिंग कमेटी अंतर-मंत्रालय की सलाह मशविरा का एक मंच था, जिसके पास कोल-ब्लॉकों के आवंटन की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीँ था। स्क्रीनिंग कमेटी में हुए विचार-विमर्श से मैं पूरी तरह अवगत था। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त रिप्रेजेंटेशन की पुनर्परीक्षा करने के लिए मुझे इस विषय को वापिस स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष ले जाने की जरूरत नहीँ थी। मैं कोई कानून

विशेषज्ञ नहीँ हूँ। कानून की मुझे उतनी ही जानकारी है जितनी आईएएस ज्वाइन करने पर प्रशिक्षण अकादमी में बताई जाती है। सीबीआई निदेशक, श्री रणजीत सिन्हा, अपने सारे जीवन पुलिस अधिकारी रहे हैं। उनके पास सीबीआई में विशेष कानूनी सलाहकार भी है।मगर सीबीआई द्वारा मेरे खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी के सन्दर्भ में उनसे मेरे कुछ निम्न सवाल है :-

1. श्री बिरला ने मुझे और प्रधानमंत्री को अपनी कंपनी के साथ हुए अन्याय के बारे में अगर रिप्रेजेंटेशन दिया तो कौन-सा गुनाह हो गया? अगर कोई नागरिक यह समझता है कि सरकार ने उसके साथ अन्याय किया है और उनके खिलाफ अपना रिप्रेजेंटेशन देता है तो क्या कानून की नजरों में वह अपराधी या षड़यंत्रकारी हो जाता है? क्या सीबीआई के पास बिरला के खिलाफ ऐसे कोई सबूत है जिससे यह जाहिर होता है कि उसने मेरे साथ मिलकर कोई साजिश रची है? अगर रची है तो वह साजिश क्या है?

2. क्या ऐसा कोई नियम या कानून है जो किसी अधिकारी को किसी मसले की पुनर्परीक्षा करने से रोकती है,जहाँ किसी नागरिक को लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है? क्या हिंडाल्को कोई बोगस कंपनी है? क्या इस कंपनी की आर्थिक,तकनीकी दक्षता और इसके प्रोजेक्ट के बारे में कोई संदेह है। जिसके कारण वह कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए क्वालीफाई नहीँ होती है? क्या मेरिट के आधर पर तलाबीरा-2 पर हिंडाल्को का दावा नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन से कम है? क्या सीबीआई को मालूम है कि हिंडाल्को का प्रोजेक्ट जिसके लिए कोल-ब्लॉक आवंटित हुआ था, लागू हो गया है, जबकि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ने अपने पावर प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा असंतुष्ट पार्टी की अर्जी पर पुनर्विचार करना अपने आप में एक षड़यंत्र और भ्रष्टाचार है? इस केस में किस जगह पर शक्ति का दुरुपयोग किया गया है?

3. सीबीआई को कहाँ से यह खबर मिली कि तलाबीरा-2 सरकारी कंपनियों के आवंटन के लिए रिजर्व रखा गया है? अगर वह सरकारी कंपनी के लिए रिजर्व रखा गया था तो हिंडाल्को ने आवेदन कैसे कर दिया? फिर यह मैटर स्क्रीनिंग कमेटी के पास क्यों आया? जबकि पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित रखे गए कोल ब्लॉकों के आवंटन में स्क्रीनिंग कमेटी की कोई भूमिका ही नहीँ है। क्या इस झूठी खबर को सीबीआई ने मेरी स्वच्छ छबि को कलंकित करने के लिए प्रचारित किया?

4. सीबीआई को यह खबर कहाँ से मिली कि तलाबीरा-2 में कोयले की कम मात्रा होने के कारण नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ने अपना प्रोजेक्ट रद्द कर दिया ? क्या सीबीआई इस बात को जानती है कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ने इस परियोजना को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि ओड़िशा सरकार ने उनसे 30% मुफ़्त बिजली माँगी? सीबीआई ने मीडिया से झूठ क्यों बोला?

5. अपनी प्रारम्भिक जाँच में सीबीआई ने षड़यंत्र और भ्रष्टाचार के नतीजे पर पहुँचने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से संबधित फाइलों की जाँच-पड़ताल करना उचित क्यों नहीं समझा?

6. क्या सीबीआई को इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के बिजनेस रुल्स के तहत जब तक कोई पावर डेलिगेशन नहीं की गई हो,सेक्रेटरी केवल सिफारिश ही कर सकता है? निर्णय लेना तो मंत्री का काम होता है। क्या सीबीआई ने अपनी प्रारम्भिक जाँच में यह नहीं देखा कि इस केस में निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है? अगर सीबीआई को किसी षड़यंत्र अथवा भ्रष्टाचार की भनक लगी तो उसने अपनी प्राथमिकी में प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं लिया?

7. क्या सीबीआई के पास वीसा पॉवर और नवभारत के कोल ब्लॉक आवंटन में मेरी भूमिका की कोई सूचना है? अगर है तो क्या है ? और अगर नहीं है तो सीबीआई ने बिलकुल आधारहीन और असंगत बातें जनता में क्यों फैलाई?

8. सीबीआई ने मेरे घर की तलाशी क्यों ली? मेरे सेवानिवृत्त होने के आठ साल बाद इस तलाशी से वह क्या पाना चाहते थे? क्या यह किसी भी नागरिक के निजत्व में अकारण घुसपैठ नहीं है?

9. अगर तलाबीरा-2 को हिंडाल्को को आवंटित करना किसी भी प्रकार का फ़ेवर था तो क्या 200 दूसरी प्राइवेट पार्टियों को किया गया आवंटन अनुचित फ़ेवर नहीं है? इन निर्णयों में शामिल हर किसी पर षड्यंत्र या भ्रष्टाचार के आरोप क्यों नहीं लगे?

मेरे सारे कैरियर में मेरे सहकर्मियों और जिनके साथ मैंने काम किया, उनमें सदैव मेरी छबि स्वच्छ व उच्च रही है। कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ है, जिनसे मैं मिला तक नहीं, उन लोगों ने भी मेरी लगन और ईमानदारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ऐसे ही एक शख्स थे, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री श्री सुधीर मुंगन्तीवार। उन्होंने 24 सितंबर 2005 को मुझे एक पत्र लिखा, जब मैं कोयला मंत्रालय में सचिव था,"भले ही, कभी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूँ, मगर मैंने आपके और आपकी सत्यनिष्ठा के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसलिए आपके बारे में अपनी भावनाएँ व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आप सिस्टम में बहुत बदलाव ला रहे हैं। मैंने कई लोगों के मुख से आपकी सत्यनिष्ठा की तारीफ सुनी है। आपने ई-ऑक्शन शुरू किया। आप राजनैतिक दबाव से प्रभावित हुए बिना जो काम कर रहे है, वह प्रशंसनीय है। हानि में डूबे कोल इंडिया लिमिटेड को उठाकर लाभकारी कंपनी में बदलने के लिए आपके प्रयासों की सफलता की हार्दिक शुभ कामनाएँ देता हूँ। आप जिस सत्य के रास्ते पर चल रहे हो, वास्तव में वह प्रशंसनीय है। यह बात सही है,सत्य कभी-कभी अपने साथ हताशा लाता है, मगर वह कभी भी हार नहीं सकता। मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएँ......"

मंत्रियों और सांसदों से लगातार लड़ाई के बीच किसी अनजान व्यक्ति की ऐसी चिट्ठी मिलना, जो वो भी एक राजनेता से, सच में एक बड़ा मॉरल बूस्टर था। यह इस बात का प्रतीक है कि चहुँ ओर से पतन हो रहे हमारे राजनैतिक सिस्टम में इक्का-दुक्का ऐसे राजनेता अभी भी मौजूद हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी की ईमानदारी और निष्पक्षता की इज्जत करते हैं।

जब सीबीआई ने मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, मेरे साथीगण, जीवन के अलग-अलग मोड़ पर संपर्क में आए विभिन्न लोग, राज्य एवं केन्द्रीय सेवा के सर्विस एसोसिएशन, सभी से मुझे जबर्दस्त संसर्थन मिला। कुछ पत्र तो बहुत ही मर्मस्पर्शी थे।लगभग पचास साल पहले जब मैं एनएमडीसी में काम करता था, उस समय के मेरे एक मित्र जिनसे सालों से कोई संपर्क नहीं था, ने एक पत्र लिखा। वह पत्र इस प्रकार था:- "प्रधानमंत्री द्वारा हिंडाल्को मुद्दे में ज़िम्मेदारी लेना साफ-साफ दिखाता है कि आपके विरुद्ध सीबीआई के आरोप कितने तुच्छ थे। भ्रष्टाचार से पूरी तरह कलुषित वातावरण में अपने अटूट साहस का परिचय दिया है। इसलिए मैं तुम्हारी खुले मन से प्रशंसा करता हूँ और तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ–तुम्हारे टीवी साक्षात्कार अत्यंत ही संक्षिप्त, बुद्धिमत्तापूर्ण और 'टू द पॉइंट होते थे। सभी की ओर से मिलने वाला सहयोग तुम्हारी सत्यनिष्ठा को दर्शाता है।पारख, दूसरे शब्दों में, अगर तुम भ्रष्ट हो तो भगवान भी भ्रष्ट है।सत्य की हमेशा जीत होती है।"

प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, किसी भी राजनैतिक पार्टी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाये। प्रधानमंत्री ने साफ-साफ कहा कि उन्होंने अपने सामने रखे हुए तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया और वह निर्णय एकदम सही था। मगर जब सीबीआई कोई प्राथमिकी दर्ज करती है तो जन सामान्य के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार के माहौल में हर सरकारी निर्णय को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

कोई सोच भी नहीँ सकता था कि देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी झूठे, अर्द्ध-सत्य और अटकलों के आधार पर केस बना सकती है।श्री रणजीत सिन्हा (सीबीआई निदेशक) को मेरे ऊपर षड़यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पहले अपना होमवर्क ठीक से कर लेना चाहिए था। कम से कम उन्हें कोयला मंत्रालय की उन फ़ाइलों को देख लेना चाहिए था, जिसमें न केवल कोयला मंत्रालय, वरन् सारे कोयला उद्योग में पारदर्शिता लाने के मेरे सारे प्रयासों का लेखा-जोखा था। मीडिया के सामने उनके लिए यह कहना आसान था कि अगर कोई ठोस सबूत नहीँ मिला तो केस बंद कर दिया जायेगा। मगर मेरी प्रतिष्ठा जो मैंने जीवन पर्यंत सत्यनिष्ठा के साथ काम करके अर्जित की थी,उसका क्या होगा, क्या उस अपूरणीय क्षति की कोई भरपाई कर सकता है? मि. सिन्हा, मैंने कभी भी अपने कार्यालय का दुरुपयोग नहीँ किया, मगर आपने किया है- कुमार मंगल बिरला और मुझ पर षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। मेरी सिफ़ारिशें तो सरकार की घोषित नीतियों की सीमाओं के अंतर्गत थी, मगर तुमने जो भी काम किया, कानून, नियम और तथ्यों को बिना ठीक से

जाने, शायद सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस केस को मॉनिटर कर रहा है। अतः नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के कस्टोडियन के रूप में यह सुनिश्चित करना इस कोर्ट का कर्त्तव्य बनता है कि प्रोफेशनलिज्म और सक्षमता के अभाव में सीबीआई नागरिकों की प्रतिष्ठा पर कोई आघात नहीं पहुंचाए। सिद्धांत के तौर पर कोर्ट को सीबीआई को यह स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि जब तक कोई केस चार्जशीट फाइल करने की फाइनल स्टेज में नहीँ पहुंचता है, तब तक सीबीआई को अपनी इन्वेस्टीगेशन गोपनीय रखने चाहिए, ताकि भविष्य में सीबीआई द्वारा नागरिकों के चरित्र का हनन न हो सके।

सीबीआई की स्वायत्तता:-

सीबीआई की स्वायत्तता पर प्रश्न वाचक चिह्न तब लगा, जब सुप्रीमकोर्ट ने उसे पिंजरे का तोता कहा और इस विषय पर पब्लिक डिबेट शुरू हुई। ऑल इंडिया सर्विस के सदस्यों की स्वायत्तता उनके प्रयोग में लाने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। इच्छा के अभाव में कानून पर दोष मढ़ना अनावश्यक है। जब तक किसी अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी की इच्छा या सेवाकाल में ट्रांसफर का डर नहीँ है, तो उसे अपने जजमेंट के हिसाब से काम करने से कोई नहीँ रोक सकता है। यह स्वायत्तता नहीँ तो और क्या है? भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य होने के नाते सीबीआई निदेशक को अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुरूप काम करने की स्वायत्तता है। श्री रणजीत सिन्हा पर कोलगेट इन्वेस्टीगेशन की प्रोगेस रिपोर्ट में 'अंग्रेजी के सही प्रयोग' हेतु कानून मंत्री को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी वजह से सीबीआई को 'पिंजरे का तोता' कहा गया। अगर श्री सिन्हा को वास्तव में लगा कि हिंडाल्को का केस एक षड़यंत्र था और उनमें उतनी हिम्मत थी तो उस प्राथमिकी में प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल करना चाहिए था।

कितने संरक्षण क्यों न दिये जाये, अगर सीबीआई मुखिया का उद्देश्य अगर कुछ दूसरा ही हो और वह अपनी स्वाययीत्तयीयता का प्रयोग करना न चाहे; तो उसे स्वायत्त कभी नहीँ बनाया जा सकता। निस्संदेह सरकार की पूर्व स्वीकृति के प्रावधान का भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने के लिए राजनैतिक गलियारों द्वारा बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। मगर सीबीआई को बिना किसी सुपरविजन और एकाउण्टेबिलिटी के किसी भी अधिकारी पर आपराधिक करवाई शुरू करने का अधिकार देने का अर्थ एक ऐसा इलाज है,जो बीमारी से ज्यादा खराब है। यह देश के अर्थतंत्र और राजनीति के लिए गंभीर चुनौती होगी। सीबीआई की स्वायत्तता के बारे में अपना कोई निर्णय लेने के पहले न्यायपालिका और संसद दोनों को इस खतरे का अहसास होना चाहिए।

21.सिविल सर्विस ,मंत्री और जन-प्रतिनिधि

सिविल सेवा, और चुने गए जन-प्रतिनिधियों के बीच के आपसी सम्बन्धों का भारत की शासन-प्रणाली में बहुत महत्त्व है।श्री शिबू-सोरेन के प्रधानमंत्री को मेरे स्थानांतरण के संदर्भ में लिखे पत्र और मेरे उसके प्रत्युत्तर से इस मौलिक विषय पर कई सवाल उठते हैं। यही सवाल कैबिनेट सेक्रेटरी, सांसद, प्रशासनिक अधिकारियों तथा भारत- सरकार के सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशकों के साथ हुई मेरी अनेक संवाद-शृंखलाओं में भी सामने आए।ये प्रश्न केंद्र या केवल कोल मंत्रालय से ही संबंधित नहीं हैं ।ऐसे ही कई मुद्दे समय-समय पर, जब मैं राज्य-सरकार में काम कर रहा था, तब भी उठते रहे हैं, जिसका मैंने इस किताब के भाग-1 में जिक्र किया हैं। विगत कई वर्षों से प्रशासनिक अधिकारियों तथा चुने गए प्रतिनिधियों के बीच संबंध बहुत बिगड़ गए हैं या तो पूरी तरह से विरोधात्मक हैं या फिर मिलीभगत के । जबकि एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए ये संबंध सौहार्द्रपूर्ण तथा सहयोगी होने चाहिए थे । यह भारत की शासन-प्रणाली के कमजोर होने का प्रमुख कारण है। अगर हम गवर्नेंस की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं तो हमें ऐसी संस्थाएं बनानी होगी और उनको पोषित करना होगा, जो राजनेताओं ,चुने गए जन-प्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य स्वस्थ और सहयोगी वातावरण प्रदान कर सके ताकि देश के सर्वांगीण हित में कार्य किया जा सके, न कि केवल व्यक्तिगत अथवा किसी विशेष समूह के हितों में। सरकार चाहे लोकतान्त्रिक,समाजवादी, तानाशाही,साम्राज्यवादी या किसी भी प्रकार की क्यों न हो, राज्य के पास नीति-निर्धारण व उनके कार्यान्वयन का केवल एक ही तरीका हैं, वह है सिविल-सर्विस । किसी भी सरकार की दक्षता सिविल सर्विस की प्रतिबद्धता, ईमानदारी और अनुशासन पर निर्भर करती हैं।

सन् 1854 में नार्थ कोर्ट ट्रेवलन रिपोर्ट में ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए तीन मुख्य सिद्धान्त निर्धारित किए गए थे। चूँकि भारतीय संविधान का निर्माण मुख्यतया ब्रिटिश संविधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है, अतः भारत में भी वे ही सिद्धांत लागू होते हैं :-

1. स्थायित्व:- हर चुनाव के बाद सरकार बदलती है किन्तु प्रशासनिक अधिकारी नहीं बदलते । वे ही स्थायित्व और अनवरतता लाते हैं ताकि नए मंत्री आसानी से अपना कार्यभार संभाल सके और गवर्नेंस की प्रक्रिया कम से कम बाधित हों। इस व्यवस्था से स्थायी प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने और विभागीय कार्यों में विशेषज्ञ हों जाते हैं।

२- निष्पक्षता:- स्थायित्व इसे आवश्यक बनाता है। प्रशासनिक अधिकारियों को राजनैतिक रूप से निष्पक्ष रहना चाहिए।

३-<u>अनामत्व</u> :- राजनेता जनता द्वारा चुने हुए होते हैं इसलिए वे निर्णय लेते हैं। वे सरकारी नीतियों की सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को gगुमनाम रहना चाहिए। उन्हें अपनी सलाह या नीति-निर्धारण के लिए सार्वजनिक तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

भारत सरकार के लोकतान्त्रिक ढांचे की प्रशासनिक दक्षता का मुख्य निर्धारक हैं, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सौहार्द्रपूर्ण तालमेल। प्रशासनिक अधिकारियों को राजनेताओं की प्रमुखता स्वीकार करनी चाहिए और राजनेताओं को समझना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों को नियम कानून के दायरे में काम करना होता हैं। बिना किसी राजनैतिक झुकाव के ये नियम देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होते हैं। अच्छे शासन के लिए राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच परस्पर तालमेल और विश्वास होना चाहिए। यह संबंध बहुत ही नाजुक हैं मगर देश की आजादी के बाद धीरे-धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। सन 1975 के आपातकाल के समय इस संबंध पर घातक प्रहार हुआ और साझा (कोलिशन) सरकार के युग में टूटने की कगार पर आ पहुंचा ।

संविधान सभा में बहस:-
देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संबंध बनाने के पैमाने निर्धारित किए । सिविल सर्विस से संबंधित आलेखों पर संविधान सभा में बहस में पटेल ने कहा :-

“ एक दक्ष,अनुशासित और संतुष्ट सर्विस, जो अपनी ईमानदारी और कर्मठता(डेलीजेंट) से किए गए कार्यों के आधार पर अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त हो,उसकी आवश्यकता लोकतन्त्र में सत्तावादी शासन से भी ज्यादा जरूरी है। यह सर्विस पार्टी से ऊपर होनी चाहिए और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनैतिक सोच उनकी नियुक्ति और अनुशासन के मामलों में कम से कम हो, अगर उसका पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया जा सकता हैं।”

आज मेरा सेक्रेटरी मेरे विचारों के खिलाफ लिख सकता हैं। मैंने मेरे सारे सेक्रेटरियों को यह आजादी दी हैं। मैंने उनसे कहा हैं,“अगर आप डर के मारे अपनी सलाह ईमानदारी से नहीं देते हों कि कहीं आपका मंत्री नाखुश न हों जाए तो आपको छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं दूसरा सेक्रेटरी बुला लूँगा। मैं कभी भी सही सलाह पर नाखुश नहीं होता हूँ।मुझे कहते हुए बिलकुल भी हिचक नहीं हैं कि बहुत सारे अधिकारी जिनके साथ मैंने काम किया है, वे मेरी ही तरह देशभक्त,वफादार और सच्चे हैं। प्रशासनिक अधिकारी शासन के औज़ार हैं, उनके बिना देश में चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आती है। अनुभवों के आधार पर मैं कह ~~सकता~~ हूं कि अपने औजारों के साथ मत खेलो।अपने औजारों के साथ लड़ने वाला कभी एक

अच्छा कामगार नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार और हमेशा के लिए सोच लो , आप सर्विस चाहते हों या नहीं ।"

सौहार्द्र संबंधों की जरूरत :-

सरदार पटेल के उपरोक्त भाषण में मंत्री और सेक्रेटरी के बीच अच्छे संबंधों के लिए चार मुख्य सिद्धांत नजर आते हैं । सिविल सर्विस रिफार्म पर बनी 'होता-समिति' ने निम्नांकित सिद्धांतों का उल्लेख किया हैं :-

1。 मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों को कानून और संविधान को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी भूमिका निभानी चाहिए।एक छोटा-सा उल्लंघन भी एक अच्छे शासन के लिए ठीक नहीं होता है।

2. मंत्री और सिविल सर्विस के अधिकारियों के बीच विश्वास और एक दूसरे के प्रति आदरभाव होना चाहिए क्योंकि सरकार के उच्चतम-स्तर पर सौहार्द्र के बिना अच्छा गवर्नेंस असंभव हैं ।

3. सिविल सर्विस के अधिकारियों की सत्यनिष्ठा,निडरता और स्वतंत्रता की रक्षा अच्छे प्रशासन की एक आवश्यक शर्त हैं। सिविल सर्विस के अधिकारियों का एक महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती हैं -"सत्ता से सत्य कहना।"

4. सरकार की नीति निर्माण मंत्री का उत्तरदायित्व होता है। सिविल सर्विस के अधिकारियों को उसे निष्पक्ष व साफ सलाह देनी चाहिए । एक बार नीति बन जाने के बाद सिविल सर्विस के अधिकारियों की ड्यूटी बनती हैं कि इस मामले में वह अपने विचार नजर-अंदाज कर वफादारी और कर्तव्यनिष्ठा से बनाई गई नीति का संचालन करें ।

आजादी के समय पर सिविल सर्विस :-

आजादी के समय भारत की सिविल सर्विस की गुणवत्ता पर टिप्पणी करते हुए लोक प्रशासन के प्रसिद्ध प्रोफेसर पाल एपलबाय ने कहा, " भारत एवं ब्रिटेन में दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रशासनिक सेवा है ।" इसके विपरीत, हांगकांग की पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी ने 2012 में एक रिपोर्ट जारी की,जिसमें भारत की नौकरशाही को एशिया की सबसे खराब नौकरशाही बताया गया है।

आजादी के समय भारत में कुशल, ईमानदार और निडर सिविल सर्विस थी और साथ ही साथ उच्च सम्माननीय और सक्षम राजनैतिक नेतृत्व, जिसने देश को आजाद कराने के लिए महान कुर्बानियाँ दी थीं। मगर हम इस मजबूत नींव पर एक मजबूत भवन नहीं बना पाए।

पॉलिटिकल सिस्टम का अपक्षय :-

देश आजाद होने के बाद शीघ्र ही राजनैतिक सिस्टम बिगड़ना शुरू हों गया । महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना-सभा में एक कॉंग्रेस कार्यकर्ता का पत्र पढ़ते हुए कहा,
" प्रांतों में जन-प्रतिनिधि व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऊंची-ऊंची बातें करते हैं, मगर वे खुद पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वे लोगों से लाइसेंस के लिए पैसे लेते हैं, ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं, न्याय के स्रोत को बिगाड़ रहे हैं और प्रशासनिक कार्मिकों के स्थानांतरण करने के लिए जबरदस्ती प्रशासनिक मशीनरी को बाध्य कर रहे हैं ।"
अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले महात्मा गांधी ने अपने मित्र कोंडा वेंकटप्पा का पत्र पढ़ते हुए कहा था " बहुत सारे एम॰एल॰ए॰ और एम॰एल॰सी॰ अपने प्रभाव का प्रयोग कर पैसे बनाते हैं, यहां तक कि क्रिमिनल कोर्ट में न्याय-प्रशासन का भी अवरोध करते हैं । यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट-कलेक्टर और अन्य राजस्व-अधिकारियों पर तरह-तरह का दबाव भी डालते हैं। एक सख्त और ईमानदार अधिकारी स्वतन्त्रता से अपना काम नहीं कर सकता।मंत्रियों के पास उनके बारे में झूठी रिपोर्टे भेजी जाती हैं।
पक्षपातपूर्ण रवैया दिन-ब-दिन ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रशासन में न केवल व्यवधान डालता हैं वरन उन्हें परेशान भी करता हैं, जो कि अब महामारी में बदल गया हैं , इस प्रकार स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही यह महामारी शुरू हों गई थी ।

सिविल सर्विस का पतन :-

कुछ समय के लिए सिविल सर्विस अपने बलबूते पर खड़ी रही, मगर ज्यादा समय तक टिक न सकी। अपने एक आलेख में श्री सी॰एस॰ चंद्रा , आई॰सी॰एस॰ ,तत्कालीन सेक्रेटरी, रिहेबीलेशन, भारत सरकार ने लिखा :-

" देश की आजादी के तुरंत बाद सर्विस की नैतिकता में गिरावट आना शुरू हों गई थी।सरदार पटेल,जो गृह-विभाग के प्रभारी थे , एक अकेले नेता थे जिन्होंने जब भी संसद के बाहर और भीतर से इस पर ऊंगली उठी, सर्विस का पक्ष लिया। राजनैतिक मंच से उनका चला जाना, आई॰सी॰एस॰ के लिए मृत्यु-नाद था, जिसका पतन अब साफ दिख रहा हैं । प्रशासन के रोज़मर्रा के काम में हस्तक्षेप हों रहा हैं। आई॰सी॰एस॰ ऑफिसर जो राजनैतिक दबाव के आगे झुकने को तैयार हैं, वे अपने सीनियरों से भी आगे निकल जाते हैं । जो इन दबावों का विरोध करते हैं ,उन्हें जान-बूझकर रास्ते से हटा दिया जाता हैं। आई॰सी॰एस॰ में एक नया वर्ग सामने आने लगा है। अपने कामों में समय और ऊर्जा लगाने की जगह उनका मुख्य उद्देश्य अपने मंत्रियों को खुश करना है। सर्विस के कमजोर सदस्यों को इस बात का अहसास हों गया है कि अब परिश्रम नहीं, बल्कि केवल चमचागिरी प्रमोशन के लिए पासपोर्ट बन गया है।सर्विस के सीनियर सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन या आकर्षक नियुक्ति पाने के लिए मंत्रियों की जी-हुज़ूरी करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, भले ही, उनकी अपनी अंतरात्मा धिक्कार क्यों नहीं रही हों । इससे भी ज्यादा गंभीर तथ्य हैं, जिसे

मैं बौद्धिक बे-ईमानी कहता हूँ, कि सर्विस के कुछ सदस्य इतने चतुर हो गए हैं कि मंत्रियों के दिमाग में क्या चल रहा है,उसका पूर्वाभास करके अपने नोट लिखते हैं।"
पंडित नेहरू के जमाने में नियुक्त कई आयोगों ने उच्च पदों पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजा वाद की बातें कही थीं और जिसके फलस्वरूप सिविल सर्विस में होने वाले नैतिक पतन के बारे में भी पता चलता है। खन्ना आयोग जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों के कदाचार की जाँच के बाद निम्न प्रेक्षण प्रस्तुत किए हैं :-
अधिकारी इन तथ्यों से अनजान नहीं हों सकते हैं कि उनके प्रमोशन तथा भविष्य मंत्रियों की 'गुडविल' पर आधारित हैं । कितने अधिकारी जन-हितार्थ अपने भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं ? बहुत ही कम ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपनी कर्तव्य-निष्ठा के कारण लोगों की भलाई के लिए व्यक्तिगत खतरे उठाने के लिए तैयार रहते हैं।

बिहार मंत्रियों के कदाचार की जाँच करते समय अय्यर कमीशन ने निम्न तथ्यों का पर्दाफाश किया :-

" नि:संदेह अधिकारियों का कर्तव्य है, मंत्रियों के आदेशों का वफादारी और सत्यता के साथ पालन करें, मगर साथ ही उनका यह भी कर्तव्य हैं कि प्रशासन के सर्वमान्य और स्थापित नियमों के अनुरूप साफ-साफ और दृढ़ता पूर्वक मंत्रियों को सलाह दें । इससे ज्यादा घातक कोई बात नहीं होगी कि प्रशासन-प्रमुख मंत्रियों को सही सलाह देने की जगह उनकी इच्छा अनुसार काम करें । यदि सरकार अधिकारियों की नैतिकता की इज्जत नहीं करती हैं तो सारा प्रशासन पंगु हों जाएगा।"

नेहरू ने सिविल सेवाओं को वैसा समर्थन नहीं दिया जैसा पटेल ने दिया था। नेहरू सिविल सेवा को विकास में अवरोधक समझते थे और कभी-कभी उसकी खुले-आम आलोचना भी करते थे। नेहरू ने उँचे स्तर पर हों रहे भ्रष्टाचार के प्रति ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई । प्रधानमंत्री के राजनैतिक समर्थन के बिना और बढ़ते राजनैतिक भ्रष्टाचार ने सिविल सर्विस का मनोबल गिराना शुरू कर दिया। सिविल सर्विस के .मूल्यों को पोषण देने तथा राजनैतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पंडित नेहरू के पास कद और काबिलियत दोनों थीं,दुर्भाग्यवश इन मुद्दों पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया।

<u>आंतरिक आपातकाल और सिविल सर्विस :-</u>

सन 1975 में आंतरिक आपातकाल ने राज्य के हर अंग जैसे संसद, न्यायपालिका और सिविल सर्विस पर गंभीर कुठाराघात किया। सिविल-सर्विस के 'कोर'-मूल्यों जैसे ईमानदारी,निर्भयता ,वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता के बजाए इमरजेंसी में रुलिंग पार्टी के प्रति

प्रतिबद्धता और वफादारी की अपेक्षा की जाने लगी। ऐसे अधिकारी, जो नियमानुसार काम करना चाहते थे, उन्हें परेशान किया गया, सताया गया। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आई॰ए॰एस॰श्री मंगल बिहारी ने राजनैतिक फरमानों की अवमानना करने के कारण उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में लिखा हैं :-

सन 1970 के बीच में केंद्र के राजनेताओं की मुझ पर गाज गिरी , जब दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। दिल्ली के आस-पास के राज्यों को भीड़ इकट्ठा करने का कोटा आवंटित किया गया था। राजस्थान को भी ऐसा ही कोटा मिला। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 10000 श्रमिकों को ले जाना था। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमेन था। राजस्थान से आदमी भेजने के काम को देखने के लिए एक कैबिनेट मंत्री को प्रभारी बनाया गया था ।

राजस्थान में जून आंधियों का महिना होता हैं और बिजली के तार और खंभे गिरते-टूटते रहते है, इसलिए तुरंत ठीक करने के लिए आदमी और ट्रकों को उन जगहों पर भेजने की होती है। इसलिए केवल राजनैतिक रैली के लिए इतने ट्रक और आदमी भेजना अनुचित था। मैंने ऐसा नहीं किया।

चूंकि रैली में राजस्थान की उपस्थिति आशा से कम थी, इसलिए मुझ पर सारा दोष मढ़ दिया गया । मेरा तुरंत आर॰ एस॰ई॰बी॰ के चेयरमेन पद से स्थानांतरण कर दिया गया । मुझे मेरे कार्यस्थल पर व्याप्त किसी भ्रष्टाचार ,अव्यवस्था, अदक्षता या और कोई ऐसी गलती निकालकर बुक करने के लिए एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी को दिल्ली से भेजा गया । घटनाचक्र में तेज बदलाव तो तब आया ,जब केंद्र सरकार ने मुझे सेवा से डिसमिस करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया । यह मैसेज टेलिफोन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री को दिया गया । उन्होंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी के पास अनुपालनार्थ नोट भेज दिया ।

किस तरह मुख्यमंत्री स्तर पर भी निर्णय लेने की प्रक्रिया मनमानी हो गई,इसके बारे में श्री टी॰एस॰आर सुब्रमनियन, भूतपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी ने अपनी पुस्तक में लिखा हैं :-

"सर्दी की एक शाम 5 बजे के आस-पास श्री टी॰एन॰ धर मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी ने मुझे दिल्ली से फोन किया कि मुख्यमंत्री ने वर्तमान चीफ सेक्रेटरी को हटाने का निर्णय लिया हैं और उनकी जगह कृपा नारायण श्रीवास्तव नए चीफ सेक्रेटरी होंगे । अपरोक्ष-रूप से संजय गांधी ने मुख्यमंत्री को ये निर्देश दिए थे , बाद में पता चला कि कर्नल आनंद (संजय गांधी के ससुर) कभी गोवा में गैरीसन-कमांडर थे, तब श्रीवास्तव वहां चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे और इसी वजह से संजय गांधी ने यह फरमान जारी किया था ।"

इमरजेंसी के बाद सिविल सर्विस पर अपना दृष्टिपात करते हुए वह आगे लिखते हैं :-

"नई सरकार बनने के बाद इमरजेंसी की ज्यादती को कोसना सबका धंधा बन गया था। प्रशासन में दल-बदलू बाहर निकलने लगे। जो अधिकारी इमरजेंसी के उत्साही समर्थक थे,

अचानक घोर-विरोधी हो गए। कौन कहता हैं सिविल सर्विस कठोर और अप्रत्यास्थ होती हैं? अपने हित के लिए वे शर्मनाक तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं। "

<u>सिविल सर्विस की वर्तमान अवस्था :-</u>

इमरजेंसी के दिनों से अभी तक सर्विस उभर नहीं पाई है। पूरे भारत में ट्रांसफर और पोस्टिंग ज्यादातर इसलिए की जाती हैं ताकि भ्रष्टाचार तथा कुशासन को छुपाने के लिए सिविल सर्विस राजनेताओं की मुट्ठी में रहे । चीफ सेक्रेटरी तथा कैबिनेट सेक्रेटरी जो राज्य और केंद्र में सिविल सर्विस का नेतृत्व करते हैं उनका भी राजनैतिक कारणों से निष्प्रयोजन स्थानांतरण कर दिया जाता हैं। इन ऊंचे ओहदों पर भी भ्रष्ट-अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाती है। इस अवस्था का एक ज्वलंत उदाहरण है, उत्तरप्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के पद पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी अधिकारियों को पद-स्थापित किया जाना, जिन्हें बाद में कोर्ट के आदेश के कारण हटाना पड़ा। भारत की सिविल सर्विस की दुर्गति पर विलाप करते हुए संविधान के क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय आयोग लिखता है:-

“राजनेताओं द्वारा नियुक्ति , प्रोन्नति और अधिकारियों के स्थानांतरण मनमाने ढंग और प्रश्नवाची तरीकों से करने के कारण सिविल सर्विस की आजादी का नैतिक आधार ही खत्म हों गया है। इसकी वजह से नौकरशाही में राजनेताओं के साथ साँठ-गांठ शुरू हो गई है ताकि स्थानांतरण की असुविधा से बच सकें और साथ ही साथ, नेताओं के साथ मिलकर अपनी जेबें भर सकें। वे नियमों के अनुपालन करने के बजाय केवल नेताओं के आदेशों का अनुसरण करेंगें । परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए, इससे पहले संविधान में ऐसे सुधार करना आवश्यक हैं जिनसे सिविल सर्विस अपने दायित्वों के पालन के लिए सक्षम हो सकें।

जब काँग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में और अधिकतम राज्यों में थी, तभी सिविल सेवाओं में गिरावट आना शुरू हो गई थी,लेकिन कोलिशन सरकारों के आने के बाद यह अधोपतन तीव्रगति से होने लगा । इस बारे में विमल जालान लिखते हैं :-

“नौकरशाही का राजनीतिकरण मुख्यतः कम समय चलने वाली कोलिशन सरकारें हैं,जो लोगों की भलाई के बजाए अपने निजी या पार्टी के हितों को ज्यादा महत्व देती हैं। जो भी पार्टियां शासन में आती हैं, वे लचीले नौकरशाहों को नियुक्त करती हैं। जिनसे पार्टी के नेताओं के इच्छानुसार अवैध गलत काम किए जा सकें।अगर कोई नौकरशाह बात नहीं मानता हैं तो उसका तुरंत दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया जाता हैं।”

एक अध्ययन के अनुसार केवल एक साल में उत्तरप्रदेश में 1,000 आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए। एक सरकार के समय औसतन प्रतिदिन 7

स्थानांतरण हुए । –छह महीने बाद दूसरी सरकार आने पर स्थानांतरण बढ़कर सात से प्रतिदिन सोलह हों गए। इस प्रकार आधे से ज्यादा आईएएस अधिकारियों का बारह महीने के भीतर-भीतर स्थानांतरण कर दिया गया। राजनैतिक व सिविल सर्विस सिस्टम में लगभग छः दशकों से आई गिरावट के परिणामस्वरूप आज सिविल सर्विस में तीन प्रकार के अधिकारी मिलते हैं । पहले, वे जो किसी राजनैतिक पार्टी या नेता के प्रति अपनी वफादारी रखते हैं , दूसरे, वे जो समय के अनुसार गिरगिट की तरह अपनी वफादारी बदल देते हैं और तीसरी केटेगरी में बहुत कम अधिकारी आते हैं , जो सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के मानदंडों पर खरे उतरते हैं।
तीसरी केटेगरी वाले अधिकारियों को मंत्री, सांसद और विधायक पसंद नहीं करते हैं। वे उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं या फिर सीधे तरीके से महत्त्वहीन काम देकर हाशिए में डाल देते हैं। इस तरह के 'हरासमेंट' से बचने का कोई संस्थागत तरीका नहीं हैं। अगर ये अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं, तो उन्हें न केवल जो कानूनन मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिलता है बल्कि उन्हें कभी-कभी झूठे और निराधार आरोप भी झेलने पड़ते हैं।
पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी श्री टी॰एस॰आर॰ सुब्रमनियन लिखते हैं :-
"अक्सर मुझे राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिशोध की भावना से निर्दोष अधिकारियों के खिलाफ झूठे और मिथ्या आरोप देखने को मिले हैं। राजनीति से प्रेरित विजिलेन्स जांच तो आसानी से शुरू की जा सकती है। जब एक बार जांच शुरू हो जाती है, तो कोई भी उसे बंद करना नहीं चाहता। कई कारणों से झूठे आरोपों में लगातार बढ़ोतरी हों रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां,जिन्हें अब तक निष्कलंक छबि वाला माना जाता था,भी आजकल इसी रुग्णता से ग्रसित हो गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आजकल राजनैतिक आधार पर बहुत ज्यादा झूठे मामले दायर किए जा रहे हैं। जिससे पूरी व्यवस्था के नष्ट हो जाने की आशंका हैं।"
यद्यपि राजनैतिक वातावरण सिविल सर्विस के सदाचार (ईथोस) को पोषित और प्रोन्नत नहीं कर रहा है, मगर इस दुर्गति का कुछ दोष सिविल सर्विस का भी है। यह दुर्भाग्य की बात हैं कि राजनीतिज्ञों द्वारा उनके विरुद्ध अकारण कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण हैं,फिर भी भारत में सिविल सर्विस ईमानदारी तथा राजनैतिक निष्पक्षता के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है। किसी भी अधिकारी के अपने सिद्धान्त पर अडिग रहने के कारण अगर स्थानांतरण कर दिया जाता हैं तो उसकी जगह लेने के लिए आधे दर्जन से ज्यादा अधिकारी अपने स्वार्थ के खातिर अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए तैयार मिलेंगे। उच्च अधिकारी सिविल सर्विस में सदाचार तथा आपसी विश्वास को प्रोत्साहन देने में असफल रहे हैं। उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नेता लोग उन्हें निरुत्साहित व कमजोर करके उनका गलत उपयोग करते हैं।
राजनेता, नौकरशाहों ,न्यायपालिका में व्याप्त घोर-भ्रष्टाचार और निरुत्साहित सिविल सर्विस की वजह से भारत धीरे-धीरे 'कानून-रहित समाज' में बदलता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता

है, देश में कानून का शासन नहीं है। साधारण जनमानस सरकार को कमजोर, भ्रष्ट तथा अदक्ष मानने लगा है। अपराधी लोग राजनीति में पहुँच रहे हैं। अगर संसद और राज्यों की असेंबलियाँ इन तत्वों को रोकने के लिए अपने दरवाजे मजबूती से बंद नहीं करती हैं तो शीघ्र ही अपराधी-वर्ग हमारे ऊपर शासन करने लगेगा । मगर राजनैतिक वर्ग हमारे संसदीय-लोकतंत्र पर हो रहे इस हमले पर बिलकुल ध्यान नहीं दे रहा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट और सिविल सोसायटी द्वारा किए जा रहे राजनैतिक सुधारों के हर प्रयत्न में अवरोध खडे कर रहा है। हमारे विशाल एथनिक और भाषायी विभिन्नता, आर्थिक-विभेदता और पड़ोसी देशों से शत्रुता वाले इस देश, जिसका राष्ट्रीय-एकता और लोकतन्त्र का एक छोटा-सा इतिहास है, के लिए बहुत चिंता की बात है।

<u>अच्छे भविष्य के लिए</u>:-

अगर हमें अच्छे शासन की पुनर्स्थापना करनी है तो हमारे राजनैतिक और सिविल सर्विस प्रणाली दोनों में सुधार लाने की आवश्यकता हैं। हमारे गवर्नेंस में आए 'उत्क्रमण' (aberration) को हटाने के साथ-साथ नए संस्थागत प्रबंधन बनाकर उन्हें पोषित करने की आवश्यकता है ।

राजनेताओं तथा सिविल सर्विस के अधिकारियों की निष्पक्षता, ईमानदारी तथा वस्तुनिष्ठता में कमी आने तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध खराब होने के चार मुख्य कारण हैं:-

1. दोनों के मध्य संबंध तनावपूर्ण होने का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण हैं, राजनेता द्वारा जनहित की कीमत पर अपनी पार्टी के और अपने स्वयं के हितों को प्रमुखता देना तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निष्पक्षता और कानून के अनुसार काम करने की बाध्यता।

2. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आचार संहिता है,किन्तु राजनेताओं के लिए कोई आचार संहिता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों अधिक से अधिक अपने विचार फाइल पर लिख सकते हैं, मगर गलत निर्णय को रोक नहीं सकते। राजनैतिक ताकत के दुरुपयोग को रोकने का एकमात्र परिणाम चुनाव में हार है,किन्तु चुनाव पांच सालमें एक बार होता है। इसलिए चुनावी हार कभी भी प्रभावी निवारण नहीं हों सकती है ।

3. कभी-कभी सिविल सर्विस के अधिकारियों तथा उनके पॉलिटिकल मास्टरों की शिक्षा और बुद्धि के स्तर में काफी अंतर होता हैं इसलिए कुछ अधिकारियों में 'सुपीरियरीटी काम्प्लेक्स' होता हैं । जबकि कुछ राजनेता अधिकारियों को नीचा दिखाने तथा उनका अपमान करने में आनंद अनुभव करते हैं ।

4. सिविल सोसायटी ग्रुप तथा मीडिया आजकल कुछ ज्यादा सक्रिय हैं तथा कुप्रबंध के खिलाफ लोगों को उत्तेजित करने में काफी सार्थक योगदान दे रहा हैं मगर वे भी चुने गए प्रतिनिधियों से अच्छे आचरण के लिए दबाव को बनाने में अधिक सफल नहीं हो पाए हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी चुने जा सकते हैं और मंत्री तक बन सकते हैं ।

सिविल सर्विस के मूल्यों की पुनर्स्थापना तथा सिविल सर्विस और राजनैतिक एक्जिक्यूटिवों के बीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पहला और सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण कदम है,ऐसी संस्थागत व्यवस्था बनाना,जो सिविल सर्विस की स्वायत्तता, राजनैतिक-निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को फिर से स्थापित कर सके। ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है ,जहां इन गुणों को बढ़ाया जा सके तथा पोषित किया जा सके । ऐसा करने के लिए दूसरे देशों के अनुभवों का फायदा उठाया जा सकता है।

दूसरे देशों में संस्थागत व्यवस्था :-

आर्थिक तौर पर उन्नत देशों में जापान तथा सिंगापुर ऐसे देश हैं, जहां पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव तथा सिविल-सर्विस के बीच संबंध सबसे ज्यादा सौहार्द्रपूर्ण हैं । दूसरे विश्व-युद्ध के बाद जापान के कई प्रधानमंत्री पूर्व सिविल सर्वेंट थे। इसी तरह डायट (जापान की संसद) में बहुत सारी सीटों पर पूर्व सिविल सर्वेंट निर्वाचित होते हैं। दोनों देशों में सिविल सर्विस ने तेजी से आर्थिक विकास करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हैं तथा उच्च मर्यादा (हाई एस्टीम) बनाए रखी है।

दूसरे विश्व-युद्ध के बाद एक तरफ जापान तथा सिंगापुर तथा दूसरी तरफ भारत में सिविल सर्विस प्रणाली के प्रादुर्भाव में घोर-विरोधाभास दिखाई देता हैं । दूसरे विश्व-युद्ध के बाद जापान में गुणवत्ता वाली नौकरशाही नहीं थी ।कोई खास संस्थागत व्यवस्था भी नहीं थी,जो सिविल सर्विस के 'इथोस' को आगे बढ़ाए और उन्हें पोषित करें । मगर नेशनल पर्सनल अथॉरिटी के रूप में जापन ने एक ऐसी सशक्त और स्वतंत्र संस्था बनाई, जिसने जापान को दुनिया सबसे अच्छी सिविल सर्विस दी । जापान की नेशनल पर्सनल अथॉरिटी एक स्वतंत्र निकाय है,जो राजनैतिक रूप से निष्पक्ष हैं और कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई के साथ-साथ नियुक्ति,प्रोन्नति,सेवा-निवृत्ति,प्रशिक्षण,वेतन,समयावधि,कल्याण,एथिक्स आदि के लिए जबावदेह हैं। इसी तरह जब उपनिवेशवाद से सिंगापुर को आजादी मिली ,तब उसकी सिविल सर्विस अत्यंत भ्रष्ट थी। श्रेय जाता है सिंगापुर की पॉलिटिकल लीडरशिप को ,जिसने उसे दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक बना दिया । इसके विपरीत भारत जिसमें स्वतंत्रता के समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सिविल सर्विस थी, –अब सबसे निष्कृष्ट सर्विस हों गई है ।

स्वतंत्र-सिविल सर्विस बोर्ड की स्थापना :-

जापान की नेशनल पर्सनल अथॉरिटी की तरह हमें bhi एक सिविल सर्विस बोर्ड बनाना चाहिए , ताकि ऐसा वातावरण पैदा किया जा सके जिसमें सिविल सर्विस के सदाचार (इथोस). जैसे राजनैतिक निष्पक्षता ,ईमानदारी और दक्षता को बढ़ाया तथा पल्लवित किया जा सके । यह अत्यंत ख़ुशी की बात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय सिविल

सर्विस बोर्ड की आवश्यकता को अपने अद्यतन जजमेंट में अनुभव किया है। इस निर्णय पर स्टेक-होल्डरों की ओर से मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ लोगों ने यह कहकर इसका स्वागत किया है कि यह सिविल सर्विस की प्रतिष्ठा (मोरल) को स्थापित करने की तरफ पहला कदम है। दूसरों ने इसे नौकरशाही को राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त करने और लोकतान्त्रिक-विचारधारा की हत्या के दृष्टिकोण से देखा हैं ।

लोकतंत्र में पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव की सुप्रीमेसी के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं । सिविल सर्विस बोर्ड का मतलब पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिवों से सिविल सर्विस के नियंत्रण तथा सुपरविजन की शक्तियों का आहरण करना नहीं हैं। उसका मुख्य मकसद सिविल सर्विस को पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिवों की मनमर्जी और उनकी तुनक-मिजाजी से प्रतिरोधित (इन्सुलेट) करना हैं। उत्तर प्रदेश कैडर की युवा आई॰ए॰एस॰ अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल का निलंबन इस तरह की मनमर्जी और उनकी तुनक-मिजाजी का एक ज्वलंत उदाहरण हैं। चीफ सेक्रेटरी इस तरह की गलत कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री को वस्तुनिष्ठ और ईमानदारी पूर्वक सलाह नहीं देने में असमर्थ रहे,यह सिविल सर्विस के पतन का एक उदाहरण है। इससे ज्यादा बदत्तर अवस्था तो बालू माफिया की यह डींग हांकना है कि वह एक आई॰ए॰एस॰ अधिकारी को एक चुटकी भर में निलंबित करवा सकता हैं। इस प्रकार की हरकतों को नियंत्रण में करने के लिए हमें एक स्वतंत्र तथा दृढ़ सिविल सर्विस बोर्ड की आवश्यकता हैं ।

सिविल सर्विस बोर्ड राजनीति से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए और पर्यवेक्षण कैबिनेट द्वारा होना चाहिए। यह बोर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों के नौकरी संबंधित सारे मामलों के लिए दायी होगा , जिसमें इंपेनलमेंट,प्रमोशन ,पोस्टिंग ,ट्रान्सफर तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत सीबीआई की जांच के आदेश भी शामिल होंगे ।

बोर्ड के सदस्यों का चयन एक कमेटी द्वारा होना चाहिए जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता हों। पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिवों की सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए बोर्ड को अपनी सिफारिशों के बारे में अंतिम निर्णय के लिए एसीसी (एपाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट) को भेजनी होगी।अगर एसीसी इन सिफारिशों से असहमत होती हैं तो उस असहमति के कारण दर्ज होने चाहिए। बोर्ड को संसद को भेजे गए अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इन सारे केसों को शामिल करना चाहिए ।

बोर्ड को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उठाए गए विवेक और औचित्य से संबंधित मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। इसमें ब्लैकमेल ,डराना-धमकाना, तंग करना और चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा की गई झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतें भी शामिल हैं । अगर जरूरत पड़े तो मानहानि(लिबेल) सूट फ़ाइल करने के लिए कानूनन सहायता भी प्रदान करनी चाहिए । ऐसे ही सिविल सर्विस बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के लिए भी होनी चाहिए ।

कानून के अंतर्गत सिविल सर्विस के अधिकारियों के कालावधि की सुनिश्चितता : -

प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कम से कम कार्यावधि दो या तीन साल होनी चाहिए । इस अवधि से पहले होने वाले हर ट्रान्सफर के कारण रिकार्ड किए जाने चाहिए और उस अधिकारी को इन कारणों से अवगत किया जाना चाहिए ताकि वह ट्रान्सफर के खिलाफ अपनी बात रख सके ।

सर्विस-एक्सटेंशन और पोस्ट-रिटायरमेंट एपाइंटमेंट:-

सेवानिवृत्त होने के बाद सेवा-काल बढ़ाने अथवा यू॰पी॰एस॰सी॰,कैट ,रेगुलेटरी अथॉरिटी आदि के चैयरमैन तथा सदस्य बनने की चाह में बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी नौकरी के अंतिम चरण में अपनी निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता खो देते हैं।सेवा-काल बढ़ाने और सेवानिवृत्ति के बाद काम देने की प्रणाली को खत्म कर दिया जाना चाहिए।

कदाचार पर त्वरित कार्रवाई :-

अक्सर यह कहा जाता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के पूरा होने में दीर्घ विलंब और जॉब सिक्यूरिटी के कारण ट्रान्सफर ही एक प्रभावी साधन है,जिससे सर्विस में अनुशासन बनाया रखा जा सकता है। यह बात भी कुछ हद तक सही है। मगर ट्रान्सफर इस समस्या का हल नहीं हैं। अदक्ष या भ्रष्ट अधिकारियों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर करने से समस्या का समाधान नहीं हों जाता । समस्या का केवल स्थान बदल जाता है। प्रस्तावित सिविल बोर्ड को अदक्ष और भ्रष्ट अधिकारियों के सेवा निवृत करने तथा समय सीमा के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने की विधि-संगत शक्तियां मिलनी चाहिए ।

आचार-संहिता

सिविल सर्विस की आचार संहिता :-

भारत में सिविल सर्वेन्ट का आचरण सेंट्रल सिविल सर्विसेस कंडक्ट रूल्स तथा ऑल इंडिया सर्विसेस तथा स्टेट सिविल सर्विसेस के द्वारा बनाए नियमों के अंतर्गत निर्देशित होता है। भारत में कंडक्ट रूल्स में विशेषकर 'प्रशासनिक अधिकारियों को क्या नहीं करना चाहिए की लिस्ट है, जबकि इसके ठीक विपरीत ब्रिटिश सिविल सर्विस की आचार-संहिता में सिविल सर्विस की "कोर-वैल्यू" पर प्रकाश डाला गया है। ब्रिटिश सिविल सर्विस की आचार संहिता के कुछ प्रावधान उद्धरणीय हैं:-

" एक निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता के आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है और आपसे आशा की जाती है कि आप समर्पण तथा प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) के साथ

सिविल सर्विस की 'कोर-वैल्यूज ' सत्यनिष्ठा,ईमानदारी,वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के साथ अपनी भूमिका निभाएँगें।"

इस कोड में :-

-सत्यनिष्ठता (INTEGRITY) का अर्थ लोगों की सेवा के आभार अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर होने चाहिए।

- ईमानदारी का अर्थ सत्यता और खुलापन है।

-वस्तुनिष्ठता (OBJECTTIVITY) का अर्थ आपकी सलाह और निर्णय प्रमाणों के ठोस विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए।

-निष्पक्षता का अर्थ हर निर्णय गुणवत्ता के आधार पर तथा अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकार की समान रूप से सेवा।

गुड गवर्नेस के लिए इन 'कोर-वैल्यूज' को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।ये कोर वैल्यूज हमारी सिविल सर्विस को ऊंचे मुकाम तक पहुँचने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके द्वारा ही सिविल सर्विस मंत्रियों, सांसदों तथा जनता का आदर और विश्वास पा सकती है।

जहां तक मंत्रियों से संबन्धों का सवाल है, कोड बतलाता है:-

आपको :-

- : मंत्री को तथ्यों की सही-सही सूचना देना तथा सबूतों के आधार पर विकल्प बताने के साथ-साथ उचित सलाह देनी चाहिए।
- : केस पर मेरिट के आधार पर निर्णय लेना चाहिए और विशेषज्ञों एवं प्रोफेशनलों की सलाह पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
- : सलाह देते या निर्णय लेते समय असुविधाजनक तथ्यों या संबन्धित विचारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
- : एक बार निर्णय ली गई पॉलिसी के कार्यान्वयन में अपनी अनिच्छा के कारण कुंठित करने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए ।
- : अपने सामर्थ्य के अनुसार राजनैतिक निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए सरकार की सेवा करना , भले ही वह ,किसी भी पॉलिटिकल धारणा वाली क्यों न हों और कोड की जरूरी आवश्यकताओं का अनुपालन करना , भले ही, आपकी अपनी पॉलिटिकल विचारधारा या आस्था अलग क्यों न हों।
- : इस तरह कार्य करें ताकि मंत्री आप पर विश्वास कर सकें और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे ही रिश्ते भविष्य में आने वाले किसी भी सरकार के साथ निभा सकें।
- ऐसे कोई कार्य न करें जो पार्टी के राजनैतिक उद्देश्यों के लिए हो या जिससे कार्यालयीन संसाधनों का पार्टी के राजनैतिक फायदे के लिए उपयोग हो।

"अगर आपको अपने काम में कोई परेशानी है, तो आपको अपने लाइन मैनेजर से बात करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको इस बारे में कुछ कठिनाई होती है, तो आपके विभाग के नामित अधिकारी, जिन्हें कोड के बारे में स्टाफ को सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है, उनसे संपर्क करें।अगर इसके बाद भी आपको उचित उत्तर नहीं मिलता है तो आप सिविल सर्विस कमिश्नर को लिख सकते हैं। कमिश्नर सीधी शिकायत सुन सकते हैं। "
ये प्रावधान सिविल सर्विस की 'कोर-वैल्यूज' को दृढ़ बनाते हैं और हर स्तर पर अपने उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए अवैध आदेशों को रोकने के लिए अधिकारियों को एक संस्थागत क्रियाविधि प्रदान करते हैं। भारत में सिविल सर्विस कोड में ऐसे ही कुछ सुझाव जोड़ने लायक हैं।

पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव तथा जन प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता :-

सांसदों तथा विधायकों से सदन के भीतर और बाहर अनुकरणीय आचरण व व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है ताकि संसदीय जीवन के उच्चतम आदर्शों को अक्षुण्ण रखा जा सकें और साथ ही साथ, सदन और उसके सदस्यों की मर्यादा बनी रह सके। उन्हें सामान्य नागरिकों के अनुकरण के लिए अनुशासित आचरण रखना चाहिए तथा कानून का सम्मान करना चाहिए।
मगर व्यवहार में, संसद और विधानसभा के भीतर और बाहर सदस्यों का आचरण आशा के अनुरूप बिलकुल नहीं है हमारे प्रतिदिन के संसदीय क्रिया-कलाप ज़्यादातर अराजक, धक्का-मुक्की ,फेंका-फेंकी जैसे गलत व्यवहारों से भरे हुए है। संसद के बाहर भी ज्यादा कुछ लिखने लायक नहीं है। भ्रष्टाचार,हॉर्स-ट्रेडिंग,हफ़्ता-वसूली (extortion), ब्लैकमेल और डराने-धमकाने के आरोप सांसदों तथा अन्य चुने गए प्रतिनिधियों पर लगते रहते हैं।सदन को अपने सदस्यों को कदाचार के लिए सजा देने का अधिकार है, जिसमें चेतावनी, फटकार, निलंबन, निष्कासन और यहाँ तक कि जेल की सजा भी शामिल है। किन्तु भारत की संसद और विधानसभाओं में सदस्यों के अनुशासन और अच्छे आचरण को अपनाने के लिए कई गई कार्रवाइयों के नगण्य मात्र हैं। संथानम समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य मंत्रियों के लिए प्रथम आचार संहिता बनाई गई थी। सन 1967 में गृह-मंत्रालय ने विधायकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की। इस संहिता में उन सिद्धांतों तथा कन्वेन्शनों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया,जिनके द्वारा एक ओर एम॰पी॰ तथा एम॰एल॰ए॰ तथा दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों के सम्बन्धों को नियंत्रित करते हैं। संहिता में सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधायकों की संविधान के अनुरूप उनके काम करने की हर जरूरत पर सहायता करने का उल्लेख हैं। कोड विधायकों पर भी कुछ आबन्ध (ओबलीगेशन) लगाता है। उन्हें चाहिए कि वे जनहित या राष्ट्रहित के लिए सूचनाएँ मांगे और व्यक्तिगत केसों जैसे ग्रांट या लाइसेन्स का अनुमोदन, नियुक्ति, प्रोन्नति, ट्रांसफर तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई से

बचे रहें। उन्हें निजी स्वार्थों या कुछ लोगों को नाजायज फायदा देने के लिए सूचनाएँ नहीं मांगनी चाहिए।

अगस्त 1995 में भारत सरकार को सौंपी गई बोहरा कमिटी की रिपोर्ट ने अपराधी गैंग, पुलिस, नौकरशाहों तथा राजनेताओं की मिली-भगत को उजागर किया है। इस रिपोर्ट पर संसद में बहस हुई और फलस्वरूप सभी पार्टियों की एक मीटिंग गृहमंत्री श्री चव्हाण की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विशेषाधिकार (priviledge) कमेटी से अलग एथिक्स पर एक संसदीय समिति बनाई जाए। मार्च 1997 में राज्य सभा के चैयरमेन द्वारा एथिक्स पर कमेटी बनाई गई। यू.के., फ्रांस, फ़िनलेंड तथा इटली के संसदों के लिए बनाई गई आचार संहिता के अध्ययन करने के बाद कमेटी ने राज्य सभा के सदस्यों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का एक फ्रेम वर्क तैयार किया. मगर सिवाय संसदीय कन्वेन्शन के कोई भी आचार-संहिता भारत में पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव पर आजतक लागू नहीं हुई है।

संसद सदस्यों की आचार संहिता पर कुछ सालों से कई देशों में ध्यान दिया जा रहा है, संस्था तथा इसके प्रतिनिधियों की सार्वजनिक प्रतिष्ठा घोटालों व स्कैंडलों की वजह से कलंकित हों रही है। संहिता प्रतिदिन के कामकाज में उचित व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। संहिता में ज्यादा विस्तार से मानक व्यवहारों का उल्लेख किया जा सकता है ताकि सांसदों की इस विषय में अनिश्चितता को कम किया जा सके। ऐसा करने से जवाबदेही तथा एथिकल निर्णय लेने की नींव रखी जा सकती है। उल्लंघन की अवस्था में अनुशासनात्मक कार्यवाही का ठोस आधार भी बनाया जा सकता है। संहिता जनता को भी उनके प्रतिनिधियों से अपेक्षित मानक व्यवहार के प्रति सचेत कर सकती है, जिससे संसद तथा सांसदों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी तथा विधायकों का मार्गदर्शन करने वाले मापदण्डों और प्रतिमानों (नॉर्म्स) का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकेगा। 'कोड ऑफ एथिक्स' की तुलना में 'कोड ऑफ कंडक्ट ' कानूनी और गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में ज्यादा सुस्पष्ट होते हैं। किसी आर्गनाइजेशन के मुख्य कार्यों के लिए सामान्य एथिकल आदर्शों की बजाए आचार संहिता ज्यादा स्पष्ट होती है।
बहुत सारे देश जैसे यू.एस.,यू.के.,कनाडा,आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड ने सांसदों तथा मंत्रियों के लिए आचार संहिता अपनाई है। इन संहिताओं में मूलभूत सिद्धान्त निम्न है:-

<u>नि:स्वार्थ</u> :- जन कार्यालय धारक अपने निर्णय जन हित के लिए लेंगे। उन्हें अपने , अपने परिवार तथा अपने मित्रों को वित्तीय या किसी भी तरह की सामग्री का लाभ हों ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए।

सत्यनिष्ठता :- पब्लिक ऑफिस होल्डर को किसी बाहरी व्यक्ति या आर्गनाइजेशन से वित्तीय या और किसी भी तरह का आभार नहीं लेना चाहिए, जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के निर्वहन को प्रभावित करती हों।

वस्तुनिष्ठता (ओब्जेक्टिविटी) :- पब्लिक ऑफिस होल्डर को सरकारी कामकाज चलाने के लिए हर काम जैसे कि सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियाँ, ठेके अथवा अनुदान देना आदि, मेरिट के आधार पर चयन करना चाहिए

उत्तरदायित्व (Accountability) :- पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने निर्णयों तथा गतिविधियों के लिए पब्लिक के प्रति जवाबदेह है और अपने आपको ऑफिस से संबंधित किसी भी प्रकार की जांच के लिए प्रस्तुत रखना चाहिए।

पारदर्शिता (ओपननेस) :- पब्लिक ऑफिस होल्डर को अपने सारे निर्णयों तथा अपने कार्य के लिए जितना हों सके,पारदर्शी रहना चाहिए। उनके सभी निर्णय ऐसे होने होने चाहिए जो जनता को तर्कसंगत लगें।

ईमानदारी:- पब्लिक ऑफिस होल्डरों की ड्यूटी बनती है कि वे अपने निजी सरोकार, जिनका उनकी पब्लिक ड्यूटी से किसी भी प्रकार का हो सकता है,सार्वजनिक रूप से अनवरत करें और हर काम पब्लिक के हितों की रक्षा को ध्यान में रख कर करें।

लीडरशिप :- पब्लिक ऑफिस होल्डर को अपने नेतृत्व तथा स्वयं उदाहरणस्वरूप बनकर इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहिए तथा उन्हें संबल करना चाहिए।

ब्रिटिश संसद ने हाऊस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के आचार-संहिता की विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। उसमें आचार-संहिता के लागू होने के लिए एक विशेष प्रभावी व्यवस्था भी है।हमें भी शासन प्रणाली के अलग-अलग स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के लिए ऐसी ही आचार संहिता तैयार करनी चाहिए।

मंत्रियों के लिए आचार संहिता:-

कुछ देश, विशेष कर यू॰के॰ में मंत्रियों की भी विस्तृत आचार-संहिता है। प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त से अलग संहिता में पार्टी के हित, निजी-हित, फंड-कलेक्शन तथा मंत्रियों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संबंधों का भी उल्लेख है। ब्रिटिश मिनिस्ट्रियल कोड के प्रशासनिक अधिकारियों व मंत्रियों के सम्बन्धों के बारे में एक अध्याय से लिया गया उदाहरण दृष्टव्य है:-

“ मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि कोई भी निर्णय लेने के पहले प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई निष्पक्ष सलाह तथा सूचना का उचित मूल्यांकन करें। सिविल सर्विस की राजनैतिक निष्पक्षता को बरकरार रखने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को सिविल सर्विस कोड के विरुद्ध या किसी पक्षपातपूर्ण काम के आदेश ना दें। प्रशासनिक अधिकारियों को उन गतिविधियों में

शामिल होने के लिए नहीं कहा जाए जिससे उनकी राजनैतिक निष्पक्षता पर उंगली उठे या जनता को ऐसा लगे कि राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पब्लिक फंड का दुरुपयोग किया जा रहे है।"

मंत्रियों को प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे कोई भी निर्देश देने से विवर्जित (debar) किया गया है जिसकी वजह से सिविल सर्विस कोड का उल्लंघन होने की संभावना हो। यह सिविल सर्विस की निष्पक्षता तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए एक मुफीद प्रावधान है।ऐसी ही आचार संहिता भारत में मंत्रियों के लिए लागू की जानी चाहिए।

<u>आचार संहिता को लागू करना :-</u>

यदि उचित तरीके से आचार सहिंता लागू की जाती है तो काफी हद तक व्यावहारिक मानकों में सुधार और सिविल सर्विस के अधिकारियों एवं चुने हुए प्रतिनिधियों में निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरने की आशा की जा सकती है। किन्तु गलत तरीके से लागू की गई आचार संहिता से नागरिकों में निराशावाद (cynicism) और अविश्वास के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।

भारत में सिविल सर्विस के अधिकारियों के लिए विस्तारित आचार-संहिता हैं ,मगर उसका कार्यान्वयन असंतोषजनक हैं। संहिता सिविल सर्विस के अधिकारियों को सर्विस के मामलों में बाहरी प्रभाव को लाने से रोकती हैं, मगर यह सर्वविदित हैं कि सारे स्तरों पर बहुत सारे अधिकारी, सीनियर आई॰ए॰एस॰ और आई॰पी॰एस अधिकारियों समेत लुभावनी पोस्टों को पाने के लिए राजनैतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं। नौकरी से संबन्धित मामलों में सांसदों और विधायकों के सैंकड़ों पत्र मंत्रियों के पास आते हैं किन्तु किसी भी अधिकारी या संबंधित राजनेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है।

सिविल सर्विस के अधिकारियों की आचार संहिता प्रभावी ढंग से और निष्पक्ष रूप से लागू की जा सकती है, अगर उसके कार्यान्वयन का दायित्व एक स्वतंत्र सिविल सर्विस बोर्ड को सौंप दिया जाए। मंत्रियों तथा चुने गए प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता लागू करने के तरीकों पर हम विदेशों में अपनाए गए तरीकों से कुछ सीख सकते हैं। अलग-अलग देशों में तीन विकल्प प्रयोग में लाए गए हैं :-

1. एक विशेष कानून बनाकर संसद और विधानसभा से अलग एक बाहरी कार्यान्वयन एजेंसी बनाई जाए। यह एजेंसी सासदों और विधायकों पर आचार-संहिता लागू करेगी,उनके विरुद्ध होने वाली शिकायतों की जांच करके संसद या विधानसभा को अपनी रिपोर्ट देगी। यह विकल्प कनाडा के कुछ राज्यों में लागू है।

2. एक प्रस्ताव पारित कर सदस्यों के आचरण देखने के लिए संसद और विधानसभा के भीतर ही एक निकाय (बॉडी)का निर्माण किया जाए। संसद या विधान सभा एक कमिश्नर

को नियुक्त कर सकती हैं ,जो शिकायतों की जांच करेगा और संसद द्वारा गठित एक समिति को अपनी रिपोर्ट देगा। यह विकल्प यू॰के॰ ने अपनाया है।

3. आचार-संहिता के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संसद की 'एथिक्स कमेटी' को दिया जाए। यू॰एस॰ए॰ ने यह विकल्प अपनाया है।

भारत के लिए यह वांछित हैं कि मंत्रियों, सांसदों ,विधायकों और अन्य चुने गए प्रतिनिधियों के लिए आचार-संहिता का क्रियान्वयन करने के लिए उचित कानून पारित कर एक स्वतंत्र कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, जो इस आचार संहिता को सख्ती से लागू कर सके। इससे नागरिकों में सांसदों और विधायकों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी ।

<u>सौहार्द्रपूर्ण संबंधों की ओर :-</u>

अगर पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव और प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को समझें तथा अपनी सीमाओं का सम्मान करें और अपनी उन सीमाओं के भीतर काम करें तो उनके बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्वतः बन जाएंगे। यदि आचार-संहिता प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं, तो एकाउंण्टेबिलिटी बढ़ेगी। इससे सिविल सर्विस तथा पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव में वांछित व्यावहारिक सुधार लाए जा सकते हैं तथा आपसी विश्वास व सम्मान का वातावरण पैदा किया जा सकता है। अच्छे प्रशासन के लिए यह आवश्यक है।

<u>कर्णधार कौन ? :-</u>

कोई भी संस्थागत प्रबंध अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते हैं ,जब तक उस संस्था में काम करने वाले लोग विश्वसनीय, योग्य एवं सत्यनिष्ठ न हों। यहां डॉ॰राजेन्द्र प्रसाद की उस टिप्पणी पर ध्यान देना उचित होगा, जिसे उन्होंने संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान एडॉप्ट करते समय की थी,

" जो कुछ भी संविधान देता है या नहीं देता है, देश का कल्याण इस पर निर्भर करेगा कि किस तरह देश में प्रशासन चलाया जाता है। यह उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा, जो प्रशासन चलाएँगे। अगर चुने हुए प्रतिनिधि योग्य तथा चरित्रवान होंगे तो वे दोषपूर्ण संविधान के बावजूद सुशासन दे सकेंगे।अगर उनमें इन चीजों की कमी है तो संविधान देश की कुछ भी मदद नहीं कर सकता ।"

22. उपसंहार

मुझे ठीक-ठीक याद नहीं आ रहा है कि कब मैंने इस किताब को लिखने के बारे में सोचा था। मगर यह बहुत पहले की बात है। मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद अपने सेवा-काल के दौरान घटित विभिन्न घटनाओं के बारे में सोचना और लिखना शुरू किया था। मगर मुझे पता नहीं था कि किसे केन्द्रित करूँ और किसे न करूँ। फिर वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में किए जा रहे द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन ने मुझे पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव और सिविल-सर्विस के मध्य संबंध" के बारे में एक पेपर तैयार करने का अनुरोध किया था। यह पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन के विचार-विमर्श में कभी भी प्रयुक्त नहीं हुआ। मगर इस पेपर ने मुझे एम॰एल॰ए॰ ,एम॰पी॰ और मंत्रियों के साथ हुए मेरे अनुभवों को लिखने के लिए प्रेरित किया। जब मैं लिख रहा था , उसी दौरान कोलगेट पर सी॰ए॰जी॰ की रिपोर्ट आई। सी॰ए॰जी॰ पर संवैधानिक सीमाओं को पार करने तथा 'पॉलिसी पैरालायसीस' एवं आर्थिक मंदी पैदा करने जैसे अनुचित आरोप लगे। मुझे उनके बचाव में एक अध्याय लिखने की प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद सी॰बी॰आई॰ ने कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ एफ़॰आई॰आर॰ दर्ज की और मेरे ऊपर कोल ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार और षड्यंत्र जैसे आरोप लगाए। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में सारे सही तथ्यों तथा सी॰बी॰आई॰ के झूठ को सामने लाना मेरे लिए जरूरी था।

इस प्रकार एक और अध्याय जुड़ गया कोलगेट तथा सी॰बी॰आई॰ के बारे में। कुछ लोगों ने मेरे सेवा-काल के दौरान घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए नकारात्मक टिप्पणियाँ की थी। इस तरह के कार्यों में ये सब अवश्यंभावी है। मगर इस किताब का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या आलोचना करना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जो समस्याएँ और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं,उन्हें सही जगह पर रखना हैं। मेरा मतलब किसी के प्रति विद्वेष या नफरत फैलाना नहीं है। आदमियों के काम करने या उनके व्यवहार में अपनी मजबूरियां होती है। व्यक्तिगत तौर पर मेरे संबंध बहुत लोगों से मधुर रहे, भले ही, काम के दौरान मेरा उनसे मतभेद क्यों न हुआ हों। श्री राव और श्री सोरेन दोनों शिष्ट-जन थे। श्री राव सामान्यतया बैठकें अपने घर पर बुलाते थे। वह स्वागत-सत्कार में हमेशा आगे रहते थे तथा भरपूर मनोरंजन करते थे।अक्सर वह हमें प्रसाद तथा अपने घर में बने आंध्रप्रदेश के आचार व चटनी भेजते थे। मेरी सेवानिवृत्ति पर उन्होंने मेरे लिए 'फेयरवेल-लंच' का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली में रह रहे सभी आंध्रप्रदेश कैडर के अधिकारियों को आमंत्रित किया था और इस फेयरवेल आयोजन में मुझे व मेरी पत्नी को उपहार भी प्रदान किया था। यहाँ तक कि सांसद श्री चन्द्रशेखर दूबे (जिसके

साथ मेरा झगड़ा चलता था) ने धनबाद में विकलांगों को कृत्रिम अंग वितरित करने के लिए मेरे द्वारा आयोजित एक शिविर में अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से 5 लाख रुपए का योगदान दिया। उद्घाटन समारोह में वह मेरे साथ मंचासीन थे। अगर यह किताब पॉलिटिकल या अन्य दबावों से मुकाबला करने तथा बिना किसी पक्षपात या डर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सिविल सर्विस के अधिकारियों की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित कर सकती है तो इस पुस्तक लिखने का उद्देश्य सार्थक व सफल हों जाएगा ।

23. साक्षात्कार

हमारे देश में निष्पक्ष,ईमानदार और सही को सही कहने का साहस रखने वाली सिविल सर्विस की सख्त जरूरत है::श्री प्रकाश चन्द्र पारख,पूर्व सचिव,कोयला-मंत्रालय,भारत सरकार

आज से लगभग दो वर्ष पूर्व जिस दिन से मैंने कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री प्रकाश चन्द्र पारख साहब की पुस्तक "Crusader or Conspirator?" पढ़ी थी,उसी दिन से मेरा मन उनसे मिलने के लिए आतुर हो उठा था। यह वह समय था जब देश के प्रमुख अखबारों में उनके नाम की चर्चा एवं टेलीविज़न के विभिन्न चैनलों पर उन्हें अपने पूर्ण आत्म-विश्वास के साथ इंटरव्यू देते हुए मैंने पहली बार देखा था।तभी से मेरे मन में इस बात का अहसास हो गया था कि दैदीप्यमान,उज्ज्वल,तेजस्वी चेहरे वाले वाले पारख साहब के मन में सही अर्थों में,न केवल देश-प्रेम का अमिट जज्बा है वरन् सत्य,न्याय और ईमानदारी से कार्य करने वाली वह एक अनोखी ओजस्वी प्रतिमूर्ति हैं। जो इंसान अकेले अपनी आत्मा की आवाज और अपने विवेक के बल पर ममता बनर्जी,शिबू सोरेन,दसारी नारायण राव,चन्द्र शेखर दुबे जैसे खुर्राट कूटनीतिज्ञ राजनेताओं से अपनी सत्य बातों को मनवाने के लिए खुले मन से चुनौती दे सकते हैं,उस इंसान का आत्म-बल,दृढ़-संकल्प और सत्य-निष्ठा कितनी मजबूत होगी,यह मेरे लिए कल्पनातीत है,क्योंकि किसी के साथ वैचारिक मतभेद होना एक दूसरी बात हैं।मगर जिस अधिकारी को गुंडागर्द कलयुगी राजनेताओं की अपनी स्वार्थ-लिप्सा की पूर्ति के दुरुपयोग करने से रोकने हेतु संघर्ष करना पड़े तो वह अधिकारी अदम्य साहसी ही हो सकता है और अगर ऐसे महान पुरुष के घर भारत-सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का छापा पड़ता हो तो यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा।

पारख साहब ने अपनी इस पुस्तक में अपने जीवन के दृष्टान्तों के माध्यम से निष्पक्षता, ईमानदारी एवं सही को सही कहने का साहस रखने की अपूर्व क्षमता जैसे मानवीय गुणों एवं आधुनिक प्रबंधन कौशल के मूल-तत्वों को देश की नई पीढ़ी के समक्ष रखकर एक अत्यंत ही

सराहनीय कार्य किया हैं,जिसकी ज्योति सदियों तक इस महान पुरुष के आत्म-प्रत्यय को अमरत्व प्रदान कर झिलमिलाती रहेगी।

सही कहूँ तो,ऐसे दिग्गज पुरुष का इंटरव्यू लेने का मेरा सामर्थ्य नहीं था। मगर उनकी पुस्तक से मेरी रग-रग में संचरित नई उर्जा और जोश ने मुझे पारख साहब से मिलने के लिए विवश कर दिया।उनके व्यक्तित्त्व की चार प्रमुख विशेषताओं में निरासक्तता,निस्पृहता,निरहंकारिता और निष्पक्षता ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उनके घर के सामने नाम-पट्ट पर केवल लिखा हुआ था-"PARAKHS"। उनकी जगह और कोई होता तो यह अवश्य लिखता,आईएएस(रिटायर्ड़) अथवा पूर्व सचिव,भारत सरकार,मगर पारख साहब के सामने इन पदवियों का कोई मोल नहीं हैं। वे अत्यंत ही उदारवान,विनीत एवं नम्र स्वभाव के धनी हैं और उनकी जीवन साथी श्रीमती उषा पारख इन सारे गुणों में उनसे कम नहीं हैं।वह तो उनकी प्रेरणा,संकल्प-शक्ति एवं ओजस्वी विचारों की अनवरत स्रोत रही है। इसे संयोग कहूँ या और कुछ! मेरे साक्षात्कार लेने का सपना भी तब साकार हुआ,जब मैं अपनी गाल ब्लेडर की पथरी के ऑपरेशन हेतु सिकन्दराबाद की यशोदा हॉस्पिटल गया था।ऑपरेशन होने में एक दिन बाकी था और वह दिन मेरे हाथ में था,मैंने फोन पर पारख साहब से इंटरव्यू के लिए एपोइंटमेंट ले लिया। जब मैं पारख साहब से मिला तो मैंने देखा कि एक दुबली-पतली-नाटी गोरी काया पर धारीदार शर्ट एवं पैंट वाले सुंदर परिधान में सुसज्जित बड़े नंबर वाले चश्मों के पीछे से झाँकते नेत्रों में अद्भुत दिव्य चमक,होठों पर मधुर मुस्कान और घने सफ़ेद केशों से आच्छादित चेहरे पर अनोखी कान्ति का तेजो-मण्डल प्रकाशमान था।पारख साहब ने जिस सहृदयता से अपने घर में बुलाकर मेरा आदर-सत्कार किया था,मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके घर का एक चिर-परिचित सदस्य हूँ।दुबली-पतली,मृदुभाषिनी और आत्मयिता से ओत-प्रोत उषा भाभीजी की हार्दिक खातिरदारी ने भी मुझे अति प्रभावित किया,जिसे मैं आजीवन अपनी सुखद स्मृतियों में सँजोकर रखूँगा।

साक्षात्कार अत्यंत ही सुलझे हुए ढंग से दीर्घ चार घंटे की अवधि तक चला। प्रारम्भ में इधर-उधर की औपचारिक बातें करने के बाद मैंने अपनी संरचनात्मक तरीके से तैयार की गई प्रश्नावली के माध्यम से उनके धारा-प्रवाह जवाबों के मुख्य बिन्दुओं को डायरी में लिखते चला गया ताकि इंटरव्यू की समग्रता बनी रहे।

तत्पश्चात मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि जिस टेबल पर बैठकर पारख साहब ने सन् 2014 में कोलगेट जैसे इस सदी के महाघोटाले की सत्यता को देश की जनता के समक्ष रखकर

चहुंओर हलचल मचाकर रख देने वाली अपनी पुस्तक “Crusader or Conspirator ?” का रचना-कर्म किया था,उसे देखने और उसका फोटो लेने की।मैंने उस टेबल को मन-ही-मन सारस्वत नमन करते हुए एक स्नैप लिया,जिसके आगे उनकी प्रमुख स्मृतियों का आधार फोटो-एलबम की तस्वीरें कार्ड-बोर्ड पर लगी हुई थी तथा साथ ही साथ,उनके ड्राइंग रूम में सजी हुई मुग़ल पेंटिंग की तस्वीरें,राजस्थानी आर्टिफेक्ट,सोफ़े की लकड़ी पर की गई सुंदर नक्काशी के फोटो भी खींचना नहीं भूला।कलात्मक गृह-सज्जा भले ही फ्लैट को अत्यंत ही सुंदर बना दे रही थी,मगर पारख साहब जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की जीवन-पर्यंत ईमानदारी,सत्य-निष्ठा और ओजस्विता की चमक सिकंदराबाद की ‘जागृति रेजीडेंसी’ के समूचे अपार्टमेंट को ऐतिहासिक रूप प्रदान कर रही थी।आज नहीं तो कल,चीन के महान समाजवादी क्रांतिकारी लेखक लू-शून के शंघाई स्थित फ्लैट की तरह यह फ्लैट भी इतिहास के स्वर्ण-पन्नों पर अंकित हो जाएगा।

बातों-बातों में हंसते हुए उन्होंने बताया कि पुत्री के जन्म से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई और हमने परिवार आगे ना बढ़ाने का निश्चय कर लिया,ताकि इस खर्चीले वातावरण में उसकी परवरिश सही हो सके।अख़बारों और टेलीविज़न के माध्यम से न केवल कोल-इंडिया के अधिकारियों,कामगारों वरन् जनता के दिलों में अपना विशिष्ट स्थान दर्ज करने वाले श्री प्रकाश चंद पारख के जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करना ही मेरे इस साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य था। आशा करता हूँ हिंदी जगत में इस साक्षात्कार का भरपूर सम्मान होगा,इसके माध्यम से वर्तमान और भावी पीढ़ी देश के नव-निर्माण में अपना सार्थक योगदान देने के लिए स्व-प्रेरित होगी।

प्रश्न.1:- आप अपने बचपन,परिवार और प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में कुछ प्रकाश डालें?

उत्तर:- दिनांक 20.12.45 को मेरा जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर के नवचौकिया मोहल्ले में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम श्री के. सी. पारख तथा माताजी का नाम श्रीमती चाँद कुवंर था। मेरे पिताजी स्वतन्त्रता के पूर्व जोधपुर सरकार की नौकरी में थे।वे मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे यह अच्छी तरह याद है कि प्रकृति-प्रेमी होने के कारण वह हर महीने एक बार हमें अपने साथ जोधपुर की पुरानी कैपिटल ‘मण्डोर’ के नैसर्गिक छटाओं से घिरे उद्यान में पिकनिक के लिए ले जाते थे।धार्मिक तौर पर यह अक्सर पूर्णिमा का दिन हुआ करता था।मेरे पिताजी जितने बाहर से सख्त और अनुशासन-प्रिय थे, भीतर से उतने ही सुकोमल एवं सवेदनशील। पहली संतान होने का मैंने भरपूर आनंद उठाया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य

हम सब बच्चों की शिक्षा रहा।हमारी हर कामयाबी में उन्हें हमसे अधिक गर्व और खुशी की अनुभूति हुई।अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूं कि निष्पक्षता और स्पष्टवादिता जैसे गुण मुझे अपनी माताजी से विरासत में मिले हैं। गलत को गलत और सही को सही कहने में उन्हें कभी भी हिचकिचाहट नहीं हुई।उस जमाने में भी हमारे घर में कभी भाई-बहनों में भेदभाव नहीं हुआ।माता-पिता की ऐसी परवरिश के कारण सत्य-निष्ठा,न्यायप्रियता और अनुशासन के आदर्श संस्कारों का बीजारोपण बचपन से ही हो गया था।हमारे परिवार में 2 भाई और 2 बहने हैं।मेरा छोटा भाई श्री एस॰सी॰पारख हैदराबाद में ही डॉक्टर है।एक बहन स्नेहलता नाहटा,जो बडौदा में रहती थी,उनका दुर्भाग्यवश देहान्त हो गया।दूसरी बहन श्रीमती कुसुम सुराना दिल्ली में डॉक्टर हैं।

मेरी प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर में हुई। उसके पश्चात मेरे पिताजी का वहाँ से स्थानान्तरण जयपुर हो गया। अत: पांचवी कक्षा से स्नातक तक की पढाई जयपुर में सम्पन्न हुई। पांचवी कक्षा से ही मन में अव्वल आने की लगन पैदा हो गई थी,जो आजीवन मेरे साथ जुड़ी रही।

प्रश्न॰2:- आप तत्कालीन रूडकी विश्वविद्यालय (वर्तमान आईआईटी-रूडकी) से एम॰टेक (एप्लाइड ज्योलोजी) में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फिर आपने ज्योलोजी वाले महत्वपूर्ण सेक्टर को छोड़कर आईएएस की नौकरी करना क्या इसलिए आवश्यक समझा कि इस नौकरी को हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है या कोई और वजह थी? कृपया खुले मन से इस विषय पर प्रकाश डालें।

उत्तर:- मेरे एक अंकल ओएनजीसी में ज्योलीजिस्ट थे।उनसे प्रभावित होकर बीएससी में मैंने ज्योलोजी विषय चुना।स्नातक तक मेरे विषय फिजिक्स,मैथेमेटिक्स एवं ज्योलोजी थे।स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने रूडकी विश्वविद्यालय से ज्योलोजी में एम॰टेक॰किया।यह बहुत पुराना विश्वविद्यालय होने के साथ-साथ एशिया का पहला आभियांत्रिकी कॉलेज था,जिसे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था।इस कॉलेज में शुरू-शुरू में आर्मी के लिए इंजिनियर्स को तैयार किया जाता था।यहाँ जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life) ही सर्वोत्कृष्ट थी। सन् 1963 में यहाँ 2000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे।एक विशाल हॉल में एक साथ 1000 विद्यार्थी बैठकर खाना खाते थे।

(...... यह कहते हुए पारख साहब अपने अतीत में इस तरह खो जाते हैं मानो कॉलेज की पुरानी स्मृतियाँ एक-एककर ताजा हो रही हो और उनके एक-एक शब्द अंतरात्मा की अथाह गहराई से प्रतिध्वनित होकर गूंज रहे हो ....)

दाग-रहित एकदम सफेद साफ-सुथरे टेबल क्लॉथ, तवे पर फूली हुई गर्म चपातियाँ आज भी याद आती हैं। पहली बार जब मैंने चप्पल पहनकर मैस में खाना खाने के लिए प्रवेश किया तो मुझे बटलर ने यह कहते हुए रोक दिया,“सर,चप्प्ल्स आर नॉट एलाउड”।यह था वहाँ का कठोर अनुशासन! सितम्बर से मार्च महीने तक लम्बे सूट पहनना जरूरी हुआ करता था।फुल-शर्ट और टाई पहनना तो अनिवार्य था।उस समय तक ब्रिटिश परिपाटी ही चल रही थी। रुड़की विश्वविद्यालय के ज्योलोजी विभाग में एक साल में दस विद्यार्थियों का दाखिला होता था।इस तरह तीन साल के कोर्स में तीस विद्यार्थी स्नातकोत्तर होते थे। संकाय की संख्या भी दस थी। अत: तीन विद्यार्थियों पर एक संकाय की उपलब्धि क्या कम होती थी? रुड़की का अनुभव मेरे लिए अत्यन्त ही मृदु एवम् हृदयस्पर्शी रहा हैं। अध्यापकगण हमारे साथ वार्षिक ज्योलोजिकल कैंप में जाते थे। सीमित संख्या में विद्यार्थी होने के कारण सारा माहौल एक परिवार की तरह था।क्या अध्यापक,क्या विद्यार्थी, सभी एक परिवार के ताने-बाने से बुन जाते थे।

जिस वर्ष मेरी एम॰टेक की पढ़ाई पूरी हुई, उस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ज्योलोजिस्ट की कोई परीक्षा नहीं हुई। मैंने अपना नाम पीएचडी के लिए रजिस्ट्र करवा दिया। रजिस्ट्रेशन किए हुए दो-तीन महीने नहीं बीते थे कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक्जिक्यूटिव की नियुक्तियों के लिए एक विज्ञापन दिया। मेरे गाइड डॉ॰के॰के॰ सिंह ने सलाह दी कि यदि तुम अध्यापन के क्षेत्र में नहीं आना चाहते हो पीएचडी करने में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। एनएमडीसी में एप्लाई कर दो। उनकी सलाह के अनुसारमैंने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एप्लाई कर दिया। तीन पदों के लिए करीब सौ प्रविष्टियाँ आई थी।जो सलेक्ट हुए,अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे।श्री एच॰एस॰मदान,आईआईटी खडगपुर से,श्री पी॰एस॰एन॰ मूर्ति आन्ध्रा-यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से और मैं रूडकी विश्वविद्यालय से।

मदान के पिताजी भारत सरकार में डिप्टी सैक्रेटरी थे।उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनका बेटा आईएएस अधिकारी बनें,मगर मुझे उस समय तक आईएएस की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।मदान ने मुझे आईएएस की परीक्षा देने हेतु प्रेरित किया।

मेरा तीन सालों से मैथेमेटिक्स और फिजिक्स से संपर्क टूट चुका था।मैंने आईएएस देने का निश्चय किया। मैंने आईएएस की परीक्षा के लिए इंडियन हिस्ट्री,ज्योग्राफी (ज्योलोजी से थोड़ा-बहुत मिलता-जुलता विषय) और ज्योलोजी का चयन किया था और मेरे मित्र मदान ने

मैथेमेटिक्स,रसियन लेंगवेज़ और ज्योलोजी का।उस समय आईएएस की परीक्षा के लिए पाँच पेपर उत्तीर्ण करने पड़ते थे।तीन पेपर स्नातक स्तर के और दो पेपर स्नातकोत्तर स्तर के चयन करने होते थे। उन दो पेपरों में से एक पेपर मुगल इतिहास चुना और दूसरा ज्योलोजी।यह थी मेरी आईएएस की परीक्षा की रणनीति।

हमारे खेतड़ी प्रोजेक्ट के चीफ ज्योलोजिस्ट डॉ. सिक्का नहीं चाहते थे कि कोई भी तकनीकी विशेषज्ञ यानि टेक्नोक्रेट आईएएस बने और उसकी तकनीकी क्षमता व्यर्थ जाए।वे अक्सर हमसे कहा करते थे,"व्हाइ डू यू वांट टू बिकम बाबू ?"

आईएएस की परीक्षा में मेहनत के साथ-साथ विषयों का सही चयन और किस्मत भी जरूरी है। मैं आईएएस की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया,जबकि मेथेमेटिक्स में बहुत कम नंबर आने के कारण मदान सफल नहीं हो सका।

अब रही इंटरव्यू की बात।आईएएस का इंटरव्यू एक घंटा चलता है। इंटरव्यू के पैनल में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ बैठा करते हैं,परीक्षार्थी के आत्म-विश्वास की परख करने के लिए। इस पैनल के चेयरमैन श्री सरकार ने मुझे सबसे पहला सवाल पूछा,''आप एनएमडीसी जैसे पीएसयू में क्लास वन पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे छोड़कर आईएएस में क्यों आना चाहते हैं?"

मैंने उत्तर दिया,"यद्‌यपि पीएसयू में काम करना चुनौतीपूर्ण एवं संतोषजनक है,मगर आईएएस की नौकरी ज्यादा चुनौतीपूर्ण,ज्यादा अवसर प्रदान करने वाली और समाज में ज्यादा प्रतिष्ठाजनक है।"

करीब बीस मिनट चेयरमैन के इसी तरह के प्रश्नों का जवाब देते हुए आरामदायक अवस्था में बीत गए। बोर्ड के बाकी सभी सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर भी मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिए। पैनल के एक सदस्य रिटायर्ड़ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। उन्होंने सवाल पूछा,"कुछ समय पूर्व दिल्ली पुलिस पर एक आयोग का गठन हुआ हैं। कृपया उस आयोग की सिफारिशों के बारे में बताएं?"

मैंने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया,''सॉरी सर, आई डू नॉट नो"

पहले ही प्रयास में मेरा आईएएस में चयन हो गया।

प्रश्न॰3:- क्या कभी आपको सिविल सर्विस ज्वॉइन करने में जन सेवा का अच्छा अवसर या मंच मिलने की अनुभूति हुई थी?

उत्तर:- जी, हाँ। सिविल सर्विस में केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ कार्य करने का अवसर मिला है। जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों के कई लोग आपके संपर्क में आते हैं। सिविल सर्विस के एक अधिकारी को गरीब मजदूरों से लेकर धनाढ्य उद्योगपतियों तथा गाँव के एक सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री के साथ कार्य निष्पादन करने का मौका मिलता हैं। इस प्रकार सिविल सर्विस के माध्यम से सामान्य जन की सेवा अच्छी तरह से की जा सकती हैं।

प्रश्न॰ 4 :- मैंने आपकी किताब “Crusader or conspirator?” ध्यानपूर्वक पढ़ी।इस पुस्तक के परिशिष्टों में बहुत सारे पत्र संलग्न किए गए हैं, जिससे यह पता चलता हैं कि आपका पूरा कैरियर करनुल जिले के कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के शुरूआती दिनों से ही संघर्षों से भरा हुआ था।क्या यह सत्य है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?

उत्तर - यह बात बिल्कुल सत्य हैं कि मेरा संपूर्ण कैरियर संघर्षमय रहा। हमारी शासन प्रणाली में राजनेताओं पर उनके समर्थकों की तरफ से तरह-तरह के दबाव आते हैं।हमारे राजनेता सही और गलत में फर्क नहीं करते हैं और सरकारी अधिकारियों पर गलत काम करने के लिए दबाव डालते हैं।मैं जब अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान जिला परिषद का काम देख रहा था,उस समय जिला परिषद के चेयरमैन श्री बापी नीडू हुआ करते थे।वे डिस्ट्रिक्ट के प्रभावशाली नेता थे।वह मेरे पास हर सप्ताह सरकारी अध्यापकों के स्थानान्तरण की पर्ची भेजा करते थे,जबकि सरकारी नियम था कि एक अध्यापक का,जब तक कोई वैध कारण न हो, कम से कम तीन साल तक ना किया जाए।

श्री बापीनीडू ने वे सारी फाइलें,जिन पर मैंने अध्यापकों के स्थानान्तरण के खिलाफ सरकारी नियम के मुताबिक अपनी नोटिंग लिखी थी,अपने पास तब तक रखी,जब तक कि मेरा वहाँ का कार्यकाल पूरा नहीं हो गया।जब मैं अपने अंतिम कार्य दिवस पर उनसे विदाई लेने गया तो उन्होंने कहा,“पारख साहब, आपके लिए फाइलों पर यह टिप्पणी करना आसान है कि स्थानांतरण सरकारी नियम के विपरीत है, पर हमारे जैसे राजनैतिक नेताओं के लिए अपने वोटरों को सरकारी नियमों का उद्धरण देते हुए ‘नहीं’ कहना एक दुष्कर कार्य है। अगर हम उन्हें कृतज्ञ नहीं करेंगे तो वे हमें अपना वोट क्यों देंगे?”

मैंने उनसे कहा,"सर, आप जनता के एक चयनित नेता है।मगर आपके लिए वोटरों को आभारी बनाने की तुलना में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।जिले में पढ़ाई सही ढंग से चल रही है या नहीं, उसका उत्तरदायित्व क्या आपके ऊपर नहीं हैं?अगर अध्यापक हर दो-तीन महीनों में ट्रांसफर होते रहे तो वे बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे?"

उन्होंने कहा,"आपकी बात भी सही है किन्तु राजनेताओं के लिए अपने समर्थकों को ना कहना इतना आसान नहीं हैं।"

कहने का मतलब, राजनेताओं के लिए सबसे बड़ी भ्रामिक स्थिति यह होती है कि वह किसी को मना नहीं कर सकते हैं।प्रजातन्त्र 'चेक एंड बैलेंस' के सिद्धान्त पर काम करती है।हमारे संविधान में स्थायी सिविल सर्विस का प्रावधान भी इस 'चेक एंड बेलेन्स' का एक हिस्सा है ताकि राजनेता अपनी मनमानी न कर पाएँ और कानून के अनुसार अपने निर्णय लें।सिविल सर्विस के अधिकारी अगर ईमानदारी और निष्पक्षतापूर्वक सही सलाह देने का साहस रखते हो तो राजनेता निर्भय होकर गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं।इसी तरह अगर राजनेता अपने समर्थकों की असंगत अपेक्षाओं को पूरी करने से इन्कार कर दें और स्वयं जागरूक होकर गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त नहीं हो तो हमारे देश का लोकतांत्रिक ढांचा क्या अच्छे ढंग से नहीं चल सकता है?सरदार पटेल का दृष्टिकोण था,उनके अनुसार सिविल सेवा के अधिकारीगण को अनुशासित,योग्य,समर्पित और ईमानदार होने के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियों के अनुचित प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए और उनमें राजनैतिक दबाव के बावजूद स्वतंत्र निर्णय लेने और सलाह देने का साहस होना चाहिए। किसी भी सिविल सेवा के अधिकारी का अगर कोई व्यक्तिगत एजेण्डा न हो तो उसे अपनी दक्ष सेवाएं देने में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता हैं।आज के सूचना के अधिकार वाले समय में राजनैतिक नेताओं के लिए भी किसी अच्छी सलाह को खारिज कर देना इतना सहज नहीं होगा।

अधिकारियों के असमय स्थानातरण हमारे लिए एक बड़ी समस्या है।श्री विमल जालान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हर साल उत्तर प्रदेश में एलाइट आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का स्थानान्तरण किसी एक सरकार में अगर औसत दर 7 प्रतिदिन थी दूसरी सरकार में यह दर 16 प्रतिदिन हो गई। अगर सिविल सर्विस के अधिकारी अपने ट्रांसफर से डरेंगे तो वे देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर सैनिक अपने घर-परिवार को छोड़कर अनेक जानलेवा खतरों से जूझते हुए देश की सेवा करते है, आईएएस अधिकारियों को स्थानातरण से घबराने की क्या जरूरत है।

प्रश्न॰ 5 :- आपकी पुस्तक “Crusader or conspirator?” पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि प्रशासन पर राजनेताओं का दबदबा सत्तरहवें-अस्सीवें दशक में भी था। इससे यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्र भारत में आज तक ब्यूरोक्रेसी के लिए निडरतापूर्वक पक्षपातरहित होकर कार्य करने का दौर कभी भी नहीं रहा। कृपया इन पर अपनी विस्तृत टिप्पणी प्रदान करें?

उत्तर :- यद्यपि ब्यूरोक्रेसी का पतन देश की आजादी के साथ ही शुरू हो गया था मगर आपादकाल के समय(1975)यह पतन और ज्यादा तेज हो गया और साझा सरकारों के बनते-बनते अपनी चरम-सीमा तक पहुँच गया। मेरे आईएएस ज्वॉइन करने के समय अर्थात् सन् 1969 में अधिकतर अधिकारियों की ईमानदारी में कोई संशय नहीं था।मगर अब जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट गया हैं। जनता में ऐसी धारणा घर कर गई है कि वर्तमान समय में सिविल-सेवा में बहुत कम ईमानदार अधिकारी बचे हैं,बाकी अधिकांश बेईमान अधिकारी हैं।

प्रश्न॰6:- क्या आप भारत सरकार में कोयला सचिव बनना अपने कैरियर का अभिशाप मानते हैं? अगर हाँ तो क्यों?

उत्तर - नहीं। कोयला सचिव बनना मेरे लिए कोई अभिशाप नहीं था।मैं अपने कोयला सचिव के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हूँ।मेरा यह मानना है कि मैंने भारत के कोल सेक्टर में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हैं। उदाहरण के तौर पर -

1- जब मैने कोयला मंत्रालय ज्वॉइन किया था तब भारत के सभी विद्युत सयंत्र कोयले की गंभीर कमी से जूझ रहे थे। सात दिन से ज्यादा किसी के पास कोयले का स्टॉक नहीं था और जब मैने मंत्रालय छोड़ा तो प्रत्येक प्लांट में कम से कम पंद्रह दिनों का स्टॉक मौजूद था।

2- मेरे ज्वॉइन करने के समय कोल इंडिया की तीन अनुषंगी कंपनियाँ बीसीसीएल ,ईसीएल और सीसीएल घाटे के दौर से गुजर रही थी। मेरे मंत्रालय छोड़ते समय ये तीनों कंपनियां ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट में आ गई थी।

3- सन् 2005-2006 में मैंने कोल इंडिया में ई-आक्शन लागू करवाया।यह प्रक्रिया अब स्थायी रूप से काम कर रही है। इसी के कारण घाटे में चल रही कंपनियाँ मुनाफे में आई और कोल माफिया का प्रभाव कम हुआ।

3- मेरे समय में सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी और डायरेक्टरों की नियुक्ति मेरिट एवं दक्षता के आधार बिना किसी राजनैतिक दबाव के की गई। साधारणतया कोई भी कोयला सचिव मंत्री द्वारा ठुकराए हुए प्रस्ताव को एसीसी(एपोइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट) में नहीं भेजता है।मगर मैंने कोयला मंत्री के विरोध के बावजूद भी कोल इंडिया के चेयरमैन शशिकुमार के केस में प्रस्ताव एसीसी को भेजा और एसीसी ने उसे स्वीकार भी किया।

4- मुझे अपनी कार्यावधि में प्रत्येक सीएमडी तथा डायरेक्टर का पूरा-पूरा सहयोग मिला। मैंने उनसे कह दिया था कि वे कोई अवैध मांग, भले ही वह कोयला मंत्री से ही क्यों न आए, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे विषयों में वे मुझे सीधे पत्र लिख सकते हैं।मेरे समय में प्रबंध निर्देशकों पर किसी तरह का राजनैतिक दबाव नहीं था।इस प्रकार से कोयला सचिव बनना मेरे लिए अभिशाप नहीं वरन देश की सेवा का एक बहुत बड़ा अवसर था।

प्रश्न॰ 7:- तालचेर कोयलाचंल के सांसद धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक में आपके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के कारण आपने अपनी गरिमा और आत्मनिष्ठा बचाने की खातिर प्रधानमंत्री को चिट्टी लिखकर अपना त्याग-पत्र दे दिया। इसके कलह के पीछे क्या कारण हो सकते है?

उत्तर :- धर्मेन्द्र प्रधान शायद मुझसे दो कारणों से खफा थे -

1) ई-आक्शन लागू करने के कारण तालचर कोयलांचल में काफी हद तक कोयला माफियाओं पर नकेल कस दी गई थी।यह उनके क्रोध की एक वजह हो सकती है।

2) मेरे समय में कोल इंडिया में कुल मिलाकर 6 लाख श्रमिक थे। जिसमें से करीब 2.5 लाख श्रमिक जरूरत से ज्यादा थे। धर्मेन्द्र प्रधान चाहते थे कि जमींहरा अर्थात भू-विस्थापित लोगों को कोल इंडिया में रोजगार मिले।कोल इंडिया में सामान्य मजदूर का वेतन भी सामान्य वेतन से बहुत अधिक होता है।जमीन के हर छोटे टुकड़े के अधिग्रहण पर रोजगार प्रदान करना संभव नहीं है, इस प्रकार के अनुत्पादक रोजगार देकर कोल इंडिया जैसी वाणिज्यिक संस्थान को चलाना अव्यवहार्य है।

इस संदर्भ में मैंने ओड़िशा के मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव के समक्ष वैकल्पिक प्रस्ताव रखें ताकि भू-विस्थापितों को सुनिश्चित आय भी मिल सके और सीआईएल को अनुत्पादक एवं आधिक्य श्रम-शक्ति से बचाया जा सके। किन्तु सीआईएल में रोजगार दिलवाना राजनेताओं के लिए एक बहुत बड़ा कारोबार है।

शायद इन्हीं कारणों से श्री प्रधान ने मेरे खिलाफ असंयत एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिस वजह से मैं अपनी गरिमा एवं आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए कैबिनेट सचिव को अपनी स्वैच्छिक सेवा-निवृति के लिए एक पत्र लिखने के लिए विवश हुआ।

प्रश्न॰ 8:- कोलकाता की ममता बनर्जी,धनबाद के सासंद चन्द्रशेखर दूबे,झारखंड के शिबु सोरेन आदि नेता लोग अपनी राजनैतिक गतिविधियो को चलाने के लिए प्रशासन तंत्र का दुरूपयोग करते है और जब उनका राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता तो दादागिरी के रास्तों का अख़्तियार करते है। क्या विदेशों में भी ऐसा कुछ होता है?

उत्तर - नहीं,विदेशों में प्रजातन्त्र की जड़े मजबूत हो चुकी है,वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ की ट्रेडिशन और कल्चर कुछ इस प्रकार की हैं कि ऐसी घटनाएं वहाँ नहीं घटती हैं।अगर ब्रिटेन का उदाहरण लें तो वहाँ पर लिखित संविधान भी नहीं हैं।वहाँ किसी भी मंत्री की इस प्रकार की गतिविधियां अगर जनता के ध्यान में आ जाती है तो उन्हें तुरंत त्याग-पत्र देना होता है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं हैं। किसी भी घोटाले के पर्दाफाश होने पर हमारे नेता उसे राजनैतिक प्रतिरोध की संज्ञा देकर अपना पल्ला झाड देते हैं।

प्रश्न॰ 9 :- मैं जानता हूँ कि कोल-सेक्टर में अनेक सुधारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने का श्रेय आपको जाता हैं। जिसमें ई-नीलामी के माध्यम से कोयला बिक्री की पारदर्शी एवम् नवीन विधि भी शामिल है। मगर आपको आपके हिस्से का श्रेय नहीं मिल सका। क्या आप इसके लिए कभी असंतुष्ट या अवसाद-ग्रस्त हुए हैं?

उत्तर - मनुष्य को निस्पृह-भाव से अपना काम करते रहना चाहिए। श्रेय की कभी कामना नहीं करनी चाहिए।मेरे समय में सारे अध्यक्ष-प्रबंध-निदेशक, अधिकारीगण पूरी तरह से खुश थे। इस संदर्भ में मुझे किसी भी प्रकार का दु:ख या अवसाद नहीं है।जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं अपने कोयला मंत्रालय के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हूँ।

प्रश्न॰ 10 :- किसी भी स्थापित प्रणाली एवं संस्थान के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आपके अन्दर साहस, आत्म-विश्वास और ताकत कहाँ से आती है?

उत्तर - मेरी इस शक्ति,आत्म-विश्वास और साहस के पीछे तीन लोगों का हाथ हैं।पहला, मेरे माता-पिता,जो मेरे प्रेरणा-स्रोत थे।दूसरा,मेरी पत्नी उषा,जो पहले से ही सिविल सर्विस की सीमा-रेखा से परिचित थी और उसकी बाध्य-बाधकता को अच्छी तरह जानती थी। मेरे साले साहब 1965 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे भी पूरी तरह से सत्य-निष्ठा का पालन करने वाले शख्स थे। मुझे इस बात का फक्र है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली,जिन्होंने आजीवन कभी भी मुझे मेरे मनचाहे ईमानदारी के पथ से डिगने नहीं दिया। इस वजह से सही मायने में,मैं अपने जीवन की सम्पूर्ण गुणवत्ता को पूरी तरह जी पाया हूँ। तीसरा, मेरी बेटी सुष्मिता। उसने कभी भी अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा पूर्ति की मांग नहीं की।पत्नी और बच्चे की अवांछित मांगें अधिकांश समय ईमानदार आदमी को भी डगमगा देती हैं,ऐसा हम सबने अक्सर देखा है।

(पारख साहब के उपरोक्त कथन से मुझे बुर्ला विश्वविद्यालय, सम्बलपुर के प्रबंधन-संकाय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष व मैनेजमेंट गुरु श्री ए॰के॰महापात्र की एक कहानी याद आ जाती है ।कहानी इस प्रकार है:-

"...... एक बार अखिल विश्व-स्तरीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सी॰ई॰ओ॰ के 'फ्रस्टेशन-लेवल' की जांच करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया,जिसमें दुनिया भर के बड़े-बड़े लोगों ने भाग लिया। इस प्रयोग में पता चला कि भारतीय सी॰ई॰ओ॰ का 'फ्रस्टेशन लेवल''सबसे ज्यादा था। उसका कारण जानने के लिए एक टीम ने फिर से 'व्यवहार तथा सोच' संबंधित और कुछ प्रयोग किए। जिसमें यह पाया गया कि उनकी धर्मपत्नी बात-बात में उनके ऊपर कटाक्ष करती थी, यह कहते हुए, "आपने क्या कमाया है ? मेरे भाई को देखो।आपके एक गाड़ी है तो उसके पास चार गाड़ी है। आपके पास एक बंगला है तो उसके पास पाँच बंगले हैं। आप साल में एक बार विदेश की यात्रा करते हो तो वह हर महीने विदेश की यात्रा करता है। अब समझ में आया आपमें और उसमें फर्क ?"

ऐसे कटाक्ष सुन-सुनकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के अट्ठाईस वर्षीय युवा सी॰ई॰ओ॰ इतना कुछ कमाने के बाद भी असंतुष्ट व भीतर ही भीतर एक खालीपन अनुभव करने लगा।पैसा,पद व प्रतिष्ठा की अमिट चाह उनके 'फ्रस्टेशन-लेवल' को बढ़ाते जा रही थी।

इसी बात को अपने उत्सर्ग में पारख साहब ने लिखा की सिविल सर्विस में मोडरेट वेतन मिलने के बाद भी मेरी सारी घटनाओं की साक्षी रही मेरी धर्मपत्नी ने ऐसा कभी मौका नहीं दिया,जो मेरे निर्धारित मापदंडों को उल्लंघन करने पर बाध्य करते।

पारख साहब अत्यंत ही भाग्यशाली है कि उन्हें अपने स्वभाव, गुण व आचरण के अनुरूप जीवन-संगिनी मिली। मैं बहिन सुष्मिता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने पिता के पथ में कभी भी किसी तरह का अवरोध खड़ा नहीं किया,बल्कि उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें अपने पथ से विचलित नहीं होने दिया।

प्रश्न10(बी):- क्या कभी आपको अपने बैचमेट या ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में से किसी ने न्याय,सत्य,ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए संघर्ष करता हुआ देखकर अपनी तरफ से शुभ कामनाएँ प्रेषित की?

उत्तर:- सीबीआई के केस के समय मुझे सभी परिचित-अपरिचित,सर्विस कलिग्स, परिवार एवं मित्रों से भरपूर सहयोग मिला।टीवी,अखबारों एवं पत्रिकाओं में सालभर यह ज्वलंत चर्चा का विषय बना रहा।यहां तक कि हर राजनीतिक पार्टी ने सीबीआई की सर्च को गलत ठहराया। मैं अचंभित था,जब मेरे दसवीं कक्षा के मित्रों ने कहाँ-कहां से नंबर पता कर फोन पर अपना साथ दर्शाया।पाँच दशक से कुछ ज्यादा ही हो गया था,हमें मिले हुए। बीच में कोई भी संपर्क नहीं रहा।नाम याद थे मुझे,पर अब चेहरे पहचानना मुश्किल था।उन सब ने मुझसे संपर्क किया और जयपुर में मिलने का प्रोग्राम भी बना लिया।यह मेरे मन को छूने वाली घटना थी।

प्रश्न॰ 11 :- जिस समय आपके घर में सीबीआई की रेड हुई,उस समय आपकी और भाभीजी की मनोदशा कैसी थी?

उत्तर - (मुझे लगा मेरे इस प्रश्न से प्रशांत महासागर में किसी प्रक्षेपण से उथल-पुथल पैदा हो गई है,परंतु शांत स्वभाव पारख साहब महासागर की तीव्र लहरों के बीच चट्टान की तरह तटस्थ,अडिग और अविचल थे।उन्हें नीरव देखकर भाभीजी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उनके शब्दों में मार्मिक कंपन था)

17 अक्टूबर 2014 की वह सुबह.... जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकल ही रहे थे कि घंटी बजी और दरवाजे पर सीबीआई की करीब दस-बारह लोगों की टीम घर की सर्च के लिए खड़ी थी।यह एक अप्रत्याशित घटना थी,हमारी कल्पना से परे। मैं अपने आप को संयत नहीं रख पा रही थी,दिल-दिमाग को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है,मैं

सन्न थी,क्षुब्ध थी। पारख साहब ने अंदर आकर मुझे शांत रहने के लिए कहा, और कहा सांच को आंच कहां? फिर बाहर जाकर सीबीआई अधिकारियों को अपना काम करने को कहा।

पूरे घर की तलाशी चल रही थी। टीवी में भी हमारे घर में सीबीआई के द्वारा छापा पड़ने की स्क्रॉल जारी कर दी गई थी। साथ ही, फोन की घंटियों का बजना जारी हो गया था।

पारख साहब के चेहरे पर किसी भी प्रकार की तनाव की रेखाएं नहीं थी। बिना किसी खीज या क्रोध के सौम्य,संयमित भाषा में उन्होंने सीबीआई के लोगों से पूछा कि आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं तब उन्होंने बताया कि वे श्री कुमार मंगलम बिरला व हिंडाल्को से जुड़े हुए दस्तावेज खोज रहे हैं। पारख साहब के चेहरे पर हल्की-सी व्यंगात्मक मुस्कान आ गई और कहने लगे,"मुझे सेवानिवृत्त हुए सात साल से ज्यादा हो गए हैं।अगर हमारे बीच कुछ लेन-देन हुआ भी होगा तो उसका सबूत मैं क्यों संभाल कर रखूंगा?"

पारख साहब काफी समय से अपने संस्मरण लिख रहे थे। उन्होंने खुद वे सारे पेपर सीबीआई वालों को दे दिए और कहा,"इनकी फोटोकॉपी करवाकर मुझे दे दीजिए।" इसमें उनको आपत्ति नहीं थी। पारख साहब की किताब को लेकर हम दोनों के बीच काफी समय से बहस चल रही थी।मेरा मानना था,पद पर रहकर आप को जो करना था,आपने पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया,उसे पूरी तरह निभाया।अब उन घटनाओं को उजागर करके उन सब लोगों से क्यों दुश्मनी मोल लेंगे।कितने अच्छे लोग भी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। सीबीआई की टीम के जाने के बाद हम रोज की तरह आराम करने चले गए।मैं नज़र रख रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है,क्योंकि पारख साहब स्वभाव से अपने आपको व्यक्त नहीं करते हैं।

पारख साहब का दृढ़ निश्चय था।यह देश के प्रति उनका दायित्व बनाता है कि इन घटनाओं से जनता को अवगत कराया जाए, ताकि जनमत की शक्ति से परिवर्तन का दौर चलें।मैंने पूछा,"इस घटना से आप कितने चिंतित है?" तो मेरी कल्पना से परे वे मुस्कुराने लगे।मैं अचंभित थी।कहने लगे,"जो किताब आप प्रकाशित नहीं होने देना चाह रही थी,वह किताब अपने आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई।"

जिंदगी में पारख साहब के साथ मैंने भी कई उतार चढ़ाव देखे और ऐसी विषम स्थिति में भी शांत रहकर इतना आशावादी बने रहना मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला था।सीधी लड़ाई लड़ने से तो कभी डरे नहीं,पर अगर यह किसी षड्यंत्र या चाल का हिस्सा है तो शायद वह

हमारे बस की बात नहीं।दिनेशजी, मैं तो आज तक भी सीबीआई सर्च का सच और उद्देश्य जान नहीं पाई।

हमें खुशी थी कि विषम परिस्थितियों में भी बड़ी सहजता से जीवन मूल्यों को निभाते हुए बड़ी सादगी और पूर्ण संतुष्टि के साथ इन्होंने अपना प्रोफेशनल कार्यकाल पूरा किया।अब पूरी तरह समाज सेवा में जुड़ गए हैं।

सेवानिवृत्ति के 7 साल बाद की इस घटना में बड़े ही असमंजस में डाल दिया।आखिर यह सब हुआ क्यों? यह कोई षड्यंत्र तो नहीं?मनी पावर,मसल पावर और न्यायपालिका के गिरते हुए स्तरों को देखकर मन में संशय होना स्वाभाविक है,क्या पारख साहब को न्याय मिल सकेगा? यह सोचकर मेरा चिंतित होना स्वभाविक ही था।

जहां तक मुझे जान पड़ता है यह देश की पहली ऐसी घटना थी,जिसमें देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी को एकजुट खड़े देखा गया।टीवी चर्चाओं,अखबारों एवं पत्रिकाओं में करीब एक साल तक यह ज्वलंत चर्चा का विषय बना रहा।यह कैसी अभूतपूर्व घटना थी जिसमें हमेशा एक दूसरे की बात का विरोध करने वाले सारे राजनीतिक दल एक दूसरे से सहमत थे।सबने सीबीआई को गलत ठहराया,उसकी भर्त्सना की।

प्रश्न॰12 :- आपने अपने सिविल सर्विस की सारी जिंदगी ईमानदारी,सत्य-निष्ठा और कर्तव्य-परायणता के साथ बिताई, फिर ऐसी क्या वजह हुई कि सीबीआई को आपके ऊपर शक करना पड़ा?

उत्तर:- सन 1993 में कैप्टिव कोल ब्लॉकों के आवंटन हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया था,जो आवेदक कंपनी आर्थिक एवं तकनीकी का आकलन करके कोल ब्लॉक के आवंटन की सिफ़ारिश करती थी।शुरुआती सालों में बहुत कम आवेदक थे, इसलिए स्पर्धा भी कम थी। मगर सन 2003 में स्टील उद्योग में आए उछाल के कारण कोल-ब्लॉकों की मांग में अचानक बढ़ोतरी हुई और प्रत्येक कोल ब्लॉक के लिए आवेदकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इसलिए मैंने खुली निविदा के माध्यम से आवंटन करने का प्रस्ताव रखा।किन्तु प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बावजूद राजनैतिक विरोध के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका।

स्क्रीनिंग कमेटी ने तलाबीरा ब्लॉक-II को नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को आवंटित करने की सिफ़ारिश की। मगर जब कुमार मंगल बिरला ने अपने उपक्रम हिंडालको के लिए तलाबीरा

ब्लॉक हेतु प्रधानमंत्री और मुझे पुनर्विचार हेतु अपना प्रेजेंटेशन दिया तो मैंने देखा कि उनके तर्कों में कुछ दम था, इसलिए प्रस्ताव पर मैंने कोयला-सचिव की हैसियत से उस ब्लॉक को जाइंट वेंचर हेतु दोनों नेवेली लिग्नाइट और हिंडालको को देने के लिए तत्कालीन कोयला-मंत्री (उस समय प्रधानमंत्री थे) से अपनी सिफ़ारिश की ,जिसे प्रधान-मंत्री ने स्वीकार कर दिया।सीबीआई को यह बात समझ में नहीं आई कि नेवेली लिग्नाइट को दिए जाने वाले ब्लॉक को स्क्रीनिंग कमेटी की सिफ़ारिशों को न मानते हुए एक भागीदार हिंडालको को कैसे बना दिया गया? इसका पूरा वर्णन मैंने अपनी पुस्तक के अध्याय "सुप्रीम कोर्ट,सीबीआई एवं कोलगेट" में किया है।बाद में सीबीआई ने अपनी क्लोज़र रिपोर्ट में मेरी सिफ़ारिश को उचित ठहराया।मुझे दुख इस बात का है कि बिना पूरा होमवर्क किए सीबीआई ने एफ़आईआर रजिस्टर की। केस की पूरी तरह से जांच करने से पहले ही उसका प्रचार-प्रसार करके सीबीआई सिविल सर्विस के वरिष्ठ अधिकारियों के आजीवन ईमानदारी की कमाई पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं।

प्रश्न॰ 13 :- आपकी इस पुस्तक के प्रकाशित होने के उपरांत राजनेताओं के आचरण तथा शासन-प्रणाली में किसी भी प्रकार कोई परिवर्तन आया?

उत्तर - मुझे नहीं लगता कि कोई किताब ऐसा आमूल परिवर्तन ला सकती हैं। जब तक हमारे देश की निर्वाचन पद्धति में कोई सुधार नहीं आ जाता, तब तक राजनीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद करना बेकार हैं। मैं मोदी जी द्वारा वर्तमान राजनीति में जो सुधारात्मक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनकी खुले कंठ से सराहना करता हूँ।उदाहरण के तौर पर विमुद्रीकरण की बात को ही ले लें।लघु अवधि के नुकसानों को अगर छोड़ दिया जाए तो दीर्घ अवधि में इसके फायदे अवश्य होंगे ।

प्रश्न॰ 14 :- "कॉमर्शियल टैक्सेज़" वाले अध्याय में आपने किमती नामक एक व्यापारी का उदाहरण देते हुए यह लिखा है कि आज के जमाने में कोई भी व्यवसाय ईमानदारी से नहीं किया जा सकता है, तब आपके दृष्टिकोण से ईमानदारी लाने के लिए क्या-किया किया जाना चाहिए?

उत्तर - मुझे इस बात का दु:ख है कि जो लोग हमसे दस गुणा ज्यादा कमाते है, आधा भी इन्कम टैक्स नहीं भरते हैं। यह अन्तर क्यों? अगर वे लोग अपना पूरा-पूरा टैक्स भरे तो

सरकार के राजस्व में अच्छी-खासी वृद्धि हो जाएगी। इस कार्य के लिए निर्वाचन-प्रक्रिया में ठोस संशोधन की आवश्यकता है।

मेरे दृष्टिकोण में "टेक्नॉलॉजी ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी" कथन एकदम सही है।उदाहरण के तौर पर ई-टेंडरिंग,ई-आक्शन,ऑटो रिफ़ंड,ऑनलाइन पेमेंट आदि ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अधिक से अधिक टेक्नोलोजी के उपयोग से भ्रष्टाचार स्वत: कम हो जाएगा।

प्रश्न॰ 15:- - आपनी पुस्तक के अध्याय ''गोदावरी फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड" में एक महाप्रबंधक (वित्त) का उदाहरण देते हुए यह बताया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया अगर भ्रष्टाचारी है तो वो बहुत थोड़े समय में सारे ऑर्गेनाइजेशन को भ्रष्टाचार का सेसपूल बना देता है। इस पर अपने विचार प्रकट करें।

उत्तर - किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया अगर भ्रष्टाचारी है तो वह अपने प्रभाव का प्रयोग कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं मुख्य प्रबंधन को प्रभावित कर आराम से कुछ ही समय में भ्रष्टाचार का सेसपूल बना देता हैं। यह भ्रष्टाचार एक सिडींकेट के रूप में काम करता है और कमाए गए पैसों का आनुपातिक तौर पर सिंडीकेट के सभी लोगों में बंदर-बांट होती है।

प्रश्न॰ 16 :- समूचे देश को हिलाकर रख देने वाली आपकी पुस्तक "Crusader or Conspirator?" में उच्चतम स्तर के कई सरकारी गोपनीय एवं गुप्त-पत्र संलग्न हैं। ऐसी पुस्तक लिखने के आपके संकल्प के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं?

उत्तर - मेरी सेवा-निवृत्ति के पश्चात अपने संस्मरणों पर आधारित एक पुस्तक लिखने की सोच रहा था, लेकिन पुस्तक का क्या विषय रहेगा,क्या शीर्षक रहेगा?, इस बारे में अभी सोचा नहीं था। कुछ तो पुराने कागज मैंने पहले से ही इकट्ठे कर रखे थे और कुछ मैंने आरटीआई के माध्यम से मँगवा लिए थे।मेरे घर में हुई सीबीआई की रेड ने मेरा काम आसान कर दिया। मुझे अपने पुस्तक की थीम 'करप्शन' तथा शीर्षक 'क्रूसेडर ऑर कोन्स्पिरेटर?' मिल गया। मैंने मेरे पास समस्त जमा सामग्री को एक पुस्तक का रूप दे दिया।उसे प्रमाणिक बनाने के लिए मैंने मेरे पास सारे संचित दस्तावेजों को संलग्न कर दिया।

प्रश्न॰ 17 :- श्री पी॰सी॰पारख अपने कैरियर का मूल्यांकन किस तरह करते हैं तथा सर्विस का सबसे अच्छा फेज किसे मानते हैं और क्यों?

उत्तर -		मेरा पूरा कैरियर अधिकांश संतोषजनक रहा। मगर जिन तीन क्षेत्रों में मेरा योगदान अत्यन्त ही सार्थक रहा, वे निम्न हैं:-

1) वाणिज्यिक कर विभाग में मैंने डिप्टी कमिश्नर एवं ज्वॉइंट कमिश्नर (इंफोर्समेंट विंग) के रूप में कार्य किया था और मैंने देखा कि जिन लोगों को मैंने चयनित कर इंफोर्समेंट विंग में लाया था, उन्होंने इंफोर्समेंट विंग में आने के बाद अत्यन्त ही ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक कार्य किया।मैं उसे अपनी उपलब्धि मानता हूँ।

2) उद्योग विभाग में काम की सफलता का एक बड़ा कारण मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू का पूरा समर्थन था।इससे पूरे प्रदेश में निवेश का अच्छा वातावरण बना।पहली बार उद्योग विभाग की चाबी नियंत्रक से सहायक में तब्दील हो गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंगें हर महीने होती थी।जिससे राज्य के निवेश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यूके,यूएसए और साउथ ईस्ट एशिया में रोड-शो भी निकाले गए।हैदराबाद भी बैंगलुरू की तरह देश-विदेशों से निवेशकों को खींचने लगा। यहाँ तक कि बिल गेट्स और बिल क्लिंटन भी हैदराबाद की तरफ आकर्षित हुए।

3) कोल मिनिस्ट्री में सैक्रेटरी के तौर पर मैंने काम करते हुए रिफॉर्म लाने का प्रयास किया।ई-आक्शन लागू करने के साथ-साथ सीएमडी/डायरेक्टर के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा हानि में डूबी अनुषंगी कंपनियों को प्रॉफ़िट में लाने की भरसक मेहनत की।

प्रश्न॰18 :- इंडियन ब्यूरोक्रेसी के नकारात्मक पहलू पर हमेशा से आलोचना होती आ रही है। क्या आप इससे सहमत है?

उत्तर -		ब्यूरोक्रेसी में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। राजनैतिक नेतृत्व पर अधिकांश चीजें निर्भर करती हैं। सामान्यतौर पर गुजरात, आंध्र-प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सिविल सर्विसेज देना बेहतर हैं,जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार आदि प्रदेशों में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक है। फिलहाल नीतिश कुमार के शासन-काल में बिहार के प्रशासन में काफी सुधार आया हैं।

प्रश्न॰ 19 :- ब्यूरोक्रेसी में किस प्रकार के संशोधनों की सलाह आप देना चाहेंगे?

उत्तर -		किसी भी अच्छी सिविल सर्विस के तीन मूलभूत सिद्धान्त होते हैं:-

1-	राजनैतिक रूप में निष्पक्षता

2- ईमानदारी

3- जो सही हैं उसे सही कहने का साहस होना चाहिए।

अगर यह तीनों सिद्धान्त किसी भी सिविल सर्विस में लागू हो जाए तो वह एक अच्छी सिविल सर्विस कही जा सकती हैं।

प्रश्न.20 :- आपकी पुस्तक "Crusader or Conspirator?" के प्रति लोगों का कैसा रेस्पोंस रहा? क्या आप इससे संतुष्ट है?

उत्तर - यह किताब जागरूक पाठकों द्वारा अत्यन्त ही प्रंशसित हुई तथा सन् 2014 की बेस्ट सेलर किताबों में से एक थी।इन्टरनेट अमेज़न के एक सर्वेक्षण ने उस साल की संजय बारू की 'एक्सीडेन्टल प्राइम मिनिस्टर', मनोज मित्रा की "फिक्शन ऑफ फैक्ट फ़ाइंडिंग: मोदी एंड गोधरा", एंडी मारिओ की "नरेन्द्र मोदी : पोलिटिकल बायोग्राफी" और सोमा बनर्जी की "द डिस्सरप्टर : अरविंद केजरीवाल" जैसी बेस्ट सेलर पुस्तकों में इसे शामिल किया था।

मैं अपनी इस किताब को लेकर काफी संतुष्ट हूँ।कई अधिकारियों और सामन्य नागरिकों ने मुझे बधाई संदेश भेजे। इससे लगता हैं इस पुस्तक ने हर क्षेत्र के पाठकों को आकर्षित किया, खासकर युवावर्ग के प्रशासनिक एवं अधिशाषी अधिकारियों को।मेरे प्रकाशक मानस पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली के हिसाब से इस पुस्तक की करीब सोलह हजार प्रतियाँ बिक चुकी है।

प्रश्न.21 :- मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास 'नमक का दरोगा' ने आपको ऐसी किताब लिखने के लिए प्रेरित किया?

उत्तर:- मुंशी प्रेमचंद के बहू-चर्चित उपन्यास 'नमक का दरोगा' ने मुझे अपना जीवन उपन्यास के मुख्य पात्र की तरह जीने के लिए प्रेरित किया। सीबीआई रेड की वजह से जनता के समक्ष सारे तथ्य रखने के लिए मैंने यह किताब लिखी।

प्रश्न.22 :- क्या आपकी कोई और पुस्तक लिखने की योजना हैं? अगर हैं तो इस पर विस्तार से प्रकाश डालें।

उत्तर - हाँ। दूसरी किताब की पाण्डुलिपि लगभग तैयार हैं। यह किताब पहली किताब से पूरी तरह अलग हैं। जिसमें देश की कोयला नीति, सीबीआई की जाँच और सुप्रीम कोर्ट

द्वारा दिए गए निर्णयों को मैंने आधार बनाया है। यह 250 पृष्ठों की पुस्तक होगी।जिसका प्रकाशन मैं स्वयं करने की सोच रहा हूँ,क्योंकि दूसरे प्रकाशन-गृह कोर्ट की अवमानना के डर से इसे प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं हैं।

प्रश्न॰ 23 :- अनेक विषम परिस्थितियों के बावजूद आप भारत सरकार के सचिव-पद से सेवा-निवृत्त हुए है। क्या यह आपकी सफलता नहीं है?

उत्तर - मेरा संपूर्ण कैरियर मेरे दृष्टिकोण में सफलता से भरा हुआ था।

प्रश्न॰ 24 :- आपके दुर्दिनों के समय आपके परिवार ने आपको किस प्रकार संबल प्रदान किया?

उत्तर - मुझे मेरे परिवार से अनारक्षित समर्थन और सहयोग मिला।

प्रश्न॰25 :- कृपया आपके जीवन की कोई ऐसी घटना बताएं जो आज तक आपके मानस पटल पर तरोताजा है?

उत्तर - मैंने अपनी किताब के प्रथम अध्याय में आंध्र-प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के श्री ब्रहमानंद रेड्डी का जिक्र किया है। जिन्हें हम उनके ऑफिसियल निवास-स्थान 'आनंद निलयम' विला पर सौजन्यतावश मिलने गए थे। उन्होंने जो बात कहीं थी आज भी मेरे मन-मस्तिष्क में तरोताजा हैं।उन्होंने कहा था,''आज से आप, लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या ओड़िशा के नहीं हैं।आप सभी आंध्र-प्रदेश के हों। हमारे राज्य के विकास और इसके लोगों का कल्याण आपके सामर्थ्य एवं कठिन परिश्रम पर निर्भर करेगा।मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि आप सभी मेरे विश्वास पर खरे उतरेंगे।अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई या कोई समस्या आए तो मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं।"

कितने उदार हृदय के थे वे! आज के राजनेताओं में इस प्रकार की उदारता, परिपक्वता और खुले विचारों वाली मानसिकता नहीं मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मुझे अपने कार्यों में स्वतंत्रता और समर्थन दिया,मगर राजनैतिक दबाव के चलते उन्हें भी कई जगहों पर समझौता करना पड़ता था।

प्रश्न॰ 26 :- साक्षात्कार में ऐसी कोई चीज जिसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं पूछा हो तो उसके बारे में ध्यानाकृष्ट करें।

उत्तर - आपने सब-कुछ तो पूछ लिया हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बचा हैं,जिसे पूछना बाकी हैं।

प्रश्न। 27 :- किसी भी प्रकार का कोई दु:ख या पछतावा?

उत्तर - किसी भी प्रकार का कोई दु:ख या पछतावा नहीं हैं।

प्रश्न। 28 :- क्या कोल इंडिया में सीएमडी का चयन अभी भी उसी तरह से हो रहा है, जैसे आपके समय में पारदर्शिता से हुआ करता था?

उत्तर - फिलहाल कई सालों से मेरा कोयला-मंत्रालय से कोई संपर्क नहीं हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, श्री पीयूष गोयल ईमानदार छवि वाले मंत्री है और पूर्व कोयला सचिव श्री अनिल स्वरूप भी बेहद अच्छे ऑफिसर और अच्छे इंसान है।अत: मुझे लगता हैं कि आजकल भी सीएमडी का चयन मेरिट एवं दक्षता के आधार पर ही होता होगा।

प्रश्न 29 :- कुछ समय पूर्व कोयला सचिव श्री अनिल स्वरूप को कोयला मंत्रालय से हटाकर शिक्षा विभाग में अचानक क्यों दे दिया गया?

उत्तर - श्री अनिल स्वरूप का कार्यकाल अभी दो-तीन साल बचा हुआ हैं। कोल-सेक्टर में उन्होंने अच्छा नाम कमाया है।अगर उन्हें शिक्षा-विभाग में दिया गया है तो सरकार ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उस क्षेत्र में भी काफी सुधार लाने बाकी है।मुझे पूर्ण विश्वास हैं, वे इस कार्य में सफल होंगे।

प्रश्न। 30 :- सीबीआई के पूर्व निदेशक श्री रणजीत सिन्हा पर सीबीआई कार्यवाही कर रही हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?

उत्तर :- मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है।

प्रश्न।32 :- सेवानिवृत्ति के पश्चात आप दो एनजीओ चला रहे हैं, इस पर कुछ बताएं।

उत्तर - मेरा पहला एनजीओ कृत्रिम अंग लगाने में संबन्धित हैं। विकलांग लोगों के जयपुर फुट लगाकर उन्हें सहायता प्रदान की जाती हैं।अलग-अलग जिलों में कलेक्टर की सहायता से विकलांगों के लिए कैम्प लगाए जाते हैं। कलेक्टर हमें जगह और लोगों के निशुल्क खाने की सुविधा प्रदान करते हैं।एक कैम्प में 300-400 पीड़ित लोग आते हैं। हम अपने टेक्नीशियन और वर्कशॉप उन कैम्पों में ले जाते हैं। सुबह आए हुए विकलांगों को देर

रात तक तथा दोपहर को आए हुए को अगली सुबह तक जयपुर फुट लगाकर विदा कर दिया जाता हैं। सारे कृतिम अंग नि:शुल्क ही लगाए जाते हैं।सारा काम कम्पनियों की सीएसआर स्कीम अथवा डोनेशन के माध्यम से किया जाता है।

मेरा दूसरा एनजीओ डायलासिस से संबन्धित हैं।इसके लिए हमारा एनजीओ मरीज से प्रति डायलासिस तीन सौ रुपए लेता हैं, जबकि बाहर डायलासिस करवाने पर खर्च दो से ढाई हजार प्रति डायलासिस आता हैं।मेरी जानकारी के अनुसार किडनी के मरीज का मासिक खर्च चौबीस हजार से पचास हजार आता है,जबकि हमारे यहां दवाई मिलाकर पाँच हजार के अंदर आता है।डायलासिस के हमारे चार केन्द्र हैं, जिनमें 112 मशीनें लगी हुई है। पिछले सात साल में हमने चार लाख से ज्यादा डायलासिस किए हैं।

(साक्षात्कार समाप्त करने से पूर्व पारख साहब के बारे में उनकी जीवनसंगिनी श्रीमती उषा पारख की राय जानने के लिए दो सवाल मैंने उनसे भी पूछे।)

प्रश्न.33:- अपने पति श्री प्रकाश चन्द्र पारख का मूल्यांकन कैसे करती हो? जब वे किसी तरह का कठोर निर्णय लेते होंगे तब आप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था?

उत्तर :- अभी हाल ही में हमने अपने व्यावहारिक जीवन के 46 साल पूरे किए है।इतनी दीर्घावधि का मूल्यांकन कुछ पंक्तियों में कर पाना मुश्किल है।काफी विशेषता है तो आप सबको मालूम ही हैं। ये अत्यंत सहयोगी पति है,यथार्थ में अधिक विश्वास रखते हैं, जल्दी से भावुकता में बहते नहीं हैं,पर यही विशेषता हमारे संबंध को संतुलित करती है। जहां मतभेद आ जाता है,वहां हमारी पुत्री सुष्मिता का दायित्व आ जाता है।अधिकतर उसका कहा अंतिम निर्णय होता है।

पारख साहब साफ-सीधी बात करते हैं, जिसमें अक्सर व्यवहार कुशलता और टेक्ट की कमी हो जाती है। शुरू में मुझे ये बहुत अखरता था,पर धीरे-धीरे मैंने इसे इनकी विशेषता के रूप में स्वीकार कर लिया है।करीबी लोग भी इसे भली-भांति समझते हैं।

प्रश्न34:- भाभीजी,कुछ अपने परिवार की पृष्ठभूमि भी बताइए।

उत्तर:- मेरे पिताजी श्री आर.एन.भंडारी डायरेक्टर ऑफ एंप्लॉयमेंट थे।उन्हें ऑफिस में किसी भी काम की कोताही बर्दाश्त नहीं थी।पर व्यक्तिगत रूप में वे सब के पिता समान थे।उनकी कर्मठता और ईमानदारी की कसमें खाई जाती थी।अत्यंत स्वाभिमानी एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था उनका। मेरी माताजी धार्मिक,स्वाभिमानी एवं शालीन प्रवृत्ति की महिला थी।

उस जमाने में हमने देखा था,कई परिवारों में माता-पिता से खुलकर बातें करने की इजाजत भी नहीं होती थी। हमारे उदारवादी उन्मुक्त विचारों वाले माता-पिता ने हम सबको अपने

अपने विचार व्यक्त करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया।तर्क और वाद-विवाद हमारी ग्रोइंग अप का अहम हिस्सा रहे। ये माहौल और संस्कार हम सब भाई बहनों को विरासत में मिले। कठिन परिश्रम,सच्चाई और नियम का पालन करते हुए आज सभी सफलता की ऊंचाइयों पर है।

प्रश्न॰35:- पारख साहब की कुछ कमजोरियों के बारे में बताना आप पसंद करेंगी?

उत्तर:- (फिर से हँसते हुए) पारख साहब आजकल मेरी सुनते नहीं हैं, अपना ध्यान भी नहीं रखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है।जब आसिफाबाद में साहब सब-कलेक्टर थे तो वहाँ के आदिवासियों का एक मुखिया परंपरा के अनुसार मिलने आता था, उसने इनकी तरफ देखकर कहा था,"जब तक आप अपनी पत्नी की बात मानोगे तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमेशा आपकी तरक्की होगी।"

(यह कहते हुए वह अपने अतीत में खो जाती है,शायद उन्हें नौकरी वाले अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं।फिर यथार्थ में लौटकर पारख साहब की तरफ देखते हुए कहने लगती है) उस समय तो मेरी सुनते थे। नौकरी के सारे समय उन्होंने मेरी बात मानी,मगर अब ... ?

(यह कहते हुए वह नीरव हो जाती है।)